लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र / Eleventh Session]

Preservation Unit, Parliament Library
Furnished On

PARLIAMENT LIBRARY
No. 61642
Date 11·12·70

सत्यमेव जयते

[खण्ड 43 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया | *Price :* **One Rupee**

विषय-सूची CONTENTS

अंक 18, गुरुवार, 20 अगस्त, 1970/29 श्रावण, 1892 (शक)

No. 18, Thursday, August 20, 1970/Sravana 29, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
511	मत्स्य उद्योग का विकास / Development of Fishing Industry	1-7
513	उत्तर भारत में रबी और खरीफ की फसलों पर जुलाई 1970 की वर्षा का प्रभाव / Effect of Rain of July 1970 on Rabi and Kharif Crops in North India	7-9
514	फसल बीमा योजना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति / Expert Committee on Crop Insurance Scheme	9-14
516	युव-वाणी कार्यक्रम / Yuva-Vani Programme	14-16
517	छोटे समाचार पत्रों के लाभार्थ रात गये समाचार बुलेटिन का प्रसारण / Late Night Broadcast of News Bulletin to benefit small Newspapers	16-17
519	हड़ताल करने वाले श्रमिकों की मुअत्तली / Suspension of Workers on Strike	17-19

प्रश्नों के लिखित उत्तर **Written Answers to Questions**

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
512	छोटे ट्रैक्टरों का आयात / Import of Small Tractors	20
515	पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विस्थापित लोगों के दावे / Claims of Displaced Persons from Pak Occupied Kashmir	21
518	पंजाब राज्य सहकारी पूर्ति तथा विपणन संघ द्वारा तरल उर्वरक कारखाने की स्थापना / Setting up of a Liquid Fertilizer Plant by Punjab State Cooperative Supply and Marketing Federation.	21
520	पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की अति-गम्भीर स्थिति / Expolosive unemployment Situation in West Bengal	21-22

*किसी नाम पर अंकित यह +चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
521 प्रशासनिक अकुशलता के कारण सामुदायिक विकास की असफलता	Failure of Community Development due to Administrative Inefficiency	22
522 पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति	Compensation to East Pakistan Refugees	23-24
523 कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एकीकरण	Merger of E.S.I.C. and E. P. F. O.	24
524 चीनी का अन्तर्राज्यीय बहन तथा इसका चीनी के मूल्यों कर प्रभाव	Inter-State Movement of sugar and its Effect on Price	24-25
525 कलकत्ता की ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था का कुप्रबन्ध	Mismanagement in Trunk Telephone System in Calcutta	25-26
526 पूर्व की ओर राजस्थान के बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिये किये गये उपाय	Steps to Check Spread of Rajasthan desert towards East	26-27
527 बागान कर्मचारियों का कार्य-समय और आवास व्यवस्था	Plantation Worker's working hours and Accommodation	27
528 दो दैनिकों 'प्रताप' और 'वीर अर्जुन' द्वारा अखबारी कागज में अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करने के लिए सहयोग	Co-operation extended in Exposing shady transaction in newsprint by two New Delhi Dailies 'Pratap' and 'Vir Arjun'	27-28
529 कामुकता और हिंसा प्रधान भारतीय चलचित्रों के प्रति फिल्म सेंसर बोर्ड का कड़ा रुख	Film Censor Boards Strict Attitude towards Indian Films Stress on sex and Violence	28
530 खाद्य क्षेत्रों का समाप्त किया जाना	Abolition of Food Zones	28-29
531 समाचार-पत्र वित्त निगम	Newspaper finance corporation	29
532 आकाशवाणी के कटक केन्द्र का एक दिन के लिये बंद हो जाना	A. I. R. Cuttack off the Air for one day	29
533 पटसन, कपास और तिलहन जैसी नकद फसलों का उत्पादन बढ़ाने की योजना	Plan to Boost Production of Cash crops like Jute, Cotton and Oilseeds	29-30
534 बेरोजगारी भत्ता	Unemployment Allowance	30
535 वर्ष 1969-70 में गन्ने का उत्पादन तथा चीनी के मूल्य	Production of Sugarcane during 1969-70 and price of Sugar	31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
536 कार्यकारी दल द्वारा बेरोजगार बीमा योजना की जांच	Examination of working group of Unemployment Insurance Scheme	31-32
537 माना स्थित पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी शिविर से हथियारों का पकड़ा जाना	Arms seized at East Pakistan Refugee Camp at Mana	32
538 किसानों को ऋण संबंधी सुविधाएँ	Credit Facilities to Farmers	32-33
539 क्षेत्रीय अनुसन्धान परीक्षणशाला, हैदराबाद	Regional Research Laboratory, Hyderabad	33-34
540 भूमि-सुधार संबंधी समस्या	Problem of Land Reforms	34
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3374 अधिक उपज वाले बीजों के वितरण में कदाचार	Malpractices in Distribution of High Yielding Seeds	34-35
3375 उर्वरकों तथा अधिक उपज वाली किस्म के बीजों के उपयोग के कारण पंजाब की भूमि को उर्वरता को क्षति	Loss of Fertility of Soil in Punjab due to use of Fertilizers and High Yielding varieties of Seeds	35-36
3376 ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा आरम्भ करना	Introduction of T. V. in Rural Areas	36-38
3377 हथकरघा बुनकर/श्रमिकों की औसत मासिक आय	Average Monthly Income of Handloom Weavers/Labourers	38
3378 नियुक्तियों के लिये आकाशवाणी बोर्ड	A. I. R. Board of Appointments	39
3379 केरल तथा पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार का मानदंड तथा भूमिहीनों में भूमि का वितरण	Standard of Land Reforms in Kerala and West Bengal and Distribution of Land to Landless	39
3380 गोल्फ लिंक और शंकर रोड, नई दिल्ली के लिये डाकघर	Post-offices for Golf Link and Shanker Road, New Delhi	40
3381 उत्तर प्रदेश अथवा पंजाब में जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से आयातित ट्रैक्टरों और ट्रैक्टरों समेत कटाई यंत्रों के प्रयोग में प्रशिक्षण के लिये एक आदर्श फारम की स्थापना	Setting up of a Model Farm in U. P. or Punjab for Training in use of Tractors and Combined Harvestors imported from German Democratic Republic	40-41
3382 टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठक	Meeting of Telephone Advisory Committee, Delhi for Grant of Telephone Connections	41-42

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3383 जर्मन लोक-तंत्रीय गणराज्य में आयातित आर० एस० .09 टैक्टरों के बारे में शिकायतों पर विचार करने के लिये कृषि भवन में हुई बैठक में किया गया निर्णय	Complaints Against R. S. .09 Tractors Imported from German Democratic Republic	42-43
3384 राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा आर० एस०-09/124 ट्रैक्टरों का आयात और उनका वितरण	Import of R.S. 09/124 Tractors and their Distribution through State Agro-Industries Corporation	43-44
3385 'जाब्स पर अवर मिलियन्स' नामक पुस्तक	Book on "Jobs for our Millions"	44
3386 तकनीशनों की अत्यधिक कमी	Acute Shortage of Technicians	44-45
3387 येदागंडी, गोदावरी में पंचायती चुनाव	Panchayat Poll in Yedagandi, Godavari	45
3388 नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का विकास	Development of Command Areas of River Valley Projects	45-47
3389 कलकत्ता पत्तन के मल्लाहों आदि को आश्वासन	Assurance to Calcutta Port Bargemen	47-48
3390 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अंगूर के पेयों पर प्रयोग	Experiments on Grape Beverages in Punjab Agricultural University	48
3391 कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against E.S.I. Scheme	48-49
3392 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध के बारे में शिकायत	Complaints Against quality of Milk Supplied by Delhi Milk Scheme	49
3393 नई दिल्ली ट्रेड एम्पलोयीज एशोसिएशन की शनिवार को आधी छुट्टी की मांग	Demand of New Delhi Trade Employess' Associotion Re. Saturday as Half day Holiday	50
3394 कलकत्ता पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Calcutta Port and Dock Workers	50-51
3395 प्रधान मन्त्री के पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद भूमिहीनों को फालतू भूमि का वितरण	Distribution of Surplus Land to Landless after P. M's. visit to West Bangal	51
3396 चण्डीगढ़ के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति	Persons Registered with Employment Exchange at Chandigarh	51-52

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ /Pages
3397	पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा जबर्दस्ती हथियाई गई भूमि को वापिस लेना	Restoration of Land Forcibly Acquired by Workers of Political Parties in West Bengal	52-53
3398	गोदी मजदूरों के लिये स्थायीकरण की नई योजना का विरोध	Protest Against Introduction of New Decasuailization Scheme for Dock Workers	53
3399	कलकत्ता के डमडम हवाई अड्डे पर सार्वजनिक टेलीफोनों का खराब होना	Public Telephones at Dum Dum Airport Calcutta lying out of order	53-54
3400	पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत कब्रिस्तानों का अधिग्रहण	Acquisition of Burial Grond under land Acquisition Act in West Bengal	54
3401	इस्पात कारखानों में सांकेतिक हड़ताल करने के सम्बन्ध में आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्णय	AITUC Decision regarding Token Strike in Steel Plants	54-55
3402	पश्चिम बंगाल में वक्फ प्रबन्ध	Wakf Administration in West Bengal	55
3403	औद्योगिक सम्बन्ध आयोग	Industrial Relations Commission	55-56
3405	मध्य प्रदेश के चीनी उद्योग में संकट	Crisis in Sugar Industry of Madhya Pradesh	56-57
3406	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्धारित खाद्यानों के लक्ष्यों का राज्यों द्वारा अस्वीकार किया जाना	Non-acceptance of Targets of Food grains by States as fixed in Fourrth Five Year Plan	57
3408	विक्रम नगर के निवासियों से अभ्यावेदन	Representation from Residents of Vikram Nagar, New Delhi	57-58
3409	कृषि में समान कार्य करने पर समान वेतन	Equal Pay for Equal Work in the Agriculture	58
3410	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिये विशेष कार्यक्रम	Special Programme to Solve Unemployment in Fourth Five Year Plan	58-59
3411	रोजगार कार्यालयों में दर्ज भूतपूर्व सैनिकों की संख्या और उन्हें दी गई नौकरियां	Number of Ex-Servicemen Registered with Employment Exchanges and jobs Provided	59
3412	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन प्रार्थना पत्र तथा उसके लिए नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना।	Applications Pending for Telephone connections and setting up of more Telephone Exchanges in Delhi	59-60

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3413	खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में किसानों के लिये प्रेरणादायी योजनायें	Incentive Schemes for Farmers to Boost Food Production	60-61
3414	दिल्ली में विस्थापित बस्तियों के अप्रयुक्त प्लाटों का निपटान	Disposal of unutilised plots in Rehabilitation colonies in Delhi	61
3415	चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Stations during Fourth Plan	61-62
3416	वाणिज्यिक कार्यक्रमों से आकाशवाणी की औसत मासिक आय	Average monthly earnings of A. I. R. through Commercial Programmes	62
3417	बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Unemployment	62-63
3418	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मछली उत्पादन	Fish Production during Fourth Plan	63-64
3419	अगस्त 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का अनुमानित आगमन	Estimated Infulux of East Pakistan Refugees in August, 1970	64
3420	अलकनन्दा की दुःखद घटना के कारण संचार व्यवस्था को क्षति	Damage to Communications due to Alaknanda Tragedy	64-65
3421	विद्युत् मजदूर संघ द्वारा ज्ञापन दिया जाना	Memorandum by Vidyut Mazdoor Sangh	65
3422	मिन्टगुमरी कोआपरेटिव फारिमिंग सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली	Montgomery Cooperative Farming Society Ltd., Delhi	65-66
3423	रोजगार कार्यालयों में दर्ज महिलाओं की संख्या और उन्हें दी गई नौकरियां	Women registerd with Employment Exchanges and Jobs provided	66-67
3424	पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा और दक्षिणी अफ्रीका से आये विस्थापित व्यक्ति	Refugees from East & West Pakistan, Ceylon, Burma and South Africa.	67
3425	पश्चिमी बंगाल में सूचना व्यवस्था स्थापित किया गया केन्द्र	Information set-up in West Bengal	68
3426	आसाम में चीनी मिल की स्थापना	Setting up of a Sugar Mill in Assam	69
3427	मिट्टी सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं में स्थापित करने के लिये सहकारी समितियों और जिला विपणन समितियों को सहायता देने की राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजना	Scheme by National Cooperative Development to assist Cooperative Apex and District Marketing Societies in setting up Soil Testing Laboratories	70-71

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3428 अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों द्वारा खाद्यान्न सहायता में वृद्धि	Increase in supply of food aids by U. S. A., U. K., and other countries	71
3429 खाद्यान्न का आयात तथा क्षति	Wastage and import of foodgrains	72-73
3430 चावल क्रांति में मदद करने के लिये चावल की नई किस्मों को चालू करना	Introduction of new strains of Rice to help Rice Revolution	73-74
3432 पश्चिम पाकिस्तान से आए भूमि के दावेदार	Land claim-holders from West Pakistan	74
3433 पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से विस्थापित लोगों को निष्क्रान्त भूमि का आवंटन	Allotment of evacuee lands in J&K. to displaced persons from Pak-occupied Kashmir	74-75
3434 रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति	Persons registered with Employment Exchanges	75
3435 दिल्ली में गेहूं के मूल्य में वृद्धि का प्रभाव	Impact of increase in Price of Wheat in Delhi	76
3436 बनस्पति के मूल्य को निर्धारित करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation regarding fixation of Vanaspati price	76
3437 दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित समाचारों के प्रसारण में आकाशवाणी का पक्षपतापूर्ण रवैया	Descriminatory treatment by A. I. R. in broadcasting news regarding Delhi Administration and Delhi Municipal Corporation	77
3438 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूग्ध चूर्ण का अनुपात	Proportion of milk powder in milk supplied by Delhi Milk Scheme	77-78
3439 उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों के लिये विकास परियोजनायें	Small farmers' development Projects in U. P.	78-79
3440 पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये राज्यों द्वारा रखी गई शर्तें	Conditions by States to Rehabilitate East Pakistan Refugees	79
3441 कृषि सुधार के लिये पौधों में रोगों का पता लगाने के लिये 'रिमोट सेंसिंग' परियोजना	Projects on Remote Sensing to locate diseases in Plants to improve	80-81
3442 श्रम कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव	Proposal to Amend Labour Laws	81
3443 चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में उत्तर प्रदेश का शिष्टमंडल	Delegation from U. P. regarding Nationlisation of of Sugar Industry	81
3444 गैर सरकारी उपक्रमों द्वारा टेलीफोन उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Telephone Equipment by Private Undertakings	81-82

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3445	बिहार में टेलीग्राफ स्टोरों में ढुलाई ठेका प्रणाली	Carriage Contract System in Telegraph Stores in Bihar	82-83
3446.	चरखी दादरी (हरयाणा) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत प्रार्थना-पत्र	Applications for Telephone Connections Pending at Charkhi Dadri (Haryana)	83
3447	फिल्म उद्योग में रोजगार का विनियमन	Regulation of Employment in Film Industry	83
3448	मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये उपाय	Steps to Accelerate Fish Production	84
3449	आकाशवाणी कटक केन्द्र के निदेशक को दिल्ली बुलाया जाना	Summoning of Director A. I. R. Cuttack to Delhi	85
3450	समाचार पत्र उद्योग में एकाधिकार	Monopoly in Newspapers Industry	85-87
3451	देय कर्मचारी भविष्य निधि तथा मजदूरों की दशा	E. P. F. Dues and Labourers Conditions	87-88
3452	दिल्ली के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Public Call Offices in Delhi	88-89
3453	दक्षिणी रोडेशिया के अवैध शासन द्वारा जारी की गई डाक-टिकटें जो भारत में डाक टिकटों के पूर्व भुगतान के रूप में वैध नहीं हैं।	Stamps Issued by illegal Regime in Southern Rhodesia not valid for prepayment of Postage in India	89
3454	दिल्ली दुग्ध योजना के विक्रय केन्द्र में प्राप्त होने वाले दुग्ध की न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा	Maximum and Minimum quantum Milk received in D. M. S. booths	89-90
3455	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अपने कर्मचारियों को अग्रिम धन की अदायगी	Payment of advancesby Delhi Milk Scheme to its employees	90
3456	राजकीय फार्म निगम	State Farm Corporation	90-91
3457	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains under PL. 480	91-92
3458	आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय गान की धुन में एकरूपता	Uniformity in Playing of National Songs over A. I. R. Staions	92
3459	परती, बंजर और पथरीली भूमि का क्षेत्र-फल और उस पर खेती	Acreage of Fallow, Barren and Rocky Land and its Cultivation	92-93
3460	भूमिहीनों को भूमि वितरण का जोरदार कार्यक्रम	Crash Programme for Distribution of land to landless	93-94

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3461 गोसंरक्षण के बारे से गांधी जी के विचारों को विकृत रूप में प्रस्तुत करना	Distorted presentation of Gandhi-ji's views on Cow Protection	94-95
3462 मध्य प्रदेश सरकार की ओर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Telephone Bills outstanding against Madhya Pradesh Government	95
3463 खुर्जा टेलीफोन एक्सचेंज में अलग-अलग पैनल तथा आपरेटर	Separate panels and operators at Khurja Telephone Exchange	95-96
3464 मास्को रेडियो प्रसारण	Moscow Radio Broadcast	96
3465 दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की अद्यतन सूची तैयार करना	Compilation of an up-to-date list of displaced persons from East Pakistan in Delhi	96-97
3466 कम्पनी द्वारा श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित महँगाई भत्ता	Revised D. A. to Workers by Companies	97
3467 महिशिला कालोनियों में प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र को बन्द करना	Closure of Maternity and Child Welfare Centre at Mahisila Colonies	98
3468 आसनसोल महिशिला गवर्नमेंट कालोनियों में विकास कार्य	Development works of Mahisila Government Colonies, Asansol	98
3469 अनाज का उत्पादन और आरक्षित भंडार	Production and Buffer Stock of Foodgrains	98-99
3470 समाचार भारती समाचार एजेंसी में पत्रकारों की छंटनी अथवा बर्खास्त किया जाना	Retrenchment or Dismissal in Samachar Bharati News Agency	99
3471 राज्य सरकारों द्वारा समाचार भारती के शेयरों की खरीद	Purchase of Shares in Samachar Bharati by State Governments	99-100
3473 राजनीति में भाग लेने वाले मजदूर नेता	Labour Leaders taking part in Politics	100-101
3475 चुकंदर की चीनी का उत्पादन	Production of Beet Sugar	101
3476 पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के लिए दंडकारण्य में केन्द्रीय शिविर	Central Camps in Dandakaranya for Regugees from East Pakistan	101-102
3477 नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशालय में विभागीय परीक्षा देने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार	S. C. and S. T. Candidates in Departmental Examination held by Employees State-Insurance Corpration New Delhi	102
3478 जनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन	International Labour Organisation Conference at Geneva	102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3479 उत्तर प्रदेश के डाक तथा तार विभाग में टेलीग्राफिस्टों की वरिष्ठता में परिवर्तन	Change in Seniority of Telegraphist in Posts and Telegraph Department U. P.	103
3480 त्रिपक्षीय स्थाई श्रम समिति की बैठक	Meeting of Tripartite Standing Labour Committee	103-104
3481 वर्ष 1970-71 के दौरान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में डाकखानों के खोलने का प्रस्ताव	Post Offies Proposed to be opened in Banda (U.P.) during 1970-71	104
3482 आकाशवाणी के ग्वालियर केन्द्र की क्षमता में वृद्धि	Augmentation of capacity of Gwalior Station of A. I. R.	104-105
3483 चुकन्दर से चीनी बनाना	Manufacture of sugar from Beet	105
3484 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध में चिकनाई की कमी और उसका दुग्ध सप्लाई पर प्रभाव	Shortage of fat content in milk supplied by Delhi Milk Scheme and its effect on milk supply	105-106
3485 राजस्थान में एक और अकाल की आशंका	Fear of another famine in Rajasthan	106
3486 मसानी समिति के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन पर विभागीय कलाकारों की आपत्ति	Staff artistes' objection to implement action of Masani Committee Report	106-107
3487 कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता	House rent allowance for Employees Provident Fund employees	107
3488 खाद्यान्नों की वसूली तथा लक्ष्य	Procurement and targets of Foodgrains	107-108
3489 दीर्घकालिक उत्पदन क्षमता का पुर्नमूल्यांकन	Re-evaluation of long-term farm production potential	108-109
3490 राज्यों में मालिकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा में जमा की गई राशि	Employees' State Inswrance deposits by Employers in States	109-110
3491 पश्चिमी बंगाल में मालिकों द्वारा जमा न की गई कर्मचारी भविष्य निधि की राशि	Non-deposit of Employees Provident Fund dues by Employers in West Bengal	110-111
3492 रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या	Unemployed registered with Employment Exchanges	111
3493 खाद्यान्न की फसलों के अन्तर्गत भूमि और सिचाई सुविधाओं सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े	Break-up of land under Food Crop, Irregation facilities State wise.	111-112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3494 हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर में ताला बन्दी	Lock. out by Hindustan Teleprinters	112-113
3495 ट्रैक्टर खरीदने के लिए छोटे किसानों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistances to Small Farmers for Purchase of Tractors	113
3496 खाद्यान्नों का आयात बन्द होने के बाद पत्तन कर्मचारियों को रोजगार	Employment of Port Workers after Stoppage of Import of Food-grains	113-114
3497 लन्दन से 'मिलाप' के संस्करणों का जारी होना	Issuance of Editions of Milap from London	114
3498 खाद्यान्न के आयात का बन्द किया जाना	Stoppage of Import of Foodgrains	114-115
3499 मन्त्री का यह आदेश कि फाइलों पर निर्णय लेने में दस दिनों से अधिक बिलम्ब न किया जाये	Ministers Direction that files not to be delayed beyond ten days	115-116
3500 गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादन में कमी	Fall in Acreage of Sugarcane	116-118
3501 अन्तर-संघीय वैमनस्य के कारण पश्चिम बंगाल में कारखानों का बन्द होना	Factories closed in West Bengal due to Inter-Union Rivalries	118
3502 हड़ताल के कारण बरबाद हुये काम के दिन	Man-days Lost due to Strike	118
3503 गत तीन वर्षों में यूरिया, अमोनिया सल्फेट, नाइट्रैट की खपत	Consumption of Urea, Ammonia Sulphate and Nitrate during last three years	119
3504 मंगलौर में डाक-तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में प्रगति	Progress in Construction of Quarters for P & T Staff at Mangalore	119-120
3505 मैसूर में भूमि के पुनर्ग्रहण के लिये मुकदमा	Legal suits for Resumption of Land in Mysore	120-121
3507 जैसलमेर में ट्रैक्टरों और पशुओं को कमी	Shortage of Tractors and Cattle in Jaisalmer	121
3508 आकाशवाणी के भोपाल, इन्दौर और जबलपुर केन्द्रों से समाचारों तथा समाचार-पत्रों में व्यक्त विचारों की समोक्षा का प्रसारण	Broadcast of Reviews on News and Views of Press over A. I. R. Bhopal, Indore and Jabalpur	121
3509 मध्य प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का 50 प्रतिशत भाग लघु बचत योजनाओं में लगाना	Investment of 50 per cent E. P. F. in Small Savings by Employers in Madhya Pradesh	121-122

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3511	आसाम तेल कम्पनी श्रमिक संघ को मान्यता	Recognition of Assam Oil Company Labour Union	122
3512	भूमिहीन श्रमिकों में बेरोजगारी	Unemployment among Landless Labourers	122
3513	महाराष्ट्र में बिनौला निकालने तथा गांठे बांधने के उद्योगों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करना	Introduction of Employees Provident Fund Scheme in Cotton Ginning and Pressing Industry in Maharashtra	122-123
3514	कपास की नई किस्म के बारे में प्रयोग	Experiments on New Variety of Cotton	123
3515	आदिम जाति तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए रोजगार	Employment for Tribal and Backward areas	123
3516	आकाशवाणी के अंशकालिक सम्वाददाता	Part-time Correspondents of A. I.R.	123-124
3517	भारतीय खाद्य निगम, उड़ीसा के कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप	Allegations against Staff of Food Corporation of India, Orissa	124
3518	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	125
3519	दिल्ली में राशनिंग को समाप्त करना	Derationing in Delhi	125
3520	राजस्थान तथा अन्य राज्यों में सूखा	Drought in Rajasthan and other States	126
3521	पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को चम्बल घाटी में बसाने का मध्य प्रदेश का प्रस्ताव	Madhya Pradesh's Proposal to Rehabilitate East Pakistani Refugges in Chambal Valley	126
3523	बीड़ी उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के बारे में सुझाव	Suggestion regarding Expert Committee on Beedi Industry	127
3524	शास्त्री भवन डाकघर में प्रेस की तारों को स्वीकार न करना तथा टेलीप्रिंटर की सुविधाओं का उपलब्ध न होना	Non-Acceptace of Press Telegrams at Shastri Bhawan Post office and non-alvailability of Teleprinter Facilities there	127
3526	नैनी में टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने के लिए दूसरा कारखाना	Second Factory for manufacture of Telephone Instruments at Naini	128
3527	उत्तर प्रदेश में डाकपत्थर डाकघर, के कर्मचारियों को दिये जाने वाले परियोजना भत्ते में असमानता	Disparity in Payment of Project Allowance to Staff of Post Office Dakpathar U. P.	128-129
3528	भूमि संरक्षण के अन्तर्गत राज्यों में किसानों को सहायता	Help to Farmers under soil Conservation Programme in States	129

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3529 अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला, के अधिक उपज देने वाले धान का केरल में परीक्षण	Trial of High Yielding Paddy Strains from International Rice Research Institute Manila in Kerala	129-130
3530 गिरडीह टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of Over-Time Allowance to Staff of Giridih Telephone Exchange	130
3531 डाक तथा तार सर्किल, बिहार में अधिक पद बनाने के लिये मापदंड	Standard for creation of Posts in Posts and Telegraph Cirle, Bihar	131-132
3532 चीनी तथा गन्ने का उत्पादन	Production of Sugar and Sugar-cane	132
3533 पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन का परिवार नियोजन पर प्रभाव	Effect of Infulx of Refugees from East Pakistan on Family Planing	133
3534 चम्पारन में गंडक के अन्तर्गत क्षेत्र का विकास	Development of Gandak Command Area in Champaran	133-135
3535 पश्चिम बंगाल में दीवालों पर इश्तहार लगाने का अभियान	Wall Postaering Campaign in West Bengal	135
3536 पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करने के लिये प्रतीक्षा कर रहे विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons waiting to cross East Pakistan Border	135-136
3537 कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी संघ से इन्दौर में कार्मिक संघ के कार्यकर्त्ताओं को परेशान करने के बारे में अभ्यावेदन	Representation from E. S. I. C. Employees Union about Victimisation of Union Workers at Indore	136
3538 बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के हरगनपुर डाकखाने में गबन	Embezzlement in Post Office, Harganpur, Bijnor, U. P.	136-137
3539 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Staff in Indian Council of Agricultural Research	137
3540 भारतीय-कृषि अनुसंधान परिषद् में चतुर्थ श्रेणी के पद	Class IV Post in Indian Council of Agricultural Research	137-138
3541 चीनी मिलों के नाम गन्ने की बकाया राशि और किसानों को उसका भुगतान कराने के लिए कार्यवाही	Sugarcane arrears outstanding against Sugar Mills and steps for their payment to Farmers	138
3342 त्रिपुरा में बेरोजगारी में वृद्धि और रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत व्यक्ति	Increase in unemployment in Tripura and Persons registered with Employment Exchanges	138-140

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.		
3543 केरल की चित्तूर शूगर मिल में पड़ी हुई चीनी	Sugar lying in Chittoor Sugar Mill, Kerala	140
3544 1966 में दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के श्रम न्यायालय को भेजे गए बिना निपटाये पड़े औद्योगिक विवाद	Industrial Disputes referred to Labour Court of Delhi by Delhi Administration in 1966 Remaining undisposed of	140-141
3545 डाक तार विभाग में उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिये विभागीय उम्मीदवारों का प्रतिशत-अनुपात	Percentage of Departmental Candidates in Posts and Telegraphs Department for promotion to Higher Posts	141-142
3546 खाद्य तेलों का आरक्षित भंडार	Buffer Stook of Edible Oils	142
3547 राजस्थान की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को आवंटित भूमि के लिए उनके द्वारा किस्तों में अदा करने में होने वाली कठिनाइयां	Difficulties faced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Rajasthan in making payment of instalments for land allotted to them	142
3548 दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास और दिल्ली-कलकत्ता के बीच लम्बी दूरी की टेलीफोन कालों के लिये शुल्क।	Charges for long distance calls between Delhi-Bombay; Delhi-Madras and Delhi-Calcutta	142-143
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of urgent public importance	143-148
तमिल नाडु के लिये अलग झण्डा	Separate flag for Tamil Nadu	
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	149
राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya-Sabha	149-150
विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों के भाग लेने के बारे में वक्तव्य	Statement re: students participation in the affairs of the Universities	150-151
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के स्थगित किए जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re: Postponement of Examinations in Banaras Hindu University	151-152
डा० बी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee	152
काफी बोर्ड	Coffee Board	
पश्चिम बंगाल बजट 1970-71 अनुदानों की मांगें और पश्चिम बंगाल सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प	West Bengal Budget, 1970-71 Demand for Grants and statutory Resolution re. proclamation in relation to West Bengal	152-175

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	162
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen	165
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	167
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Pal Choudhuri	170
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	172
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	172
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	173
श्री पें० वेंकटसुब्बैया	Shri P. Venkatasubbaiah	174
औषधियों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में चर्चा	Discussion re. rise in prices of Drugs	175-192
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	175
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	177
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	178
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	179
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	180
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Vishwanatham	182
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	182
श्री ज्योर्तिमय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	183
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	184
श्री शिवचन्द झा	Shri Shiva Chandra Jha	185
श्री मनुभाई पटेल	Shri ManubhaiPatel	186
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	187

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 20 अगस्त, 1970/ 29 श्रावण, 1892 (शक)
Thursday, August 20, 1970/ Sravana 29, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मत्स्य उद्योग का विकास

*511. **श्री जनार्दनन :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी तट पर विशेष रूप में कोचीन के आस-पास अधिकांशतः मछलियां पकड़ी जाती हैं जबकि पूर्वी तट पर, जहां उसी के समान बड़ी मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं, मछलियों को प्रायः नहीं पकड़ा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूर्वी तट की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) मत्स्य उद्योग का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) यह सच है कि पश्चिमी तट पर कोचीन में और इसके आसपास मछली पकड़ने का

कार्य अधिक होता है। इस विकास का कारण इस क्षेत्र में झींगा मछली का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना और उथले पानी में मिलना है। पूर्वी तट पर भी कुछ महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध हैं परन्तु मछली पकड़ने के परिणामों तथा उत्पादिता के अध्ययन से मालूम होता है कि पूर्वी तट पर इतनी मछलियां नहीं पाई जाती हैं जितनी मछलियां पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मछली उद्योग के विकास कार्यक्रमों के लिए पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट के राज्यों को दी जाने वाली सहायता में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। पश्चिमी तट पर मछलियों की शीघ्र उत्पत्ति के संसाधनों के कारण सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में मछली उद्योग के कार्यों में विकास हुआ।

(ग) मछली उद्योग को विकसित करने के लिए मुख्यतः (i) मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों का निर्माण, (ii) यंत्रीकृत तटीय मछली पकड़ने वाली नावें और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज चालू करना और (iii) आन्तरस्थलीय मछली उद्योग में विकास करने की कार्यवाही करनी पड़ती है। यंत्रीकृत ढंग से मछली पकड़ने के लिए तटीय मत्स्य उद्योग के विकास के लिए दोनों तटों के क्षेत्रों के लिए चौथी योजना में समान धन की व्यवस्था की गई है।

एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों की खरीद के लिए दोनों तटों को समान रूप से राज सहायता पाने का हक है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के अन्तर्गत भारतीय तट रेखा के आस पास तटीय मछली पकड़ने के उद्योग के लिए मछली पकड़ने के बन्दरगाह बनाने की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार दोनों तटों पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाह और सर्वेक्षण कार्य बढ़ाने की भी व्यवस्था कर रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के इस विवरण से ज्ञात होता है कि पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर मछलियां अधिक पकड़े जाने का कारण यह है कि मछली पकड़ने के परिणामों तथा उत्पादकता के अध्ययन से मालूम हुआ है कि मछली संसाधनों में पूर्वी तट इतना समृद्ध नहीं है जितना कि पश्चिमी तट है। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि उनका यह विवरण 10 जून को वरिष्ठ मंत्री श्री जगजीवन राम द्वारा दिये गये विवरण से किस प्रकार मेल खाता है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि संघ सरकार ने बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के स्थानों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का प्रश्न अपने हाथ में लिया है और चूंकि उन्होंने अपने विवरण में कहा कि पहले एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें बताया गया कि पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक मछलियां नहीं पाई जाती है। तब अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा एक सर्वेक्षण और किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि यद्यपि पश्चिमी तट पर अधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं तथापि पूर्वी तट पर भी समान रूप से अधिक मछलियां पाई जाती हैं तथा वहां प्रायः मछलियां पकड़ी नहीं जाती हैं। अतः जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें बताया गया है कि वहां पर भी समयान रूप से अधिक मछलियां पाई जाती हैं, तथा संघ सरकार के वरिष्ठ मंत्री के अनुसार एक सर्वेक्षण अब भी किया जाने वाला है। जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उसमें यह कहा गया है कि पूर्वी तट पर इतनी अधिक मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं, जितनी पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है? जो परस्पर विरोधी बातें हैं उन्हें दूर कर दिया जाना चाहिये।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : श्री जगजीवन राम द्वारा दिये गये विवरण तथा जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उसमें मुझे कोई परस्पर विरोधी बातें दिखाई नहीं देती हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे माननीय सदस्य समझने की कोशिश करें क्योंकि इन दोनों में कोई परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं। हम पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ही तटों के मत्स्य संसाधनों का लाभ उठाना चाहेंगे। परन्तु स्थिति के तथ्यों को समझना है। 1955 में केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने उस समय की मछलियों की मात्रा के बारे में सर्वेक्षण किया था। उस समय भी यद्यपि पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर मछली पकड़ने वालों की संख्या एक जैसी थी, अर्थात् लगभग 1,15,000 थी, पकड़ी गई कुल 6 लाख मीटरी टन मछलियों में से पश्चिमी तट से 4 लाख मीटरी टन मछलियाँ पकड़ी गई थीं। और बाकी पूर्वी तट से पकड़ी गई थीं। इसका कारण यह है कि पश्चिमी तट का महाद्वीपीय मग्न-तट पूर्वी तट की महाद्वीपीय मग्नतट की अपेक्षा बहुत दूरी तक कम चौड़ा है। फिर, पश्चिमी तट पर पर्याप्त मात्रा में झींगा मछलियां मिलती हैं। जिसके कारण केरल तट के मछली उद्योग में तीव्र विकास हुआ है। मछलियों की मात्रा के मामले में भी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान ने एक सर्वेक्षण किया तथा यह पता लगा कि पूर्वी तट पर मछलियों की मात्रा प्रति घंटा 48 किलोग्राम थी जबकि अरब सागर में 123 किलोग्राम थी। अतः उसमें बहुत अधिक अन्तर था। परन्तु अब गहरे पानी में जाने के लिये और अधिक बड़े जहाजों का उपयोग करने के लिये प्रौद्योगिकों के विकास के साथ-साथ, मेरे विचार से पूर्वी तट पर लाभप्रद मछली उद्योग परियोजनायें हो सकेंगी। अतः दोनों विवरणों में कोई विरोधी बातें नहीं हैं। सत्य तो यह है कि मैंने स्वयं एक सप्ताह पूर्व सभा में वक्तव्य दिया था कि हम बंगाल की खाड़ी का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से कलकत्ता में गहरे पानी में मछली पकड़ने का केन्द्र खोलने जा रहे हैं। सर्वेक्षण एक निरन्तर प्रक्रिया है। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर भी, विशेषतया गहरे पानी में मछली पकड़ने की संभावनाओं के परीक्षण हेतु सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि भविष्य में किसी समय, जिसके बारे में मुझे सन्देह है, पूर्वी तट पर गहरे पानी में मछली पकड़ने के कार्य को क्रियान्वित किया गया तो भी स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि केरल निवासियों को मछली पकड़ने का अच्छा ज्ञान है इसलिये जो मछलियां अधिक मात्रा में पकड़ी जाती हैं उनका निर्यात किया जायेगा। अतः मैं यह जानना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में जहां मछलियों की कमी है तथा कलकत्ता में 12 रुपये से 16 रुपये तक प्रति किलोग्राम मछली बिकती है और साधारण ग्राहक उसे खरीद नहीं सकता है तो क्या सरकार ने अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुये इस संकट को दूर करने के लिये क्या किसी अल्पावधि योजना चालू करने पर विचार किया है ? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पहले पूर्वी पाकिस्तान से कलकत्ता के बाजार में रोजाना भारी मात्रा में मछलियाँ बिकने के लिये आती थीं जो कि प्रतिदिन 150 टन से 200 टन तक हुआ करती थीं तो क्या सरकार यह विचार कर रही है अथवा कभी विचार किया है कि वह एक ठोस प्रस्ताव बनाये जिसके द्वारा कोयले तथा मछलियों का विनिमय किया जा सके, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो ? क्योंकि प्रतिवेदनों से ज्ञात होता है कि पूर्वी पाकिस्तान में कोयले का अत्यधिक संकट है तथा हमारे पास इतना अधिक कोयला है जिसकी हम खपत नहीं कर सकते। इस प्रकार कोयले के विनिमय से हम उनसे मछलियां लेने को तैयार रहेंगे ताकि कम से कम इन दो मदों के मामले में संतुलित व्यापार प्रारंभ किया जा सके। मैं जानता हूं

कि हमारी तरफ से तो कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं और कि पाकिस्तान इसके लिए इच्छुक नहीं है; फिर भी हमें कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि मछलियों की कीमत कम करने का यही एकमात्र उपाय है। मेरे विचार से गहरे पानी में मछली पकड़ने के उद्योग से मछलियों की कीमत में कमी नहीं होने वाली है क्योंकि उस स्थिति में मुनाफाखोरी आरंभ हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक माननीय सदस्य के इस विशेष सुझाव का सम्बन्ध है, हम इस बात की जांच करेंगे कि हमें कोयले के बदले में मछलियां मिल सकती हैं अथवा नहीं मिल सकती हैं। परन्तु जैसा मैंने पहले अवसर पर स्पष्ट कर दिया कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है; हमें पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : सरकार कीमतों को कम करने के लिये क्या करने जा रही है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : उत्पादन बढ़ाकर ही कीमतें कम की जा सकती हैं। जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं सुन्दर बन योजना के लिये 50 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। सब राज्यों को, चाहे वह पूर्व में हों अथवा पश्चिम में, हमारा सहायता देने का ढंग एक जैसा ही है। पश्चिमी तथा पूर्वी राज्यों के मामले में कोई भेद-भाव नहीं हुआ है। परन्तु राज्य-स्तर पर कुछ कठिनाइयां हैं। उदाहरण के लिये, जब नाहकरा बन्दरगाह योजना को मंजूरी दी गयी थी.....

अयक्ष महोदय : आप यह क्यों नहीं कहते कि यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ? लम्बे उत्तर क्यों देते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैंने यह भी पूछा था कि क्या सरकार ने कोई ऐसी अल्पावधि योजना बनाई है जिससे कि कीमतें कम की जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नीति सम्बन्धी मामलों पर विस्तृत विवेचन किया है।

श्री वासुदेवन नायर : पूर्वी तट के लिए विशेषतया पश्चिम बंगाल के लिए शुभ कामना प्रकट करते हुये, मैं पश्चिमी तट पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि पश्चिमी तट पर हमारे संसाधन पहले से ही व्यापक हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि पश्चिमी तट पर मछली उद्योग विशेषतया गहरे पानी में मछली पकड़ने के विकास के बारे में क्या हुआ जिसके बारे में सरकार ने बार-बार वचन दिये थे तथा योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये केरल सरकार द्वारा पेश किये गये मास्टर प्लान के बारे में क्या हुआ ? क्या यह सच है कि सरकार ने इसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया है तथा व्यावहारिक रूप से अन्तर्गत। पश्चिमी तट पर गहरे पानी में मछली पकड़ने के उद्योग में वास्तविक विकास के लिये कोई चौथी पंचवर्षीय योजना के उपबन्ध नहीं है जबकि सरकार यह कहती है कि वहां पर बहुत से संसाधन हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह कहना सही नहीं है कि पश्चिमी तट पर गहरे पानी में मछली पकड़ने के उद्योग की कोई योजना नहीं है। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बम्बई के अतिरिक्त हम कोचीन को भी, गहरे पानी में मछली पकड़ने के उद्योग का महत्वपूर्ण केन्द्र खोल कर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिये बन्दरगाह परियोजना के काम को

व्यावहारिक रूप से जांच की गई है तथा मंजूरी दी गयी है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 300 बड़े मछुआ नावें गहरे पानी में मछली पकड़ने के उद्योग के लिये लगाने की योजना है। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम देशी मछुआ नावें बनाने की भी स्थिति में हैं।

श्री वासुदेवन नायर : योजना आयोग के समक्ष पेश किये गये मास्टर प्लान के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हमने मास्टर प्लान की जांच कर ली थी तथा हमने अपनी टिप्पणियां केरल सरकार को भेज दी हैं। श्री जगजीवन राम तथा मैंने केरल में मछली उद्योग के उस समय के प्रभारी मन्त्री श्री नायर को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुये पत्र लिखा था। हमारी टिप्पणी उन तक पहुँचा दी गयी थी। यह योजना 20 वर्ष के लिये थी और हम पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर काम करते हैं। परन्तु हम केरल सरकार को मत्स्य उद्योग के विकास के लिए बहुत अधिक सहायता करना चाहते हैं तथा सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं।

Shri M.A. Khan: Is the hon. Minister aware of the fact that a considerable quantity of fish is smuggled from East Pakistan into West Bengal? If so, may I know the reasons for which fishingisdifficulton the West Coast of India when East Pakistan can catch fish in large quantity and smuggle that into India ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : मुझे ज्ञात नहीं है कि माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है अथवा नहीं कि कलकत्ता की जनता समुद्री मछली से घरेलू मछली अधिक पसंद करती है।

Shri M. A. Khan : My question is obvious. Is the hon. Minister aware of the fact that a large quantityoffish issmuggled fromEast Pakistan into West Bengal, if so, the reasons for failure to catch fish on the West coast when the people of East Pakistan catch fish at the same coast and are smuggleing them into West Bengal ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri F. A. Ahmed) : I am sorry to see that the hon. member is notaware of this. So far as East Pakistan is concerned, the inland fish is caught there and East Pakistan herself consumes the inland fish and also sends it to West Bengal, Here the question is about sea fish. There is no sea fish available in East Bengal.

श्री लोबो प्रभु : मेरा मन्त्री महोदय से कोई विरोध नहीं है, मैं दोनों तटों पर पकड़ी जाने वाली मछलियों के बारे में पूछना चाहता हूं। मन्त्री महोदय मछली पकड़ने वालों से विदेशी इंजनों की तुलना में यंत्रयुक्त नौकाओं के लिये इन इंजनों पर 150 प्रतिशत अधिक राशि क्यों वसूल करना चाहते हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि जब कि मंत्री महोदय ने मत्स्य उद्योग के विकास के लिये इतनी चिन्ता व्यक्त की है तो चार वर्ष पूर्व हमने चेकोस्लोवाकिया के माल्पे बन्दरगाह के सहयोग के लिये दिये गये प्रस्ताव को क्यों नहीं स्वीकार किया ? उसके बारे में कुछ नहीं हुआ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, देशी इन्जनों तथा विदेशी इन्जनों की कीमतों में जो अन्तर है, मेरे विचार से यह अन्तर बहुत सी मदों में है.....

श्री लोबो प्रभु : मछली पकड़ने वाले गरीब लोग इस उद्योग से लिए धन नहीं जुटा सकते।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हम देशी उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहेंगे। यहीं हमारा दृष्टिकोण है। मैंने मूल्यों की जांच की है जिससे ज्ञात हुआ है कि इसमें बहुत कम अन्तर है और

150 प्रतिशत का अन्तर नहीं है । जहां तक माल्पे का सम्बन्ध है, हम ऐसे बन्दरगाहों का विकास करने की स्थिति में हैं तथा भारत सरकार ने ऐसे बन्दरगाहों की सहायता करने के लिए योजना बनाई है । चौथी योजना में इसके लिये पर्याप्त उपबन्ध है ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो व्यक्ति मछली के निर्यात में लगे हुये हैं वे अपने प्रयासों से 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पश्चिमी तट से लगभग 99 मील दूर बालू का टीला है जहां पर अधिक मछलियां पाई जाती हैं तथा गत चार वर्षों में सरकार लोगों से मछुआ नौका के व्यापार तथा डीजल इन्जनों के लिये प्रस्ताव करती रही है जो कि कभी क्रियान्वित नहीं होता है तो क्या मन्त्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि जब जापान के लैनमार इन्जन जिनकी प्रति इन्जन 29,000 रुपया कीमत है, प्राप्य हैं तो सरकार इन लोगों से 48,000 रुपये की कीमत वाला डच इन्जन खरीदने का आग्रह क्यों करती है जो कि समुद्री केकड़ों के निकालने के योग्य नहीं है । जिसका काफी निर्यात होता है और जिससे विदेशी-मुद्रा कमाई जाती है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक छोटे इन्जनों का प्रश्न है, हम इन इन्जनों का अपने देश में उत्पादन कर रहे हैं तथा हमारी नीति उन्हें आयात करने की नहीं है । जहां तक बड़ी मछुआ नौकाओं का प्रश्न है, जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ मजगांव डाक तथा अन्य डाक इन मछुआ नौकाओं को बनाने की स्थिति में हैं । हम इनके लिये अधिक से अधिक क्रयादेश लेना चाहेंगे क्योंकि अभी तक उनकी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है । उदाहरणार्थ, इन्हें प्रोत्साहन देने के लिये गत वर्ष 30 मछुआ नौकाओं के आयात की अनुमति दी गयी थी परन्तु इस मामले में पार्टियों ने रुचि नहीं दिखाई ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : जब केवल 50 प्रतिशत कीमत वाला लैनमार इन्जन उपलब्ध है तो सरकार उनका आयात क्यों करना चाहती है ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मन्त्री महोदय को उसका उत्तर देना चाहिये । हमें विदेशी-मुद्रा की सौ प्रतिशत अधिक हानि हो रही है । लैनमार इन्जनों की कीमत डच इन्जनों की कीमत से केवल आधी है और डच इन्जन समुद्री केकड़े भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : स्थिति यह है कि निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत कुछ इन्जनों का आयात है करना । सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया है कि लैनमार इन्जनों का आयात करना है अथवा डच इन्जनों का आयात करना है ।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्या निवेश-पूर्व सर्वेक्षण दल ने जांच करके सिफारिश की है कि पारादीप पत्तन को मछली पकड़ने का बन्दरगाह बनाया जाये और क्या पारादीप अधिकारियों ने परियोजना प्रतिवेदन तथा इस मछली पकड़ने के बन्दरगाह के लिये पूना में नमूने के अध्ययन के लिये 50,000 रुपये खर्च कर दिये हैं तथा यदि हां, तो चौथी योजना के अन्तर्गत उस मछली पकड़ने के बन्दरगाह के बनाये जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : पारादीप पत्तन की विस्तृत जांच शीघ्र ही होने वाली है । निकट भविष्य में इसकी जांच करने का सरकार का प्रस्ताव है ।

श्री क० प्र० सिंह देव : इसकी तो निवेश-पूर्व सर्वेक्षण दल द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हमें इसकी जानकारी नहीं है ।

उत्तर भारत में रबी और खरीफ की फसलों पर
जुलाई 1970 की वर्षा का प्रभाव

*513. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत में जुलाई 1970 के महीने में वर्षा न होने से उस क्षेत्र की रबी तथा खरीफ की फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) इससे चालू वर्ष का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कहां तक प्रभावित होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) : उत्तर भारत के कई भागों में जुलाई, 1970 के दौरान कम वर्षा हुई थी । परन्तु अगस्त में सामान्यतः अच्छी वर्षा हुई है । प्रत्येक मास में फसल पर वर्षा के प्रभाव को बताना कठिन है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि माननीय मन्त्री के इस उत्तर से क्या आप या इस सदन का कोई सदस्य सन्तुष्ट हुआ है ? आज सुबह मैं बिहार के राजस्व मन्त्री का यह वक्तव्य पढ़ रहा था कि यदि और एक सप्ताह का 10 दिनों तक वर्षा न हुई तो कम से कम तीन प्रभागों में 90 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । महोदय, क्या मन्त्रियों द्वारा कुछ गृह-कार्य करना अपेक्षित होता है या कि अपने भागों के निकृष्ट सचिव द्वारा एकत्रित सूचना का इस सदन को बताना ही उनका कार्य है ? महोदय, यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है, जो कुछ राज्यों के सामने उत्पन्न हो रही है । परन्तु देखिये कि किस साधारण ढंग से यह उत्तर दिया गया है ।

मै यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में इस प्रकार की आशंका है कि फसल नहीं बचेगी और रबी की फसल को बुवाई के लिए उचित वातावरण नहीं है । जिन क्षेत्रों में अगस्त में भी वर्षा नहीं हुई है उनके संबन्ध में सरकार का क्या अनुमान है ? और क्या मैं जान सकता हूं कि जिन क्षेत्रों में फसलों का नाश होने वाला है उनके सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : महोदय, क्या मैं आपका संरक्षण प्राप्त कर सकता हूँ ? मै आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे द्वारा दिए गए उत्तर की ओर ध्यान दें और तब माननीय सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विचार करें ।

सूचना प्राप्त करने की माननीय सदस्यों की भावना की मैं हमेशा सराहना करता हूं और कभी भी मैं कुछ छिपाता नहीं । मुझे दुख है कि माननीय सदस्य इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं ।

देश के विभिन्न भागों में वर्षा न होने और सूखा की स्थिति के संबन्ध में मेरे प्रवर सहयोगो,

खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने अभी पिछले सप्ताह एक वक्तव्य दिया था। (व्यवधान) उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे देश में पिछला वर्ष यद्यपि बहुत अच्छा वर्ष था परन्तु पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष अभी तक कुछ अधिक अच्छा प्रतीत होता है हालांकि अंतिम रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारा देश इतना विशाल है कि हमेशा ही कुछ ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर वर्षा कम हो सकती है। उदाहरणतया, मैसूर तथा बिहार के कुछ भागों में। माननीय मन्त्री द्वारा अपने वक्तव्य में भी इसकी ओर संकेत किया गया था। परन्तु उसके पश्चात्, सारे देश में पिछले 10 दिनों के दौरान अच्छी वर्षा हुई है और स्थिति में सुधार हुआ है तथा मैसूर के भागों एवं बिहार के कुछ भागों में भी अच्छी वर्षा हुई है।

श्री क० लकप्पा : महोदय, मैं इसका खण्डन करता हूँ। मैसूर में अच्छी वर्षा नहीं हुई है।

श्री श्रीचन्द गोयल : दूसरी ओर की आत्मतुष्टि की भावना को मैं समझ सकता हूँ। शायद वे इस तथ्य का सहारा ले रहे हैं कि·····

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा प्रश्न क्यों नहीं पूछते ?

श्री श्रीचन्द गोयल : वे इस तथ्य का सहारा ले रहे हैं कि इन्द्रा देवी जी भगवान इन्द्र को मनाने में सफल हो गई हैं, जिन्होंने पर्याप्त वर्षा कर दी है और इस कारण से उनमें आत्मतुष्टि का भावना है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि वर्षा न होने के कारण क्या जम्मू तथा कश्मीर के कुछ भागों में पीने का पानी प्राप्त करने में भी कठिनाईयां हैं।

पिछले तीन वर्षों में अच्छी वर्षा के बावजूद इस वर्ष खाद्य पदार्थों के आयात की स्थिति के संबन्ध में भी मैं जानना चाहूंगा।

अन्त में, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने उस मानव ज्ञान का कोई उपयोग किया है, जो एकत्रित हो रही है। मैं उड़ीसा के भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्य मन्त्री एवं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री बिश्वनाथ दास द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमने एक ऐसा संस्थान खोला है जो कि आगे के दस वर्षों के लिए वर्षा की भविष्यवाणी कर सकता है और उसी के आधार पर फसल-ढांचा तैयार करने को किसानों को कहता है। हमारे अपने देश में मानव-ज्ञान जो एकत्रित हो रहा है हमने उसका कोई लाभ नहीं उठाया है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं यह नहीं जानता कि बिना किसी कारण के प्रधान मन्त्री का नाम, इसमें लाना कहां तक उचित है।

श्री लोबो प्रभु : यह सराहना करने के लिए कहा गया है।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मैं यह कहूंगा कि हमारे देश में वर्षा बहुत सन्तोषजनक हुई है। फसल की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं।

यदि 10 वर्षों के लिए वर्षा की भविष्यवाणी करने का माननीय सदस्य के पास कोई ज्ञान है तो मैं यह कार्य उनको सौंपने को तैयार हूं।

Shri Achal Singh : Will the hon. Minister state whether there is a possibility of draught any where ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : बिहार में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी वर्षा कम हुई है। पिछले आठ वर्षों से राजस्थान के पश्चिमी भागों में वर्षा की कमी रही है। जैसलमेर जिले के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने आज के समाचारपत्र में खबर पढ़ी होगी जहां सभी तालाब भर गये हैं। सामान्यतः परिस्थितियां अब बहुत सन्तोषजनक हैं। जम्मू तथा कश्मीर में भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा कम हो रही है।

Shri Ramavatar Shastri : The question relates to Northen India and Bihar is also covered in it. Is the Minister aware of the fact that there is draught in 55 blocks of Bihar due to deficient rainfall, announcement regarding which has already been made by thc Chief Minister and the Revenue Minister of Bihar also, and if so what steps the Government propose to take to assist the Bihar Government in providing relief to the people of those areas ;

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : दक्षिण बिहार की स्थिति की हमें जानकारी है और नियत ढांचे एवं प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार बिहार तथा कुछ अन्य राज्यों को सहायता देने के लिए तैयार हैं।

फसल बीमा योजना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

*514. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री राम चरण :
श्री शिवचरण लाल :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री श्री गोपाल साबू :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 30 जुलाई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 728 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों से इस योजना के बारे में कोई राय मांगी गई है ; और

(ग) समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) : फसल बीमा विषयक विशेषज्ञ समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :

(1) डा० धर्म नारायण, चेयरमैन ए० पी० सी०, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय..... चेयरमैन

(2) श्री जे० एस० शर्मा, अर्थशास्त्र एवं सांख्यकीय सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय

(3) श्री सी० एस० अनन्तपद्मानाभन, बीमा नियन्त्रक, राजस्व तथा इन्श्योरन्स विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(4) डा० उत्तम चन्द, निदेशक, केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

(5) डा० सी० एच० हनुमन्थ राव, सीनियर फेलो, इंस्टीट्यूट आफ एकोनामिक ग्रोथ, दिल्ली ।

(6) डा० दरोगा सिंह, निदेशक, आई० ए० आर० एस०, नई दिल्ली ।

(7) श्री बी० एन० कप्रे, निदेशक, ए० पी० सी०, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय..... सदस्य-सचिव

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों और त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं । आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारें तथा त्रिपुरा का संघ राज्य क्षेत्र इस योजना का परीक्षण करने पर सहमत प्रतीत होते हैं बशर्ते कि इसके लिए उनको केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो । उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने यह संकेत दिया है कि इसे कार्यान्वित करने के लिये वे तब तक प्रतीक्षा करेंगी जब तक अन्य राज्यों में इस बारे में पर्याप्त अनुभव न प्राप्त हो जाए । पंजाब राज्य ने, फसल बीमा के प्रति जो पहले उत्सुक थी, बताया है कि पुनर्गठन के पश्चात राज्य में कुछ क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के असर में आने वाले हैं और कृषकों द्वारा अनिवार्य बीमा का स्वागत किसी तरह नहीं किया जायगा । गुजरात राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र की सरकार यह अनुभव करती है कि फसल बीमा का कार्य जीवन बीमा निगम जैसे किसी स्वायत्त निकाय को दिया जाना चाहिए ।

तमिल नाडु सरकार ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में इस प्रायोगिक योजना को अपने आप कार्यान्वित करने के लिए वह तैयार है । इस प्रकार अधिकतर राज्यों ने इस योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ।

ऐसी संभावना है कि यह समिति वर्ष 1970 के अन्त तक अपना कार्य समाप्त कर लेगी ।

Shri Prakash Vir Shastri : It has been mentioned in the statement that most of the State Governments out of those which were consulted with regard to crop Insurance Scheme by this Committee, feel that this scheme could be implemented if assistance is provided by the Central Government in this regard. I want to know whether the Central Government has considered the views of the State Governments expressed before the Committee, if so, what is the decision of the Central Government in this regard ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इस समिति ने वर्ष के अन्त, अर्थात् दिसम्बर के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है । समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई विचार बनाना हमारे लिए तभी संभव होगा । जहां तक उन राज्य सरकारों का संबन्ध है, जिन्हें पिछले अवसरों पर पत्र लिखे गये थे, उन्होंने मुख्यता फसल बीमा का समर्थन किया है परन्तु इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये गये थे कि इसके लिए खर्च कौन करे । कुछ राज्य यह चाहते थे कि यह खर्चा केन्द्रीय सरकार करे । उत्तर प्रदेश, जहां से माननीय सदस्य चुने गये हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आदि जैसे राज्यों ने कहा कि अन्य राज्य इस सम्बन्ध में परीक्षण कर लें तब उस अनुभव के आधार पर हम अपने विचार बनायेंगे । परन्तु कुछ राज्यों में उस समय राष्ट्रपति का शासन था । अतः उनके साथ हमने यह विषय फिर से उठाया है ।

Shri Prakash Vir Shastri : The Hon. Minister has stated that these State Governments have informed the Committee that crop Insurance Scheme could be introduced if the Central Government co-operates. My question is whether the Central Government has formulated any views about this cooperation or it will consider it only after the receipt of the Report of the Committee ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैंने पहिले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। योजना का वित्तीय पहलू अर्थात् उत्तरदायित्व किसका हो, किस ढंग से हो, राज्यों का इस सम्बन्ध में क्या कार्य हो, केन्द्र का क्या कार्य हो आदि, इस समिति के महत्वपूर्ण निर्देश-पदों में से एक है। यह विषय अब समिति के अन्वेषणाधीन है। अतः, यद्यपि राज्य सरकारों ने अपने विचार व्यक्त कर भी दिये हैं फिर भी अपने विचार व्यक्त करना हमारे लिये संभव न होगा। समिति की सिफारिशें ज्ञात होने के उपरान्त ही विचार बनाना संभव होगा।

Shri Prakash Vir Shastri : My second question is that there are some other countries in the world which have introduced the scheme of Crop Insurance. In reply to part (a) of the question he has not given the terms of reference, the subjects entrusted to the committee on which it is to decide and advise, the results of the crop Insurance Scheme introduced in other countries, were there results encouraging ? Secondly, such a scheme was intoduced in certain villages of Panjab, to which there is a reference in the reply to this question, keeping in view the results thereof whether the Central Government has formulated any view to advise the committee on its own ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक निर्देश-पदों का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि वे पहिले ही सभा-पटल पर रखे जा चुके हैं। मैं इसको जांच करूंगा। यदि वे सभा-पटल पर रखे नहीं गये तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे सभा-पटल पर रखे जाएं। फसल बीमा योजना के प्रशासकीय, जीवन्तकीय तथा वित्तीय पहलू निर्देश-पदों का सार है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अन्य देशों की स्थिति क्या है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है यह योजना सवैच्छिक है और निजी क्षेत्र की बहुत सी बीमा कम्पनियां फसलों का बीमा करती हैं। श्री लंका में यह धान के लिए अनिवार्य है, हमारा देश ऊष्ण कटिबंधीय है जिसमें वर्षा का न होना बहुत सामान्य बात है, हमारे विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की है कि जब तक इस योजना में अनिवार्यता का तत्व लागू नहीं किया जाता तब तक यह व्यवहारिक नहीं होगी। और यही बात वास्तविक कठिनाईयां उत्पन्न कर रही हैं ? किसानों द्वारा क्या अनिवार्यता को स्वीकार किया जाएगा यह विषय भी विचारणीय है।

Shri Ram Charan : Mr. Speaker, Sir, Insurance policies are issued by the Government, so much so that animals and families of capitalists are insured. Will the Government State as the views of the State Governments have been sought, similarly has it sought the formers views about crop insurance ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मुख्य प्रश्न फसल के बीमे के सम्बन्ध में है न कि जानवरों के बीमे के सम्बन्ध में। जहां तक फसल के बीमे का सम्बन्ध है राज्य सरकारों के विचारों का पता लगाया जाना है। यदि कोई प्रगतिशील किसान या माननीय सदस्य स्वयं अपने विचार समिति को बताना चाहें तो समिति उनका स्वागत करेगी।

श्री पं० वेंकटा सुब्बया : सभा प्रटल पर रखे गये विवरण से हमें पता चलता है कि सामान्यत: सभी राज्य सरकारों ने फसल बीमा योजना को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है, चाहे उन्होंने इसे कार्यान्वित न कर सकने के लिये विभिन्न कारण बताए हैं । विभिन्न राज्य सरकारों की सीमित वित्तीय अवस्था एवं इस योजना में, जो योजना खेतिहरों एवं किसानों के लिए बहुत उपयोगी है और जिसके लिए वे बहुत समय से आन्दोलन करते रहे हैं, बहुत बड़े वित्तीय जोखिम को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किये जाने के लिए अनन्त काल तक प्रतीक्षा करने के स्थान पर प्रत्येक राज्य में प्रायोगिक प्रायोजनाओं के साथ परीक्षण तथा जीवन बीमा निगम से सहायता लेने की वांछनीयता पर क्या सरकार ने विचार किया है, जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने सुझाया है ? ये राज्य सरकारें हो सकता है कि सिद्धातंत: तो इसके लिए···हां···कर दें परन्तु अपने सीमित वित्तीय साधनों के कारण से वे इसे कार्यान्वित करने को उत्सुक न हों ।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : इस समिति के निर्देश-पदों में से यह भी एक भी एक है । जब तक कि राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व की पूरी तरह व्याख्या नहीं की जाती तब तक इस संबन्ध में निरन्तर विवाद उठते रहेंगे । हमने जब यह योजना आयोग एवं वित्त मन्त्रालय के समक्ष यह योजना छानबीन के लिए प्रस्तुत की थी तब वित्त मन्त्रालय ने भी इस सम्बन्ध में शंका प्रकट करी थी ।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, Sir, seeking the concurrence of the State Government every time is just wasting time. Some will speak againstit andothers will favour it. Is it notyour moral duty to do something in the interest of the farmer ? Your only duty is to tax the farmer, to burden him with taxes and his genious shouldnotbe allowed to be utilized any where ? I want to ask whether they would always think in terms of putting a ceiling on the farmer and taxing him, wout they talk of giving him something also ? I want to know when this facility is available to the residents of cities and if the State Government does not agree to it, is it not their moral duty to think about compensating the farmer, if not giving the benefit of insurance to him, in the event of breaches in the Canals, etc. which happendue to cellousness of the Government and which put the farmer to a loss ? would their think of compensating him ?

Mr. Speaker : The question is relating to Insuance.

Shri Randhir Singh : When the State Governments do not agree to the Insurance scheme and the farmer is put to a loss due to breaches in Canals etc. or due to anything else he is fined . I want to know whether they are thinking of any scheme to save him from these ?

Mr. Speaker : You may sit down. The question relates to Insurance. You may give notice of a separeate question about the other scheme and when that is admitted. You may put questions on that.

Shri Randhir Singh : How clear my question is! I say they may do insurance. But if they do not implement the insurance scheme is there no other alternative available to them ? I say they may do insurance. But if the State Governments do not agree is there any other alternative available with them ?

Mr. Speaker : You may sit down. The only difficulty with the farmer-Member is that we have to make them understand.

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know whether on the basis of the history of pre-

vious draughts know whether Government has made any assessment about the income that is likely to accrue from the insured Rabi and Kharif crops and how much loss is likely to be sustained due to draughts ?

Mr. Speaker : This is not relevant.

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, when we are talking of Insurance, some assessment might have been made about the profit and loss ?

Mr. Speaker : You may read the question.

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, it is about crop insurance. I am asking, How much premium they would get against the insurance and what is the expected loss on account of draught ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न फसल बीमा सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के गठन तथा इसके निर्देश-पदों के सम्बन्ध में है ।

श्री रणधीर सिंह : **Mr. Speaker** : Sir, do not split the hair.

अध्यक्ष महोदय : वह क्या समझते हैं मैं यहां पर किस लिए बैठा हूं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Randhir Singh : When no reply is given to any question, what for we are sitting here ? Ministers get encouraged with this.

Mr. Speaker : You may sit down.

Shri Randhir Singh : We have been cross-examining and doing practice for the last 25 years and from old.

Mr. Speaker : Please sit down. You are children before me. The House do not know it but I know it, You are a child and have grown before me and nor you to teach me.

श्री मनु भाई पटेल : उन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है । क्या उन्हें निकाला जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : वे न केवल असंसदीय थे अपितु बचकाने भी थे । परन्तु इन्हें निकाला नहीं जाएगा ।

Shri K. N. Tiwari : It appears from the Report which has been laid on the Table of the House that most of the States are not in favour of introduction of crop insurance scheme. But

.....

"गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों का मत है कि फसल बीमे का कार्य जीवन बीमा निगम जैसे स्वायत निकाय को सौंपा जाना चाहिए"

I want to know the progress made this regard, has it been examined or not and if it is feasible would it be introduced in other States or not ? He has stated that this work would be completed by the end of 1970 :

"यह संभावना है कि 1970 के अंत तक यह समिति अपना कार्य पूरा कर लेगी"

Would he convey these feelings of the House to the Committee so that it should go through all the expenses and advise as to whether crop Insurance could be introduced in all the provinces or not ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सदस्य का सुझाव मैं समिति को प्रेषित कर दूंगा ।

'युव-वाणी' कार्यक्रम

*516. **श्री बलराज मोधक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के "युव वाणी" कार्यक्रम को लोकप्रियता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन युवकों के लिए यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; उनका उत्साह अथवा रुचि बढ़ाने में ये कार्यक्रम अभी तक असफल रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह कार्यक्रम मुख्यतया नगरों में रहने वालों के लिए ही होता है तथा उसमें देशभक्ति पूर्ण विषय नहीं होते हैं और इसीलिए यह ग्रामीण युवकों को उत्साहित करने में पूर्णरूपेण असफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो युववाणी कार्यक्रम को वास्तविक रूप में प्रभावी तथा उपयोगी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : **(क)** जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कार्यक्रम केन्द्र के सेवा क्षेत्र, जो कि मुख्यतया शहरी है, के युवकों की श्रवण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं । यह कहना सही नहीं हैं कि कार्यक्रमों में देशभक्तिपूर्ण विषयों की कमी है ।

(घ) कार्यक्रमों के ढांचे तथा इसके विवरण पर सलाहकार समिति के परामर्श तथा श्रोता अनुसंधान सर्वेक्षणों को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है ।

Shri Bal Raj Madhok: Mr. Speaker, Sir, the All India Radio and the hon. Minister are unheedful to any suggestion and whatever is said does not have any effect on them . In reply to a question the hon.Minister said that mostly people of urban areas listen to the radio. Now, the urban population in the country is 15 to 20 percent. May I know whether the All India Radio is meant only for the urban people and not for rural people ? Are the radio-sets not available in villages ? Is the programme devised only to indoctrinate the urban people or to educate the youth ?

ऐसा लगता है माननीय सदस्य उस प्रश्न को भूल गए हैं जो उन्होंने पूछा था । माननीय सदस्य ने विशेष रूप से दिल्ली युववाणी के बारे में प्रश्न पूछा था और दिल्ली में मुख्यतया शहरी आबादी है । मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता । ग्रामीण क्षेत्र बहुत छोटा है । युववाणी केन्द्र को ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ भागों तक पहुंचाया गया है लेकिन चूंकि केन्द्र अभी शक्तिशाली नहीं हैं अतः सरकार इसे शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रही है ताकि सभी शहरी क्षेत्रों तक यह कार्यक्रम पहुँच सके ।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने युववाणी के कार्य के बारे में पूछा है । यह एक नया और

सफल परीक्षण है । युववाणी कार्यक्रम मुख्य रूप से युवकों द्वारा युवा-वर्ग के लाभ के लिए शुरू किया गया है । सर्वेक्षण करने से अच्छे परिणामों का पता लगा है और यही कारण है कि सरकार कलकत्ता में भी यह कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहती है ।

Shri Bal Raj Madhok : I am not satisfied with the hon. Minister's reply. For whom this programme is meant not ? Are the radio sets not available in villages ?

My second point is that this programme did not have very good results. The listeners complain that the level of this programme is very low. I would like to know wehther Government are prepared to lay on the Table of the House a script of the talks broadcast on the radio so that we could see what kind of programmes they are ? I would like to know the names of the persons invited to take part in this programme ? Are the Government prepared to give the names of such persons ?

श्री इ० कु० गुजराल : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि पाण्डुलिपि सभा-पटल पर रखी जाये; तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं । ये सार्वजनिक दस्तावेज हैं इसलिए उसे जनता के समक्ष रखने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है ।

पता नहीं श्री मधोक को यह बात किसने बताई है कि सर्वेक्षणों से संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए । सरकार ने एक वर्ष में चार सर्वेक्षण किये हैं और चारों के संतोषजनक परिणाम निकले हैं और विशेष रूप से युवा वर्ग, जो इस कार्यक्रम में भाग लेता है, इस कार्यक्रम से संतुष्ट है । मैं माननीय सदस्य को सलाह दूँगा कि वे प्रोफेसर तथा अध्यापक होने के नाते कुछ दिनों के लिये यह कार्यक्रम सुनें और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुँचे ।

Shri Bal Raj Madhok : I have expressed my views only after listening the programme.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Only pop-music is broadcaste.

Shri Yashwant Singh Kushwah : The aim of this programme is not only to entertion the youth but also to build their character. From this point of view, do are Government propose to make any changes in the existing programme ?

श्री इ० कु० गुजराल : युव वाणी कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य यह है कि युवा वर्ग राष्ट्रीय जीवन में भाग ले सकें और मेरे विचार में कार्यक्रम प्रारम्भ करने का यह प्रथम उद्देश्य था । सरकार निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची है और माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे कि केवल व्याख्यान देने से युवा-वर्ग के जीवन को नहीं बदला जा सकता । मेरे पास एक या अधिक वर्षों में प्रस्तुत की गई वार्ताओं की एक लम्बी सूची है और मैं कह सकता हूँ कि वे वार्ताएँ सफल रहीं । मैं वह सूची पढ़ कर सुना सकता हूँ । स्वयं छात्र छात्र में अनुशासनहीनता पर चर्चा करते हुये पाये गये हैं । मेरे विचार में उद्देश्य प्राप्ति का यह उत्तम साधन है । अध्यापक, वरिष्ठ लोग, युवा वर्ग और अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होते है और इस प्रकार से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि छात्र इसमें भाग ले सकें ।

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Speaker, Sir, I want to raise a point of order in connection with this question.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है । मुझे खेद है कि यह नियम पहले ही तय किया जा चुका है ।

Shri Shiva Chandra Jha : I am not asking supplementary. I want to raise a point of order regarding this quesion.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री युवा-वर्ग के लिये विशेष कार्यक्रम तैयार करने में सिद्धहस्त हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि कार्यक्रम तैयार करने वाली समिति के सदस्यों की औसत आयु क्यो है और क्या उस समिति में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो आयु में मन्त्री महोदय से बड़े हैं और यदि हां तो क्या सरकार समिति के पुनर्गठन पर विचार कर रही है ?

श्री इ० कु० गुजराल : हमने यह बात ध्यान में रखी है कि परामर्शदात्री समिति में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति की आयु श्री साल्वे से अधिक न हो। भाग लेने वाले व्यक्ति आयु में श्री साल्वे से कम हैं। इसलिये यह शर्त रखी गई है कि परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनने के लिये अथवा कार्यक्रम में भाग लेने के लिये पुरुष अथवा युवती की आयु 30 से कम होनी चाहिये।

छोटे समाचार पत्रों के लाभार्थ रात गये समाचार बुलेटिन का प्रसारण

*517. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषा समाचार पत्र संघ के अध्यक्ष ने आकाशवाणी से अनुरोध किया है कि वह हर दिन रात को देश में ऐसे छोटे समाचारपत्रों के लिये जो किसी भी समाचार एजेन्सी के साथ सम्बन्धित नहीं हैं रात गयी एक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया करें;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग 200 ऐसे छोटे समाचार-पत्र हैं जो आकाशवाणी से मध्यान्ह पश्चात् अंग्रेजी में प्रसारित समाचार बुलैटिन से लाभ उठाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस पर क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के पास सही आंकड़े नहीं हैं, किन्तु प्रतीत होता है कि इस सेवा का काफी छोटे समाचार-पत्र लाभ उठा रहे हैं।

(ग) रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

Shri Beni Shanker Sharma : It is a matter of pleasure that hon. Minister has made arrangement for broadcasting a special news bulletin for the benefit of small newspapers, You know very well that after the invention of transister, radio sets have become more popular in the cuntry. You are also aware that thereare many small news papers which are circulated in different languages in different parts of the country. Will the Government make arrangements for broadcasting a news bulletin between 10.30 and 11.00 P.M.for the benefit of small newspapers so that they may takes advantage of news bulletin ?

श्री इ० कु० गुजराल : इस बात पर विचार किया जा रहा है।

Shri Beni Shankar Sharma : All of us are against monopoly. These days mono-

poly of big newspapers is increasing. To raduce this monopoly, it is necessary that Government should help the small newspapers by broadcasting a news bulletin.

Mr. Speaker : Please put your question.

Shri Beni Shankar Sharma : Mr. Speaker, Sir, I am coming to my question. My question is whether Government are thinking to provide newsprint to these small newspapers ? I would also like to know whether Government are taking any action to provide advertisements to these small papers ?

श्री इ० कु० गुजराल : यह प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

श्री रंगा : बड़े ही आश्चर्य की बात है कि सरकार अभी तक इस विशेष प्रश्न पर विचार कर रही है। क्या यह सच नहीं है कि ये प्रश्न बहुत पहले सरकार के समक्ष रखे गये थे और सरकार दिये गये सुझावों पर-विचार कर सकती थी। क्या सरकार यह बात कहने के लिये तत्पर नहीं है कि इस मामले पर वह सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और इस मामले के पक्ष में है परन्तु इस मामले के प्रशासनिक पहलू पर विचार करके ही यथासंभव शीघ्र इसको क्रियान्वित करेगी।

श्री इ० कु० गुजराल : शायद माननीय सदस्य को ज्ञात नहीं कि गत वर्ष के दिसम्बर मास में धीमी गति का समाचार बुलेटिन प्रसारण शुरू किया गया था और यह प्रसारण कुछ महीनों से ही हो रहा है हालांकि यह प्रसारण कुछ समय से विचाराधीन था, फिर भी सरकार ने गत वर्ष दिसम्बर मास में ही इसका प्रसारण शुरू किया। अब इस बुलेटिन के प्रसारण के लाभों को देखते हुए कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि एक की जगह दो बुलेटिन प्रसारित किये जाएँ। अतः स्वाभाविक है कि इस बात पर विचार किया जाये कि कितना समय उपलब्ध है और उसका प्रसारण कितनी दूरी तक किया जा सकेगा। सरकार इस बात पर विचार कर रही है लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि पहला प्रयोग सफल रहा है और एक अन्य बुलेटिन प्रसारित करने की माँग हमें प्राप्त हुई है।

Suspension of Workers on Strike

*519. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Department of Labour and Employment have expressed the view that suspension of workers by the employers on account of their going on strike is improper ;

(b) if so, whether Government propose to amend the Trade Union Act during the current session of Parliament keeping in view the fact stated above ;

(c) whether it is also a fact that Government have decided to change the definition of workman ; and

(d) if so, the definiton of workman and the time by which they propose to do so ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri Bishawanath Roy) : **(a)** No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) : The question whether the definition of 'workman', as contained in the Industrial Disputes Act, 1947, calls for any amendment was considered at the meeting of the Standing Labour Committee held on the 23rd and 24th July, 1970. The matter is being processed in the light of the deliberations.

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir It has appeared in the newspapers that the right to suspend the employees who go on strike, which is at present vested in the owners, should be withdrawn . But now the hon. Minister says that it is not like that. Due to the right of suspension, thousands of workers are suspended from service. In view of the fact that thousands of employees are suspended because they have gone on strike, whether Government are prepared to think over this matter so that the services of the employees are safeguarded ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : Mr. Speaker, Sir, there are two kinds of suspension-one is substantive suspension of a worker due to misconduct and the other is a suspension before an enquiry is conducted and in case the charges are not proved the person suspended is taken back and the salary for the period of suspension is paid to him. This acton is taken under the standing orders under the Act regarding suspention. How is it possible to remove the word 'suspension' and no one should be suspended ? But enquiry is conducted regarding the suspension effected after the strike and ofter the enquiry action is taken according to two catagories which I have already mentioned.

Shri Ramavtar Shastri : Time and again it is heard that Trade Unions Act will be amended. I would like to know whether Government has any proposal to make amendment in the Trade Unions Act ? If so, by what time Government will introduce the Amendment Bill in the parliament ? I would also like to know whether he proposes to amend the definition of, 'workman' as he has already mentioned while replying to the question ? If so, would he mention the date by which the law will be introduced in the Parliament ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I understand that hon. Member is referring to the (d) part of a question in which he has asked what changes could be made in the definition of 'workman' ? In this regard discussion was held in the standing committee on 23rd and 24th of July in which our workers' representatives laid stress on making changes in the definition of 'workman' and those persons whose salary is upto Rs.16.00, should be included under this catagory. Standing Labour Committee did not agree to this. A discussion was held as to how we could change the definition of 'workman'. But since each one blew his our trumpt, this matter was entrusted to the Government for making necessary amendment in the light of discussion and Government are taking action.

Shri Ramavtar Shastri : By what time a decision will be taken.

Shri Bhagwat Jha Azad : I told as early as possible.

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र में अमान्य संघ ने हड़ताल का आह्वान किया है और मान्यता प्राप्त संघ ने हड़ताल का विरोध किया है और इसके बावजूद भी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हड़ताल चल रही है ? क्या यह भी सच है कि धमकियों से डर कर 75 प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल में भाग ले रहे हैं, और अमान्यक्त संघ के कर्मचारी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में तोड़फोड़ की कार्रवाही कर रहे हैं और इस मामले में 'अखिल बंगाल बन्द' करवाने का

प्रयत्न कर रहे हैं ? क्या अमान्य संघ के कर्मचारियों द्वारा की गई ऐसी हड़ताल को अवैध ठहराया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र की बात इसमें कैसे आ गई ?

श्री नाथपाई : माननीय सदस्य मान्यता प्राप्त और अमान्य संघों की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथपाई, आप जेल से वापिस आ गए ? क्या आप पूरी तरह कुशल एवं स्वस्थ तो हैं ? श्री समर गुह, आप संगत प्रश्न पूछें, चाहे वह लम्बा ही क्यों न हो,मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नाथपाई : क्या यह प्रश्न पिछले प्रश्न के समतुल्य नहीं है ? जब कोई अवैध हड़ताल में भाग लेता है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं ? उनका दोष तो केवल यही है कि वह उस बात को विशेष रूप से कह रहे हैं जो कि अन्य लोग सामान्य रूप से कह रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े चुस्त दिखाई दे रहे हैं।

श्री नाथपाई : यदि थोड़े दिन जेल काटने से कोई चुस्त दिखाई देता है तो मैं सुझाव दूंगा कि शासक दल के कुछ सदस्य भी जेल काट आएँ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी वहां अच्छी देख-भाल की गई है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रम नीति के लिए यह बात बहुत ही दुःखपूर्ण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कोई भी हड़ताल वैध नहीं ठहराई गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व जो हड़तालें वैध थीं, अब अवैध हो गई हैं। क्या माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात लाई गई है कि जो कर्मचारी निलम्बित किए जाते हैं, नियोक्ता कई महीनों तक उनके लिए आर्थिक दन्ड नियत नहीं करतो हैं ? क्या उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाही की है कि निलम्बन समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए ताकि मामला निपटाया जा सके और कर्मचारी को पूरा वेतन दिया जाए ?

श्री भागवत झा आजाद : निलम्बन दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार में तो दुर्व्यवहार के कारण निलम्बन किया जाता है और दूसरा निलम्बन जांच की समाप्ति तक रहता है। ऐसा अधिनियम के उपबन्धों और स्थायी आदेशों के अनुसार किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा सरकार उन नियोक्ताओं का पक्ष नहीं लेती है जो लम्बे समय तक निलम्बन आदेश जारी रखते हैं। उन्हें अधिनियम और स्थायो आदेशों के अनुरूप कोई न कोई निर्णय लेना हो चाहिए। मैं माननीय सदस्य के इस विचार से पूरो तरह सहमत हूं कि मामलों को निपटाने में अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या निलम्बित कर्मचारी वेतन तथा भत्ते का हकदार होगा ?

श्री भागवत झा आजाद : यह काल्पनिक प्रश्न है। निलम्बन के कई मामले होते हैं, कोई एक विशेष मामला हो तो मैं उसकी जाँच कर सकता हूं। जाँच के उपरान्त यदि वह कर्मचारी दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो यह सिद्ध हो जाता है और यदि आरोप गलत सिद्ध होते हैं तो उसे निलम्बन काल का वेतन और भत्ता मिलेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छोटे ट्रैक्टरों का आयात

*512. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** **श्री झारखण्डे राय :**
श्री लताफत अली खां : **श्री सरजू पान्डेय :**
श्री इसहाक सम्भाली :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों की छोटे ट्रैक्टरों की मांग को तत्काल पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार का बड़ी संख्या में इस प्रकार के ट्रैक्टरों को आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों की संख्या तथा मूल्य क्या होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हां । कृषकों की तत्कालिक मांग की पूर्ति के लिये 12-25 अश्व शक्ति श्रेणी के 20,000 ट्रैक्टरों का आयात करने का निश्चय किया गया है । इस अश्वशक्ति श्रेणी के 9000 ट्रैक्टरों के आयात के लिये विदेशी सम्भरणकर्त्ताओं को आदेश दिये गये है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

देश	मेक	आयात किये गये ट्रैक्टरों की संख्या	प्रति ट्रैक्टर आयात मूल्य (रुपये)
चेकोस्लेवेकिया	जेटर-2011 (एसकेडी)	2,500	10,007 (लागत तथा भाड़ा)
	जेटर-2011 (एसकैडी) चावल विशेष	1,000	10,957 (,, ,,)
	जेटर-2011 चावल विशेष (पूर्ण निर्मित)	2,500	11,467 (,, ,,)
पोलैंड	यूआरएसयूएस–328 (पीकेडी)	3,000	7,100 (,, ,,) प्रति पैक
	योग	9,000	

प्रति ट्रैक्टर 9,350 रुपये की लागत से 7,000 आर एस 09 ट्रैक्टरों के आयात के लिये वार्ता पूर्ण हो चुकी है, किन्तु अब तक आदेश नहीं दिये गये हैं । 12-25 अश्व शक्ति श्रेणी के 4,000 और ट्रैक्टरों के आयात के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है ।

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के विस्थापित लोगों के दावे

*515. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री जे० के० चौधरी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात पर फिर विचार कर रही है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के विस्थापितों को वहां छोड़ी हुई अपनी सम्पत्ति के दावों को पंजीकृत कराने की अनुमति दी जाए ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के चार राज्य मन्त्रियों की समिति ने, जिसको यह मामला विचार के लिये सौंपा गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) **और (ग) :** समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है किन्तु मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

पंजाब राज्य सहकारी पूर्ति तथा विपणन संघ द्वारा तरल उर्वरक कारखाने की स्थापना

*518 **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य सहकारी पूर्ति तथा विपणन संघ ने सरकार को तरल उर्वरक कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिमी बंगाल में बेरोजगारी की अतिगम्भीर स्थिति

*520 **श्री गणेश घोष :** **श्री वि० कु० मोडक :**

श्री भगवान दास : **श्री सरदार अमजद अली :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने नई दिल्ली में हाल ही में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया था, केन्द्र को इस बात की चेतावनी दी थी कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है और इसे सुधारने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में रोजगार सम्बन्धी तथा बेरोजगारी की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस स्थिति का सामना करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही का पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल विशेषतया शहरी क्षेत्र में, बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त गम्भीर है।

(ख) नियोजन क्षेत्र-सूचना कार्यक्रम के अधीन एकत्र किये गये आँकड़ों के अनुसार 31 दिसम्बर, 1969 को पश्चिम बंगाल राज्य के संगठित क्षेत्र में नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या 22.90 लाख थी। बेरोजगारी के बारे में उपलब्ध एकमात्र जानकारी, नियोजन-कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या से सम्बन्धित है। दिनांक 30 जून, 1970 को यह संख्या 5·32 लाख थी।

(ग) केन्द्रीय तथा पश्चिम बंगाल सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं में कृषि, उद्योग, सिंचाई व बिजली, परिवहन और संचार और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा पश्चिम बंगाल सहित देश में अधिकाधिक नियुक्ति अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है। इसके अलावा कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र के विकास से भी बड़ी मात्रा में नियोजन अवसर उपलब्ध होंगे।

(घ) नियोजन क्षेत्र-सूचना कार्यक्रम के आधीन एकत्र किये गये आँकड़ों के अनुसार, पश्चिम बङ्गाल की नियोजन स्थिति, जिसमें पिछले कुछ समय से गिरावट नजर आ रही थी, में वर्ष 1969 के दौरान वृद्धि देखने में आई है।

प्रशासनिक अकुशलता के कारण सामुदायिक विकास की असफलता

*521 **श्री हेम बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सामुदायिक विकास केन्द्र अपेक्षित परिणाम देने में असफल सिद्ध हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण प्रशासनिक अकुशलता है ; और

(ग) कृषि उत्पादों की हमारी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इन केन्द्रों के प्रशासन की कुशलता बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री स० च० जमीर) : (क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०-टी० 4020/70**]

पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति

*522 **श्री समर गुह :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान से आप शरणार्थियों को, उनके द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति को क्षति पूर्ति के रूप में, 300 करोड़ रुपये अदा किये गये हैं ;

(ख) क्या पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को इस प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी गई थी क्योंकि नेहरू लियाकत अली समझौते के अन्तर्गत उन्हें (i) पूर्व पाकिस्तान की मुफ्त यात्रा, (ii) पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति का दायित्व रखने, प्रबन्ध करने और उनका निपटान करने के अधिकार ; और (iii) भारत को अपनी आस्तियों के स्थानान्तरण तथा धन भेजने की सुविधा का आश्वासन दिया गया था ;

(ग) क्या समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् कुछ ही दिनों में पाकिस्तान सरकार इन आश्वासनों से पूर्णतः मुकर गयी थी;

(घ) क्या 1965 के भारत-पाक संघर्ष के पश्चात् पूर्व पाकिस्तान में शरणार्थियों की सभी सम्पत्ति को "शत्रु सम्पत्ति" घोषित कर दिया गया और बाद में जब्त करके बेच दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या बदली हुई परिस्थितियों में, पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को, उनकी पाकिस्तान में छोड़ी हुई सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति हो जायेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (की भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को मुआवजा

1. 31-3-1970 तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को मुआवजे के भुगतान पर कुल 193.18 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इस राशि में से, 143.22 करोड़ रुपये निश्क्रान्त सम्पत्तियों के किराये और बिक्री के फल स्वरूप प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार, इस प्रयोजन के लिये सरकार ने अपनी निधि से केवल 49.96 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

2. पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि, अप्रैल 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन, ये व्यक्ति पाकिस्तान में छोड़ी गई अपनी सम्पत्तियों का मालिकाना अधिकार रखते हैं और वे इन सम्पत्तियों की बिक्री, विनिमय या निपटारा कर सकते हैं। तथापि, यह सत्य है कि पाकिस्तान सरकार समझौते को क्रियान्वित नहीं कर रही है और उन्होंने प्रवासियों के लिये अपनी सम्पत्तियों का निपटारा करना अत्यन्त कठिन कर दिया है। इसलिये समझौते की क्रियान्वित और मान्यता का मामला भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है।

3. प्रवासियों की सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति मानने पर भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजा है।

4. पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्तियों का

मुआवज़ा देना भारत सरकार के लिये सम्भव नहीं है जिसके अन्य बातों के साथ-साथ निम्न-लिखित कारण हैं :-

(i) पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की सम्पत्तियां नेहरू-लियाकत समझौता, 1950, में की गई व्यवस्था द्वारा शासित होती हैं जिसके अनुसार उन सम्पत्तियों का स्वामित्व अधिकार उन शरणार्थियों का ही चला आ रहा है।

(ii) भारत के पूर्वी खण्ड में वस्तुतः कोई निश्क्रान्त सम्पत्ति नहीं है जो कि मुआवज़ा पूल का भाग बन सके और जिसमें से शरणार्थियों को मुवाअज़ा अदा किया जा सके।

(iii) वित्तीय अभिग्रस्ति के अतिरिक्त, शरणार्थियों के दावों के सत्यापन में भी गंभीर कठिनाईयां होंगी।

5. यह बताना उचित होगा कि 31-3-1970 तक पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के राहत और पुनर्वास पर सरकार द्वारा 322.59 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे जबकि इसकी तुलना में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास पर 206.06 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एकीकरण

*523. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एकीकरण करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) कार्यकारी दल ने, जिसे इस मामले की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था, हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

चीनी का अन्तर्राज्यीय वहन तथा इसका चीनी के मूल्यों पर प्रभाव

*524. **श्री अदिचन :** **श्री दे० अमात :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अनियंत्रित बिक्री' वाली चीनी को एक से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रतिबन्धों का उद्देश्य यह था कि सिद्धान्तहीन व्यापारियों को चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने से रोककर चीना के मूल्यों को बढ़ने न दिया जाय यदि हां, तो इस प्रकार मूल्य वृद्धि रोकने के लिए अब क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ; और

(ग) अनियंत्रित चीनी के मूल्यों में यदि इस बीच कोई वृद्धि हुई है तो वह जोन वार कितनी हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) ये प्रतिबन्ध कमी की अवधि में लगाये गए थे और पर्याप्त सप्लाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुये अब इन्हें आवश्यक समझा गया है। सरकार कारखानों से बिक्री के लिए चीनी निर्मुक्त कर मूल्य-वृद्धि को रोक सकती है।

(ग) 22 जुलाई, 1970 और 15 अगस्त, 1970 को देश की कुछ प्रसिद्ध मंडलियों में चीनी का थोक मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

22 जुलाई और 15 अगस्त, 1970 को देश की कुछ प्रसिद्ध मन्डियों में चीनी के थोक मूल्य बताने वाला विवरण
(रुपये प्रति क्विन्टल)

	22 जुलाई, 1970 को मूल्य	15 अगस्त, 1970 को मूल्य
दिल्ली	183.00	188.00
कानपुर	170.00	178.00
कलकत्ता	179.00	186.00
बम्बई	173.00	186.00
मद्रास	172.00	179.00

कलकत्ता की ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था का कुप्रबन्ध

*525. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता क्षेत्र में ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था में कुप्रबन्ध और अनियमितताओं संबन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में लाई गई है कि कई मामलों में साधारण ट्रंक टेलीफोन काल को भी काल करने वालों की इच्छा के विरुद्ध विशिष्ट या तुरन्त काल में बदल दिया जाता है;

(ग) क्या उक्त तरीके से ट्रंक टेलीफोन करने वालों को हानि होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वह शिकायतों की जांच करा कर इस संबन्ध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्व की ओर राजस्थान के बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकने के लिये किए गये उपाय

*526. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान का रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है तथा दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की उपजाऊ कृषि भूमि को नष्ट कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि पर इसका प्रभाव पड़ा है; और

(ग) भारत-फ्रांस और भारत-कनाडा के वर्तमान करारों के संदर्भ में, इस चुनौती का गम्भीरतापूर्वक सामना करने के लिये और इस उद्देश्य हेतु एक मरुस्थल विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिये सरकार ने पहले क्या कार्यवाही की थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह विदित हो कि राजस्थानी रेगिस्तान पड़ोसी राज्यों की ओर बढ़ रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत फ्रांस करार और भारत कैनेडा करार (जिस पर अभी हस्ताक्षर होने हैं) में बारानी भूमि की परिस्थितियों में उत्पादन में सुधार करने की व्यवस्था है न कि रेगिस्तान विकास के लिये।

2. राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में मरू और उप-मरू क्षेत्रों के विकास की समस्या कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रही है। राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा योजनायें तैयार करने और उन्हें कार्यरूप देने के कार्य की समीक्षा के लिये एक रेगिस्तान विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। उपरोक्त 3 राज्यों में रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिये आदर्श परियोजनायें आरम्भ करने के लिये चौथी योजना में 2 कराड़े रुपये की व्यवस्था की गई है। इन आदर्श परियोजनाओं में कार्य की निर्धारित मदें (जो चुनिन्दा क्षेत्रों के लिये उपयुक्त हों) आरभ्भ की जायेंगी। यह क्षेत्र संहत और ठीक तरह से निर्धारित होने चाहिये, ताकि धन उपलब्ध होने पर ये दूसरे क्षेत्रों के लिये वास्तव में प्रभावी और सम्भाव्य दिखाई दें। राज्य सरकारों को अनुमानत: 103.19 लाख रुपये की लागत की आदर्श परियोजनाओं के लिये प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है, ताकि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा की सरकारें चारागाह विकास, मृदा संरक्षण, वनोरोपण और कृषि विकास के कार्य प्रारम्भ कर सकें। इस के अतिरिक देश के निरन्तर रूप से सूखा रहने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की गैर योजना स्कीमों के अधीन रेगिस्तान क्षेत्रों को पर्याप्त राशि मिलने की आशा है जिस के लिये चौथी योजना के शेष वर्षों के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं। इस कार्यक्रम के अधीन प्रत्केक चुनिन्दा जिले के लिये के लिये लगभग 2 करोड़

रुपया उपलब्ध होगा । इस योजना के अधीन आपाती कमी की सहायता को समाप्त करने के लिये स्थाई कार्यों की व्यवस्था करनी है और पर्याप्त रोजगार उपलब्ध करना है ।

3. केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में कार्य कर रहा है और इसके अनुसंधान कार्यों में रेगिस्तानियों की समस्यायें शामिल हैं । इस संस्थान ने रेत के टीलों को स्थिर करने के तकनीकी का विकास किया है और उसका खेतों में प्रदर्शन किया है : यह भी उपकरणों से सिद्ध हो चुका है कि ये हवा सड़क के आस पास तोड़ फोड़ करती है और रुकावट श्रृंखलाओं के विरुद्ध वायूक्षरण करती हैं । इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने उन बड़े चूहों के नियन्त्रण के उचित उपाय भी तलाश किये हैं जो रेगिस्तानी पौधों के लिये आतंक बने हुये हैं । वनोरोपण के लिये उपयुक्त वृक्ष और घास की किस्मों का भी विकास किया गया है और राज्य सरकार ने क्षेत्र विकास का कार्य आरम्भ कर दिया है ।

बागान कर्मचारियों का कार्य-समय और आवास व्यवस्था

*527. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने प्रौढ़ बागान कर्मचारियों के कार्य के घन्टों में कमी करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बागान मालिकों के कुछ संगठनों ने सुझाव दिया है कि आठ प्रतिशत वार्षिक आवास की व्यवस्था को घटा कर कम कर दिया जाए;

(घ) ऐसे बागान मालिकों के संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में समुचित संशोधन करने का विचार है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्लांटेशन एसोसियेशन तथा इंडियन टी प्लांटर्स एसोसियेशन की परामर्शदात्री समिति ।

(ङ) इस मामले पर 10 जुलाई, 1970 को हुए औद्योगिक बागान समिति के 13 वें अधिवेशन में विचार-विमर्श किया गया और यह स्वीकार किया गया कि नियोजकों को प्रति वर्ष अपने 8 प्रतिशत कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के समिति के पहले के निर्णय का पालन करना चाहिए ।

दो दैनिकों 'प्रताप' तथा 'वीर अर्जुन' द्वारा अखबारी कागज में अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करने के लिए सहयोग

*528. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों के पंजीयक, नई दिल्ली के पास कुछ ऐसे आवेदन पत्र आये हैं जिनमें दिल्ली के दो दैनिक पत्रों 'प्रताप' और 'वीर अर्जुन' के रजिस्टरों में अखबारी कागज के अवैध कारोबार का भंड़ाफोड़ करने में सहयोग देने की पेशकश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाया गया ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) : भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की 'प्रताप' तथा 'वीर अर्जुन' के एक भूतपूर्व कर्मचारी का पत्र मिला था जिसमें अखबारी कागज के छीजन, प्रेस रूम रिटर्न, प्रिन्ट आर्डर, अखबारी कागज की खरीद तथा रीलों को रिमों में बदलने से सम्बन्धित लेखा रखने के बारे में अनियमितताओं के गम्भीर आरोप लगाये गये थे ।

(ग) और (घ) : जी, नहीं । नवम्बर, 1969 में समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के एक अधिकारी द्वारा समाचारपत्रों के रिकार्ड की स्वतन्त्र रूप से जांच की गई थी । शिकायत कर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों को पूरी तरह ध्यान में रखा गया था । यह पाया गया कि इन दैनिकों की परिचालन संख्या इनके प्रकाशकों द्वारा किए गए दावों के अनुसार ही थी ।

कामुकता और हिंसा प्रधान भारतीय चलचित्रों के प्रति फिल्म सेंसर बोर्ड का कड़ा रुख

*529. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म सेंसर बोर्ड को ऐसे अनुदेश दिये हैं कि वह उन भारतीय चलचित्रों के प्रति कड़ा रुख अपनाये जिनमें कामुकता और हिंसा पर अधिक बल दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) : जी, हां । सैक्स, अश्लीलता तथा हिंसा को दिखाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की ओर केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड का ध्यानाकर्षण करते हुए, सरकार ने बोर्ड को ऐसी फिल्मों के सेंसरशिप के मामले में सख्ती बरतने के लिए कहा है ।

खाद्य क्षेत्रों का समाप्त किया जाना

*530. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य-क्षेत्रों को समाप्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) : सांविधिक राशन व्यवस्था के क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में गेहूं तथा गेहूँ के

उत्पादों के संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है । मोटे अनाज के संचलन पर भी वस्तुत: कोई प्रतिबंध नहीं है । इस वर्ष सितम्बर-अक्तूबर में किसी समय खरीफ खाद्यान्नों के लिए मूल्य नीति पर होने वाले आगामी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चावल के बारे में नीति की समीक्षा की जाएगी ।

समाचार-पत्र वित्त निगम

*531. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित समाचार-पत्र वित्त निगम की कब स्थापना की जायेगी ;

(ख) निगम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्तावित निगम से किस श्रेणी के समाचार-पत्रों को ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अधिकार होंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : **(क) से (ग)** : मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही एक निर्णय लिया जाएगा ।

आकाशवाणी के कटक केन्द्र का एक दिन

के लिए बन्द हो जाना

*532. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी का कटक केन्द्र 28 जुलाई, 1970 को एक दिन के लिए बन्द हो गया था ; और

(ख) क्या इतने लम्बे समय तक आकाशवाणी सेवा का बन्द हो जाना न्यायोचित था ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं । परन्तु 27 जुलाई, 1970 को केन्द्र से प्रसारण बन्द करने पड़े थे ।

(ख) इस मामले में एक विभागीय जांच करने का आदेश दे दिया गया है ।

पटसन, कपास और तिलहन जैसी नकद फसलों का उत्पादन

बढ़ाने की योजना

*533. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष पटसन, कपास तथा तिलहन जैसी नकद फसलों को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(घ) प्रत्येक फसल के लिए उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) क्या राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया है, और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4021/70**]

	(रु० लाखों में)
(i) कपास	89.85
(ii) तिलहन	83.46
(iii) पटसन	45.00
जोड़	218·31

(घ) सन् 1970-71 के दौरान उत्पादन के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

(i) कपास	65 लाख गांठें
(ii) तिलहन	90 लाख मीटरी टन
(iii) पटसन तथा मेस्ता	81 लाख गाठें

(ङ) ये कार्यक्रम सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गये हैं और स्टेट प्लान के अन्तर्गत कार्यक्रमों को अनुपूरित करने के लिए उनके द्वारा ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

Unemployment Allowance

*534. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bear the responsibibility of providing employment to all the able-bodied and needy persons and to give unemployment allowance to them in the event of its failure to provide employment to them;

(b) if so, the date from which the said scheme is proposed to be implemented ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) In view of the efforts already made and being made in the direction of creating more and more employment opportunities and the limitation of resources, realisation of the objective of providing employment to all able-bodied persons or payment of unemployment allowance in lieu thereof is not considered practical at the present stage.

वर्ष 1969-70 में गन्ने का उत्पादन तथा चीनी के मूल्य

*535. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969-70 में गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हुआ और यदि हां, तो अनुमानतः कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने कुछ स्तरों पर चीनी के मूल्यों को कम होने से रोका था और यदि हां, तो बाजार में मांग और पूर्ति के अनुसार चीनी के मूल्यों में घटा-बढ़ी न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस आशय के समाचार मिले हैं कि कुछ स्थानों पर किसानों ने गन्ने की फसल में आग लगा दी थी क्योंकि उन्होंने गन्ना काटना तथा उसे मिलों को भेजना अलाभप्रद समझा जिसका कारण यह था कि अगली फसल आ चुकी थी और यदि हां, तो सरकार ने राष्ट्र को हानि से बचाने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की; और

(घ) चालू वर्ष में गन्ने का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां, । 1969-70 में गन्ने का अनुमानित उत्पादन 1312.23 मीटरी टन है ।

(ख) लेवी चीनी, जोकि उत्पादन का 70 प्रतिशत होती है, का मूल्य टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित लागत अनुसूचियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है । खुले बाजार में चीनी का मूल्य मांग और सप्लाई को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है और चीनी कारखानों को बिक्री के लिए चीनी निर्मुक्त कर इसे उचित सीमा के अन्दर रखा जाता है ।

(ग) अखबार में यह रिपोर्ट छपी थी कि हरियाणा के किसानों ने यह निश्चय किया है कि वे अपने गन्ने को जला देंगे लेकिन राज्य सरकार ने सूचित किया था कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट न थी । गन्ने के जलाने के बारे में कोई अन्य रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) चालू वर्ष में बोए गए गन्ने के उत्पादन का अनुमान लगाना बहुत पूर्व होगा ।

Examination of Working Group of Unemployment Insurance Scheme

*536. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1175 on the 23rd April, 1970 and state :

(a) whether the Working Group has examined the proposal for introducting Unemployment Insurance Scheme in the light of the recommendation made by the National Commission on Labour ; and

(b) if so, the final decision taken by Government thereon ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes, Sir.

(b) The Report of the Working Group is under examination.

माना स्थित पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी शिविर से हथियारों का पकड़ा जाना

*537. **श्री० क० प्र० सिंह देव** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में माना स्थित पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी शिविर से बड़ी मात्रा में हथियार पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के हथियार पकड़े गये हैं और क्या यह पता लगा लिया गया है कि ये हथियार कहां से आये थे;

(ग) क्या उन परिस्थितियों की जांच की गई है जिनमें ये हथियार माना के शरणार्थी शिविर में चोरी-छिपे लाये गये; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख) : माना समूह के आवाजाही केन्द्रों के मुख्य कमान्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, माना औद्योगिक केन्द्र के एक स्थानीय कर्मचारी के मकान से देसी बने हुए दो पिस्तौलों के कुछ असज्जित भाग बरामद किये गये थे। एक कुएं से दस बम भी बरामद हुए हुए थे। हथियारों के जो भाग बरामद हुये थे वे स्वदेशी थे।

(ग) और (घ) इसका अभी भी पता नहीं चला है कि इनको चोरी से शिविर में किस प्रकार लाया गया था। पुलिस की जांच पड़ताल प्रगति पर है। पुलिस की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

किसानों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं

*538. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री रा० बरुआ** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में छोटे किसानों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं समुचित ढंग से तथा समय पर नहीं प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो छोटे किसानों को समय पर तथा आसान शर्तों पर ऋण संबंधी सुविधाएं देने के लिए सरकार किन कार्यवाहियों पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या इस मामले पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से विचार-विमर्श किया है और उन्होंने छोटे किसानों को आसान शर्तों पर ऋण सम्बन्धी सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :-(क) और (ख) : जी, हां । इस तथ्य को स्वीकार करते हुये सरकार ने विशेषकर संस्थागत क्षेत्रों से छोटे कृषकों को ऋण मुहैय्या कराने के विषय में कदम उठाये हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :

(i) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा छोटे तथा सीमान्त कृषकों में पर्यवेक्षित ऋण के विस्तार की एक विशेष योजना प्रारम्भ की गई है । यह योजना समग्र देश में 86 चुनींदा जिलों में कार्यान्वित की जायेगी ।

(ii) छोटे कृषकों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने तथा उनकी ओर विशेष ध्यान देने के लिये सहकारी समितियों की ऋण विषयक नीतियों तथा क्रियाविधियों का नवीकरण किया जा रहा है ।

(iii) ऋण सम्बन्धी समितियों को भी अपनी नीतियों का नवीकरण करने की सलाह दी जा रही है जिससे कि ऋणियों को केवल मात्र उनकी परिसम्पति की सुरक्षा के आधार पर ही नहीं बल्कि विनियोजन योजनाओं की परिपक्वता के आधार पर ऋण दिये जा सकें । इस प्रकार के नवीनीकरण के फलस्वरूप प्रत्याशित जोखिमों की पूर्ति के लिये भारत सरकार ने कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में छोटे ऋणियों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों को आवृत्त करने के लिये एक ऋण प्रत्याभूति निगम की स्थापना करने का निश्चय किया है ।

(ग) जी, हां । अब तक अपेक्षित क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की विभिन्न गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने तथा स्पष्ट असमानताओं को समाप्त करते हुये समाज के देहाती वर्ग (कृषक आदि) की सहायता का प्रश्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ उठाया गया है। यह बात सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ली है कि इन क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक चुने हुये निम्न आय वर्गों को ब्याज की अल्प दरों का लाभ दिया जा सकता है । बैंकों द्वारा निर्बल वर्गों को ऋण की अदायगी को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष ऋण प्रत्याभूति निगम द्वारा एक ऋण प्रत्याभूति योजना का प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया है । वित्त मन्त्री की राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों के साथ 22 जुलाई, 1970 को हुई बैठक के उपरान्त बैंकिंग विभाग द्वारा सम्बन्धित मामलों के विचारार्थ एक विशेष समिति की स्थापना की गई है ।

क्षेत्रीय अनुसंधान परीक्षणशाला, हैदराबाद

*539. **श्री मंगलायुमाडम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थिति क्षेत्रीय अनुसंधान परीक्षणशाला द्वारा वनस्पति तेल के बारे में कोई नवीन अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस परियोजना के लिए अमरीका से विशेषज्ञों तथा वित्तीय व्यवस्था के रूप में सहायता और तकनीकी जानकारी प्राप्त हो रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) बिनौले के तेल के हाइड्रोजनीकारण करने के तरीकों का अन्वेषण करना ताकि इस पण्य से नए और उन्नत खाद्य स्नेह उत्पादों के उत्पादन के लिये अपेक्षित आधारिक जानकारी प्राप्त की जा सके जिससे इसकी उपयोगिता की संभाव्यतायें बढ़ सकें। विषयक एक नयी अनुसंधान परियोजना मई, 1970 में मंजूर की गई है और परियोजना पर कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने की संभावना है।

(ख) परियोजना का उद्देश्य बिनौले के तेल का हाइड्रोजनी-करण करने के लिए ऐसे तरीके खोजना है जिससे मौजूदा अति असंतृप्त (अनसैट्युरोटिड) स्नेह युक्त एसिड की मात्रा को कम किया जा सके तथा हाईशैल्फ स्टैबलिटी वाला तेल उपलब्ध किया जा सके।

(ग) परियोजना को तीन वर्षों में 1,66,700 रुपये तक पी० एल०-480 निधि से सहायता प्रदान की जायेगी। इसमें कोई अमरीकी विशेषज्ञ या तकनीकी जानकारी शामिल नहीं है।

भूमि सुधार सम्बन्धी समस्या

*540. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय का भूमि-सुधार की समस्या तथा तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकारी को तैनात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार चाहती है कि राज्यों द्वारा वार्षिक पट्टों को आवधिक पट्टों में परिवर्तित करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाये ताकि जिस जमीन पर किसान खेती करें उन्हें उसका स्वामित्व भी प्राप्त हो; और

(घ) उनके सुझावों के प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) : नवम्बर, 1969 में हुये भूमि सुधार के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधार की प्रगति तथा उसकी समस्याओं पर विचार किया गया था। इस विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुये चौथी योजना के प्रलेख में भूमि सुधार के और उपायों के लिये सिफारिशें की गई हैं। भूमि सुधार की निदेश समिति को सहायता के लिए एक उचित सरकारी मशीनरी को स्थापित करने तथा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं।

अधिक उपज वाले बीजों के वितरण में कदाचार

3374. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय बीज व्यापारी घटिया किस्म के बीजों को अधिक उपज वाले बीज बताकर बेचते हैं हालांकि ऐसे कदाचारों को रोकथाम के लिये बीज अधिनियम में उपबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उदाहरण कौन-कौन से हैं जहां ऐसा हुआ है और यदि दोषी बीज-व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है; और

(ग) सरकारी मन्त्रीकृत फार्मों में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के बीजों का उत्पादन किया जाता है और उनके वितरण की रीति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारत सरकार को कोई ऐसी शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सन् 1968-69 में केन्द्रीय राजकीय फार्मों में 37,68,6458.10 रु० के मूल्य का 32,402,59 क्विन्टल बीज उगाया गया था। फार्मों में उत्पादित बीज पहले उन राज्य सरकारों को दिया जाता है जहां फार्म स्थित हैं। फालतू बीज अन्य राज्यों/संगठनों और व्यक्तियों का वाणिज्यिक आधार पर बेचा जाता है।

उर्वरकों तथा अधिक उपज वाली किस्म के बीजों के उपयोग के कारण पंजाब की भूमि की उर्वरता को क्षति

3375. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोध वैज्ञानिकों की इस सूचना की ओर दिलाया गया है कि राज्य की भूमि की अन्तर्निहित उर्वरता क्षीण होते होते संकटपूर्ण स्थिति तक पहुँच गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर में गेहूं की खेती करने वाले कृषकों को इस बात की चेतावनी दी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कृषकों ने केवल नाइट्रोजन खाद की सहायता से अधिक उपज वाले नये किस्म के बीजों से बहुत अधिक फसल खड़ी की और अब कुछ क्षेत्रों में पोटाश और फासफटिक पोषकों के अभाव के कारण खड़ी फसल सूख गई है;

(घ) इस कारणवश कुल कितनी हानि हुई है; और

(ङ) क्या अधिक उपज वाले बीजों की बिक्री पर नियन्त्रण लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य , कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी संकटपूर्ण-स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

फिर भी, बहुत ही रेतीली और तत्वहीन भूमि में, जहां नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटेशियम तथा अन्य सूक्ष्म तत्वों के संतुलित प्रयोग के बिना केवल नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक ही इस्तेमाल किए गये हैं नाइट्रोजन का प्रयोग कम देखने में आया है।

(ख) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय तथा उत्तरी भारत के गेहूँ उत्पादक अन्य राज्यों में स्थित अनुसंधान संगठन उर्वरकों का संतुलित प्रयोग की सिफारिश करते रहे हैं।

(ग) जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है नाइट्रोजन के प्रयोग में कमी के कारण ही भूमि में अन्य तत्वों की कमी हो जाती है। उर्वरक-प्रतिक्रियात्मक किस्मों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिये उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की आवश्यकता है।

(घ) यह उत्पादन में कुल हानि का प्रश्न नहीं है क्योंकि राज्य में उत्पादन अब भी पिछले वर्षों से अधिक है। यह मुख्यतया उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की कमी के कारण नाइट्रोजन के अभाव का प्रश्न है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि दोष अधिक उत्पादनशील बीजों में नहीं है। वास्तव में अधिक उपज प्राप्त करने और इन बीजों की अधिकतम उर्जा प्राप्त करने के लिये संतुलित उर्वरकों तथा खादों का प्रयोग अनिवार्य है। बढ़ती हुई जनसंख्या का पोषण करने और भूमि का प्रति एकक क्षेत्र के हिसाब से उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिये अधिक उत्पादनशील बीज किसानों और सरकार के हाथों में अधिक उपयुक्त साधन हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा आरम्भ करना

3376. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टेलीविजन सेवा आरम्भ करने के लिये सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय तथा अणु-शक्ति विभाग की प्रतिस्पर्धापूर्ण योजनायें हैं जो प्रतिमास बदलती रहती है;

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय तथा वर्तमान योजनाओं की लागत तथा ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हैं; और

(ग) इस प्रश्न की जांच करने के लिये कि इस समय त्रि-व्यक्तीय सरकारी पैनल बनाये जाने की बजाय अन्तिम निर्णय करने में सहायता देने के लिये सरकार द्वारा विशेषज्ञों को समिति नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने भूमि पर आधारित रिले स्टेशनों द्वारा टेलीविजन के विकास के लिये एक योजना बनाई है। अणु-शक्ति विभाग द्वारा बनाई गई योजना का लक्ष्य-उपग्रह संचार के माध्यम से सारे राष्ट्र में टेलीविजन कवरेज प्रदान करना है। दोनों ही एक योजनाएँ हाल ही में बनाई गई हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) दो विवरण सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(ग) उस वर्किङ्ग ग्रुप, जो कि इन दोनों योजनाओं की जांच कर रहा है, के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्बद्ध किये गये हैं।

विवरण I

भूमि पर आधारित पद्धति द्वारा टेलीविजन कवरेज योजना के बारे में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान

(सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय की योजना)

क्रमांक	विवरण	पूंजीगत परिव्यय (करोड़ों में रुपये)	विदेशी मुद्रा	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	प्रथम चरण			
1.	20 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना	37.76	11.26	आवश्यक वित्तीय तथा अन्य संसाधनों को देकर प्रथम चरण 7 वर्ष की अवधि में पूरा हो जायेगा तथा द्वितीय चरण अगले 3 वर्षों में पूरा हो जायेगा।
2.	80 रिले ट्रांसमिटर	36.00	12.00	
3.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सुविधाएं	1.00	0.30	
		6.00	4.50	
4.	15 ओ० बी० यूनिट	----	----	
	योग	80.76	28.06	
		----	----	
	द्वितीय चरण			
1.	70 रिले ट्रांसमिटर	31.50	10.50	
	कुल योग	112.26	38.56	
	अर्थात्	112.00	39.00	

विवरण II

उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन कवरेज योजना के बारे में पूंजी लागत परिव्यय का अनुमान

(अणु-शक्ति विभाग की योजना)

	राशि करोड़ रुपयों में
*1. निर्माण, विकास, उपग्रह छोड़ने, छोड़ने सम्बन्धी बीमा, और उसे छोड़ने के लिये सहायक सुविधाओं सहित उपग्रह की लागत।	21.00

2. **ग्राउन्ड सैगमेंट**	
(क) एक करोड़ रुपया प्रति केन्द्र की दर से 5 भूमि केन्द्र (ट्रांस्मिट रिसीव)	5.00
(ख) केवल रिसीव करने वाले 15 केन्द्र जिनकी प्रत्येक लागत 15 लाख रुपये होगी।	2.25
(ग) 1.5 करोड़ रुपयों की प्रति दर से 20 मेन स्टूडियो।	30.00
(घ) 45 लाख रुपया प्रति ट्रांस्मिटर की दर से 20 ट्रांस्मिटर।	9.00
(ङ) 10 लाख रुपयों की दर से 10 प्रोग्राम-जेनेरेटिंग सुविधाएँ।	1.00
3. 450,000 फ्रन्ट एन्ड्स जिनमें से प्रत्येक की लागत 700 रुपये हैं।	31.50
	99.75
	अर्थात् 100
4. रख रखाव सहित लागत का अन्तर	27.50
	127.50

(कुल लागत—127.50 करोड़ रुपया)

टिप्पणी : इस स्थिति में विदेशी मुद्रा की सही राशि बताना सम्भव नहीं है।

*इसका सम्बन्ध पहले उपग्रह से था। दूसरे तथा तीसरे उपग्रह के लिये 6 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि की आवश्कता होगी।

हथकरघा बुनकर श्रमिकों की औसत मासिक आय

3377. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में हथकरघा बुनकरों। श्रमिकों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनकी औसत मासिक आय कितनी थी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) हथकरघा उद्योग में नियोजित बुनकरों। श्रमिकों की कुल संख्या के सम्बन्ध में सही सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, देश में 30 लाख पंजीकृत करघे हैं, जिनमें से 24 लाख करघों के काम करने का अनुमान है। यह अनुमान लगाया जाता है कि इन 24 लाख करघों में लगभग 30 लाख बुनकरों के रोजगार की व्यवस्था है तथा 45 लाख व्यक्ति प्रारम्भिक प्रक्रिया में नियुक्त हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में हथकरघा बुनकर। श्रमिक की औसत मासिक आय के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज़ पर रख दी जायगी।

नियुक्तियों के लिए आकाशवाणी बोर्ड

3378. **श्री यमुना प्रसाद मन्डल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के महानिदेशक ने कोई ऐसा निमय निर्धारित किया हुआ है जिसके अन्तर्गत आकाशवाणी में प्रत्येक कला विभाग के प्रभारी अधिकारी को उनके विभाग में की जाने याली नियुक्तियों के लिए गठित बोर्ड में शामिल किया जाना आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो जून में आकाशवाणी के युव-वाणी कार्यक्रम के लिए प्रोड्यूसर के पद के लिये अभ्यार्थियों के साक्षात्कार हेतु गठित बोर्ड में प्रोडक्शन-कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अनियमित तरीके से गठित बोर्ड द्वारा किये गये चयन को रद्द करने तथा उसकी जिम्मेदारी दो अधिकारियों पर डालन का है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । नियमों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि प्राड्यूसरों, सहायक प्रोड्यूसरों आदि को भर्ती के लिए गठित चयन समिति में संबन्धित मुख्य प्रोड्यूसर को शामिल किया जाए ।

(ख) क्योंकि आकाशवाणी में 'युव-वाणी' कार्यक्रमों के लिए कोई मुख्य प्रोड्यूसर नहीं है, इसलिये उसे चयन समिति में सम्मिलित करने का प्रश्न ही नहीं उठता था । दिल्ली स्टेशन के स्टेशन निदेशक को, जो कि इन कार्यक्रमों की देख-भाल करते हैं, इस समिति में शामिल किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल तथा पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार का मानदंड तथा भूमिहीनों में भूमि का विवरण

3379. **श्री जी० कुचेलर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार योजना में कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है ; यदि हाँ, तो यह कब निर्धारित किया गया था ;

(ख) केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा 1967 से लेकर 1970 तक भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि अर्जित की गई है और कितने व्यक्तियों को ऐसी भूमि का वितरण किया गया है ;

(ग) कितनी भूमि शुष्क है तथा कितनी नम ; और

(घ) 1967 से लेकर अब तक केरल तथा पश्चिम बंगाल में कितने भूमिहीनों तथा बेघरों को क्रमश: समुचित भूमि तथा मकान की जगह दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दीजायेगी ।

गोल्फ लिंक और शंकर रोड, नई दिल्ली के लिए डाकघर

3380. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल्फ लिंक (सुजान सिंह पार्क के निकट) और शंकर रोड (न्यू राजेन्द्र नगर) नई दिल्ली में हाल ही में डाकघरों के लिए नई इमारतें बनाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो यहाँ कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा ;

(ग) क्या यह डाकघर निकटवर्ती क्षेत्रों में डाक के वितरण के लिए डाक अलग वितरण क्षेत्र (जोन) के रूप में कार्य करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इन दो डाकघरों में से प्रत्येक के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) खान मार्केट डाकघर को बदलकर सुजान सिंह पार्क के निकट नई इमारत में ला दिया गया है और 17 अगस्त, 70 से उस नई इमारत में काम होने लगा है । राजेन्द्र नगर, डाकघर शंकर रोड स्थित नई इमारत में 31 अगस्त, 1970 से काम करने लगेगा ।

(ग) सिर्फ राजेन्द्र नगर डाकघर, शंकर रोड, को एक नया वितरण डाकघर होगा । खान मार्केट डाकघर (गोल्डलिंक) एक गैर-वितरण डाकघर ही रहेगा ।

(घ) राजेन्द्र नगर डाकघर के वितरण-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले इलाकों के नाम इस प्रकार हैं-नया राजेन्द्र नगर, पुराना राजेन्द्र नगर, राजेन्द्र पार्क, दुर्गा कालोनी, आम्बेदकर नगर, रतनपुरी, नार्थ एक्सटेंशन क्षेत्र, नया राजेन्द्र नगर की तरफ पड़ने वाले एन० पी० एल० क्वार्टर ।

उत्तर प्रदेश अथवा पंजाब में जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से आयातित ट्रैक्टरों और ट्रैक्टरों समेत कटाई यंत्रों के प्रयोग में प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श फारम की स्थापना

3381. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार ने उस देश से आयात होने ट्रैक्टरों तथा ट्रैक्टर समेत कटाई यन्त्रों के प्रयोग के लिये भारतीय-तकनीशनों और किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु पंजाब अथवा उत्तर प्रदेश में एक आदर्श फारम स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच फारम के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के ट्रैक्टरों के कार्य से आंध्र प्रदेश सरकार संतुष्ट नहीं थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) : भारत में स्थित जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि, नई दिल्ली से जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य द्वारा परीक्षण तथा सम्भरित फार्म उपस्करों के निर्धारण और भारतीय तकनीशनों की प्रशिक्षित करने के लिये एक कृषि फार्म की स्थापना के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। परन्तु जांच पड़ताल करने पर इस पेशकश को स्वीकार करना ठीक नहीं समझा गया।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिसम्बर, 1969 में आन्ध्र प्रदेश राज्य, कृषि उद्योग निगम से शिकायतें मिलने पर सरकार ने आर० एस०-09 ट्रैक्टरों का आयात स्थगित कर दिया था। आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में इन ट्रैक्टरों के कार्य का कार्यस्थल पर अध्ययन करने के लिए तत्काल एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति की सिफारिशों पर जर्मन लोकतंत्री गणराज्य कृषि उद्योग निगम, राजकीय व्यापार निगम के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। और इस बैठक में लिए गए निर्णयों को जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के सम्भरण कर्ताओं ने प्रायः स्वीकार कर लिया है और वे उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं। जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के सम्भरणकर्ताओं ने 5 संशोधित आर० एस०-09 ट्रैक्टर भी सप्लाई किये हैं और इस समय देश के विभिन्न भागों में उनकी जांच की जा रही है। जर्मन लोकतंत्रीय गणतंत्र से जांच के लिए एक और संशोधित ट्रैक्टर वायुयान द्वारा भेजा जा रहा है।

टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठक

3382. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति की 27 जुलाई, 1970 की में टेलीफोनों के आवेदन के मामलों पर विचार करने हेतु एक बैठक हुई थी ;

(ख) जोर बाग एक्सचेंज के अन्तर्गत बिना बारी के टेलीफोन दिये जाने के लिए जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गई उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि टेलीफोन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को प्रति सदस्य 7 जुलाई, 1970 तक केवल एक नाम भेजने के लिए कहा गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति के सदस्यों ने केवल एक नाम का नामांकन करने के निर्णय पर विरोध प्रकट किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के माध्यम से अधिक टेलीफोन दिये जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जोरबाग एक्सचेंज और नए खोले गए ओखला एक्सचेंज के अन्तर्गत विशेष श्रेणी में बिना बारी के टेलीफोन दिए जाने के लिये जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गई थी उनके नामों की सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4022/70]** इस क्षेत्र में अपना टेलीफोन योजना के अन्तर्गत बिना बारी के कोई कनेक्शन देने की सिफारिश नहीं की गई थी।

(ग) जी नहीं, महाप्रबन्धक, टेलीफोन ने प्रत्येक सदस्य से 5 नाम-3 जोर बाग एक्सचेंज में और 2 ओखला एक्सचेंज में भेजने के लिए कहा था। यह एक्सचेंज भी अभी हाल तक जोर बाग क्षेत्र में था।

(घ) एक सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि समिति के सदस्यों पर उन द्वारा सिफारिश किए जाने वाले नामों की संख्या संबन्धी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिये।

(ङ) नियमों में सदस्यों पर उन द्वारा दिए जाने वाले सुझावों की संख्या संबन्धी कोई पाबंदी नहीं है। दिल्ली में उपलब्ध क्षमता में से दिये जाने वाले कनेक्शनों का आबंटन इस प्रकार किया जाता है :-

अपना टेलीफोन योजना--	70 प्रतिशत
विशेष--	15 प्रतिशत
सामान्य--	15 प्रतिशत

विशेष श्रेणी के अन्तर्गत दिये जाने वाले 15 प्रतिशत कनेक्शनों में से आधे ठीक बारी से दिए जाते हैं और शेष आधे कनेक्शनों का आबंटन टेलीफोन सलाहकार समिति की सिफारिशों पर बिना बारी स किया जा सकता है। चूंकि बिना बारी के आधार पर दिये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या सीमित थी, इसलिए सदस्यों की सीमाओं के भीतर सिफारिश करने का अनुरोध किया गया था। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान मौजूदा एक्सचेंजों में और चाणक्यपुरी तथा हौजखास में नये एक्सचेंज खोले जाने पर और क्षमता उपलब्ध होने से टेलीफोन सलाहकार समिति के जरिये आवेदकों को और टेलीफोन दिए जायेंगे।

जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य से आयातित आर० एस० -09 ट्रेक्टरों के बारे में शिकायतों पर विचार करने के लिए कृषि भवन में हुई बैठक में लिया गया निर्णय

3383. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न कृषि-उद्योग निगमों को दिये गये आर० एस० -09 ट्रेक्टरों के बारे में शिकायतों पर विचार करने के लिये 14 जून, 1970 को अथवा इसके लगभग कृषि भवन में हुई बैठक के क्या परिणाम निकले ;

(ख) क्या उक्त बैठक के निष्कर्षों की जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य ने पुष्टि कर दी है तथा उन्हें स्वीकार कर लिया है, यदि हां, तो क्या बैठक में "सवीकृत कार्यवाही" को आर० एस० -09 ट्रैक्टरों को सप्लाई करने वालों ने कार्य रूप दे दिया है ;

(ग) उक्त बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(घ) क्या उक्त बैठक का कार्यवाही वृतान्त अथवा उसके निष्कर्षों को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क), (ग) और (घ) : आर० एस०- 09 ट्रैक्टरों की शिकायतों पर विचार-विमर्श करने के लिये 14 मई (न कि जून) 1970 को कृषि भवन में हुई बैठक के कार्यवृत की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4023/70]** बैठक में भाग लेने वालों के नाम तथा सरकारी पद कार्यवृत में दिये गये हैं।

(ख) जर्मन डिमोक्रेटिक रिपब्लिक के सम्भरणकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि कार्यवृत को उन्होंने सामान्यतः स्वीकार कर लिया है। उसमें लिये गये विभिन्न निर्णय उनके द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा आर० एस०- 09 1124 ट्रैक्टरों का आयात और उनका वितरण

3384. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1970 तक देश में आयात किये गये आर० एस० -09|124 ट्रैक्टरों की कुल संख्या क्या है और देश के विभिन्न कृषि-उद्योग निगमों को उनके आवंटन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पंजाब, गुजरात, राजस्थान और आन्ध्रप्रदेश के कृषि उद्योग निगमों द्वारा इनमें से कितने ट्रैक्टर वास्तव में बेचे गये ; कितने ट्रैक्टरों के हिस्सों का फालतू पुर्जे सप्लाई करने के लिये उपयोग किया गया, कितने ट्रैक्टरों को किराये पर देकर उपयोग किया गया और कितने बिना बिके रहे ;

(ग) क्या उपर्युक्त सभी निगमों ने अथवा इनमें से किसी निगम ने मन्त्रालय अथवा राज्य व्यापार निगम पर कई लाख रुपयों के "अनुज्ञप्ति दावे" दायर किये हैं ; यदि हां, तो प्रत्येक दावा कितनी राशि का है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन दावों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) अभी तक 1998 आर० एस० 09|124 ट्रैक्टर आयात किये जा चुके हैं और वे विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों को इस प्रकार बांटे गये हैं :—

निगम का नाम	नियत किये गये ट्रैक्टरों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	364

गुजरात	478
पंजाब	600
राजस्थान	400
मैसूर	56
तमिलनाडु	100
जोड़	1,998

(2 ट्रैक्टर कम प्राप्त हुये)

(ख) से (घ) : सम्बन्धित राज्य कृषि उद्योग निगमों से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

"जाब्स फार अवर मिलियन्स" नामक पुस्तक

3385. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति द्वारा लिखित "जाब्स फार अवर मिलियन्स" पुस्तक में भारत में बेरोजगजारी की समस्या के समाधान के लिये कुछ सुझाव दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझावों का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या रुख है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : सुझावों की जाँच की जा रही है ।

तकनीशनों की अत्यधिक कमी

3386. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : **श्री एस० एम० कृष्ण** :

डा० सुशीला नायर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में आशुलिपिकों, वायरलेस आप्रेटरों तथा रेडियो तकनीशनों की कमी है जैसा कि 14 जून, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) : यह समाचार उन रिक्तियों से संबन्धित जानकारी पर आधारित है जिनको भरे जाने में नियोजकों को असुविधा होती है और जिनके लिये नियोजकों द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवार भेजने में नियोजन कार्यालय भी असमर्थ होते हैं ।

(ग) निजी संस्थानों के अलावा दिल्ली में आशुलिपिकों और रेडियो तकनीकों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं और पालीतकनीकों में भी उपलब्ध हैं।

येदागंडी, गोदावरी में पंचायती चुनाव

3387. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री नंजा गौडर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के हिन्दू धार्मिक धर्मस्व मन्त्री के अनुसार पूर्व गोदावरी जिले में केपिलेस्वारपिटम पंचायत समिति में येदागंडी में पंचायती चुनाव के लिये 800 मतों की 50,000 रुपये पर नीलामी की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धो ब्यौरा क्या है और इस प्रकार मतों की नीलामी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्र० चु० जमीर) (क) **और** (ख) : राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का विकास

3388. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री जगेश्वर यादव :**

श्री सरजू पाण्डेय : **श्री जनार्दनन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न तथा कृषि सम्बन्धी कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने के विचार से आगामी वर्षों में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का तेजी से विकास करवे का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) : बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई सम्भाव्य साधन की उपयोगिता को कमी 1960 के लगभग से ही भारत सरकार के लिए चिंता का विषय रही है। खाद्य तथा कृषि एवं सिंचाई व बिजली मन्त्रालयों के संयुक्त कार्यकारी दल ने, जो इस समस्या पर विचार करने के लिए तत्कालीन सचिव (कृषि) की अध्यक्षता में 1963 में स्थापित किया गया था, देखा कि "बड़ो तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा उपलब्ध केवल आधे सिंचाई के सम्भावित साधनों का उपयोग दूसरी योजना के शुरू में किया जा रहा था। उपयोगिता के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों (1968-69 के अंत तक) से पता चलता है कि उपयोगिता को प्रतिशतता 81 तक पहुंच चुकी है। 40 लाख एकड़ क्षेत्र का उपयोग भली प्रकार नहीं हो रहा है। ये आंकड़े भी जल उपयोगिता के इंजीनियरिंग की धारणा पर आधारित हैं जिससे केवल उस सतह के क्षेत्र

का पता चलता है जिसको पानी दिया गया है और सिंचाई की मात्रा तथा समय के सम्बन्ध में उगी फसलों की आवश्यकताओं से सम्बद्ध नहीं हैं। उपरोक्त अर्थ में सम्भाव्यता की उपयोगिता 100 प्रतिशत भी हो तो भी उतनी नहीं है जितनी की आवश्यक है। किसी क्षेत्र की विशेष भूमि तथा जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों में फसलों के लिए जल की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सावधानी से किए गए अध्ययन पर आधारित फसल प्रतिमानों तथा सिंचाई पद्धतियों को अपना कर जल का अधिकतम उपयोग करने का उद्देश्य बनाना होगा।

2. चाहे उपलब्ध जल साधनों का कितना ही सम्भव उपयोग किया जाये तो भी कमान्ड क्षेत्र का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कहां तक आवश्यक कृषि उपकरण सेवायें और अन्य सामग्री उपलब्ध किये जाते हैं। भण्डारण की देख भाल पर भी ध्यान देना होगा जिस पर कमान्ड क्षेत्र सिंचाई के सम्बन्ध में निर्भर करता है जलाशय क्षेत्रों का भी, जो बाँधों को हानि पहुंचाने वाली गाद उत्पन्न करते हैं, सुधार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।

3. सिंचाई सम्भाव्यता के अधिकतम उपयोग की दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं। देश में विभिन्न जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों के अन्तर्गत भूमि-जल-पौध सम्बन्धों के बारे में ज्ञान अभी अपर्याप्त है। इससे पहले कि क्षेत्र में अधिकाधिक उपयुक्त सिद्ध होने वाले फसल प्रतिमानों तथा सिंचाई पद्धतियों के सम्बन्ध में किसानों को सिफारिशें की जाये मृदा परिस्थितियों तथा जल प्रबन्ध है कि समस्याओं का पर्याप्त रूप से अध्ययन करना होगा। इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए प्रादेशिक भूमि तथा जल प्रबन्ध मार्गदर्शी परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है। ऐसी तीन परियोजनाओं पर एक बेलारी (तुंगभद्र कमान्ड एरिया), दूसरी दोहरीघाट (उत्तर प्रदेश में दोहरीघाट पम्प कैनाल क्षेत्र) और तीसरी पटियाला (पंजाब में भाकड़ा पद्धति) पहले कार्य शुरू हो गया है और चालू वित्तीय वर्ष में चार परियोजनायें महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान में शुरू करने का प्रस्ताव है। अन्तिम उद्देश्य यह है कि प्रत्येक राज्य में ऐसी एक-एक परियोजना शुरू कर दी जाये।

4. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चुने हुए कमान्ड क्षेत्रों में समग्र क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। राज्य सरकारें सम्भवतः चकबन्दी, जलमार्गों का निर्माण; पर्याप्त रूप में भूमि सर्वेक्षण करना, जल निकास पद्धति की व्यवस्था; भूमि समतल, ऋण, बीज, उर्वरक, कीट नाशक औषधियां, कृषि मशीनरी आदि के सम्बन्ध में किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति, भूमिगत जल संसाधनों से अनुपूरित सिंचाई, कृषि तथा मिश्रित फार्मिंग कार्यक्रमों आदि की विविधता जैसे सभी उपकरण तथा साहाय्य सेवायें प्रदान करेंगी, जब कि केन्द्रीय सरकार ग्रामीण संचार तथा विपणन सम्बन्धो सुविधाओं के सम्बन्ध में सामग्री सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ा रही है। निम्नलिखित दस कमान्ड क्षेत्रों में इन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए चौथी योजना में 15 करोड़ रु० की व्यवस्था है :

(एक) कोसी (बिहार)
(दो) नागार्जन सागर (आन्ध्र प्रदेश)
(तीन) तुंगभद्र (मैसूर और आन्ध्र प्रदेश)
(चार) कंगसावती (पश्चिम बंगाल)

(पांच) राजस्थान नहर (राजस्थान)

(छः) मही-कदना (गुजरात)

(सात) कवेरी डेल्टा (तमिलनाडु)

(आठ) तवा (मध्म प्रदेश)

(नौ) पोचमपद (आन्ध्र प्रदेश)

(दस) जयक बढ़ी (महाराष्ट्र)

5. उपरोक्त केन्द्रीय क्षेत्रक कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना में प्रत्येक कमान्ड क्षेत्र में सम्बद्ध सड़कों और बाजार सम्बन्धी उलझनों के सुधार के लिए 1·5 करोड़ रु० उपलब्ध किए जायेंगे, बशर्ते कि सम्बन्धित राज्य सरकार सभी अन्य आवश्यक आदान तथा साहाय्य सेवायें जिनमें उपयुक्त प्रशासनिक मशीनरी भी सम्मिलित है, प्रदान करने को तैयार हो। कोसी, तुंग-भद्रा और नागार्जुन सागर में शुरुआत पहले हो कर दी गई। प्रस्ताव यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल में कंगसावती, गुजरात में मही-कदना, राजस्थान में राजस्थान नहर और आन्ध्र प्रदेश में पोचमपद तक विस्तृत कर दिया जाये विस्तृत योजनायें बनाने की दृष्टि से सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर अब पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

6. यह भी प्रस्ताव किया गया है कि क्रियान्विति के लिए विशिष्ट योजनाओं वाली परि-योजना रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से जलाशयों तथा बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के कमान्ड क्षेत्रों की आवश्यकताओं का विशेषज्ञों के संयुक्त जी० ओ० आई-राज्य के दलों द्वारा गहन अध्ययन शुरू किया जाए। हाल ही में हुए कृषि मंत्रियों के सम्मेलन ने इस सिफारिश का समर्थन किया कि प्रत्येक राज्य में ऐसे गहन अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण नदी परियोजना को लेकर कार्य शुरू किया जाये। इस सम्मेलन ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य कृषि विकास योजनायें तैयार करते समय कमान्ड क्षेत्रों को आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य भूमि संरक्षण कार्य-क्रमों को तैयार करते समय जलाशयों के जलग्रह-क्षेत्रों के सुधार कार्य को भी उच्चतम प्राथमिकता दिये जाने का प्रस्ताव है।

कलकत्ता पत्तन के मल्लाहों आदि को आश्वासन

3389. **श्री स० कुण्डू** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता गोदी के मल्लाहों को गोदी कर्मचारियों और छीलन तथा रंगाई कर्मचारियों के नियोजन का विनियमन करने वाली योजना में संशोधन करने का कोई आश्वासन दिया है ;

(ख) क्या इसके लिये कोई समय सीमा निश्चित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम औ. पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :(क) कलकत्ता गोदी में काम करने वाले मल्लाहों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अंगूर के पेयों पर प्रयोग

3390. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्रो० व्यास के द्वारा अंगूर के पेयों पर किये गये प्रयोगों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का पता लगा लिया है कि यदि अंगूरों के रस और 'कार बोरेटेड' पेय पर किये गये प्रयोगों के व्यापारिक उत्पादन के रूप में चालू किया जाये तो लोग पूरे साल अंगूरों के मिठास और उनकी ताजगी का मजा ले सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां । सरकार का ध्यान हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व्यास द्वारा अंगूर के पेयों पर किये गये प्रयोगों की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ख) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने निम्न पेयों के विनिर्माण की तकनीकों को विकसित किया है :– (i) स्पार्कलिंग ग्रेप ज्यूस (ii) द्राक्षामृत तथा (iii) विभिन्न प्रकार की मदिरायें(सोमरस) जैसे कि लाल तथा श्वेत टेबिल वाइन, डैजर्ट वाइन तथा वेरमाउथ ।

(ग) इसके विषय में सुनिश्चय कर लिया गया है । प्रयोगों को प्रयोगशाला तक ही सीमित न रखते हुये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक विस्तृत परियोजना तैयार की गई है, जिसमें कि विशाल स्तर पर उत्पादन तथा प्रविधि के ब्यौरे को परखा जायेगा ।

(घ) अंगूर के रस के परिष्करण तथा कार्बोनेटीकरण की प्रविधि विकसित कर ली गई है । आर्थिक पहलू का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 200 मिली लिटर कार्बोनेटीकृत रस की बोतल के मूल्य सहित 2 रुपये तथा 750 मिली लिटर मदिरा की बोतल उत्पादन शुल्क सहित 12 रुपये में बेची जा सकती है । विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विभाग ने एक मिश्रित अंगूर परिसंस्करण एकक की स्थापना के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कि विनियोजन पर 39 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था है । एकक की वार्षिक पिराई क्षमता प्रारम्भ में 700 टन होने की संभावना है जो कि तीन वर्ष की अवधि में 2300 टन तक बढ़ जायेगी । पूंजीगत विनियोजन अनुमानतः 60 लाख रुपये होगा तथा कार्यकारी पूंजी के लिये 30 लाख रुपये की आवश्यकता होगी ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विरुद्ध शिकायतें

3391. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री रामावतार शास्त्री : **डा० रानेन सेन :**
श्री जनार्दनन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) योजना के कार्य-संचालन के विरुद्ध साधारण तौर पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) शिकायतें सामान्यतः चिकित्सा लाभ की अपर्याप्तता तथा नकद लाभ की अदायगी में देरी के बारे में हैं ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी देख-रेख की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है तथा डाक्टरी देख-रेख सम्बन्धी शिकायतों की जांच सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ही की जाती है । नकद लाभ के विषय में शिकायतों की जांच तथा उनमें उचित कार्यवाही निगम द्वारा की जाती है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध के बारे में शिकायत

3392. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री देवेन सेन :
श्री बे०कृ० दासचौधारी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री जी० वाई कृष्णन :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किया जाने वाला दूध मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि इसका रंग अप्राकृतिक रूप से पीला है तथा रेफ्री जेरेटर में रखने के बावजूद भी यह खराब हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने तथा शुद्ध दूध सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । प्रशीतन की खराबी के कारण कभी-कभी दूध जम जाता है ।

(ग) मानसून के शुरू होने पर दूध की अधिप्राप्ति में वृद्धि होने से स्थिति में सुधार हो गया है । दिल्ली दुग्ध योजना की अपनी केन्द्रीय डेरी में सुसज्जित गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें मौजूद है । दिल्ली दुग्ध योजना शुद्ध दूध की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार की देख-रेख कर रही है ।

नई दिल्ली ट्रेड एम्पलोयीज एसोशिएशन की शनिवार को आधी छुट्टी की मांग

3393. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली ट्रेड एम्पलोयीज ऐसोसियेशन ने यह मांग की है कि शनिवार को आधी छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि छः दिन का सप्ताह होने से श्रमिकों को अपनी आवश्कताओं को को पूरा करने के लिए बहुत थोड़ा समय मिल पाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) एसोसियेशन ने एक लिखित अभ्यावेदन में अन्य माँगों के साथ-साथ यह मांग भी की कि दिल्ली में दुकानों के कर्मचारियों को हर शनिवार को आधी छुट्टी की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने घरेलू तथा अन्य दायित्वों को निपटा सकें । अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, दिल्ली प्रशासन ने, जो कि उचित प्राधिकारी है, श्रम सलाहकार बोर्ड की सलाह लेकर इस मांग पर विचार किया और तय किया कि दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम, 1954 में इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है ।

कलकत्ता पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2394. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री रवि राय :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हेम बरूआ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन का सामान्य काम हाल में कई सप्ताह तक बन्द हो गया था क्योंकि स्टेवेडोर लेबर, शोर वर्कर्स तथा बार्ज मैन तथा इनके नियोजकों में विवाद हो गया था;

(ख) यदि हां, तो विवाद के क्या कारण थे तथा उनको किस प्रकार निपटाया गया था; और

(ग) भविष्य में इसी प्रकार के विवादों को शीघ्र निबटाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है जिससे काम न रुके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक विवाद में निम्नलिखित मामले शामिल हैं :-नौभरक श्रमिक : कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 तथा कलकत्ता छिलाई और रंगाई श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 के कुछ उपबन्धों के विरुद्ध शिकायतें ।

समुद्र-तटीय श्रमिक : मुख्य मांग यह थी कि संशोधित प्रोत्साहन योजना से उत्पन्न आर्थिक लाभ 1.1.1969 से दिये जांय ।

बार्जमैन : इनके सम्बन्ध में पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति ।

कलकत्ता तथा नई दिल्ली में हुए विचार-विमर्शों के परिणामस्वरुप सामान्य काम पुनः शुरू हो गया ।

(ग) मुख्य पत्तनों तथा गोदियों में विवादों के प्रभावशाली तथा शीघ्र निपटारे के लिये समुचित तंत्र बनाने की आवश्यकता के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और केन्द्रीय स्तर पर, तथा यदि आवश्यक हो तो स्थानीय स्तरों पर भी, इसी प्रकार के तन्त्र की स्थापना के कुछ प्रस्तावों का इस समय अध्ययन किया जा रहा है ।

प्रधान मन्त्री के पश्चिम बंगाल दौरे के बाद भूमिहीनों को फालतू भूमि का वितरण

3395. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने जुलाई के तीसरे सप्ताह में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने वहां पर अधिकारियों के साथ राज्य में भूमिहीनों को फालतू भूमि के वितरण के लिये ठोस कार्यवाही के बारे में विचार-विमर्श किया था; और

(ग) उनकी यात्रा के बाद सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी, हां । प्रधान मन्त्री के पश्चिम बंगाल के दौरे के समय राज्य में भूमि सुधार के उपायों सहित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(ग) फालतू भूमि का शीघ्र पता लगाने, ऐसी भूमि को अधिकार में लेने तथा उसको पात्र श्रेणियों के व्यक्तियों में वितरित करने के लिये जिला अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं । राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में कुछ सुधार किये गये हैं और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 7.52 लाख एकड़ कृषि भूमि फालतू घोषित की गई है जिसमें से 5.84 लाख एकड़ भूकि को अधिकार में लिया गया है तथा 2.89 लाख एकड़ भूमि का वितरण किया गया है, जबकि पहले क्रमश: 6.81 लाख एकड़, 4.66 लाख एकड़ तथा 2.64 लाख एकड़ के विषय में रिपोर्ट की गई थी । शीघ्र क्रियान्विति की दृष्टि से भूमि सुधार कार्यान्वयन एजेन्सो को पुनसंगठित करने का भी निर्णय किया गया है ।

पश्चिम बंगाल विधिनिर्माण परामर्शदात्री समिति के प्रथम बैठक के विचार-विमर्शों की दृष्टि से जोत की अधिकतम सीमा के प्रावधानों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

चन्डीगढ़ के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति

3396. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ के रोजगार कार्यालय में रोजगार पाने के लिये पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने साक्षर हैं और कितने निरक्षर; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा उन्हें क्या सहायता दी गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) : 30 जून, 1970 को चण्डीगढ़ के क्षेत्रीय नियोजन कार्यालय के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या 11, 057 थी। इनमें शिक्षित (मैट्रिकुलेट और अधिक) उम्मीदवारों की संख्या 3, 833 और मैट्रिक से कम (अनपढ़ों समेत) की संख्या 7,224 थी ।

(ग) उक्त नियोजन कार्यालय की सहायता से जनवरी और जून, 1970 के दौरान नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1824 थी।

पश्चिमी बङ्गाल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा जबर्दस्ती हथियाई गई भूमि को वापिस लेना

3397. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं द्वारा जबर्दस्ती हथियाई गई भूमि को वापिस लेने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी भूमि वापिस ली गई हैं;

(ग) इस प्रकार अवैध रूप से भूमि को हथियाने वाले राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या उनके इस अवैध कार्य के लिये किसी को दण्डित किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि एक व्यक्ति जो वास्तव में पात्र श्रेणी से सम्बन्ध रखता है (अर्थात् जो उस स्थान का ऐसा वास्तविक काश्तकार है, जिसके पास कोई भूमि नहीं है या जिसके पास दो एकड़ से कम भूमि है) और उसके कबजे में सरकारी भूमि है जो किसी व्यक्ति के, राज्य को छोड़कर कानूनी अधिकारों के विरुद्ध नहीं है उसे ऐसी भूमि से हटाया नहीं जायेगा। 2 एकड़ तक भूमि रखने वालों को वार्षिक लाइसेंस प्रदान करके और बाद में रयैती से बन्दोबस्त के मध्यम से नियमित कर दिया जायेगा।

राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि जहां भू-स्वामियों की वर्तमान अधिकतम सीमा के अन्तर्गत ऐसी भूमि जो सपष्ट रूप से उनके नाम है पर जबरन कब्जा किया हुआ है, वहां पीड़ित व्यक्ति अपने मामले निर्णय के लिये कचहरी में ले जायेंगे। ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने अतिरिक्त भी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने व उन्हें आवश्यक अधिकार देने का निर्णय किया है।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि निम्न मामलों में लोगों का कब्जा खाली कराया जाये जिन्होंने सरकार की खस, अरक्षित या अन्य कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है;

(i) जहां एक व्यक्ति के पास जबरन कब्जा की हुई 2 एकड़ से अधिक भूमि है और इसलिये वे फालतू घोषित की गई भूमि पाने वाले व्यक्तियों की श्रेणी ने नहीं आते।

(ii) जहां भूमि किसी ऐसे व्यक्ति की काश्त के अधीन हो जो सरकार द्वारा प्रदत्त लाईसेंस द्वारा भागीदार श्रेणी में आता है जहां ऐसा लाइसेंस जबरन कब्जा करने वाले व्यक्ति ने (चाहे वह भागीदार श्रेणी का है या नहीं) जबरन निकाल दिया है या छीन ली है।

(ख) और (ग) : जिला अधिकारियों को ऐसे जबरन कब्जे के मामलों की जांच करने के लिये निदेश दिये गये हैं जहां भूमि वापस कर दी गई है। फिर भी, ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) भूमि वापस दिलाने के लिये पश्चिम बंगाल सार्वजानिक भूमि (अनधिकृत कब्जे को खाली कराना) अधिनियम, 1962 में निर्धारित तरीके से कार्यवाही करनी होगी।

गोदी मजदूरों के लिये स्थायीकरण की नई योजना का विरोध

3398. **श्री क० हाल्दर : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल गोदी मजदूर संघ ने 1956 की योजना के अन्तर्गत न आने वाले सूचीबद्ध मजदूरों के सम्बन्ध में स्थायीकरण की नई योजना के लागू किये जाने का विरोध किया है ;

(ख) क्या मजदूर संघ ने यह राय व्यक्त की है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई त्रिपक्षीय विशेषज्ञ समिति असद्भावपूर्ण और सहज न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध थी; और

(ग) यदि हां, तो गोदी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाए जायेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल गोदी मजदूर संघ (विरोधी दल) ने नई योजनाएं प्रारम्भ करने का विरोध किया है तथा त्रिपक्षीय विशेषज्ञ समिति की भी आलोचना की है।

(ग) सरकार का विचार है कि दो नई स्थाईकरण योजनाएं जैसे कलकत्ता गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 तथा कलकत्ता छिलाई और रंगाई श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना 1970, कलकत्ता गोदी के श्रमिकों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करती हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि इस योजनाओं का तीन माह बाद, इस अवधि में योजनाओं की क्रियान्विति से प्राप्त अनुभव के आधार पर, पुनरीक्षण किया जायगा।

कलकत्ता के डमडम हवाई अड्डे पर सार्वजनिक टेलीफोनों का खराब होना

3399. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि डमडम हवाई अड्डे के लगभग सभी सार्वजनिक टेलीफोन काफी लम्बे समय से खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस के कारण हवाई जहाज से यात्रा करने वालों को होने वाली कठिनाई और असुविधा की ओर दिलाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने टेलीफोनों की मरम्मत कराने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(घ) शिकायतें मिलने पर या दैनिक निरीक्षण के परिणाम स्वरूप शीघ्र ही मरम्मत कर दी जाती है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत कब्रिस्तानों का अधिग्रहण

3400. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत मुसलमानों के बहुत से कब्रिस्तानों का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको वापस लेने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन सम्पत्तियों को तुरन्त वापस करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इस्पात कारखानों में सांकेतिक हड़ताल करने के संबन्ध में आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्णय

3401. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आल इन्डिया ट्रड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में इस्पात कारखानों के कर्मचारियों के 12 जुलाई, 1970 को बर्नपुर में हुए एक सम्मेलन में किए गए इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि यदि न्यूनतम मजूरी समेत उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे एक दिन की सांकेतिक सामान्य हड़तांल करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों का तथा उनको पूरा करने में नियोजकों की असमर्थता के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) **और** (ख) : सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है ।

पश्चिम बंगाल में वक्फ प्रबन्ध

3402. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कदाचार, भ्रष्टाचार आदि के कारण पश्चिम बंगाल में वक्फ प्रबन्ध की स्थिति गम्भीर रूप से बिगड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वक्फ कमिशन्स बोर्ड ने इस ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) क्या वक्फ सम्पति के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता है ।

(ग) पश्चिम बंगाल में वक्फ का प्रबन्ध बंगाल वक्फ अधिनियम, 1954 के अनुसार होता है । भूतकाल में अधिनियम को व्यावहारिक रूप से कार्यरूप देने में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वक्फ के प्रबन्ध में सुधार करने के लिए अधिनियम में वृहत्त संशोधन करने के बारे में एक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है ।

औद्योगिक सम्बन्ध आयोग

3403. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी श्रम समिति ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक सिफारिश को स्वीकार किया है जिसके अनुसार औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णयन करने के लिये केन्द्र तथा राज्य स्तर पर औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) **और** (ख) : स्थायी श्रम समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित किये जाने चाहिए । इन आयोगों को औद्योगिक विवादों के न्याय-निर्णयन तथा प्रतिनिधि यूनियनों के प्रमाणीकरण का कार्य करना चाहिये, परन्तु समझौते कराने का कार्य सम्बंधित सरकार के पास ही रहना चाहिये । इस समिति के निष्कर्षों को जब अंतिम रूप दिया जायगा तब उन्हें सदा की तरह लोक सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

(ग) इस समय यह बताना कठिन है।

मध्य प्रदेश के चीनी उद्योग में संकट

3405. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ चीनी मिलों द्वारा गन्ने उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण मध्य प्रदेश चीनी उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) याद हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीनो मिलों के बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी मध्य प्रदेश सरकार चीनी स्टाक की वसूली को मात्रा उठा नहीं पाई है तथा यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि दूसरे राज्यों में चीनी खुले बाजार में आने के कारण जो कि राज्य में उत्पादित चीनी के मूल्य की तुलना में सस्तो बताई जातो है, मध्य प्रदेश की चीनी मिलों के पास बहुत चीनी इकट्ठी हो गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) : 1969-70 में मध्य प्रदेश के चीनी कारखानों द्वारा खरीदे गए गन्ने का कुल मूल्य, 31 जुलाई, 1970 तक दिया गया कुल मूल्य तथा गन्ना मूल्य का बकाया बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) : बिक्री के लिए निर्मुक्त किए गये कोटे के प्रति लेवो चीनी के कम निकास के कारण आर्थिक कठिनाई मुख्य कारण बताई जाती है।

(ग) तथा (घ) : मध्य प्रदेश सरकार उनका आवंटित किए गये लेवी चीनो के कोटे के अधिकांश भाग को उठाने के प्रबंध करने में समर्थ नहीं हो पाई है। एक कोटे को न उठाने का मुख्य कारण यह है कि अन्य राज्यों जहां से मध्य प्रदेश को लेवी चीनो आवंटित की जातो है, के चीनो कारखानों के लिए निर्धारित मूल्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश के चोनी कारखानों के लिए निर्धारित मूल्य काफी अधिक है। उपभोक्ता मध्य प्रदेश के चोनी कारखानों की इतनी महंगी लेवी चीनी खरीदने में अनिच्छुक हैं जबकि अन्य राज्यों से लेवो चीनो और महाराष्ट्र से खुलो बिक्रो की चीनी सस्ते दामों पर उपलब्ध है। इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए राज्यसरकार को सलाह दी गई है कि वे, उनको विभिन्न स्रोतों से आवंटित की गई चीनी राज्य भर में एकीकृत मूल्य पर वितरण करने के प्रबन्ध करें।

1969-70 में 31-7-1970 को मध्य प्रदेश चीनी कारखानों द्वारा खरीदे गए गन्ने के मूल्य का बकाया बताने वाला विवरण

विवरण

1969-70

कारखाने का नाम	खरीदे गए गन्ने का कुल मूल्य	गन्ने का दिया गया मूल्य	बकाया
	लाख रुपयों में		
(1) डबरा	57.18	55.41	1.72

(2) डलौडा	54.68	30.87	23.81
(3) जावरा	87.52	79.14	8.38
(4) मेहीदपुर	17.82	17.18	0.64
(5) सेहोर	59.40	32.00	27.40
जोड़	276.55	214.60	61.95

कुल मूल्य का बकाया प्रतिशत के रूप में 22.40%

Non-Acceptance of Targets of Foodgrains, by States as fixed in Fourth Five Year Plan

3406. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the finalised Fourth Five Year Plan, presented by the Prime Minister recently, the annual production of foodgrains has been estimated at 12.9 crore tons by the end of the Plan ;

(b) whether it is also a fact that the day after the presentation of the Plan, many of the State representatives participating in the convention of the State representative convened by the Planning Commission, declined to accept the targets of foodgrains fixed for their States; and

(c) if so, Government's reaction there to and the details of the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annashahib Shinde) : (a) Yes, Sir. It is envisaged that the total production of foodgrains will reach the level of 129 million tonnes in the last year of the Four Five Year Plan.

(b) No targets for individual States were fixed by the Planning Commission. However, taking into account the programmes included in the Plan, certain targets were provisionally worked out to serve as a basis of discussion with State representatives. Eight. States more or or less accepted these targets. Out of the remaining States, higher targets were agreed to by six States, while lower targets were adopted for three States.

(c) Since the targets finally agreed to by the States aggregated to the all-India target of 129 million tonnes, no further action in this regard was necessary.

विक्रम नगर के निवासियों से अभ्यावेदन

3408. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को कोटला फिरोजशाह, नई दिल्ली के निकट स्थित विक्रम नगर के निवासियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने विक्रम नगर में रहने वालों को

इस आशय का कोई आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की बस्ती में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा तथा उन्हें स्थायी रूप से उसी स्थान पर बसाया जायेगा ; और

(ग) क्या प्रधान मन्त्री महोदया स्वर्गीय प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन का सम्मान करते हुये विक्रम नगर (कोटला फिरोजशाह) नई दिल्ली में रहने वालों को स्थायी अधिकार प्रदान करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । इस प्रकार के आश्वासन का कोई रिकार्ड नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि में समान कार्य करने पर समान वेतन

3409. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के 'समान कार्य के लिये समान वेतन' के निदेशक सिद्धान्त को कृषि के मामले में क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी व्यवस्था करने का है तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) **और** (ख) : न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अन्तर्गत चलाये जाने वाले कृषि उद्योग में नियोजन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार उचित सरकार है । अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1920, दिनांक 19 मई, 1969 तथा संख्या एस० ओ० 1919, दिनांक 19 मई, 1969 द्वारा कृषि उद्योग के रोजगार में निर्धारित / संशोधित मजूरी-दरें 'समान कार्य के लिये समान वेतन' के सिद्धांत के अनुरूप हैं ।

न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) परामर्शदाता बोर्ड को इन सिफारिशों को कि लिंग के आधार पर मजूरी के मामले में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए तथा समान मूल्य के कार्य का फल समान रूप से चुकाया जाना चाहिए, राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के ध्यान में ला दिया गया है ।

Special Programme to solve Unemployment in Fourth Five Year Plan

3410. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any special programme has been chalked out under the current Five Year Plan, keeping in view the alarming increase in unemployment ; if so, the out lines thereof ; and

(b) whether any changes have been effected in the Fourth Five Year Plan on the basis of the above programme ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya): **(a) and (b)** : In addition to creation of increasing number of employment opportunities through the implementation of various development programmes included in the Fourth Five

Year Plan, the outlays on the Plan have been augmented by Rs.484 crores for being spent on schemes which will have an immediate impact on employment creation.

In the Budget for 1970-71, special effort has been made to make the Plan more employment-oriented by providing for a total Plan outlay of Rs.400 crores higher than the Plan outlay in 1969-70. Alongwith this significant increase in the level of Plan outlays, there is also specific re-orgientatio in nmany of the new schems proposed to be implemented for generating more employment.Programmes for small farmers, dry farming, dairy development, area development and rural works programme, small industries, etc. will all contribute towards growth in employment besides such schemes as roads, minor irrigation, etc. Details regarding these schemes are discussed in the report "Towards Growth with Social Justice" presented to the Parliament alongwith the Budget papers for 1970-71.

Number of Ex-Servicemen Registered with employment Exchanges and Job Provided

3411. **Shri Bansh Narain Singh** : **Shri Bharat Singh Chauhan** :
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the present number of ex-Servicemen registered with the Employment Exchanges ;

(b) the number of ex-servicemen who have so far been provided with employment through Employment Exchanges during the years 1968, 1969 and 1970 ; and

(c) the approximate number of ex-Servieemen likely to be provided with employment through Employment Exchanges by March, 1971 ?

The Minister of Labour and Rehabilitation Shri (D. Sanjivayya) : (a) 53,168 Ex-Servicemen were on the Live Register as on 30th June, 1970.

(b)	1968	14,311
	1969	14,568
	1970 (Jan.-June)	7,451

(c) No such estimates are available.

Applications Pending for Telephone Connections and Setting up of more Telephone Exchange in Delhi

3412. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications for telephone connections pending with the Delhi Telephones till March, 1970 ;

(b) the number of those applications among them which have been pending for the last five to ten years ;

(c) the new steps proposed to be taken by Government to provide more and more telephone facilities in Delhi ;

(d) whether Government propose to set up some new telephone exchanges in Delhi in the near furture ; and

(e) if so, the total capacity of these new exchanges ?

The Minister of State in the Ministry of information, Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 62, 413

(b) 35,298

(c) It is proposed to commission and additional equipped capacity of about 35,000-38,000 lines by opening new exchanges, as well as expanding the capacity of existing exchanges by about 10,000lines in the fourth five year plan period *i.e.*, 1969-74.

(d) and (e) : Yes 2500 lines Okhla Cross-bar telephone exchange has already been commissoned in June, 1970. In addition 5 more new exchanges are expected to be commissioned during the fourth plan period. These are :

Name of Exchange	Initial capacity
Chanakyapuri	4,000
Janpath ..	6,000
Shahadara East	1,000
Hauz Khas	2,500
Idgah	9,000

New exchanges are also planned at Chandi Chowk, Tiszahari, Karol Bagh. etc These are likely to be commissioned during the 5th Plan period.

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में किसानों के लिये प्रेरणादायी योजनायें

3413. **श्री शशि भूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों के लिये कुछ प्रेरणादायी योजनायें प्रारम्भ करने के बारे में विचार कर रही है जिससे किसान उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में आ सकें ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार ने छोटे तथा औसत दर्जे के किसानों की सहायता के लिए उनको ऋण तथा खाद, बीज आदि देने के बारे में दो योजनायें बनाई हैं, जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है । सहकारी समितियों तथा उत्पादकों की सहायता करने वाली अन्य संस्थाओं को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों की मदद से इन योजनाओं का परोक्ष रूप से खाद्य उत्पादन को लाभ प्राप्त होगा । इसका प्रमुख उद्देश्य अपने लाभग्राहियों के आर्थिक जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा ।

(ख) प्रथम योजना का नाम "लघु कृषक विकास अभिकरण योजना" है । इसके अन्तर्गत 46 परियोजनाएं आती हैं जिनमें से प्रत्येक के पास भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले 1.50 करोड़ रुपये व्यय करने की क्षमता होगी और यह परियोजनाएं सम्पूर्ण देश भर में स्थापित की जायेंगी । दूसरी योजना का नाम "औसत कृषक तथा कृषि श्रमिक अभिकरण योजना" है । इसके अन्तर्गत भी देश भर में 40 परियोजनायें स्थापित की जायेंगी जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रत्येक को एक करोड़ रुपये तक की सहायता दी जायेगी । इन दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य इस प्रकार

की विशेष एजेंसियों का स्थापित करना होगा जिनका उत्तरदायित्व अपने लाभग्राहियों के लिये निवेष और रोजगार के कार्यक्रम बनाना और उन कार्यक्रमों को वर्तमान संस्थाओं तथा सरकारी एजेंसियों की सहायता से क्रियान्वित करना होगा।

दिल्ली में विस्थापित बस्तियों के अप्रयुक्त प्लाटों का निपटान

3414. **श्री शशि भूषण :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विस्थापितों को संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में बसाने के लिये बनायी गयी विभिन्न बस्तियों में बहुत वर्षों से अप्रयुक्त पड़े भूमि के प्लाटों का बिक्री/नीलाम द्वारा निपटान करने सम्बन्धी कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) क्या ऐसे भूमि के प्लेटों की सूची तैयार कर ली गई है तथा क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि ये प्लाट कुछ लोगों के अनधिकृत कब्जे में नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि मालवीय नगर, नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम। दिल्ली प्रशासन ने इन प्लाटों में से कुछ प्लाटों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है तथा उन्हें छोटे-छोटे पार्कों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं जबकि ये प्लाट निवास के लिये हैं और नीलाम। बिक्री के लिये पड़े हुये हैं; और

(घ) ऐसे प्लाट को खाली करवाने तथा बेचने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) एक सूची तैयार की गई है। बहुत बड़ी संख्या में प्लाट अनधिकृत कब्जे में हैं।

(ग) चार प्लाट दिल्ली नगर निगम के कब्जे में है जिनमें से एक को पार्क में बदल दिया गया है। मालवीय नगर की अभिन्यास योजना में रिहायशी दिखाये गये किसी भी प्लाट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है।

(घ) अनधिकृत कब्जे के प्लाटों को या तो "जैसा है जहां है" के आधार या उन्हें खाली करवा कर बेचा जायेगा। दिल्ली नगर निगम के कब्जे में जो प्लाट हैं उनका प्रश्न स्थानीय निकाय के साथ निपटाया जायेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में आकाशवाणी केन्द्र

3415. **श्री शशि भूषण :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक कितने नये आकाशवाणी केन्द्र खोले गये हैं और शेष अवधि में कितने और नये केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) उनमें से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अधिक केन्द्र स्थापित करने को योजना पर बल देने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कोई नहीं। शेष अवधि में 38 नए रेडियो केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) : दो रेडियो स्टेशन विदेशी सेवाओं को सशक्त करने के लिए हैं। शेष 36 रेडियो स्टेशन ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसारण में वृद्धि करने के लिये हैं।

वाणिज्यिक कार्यक्रमों से आकाशवाणी की औसत मासिक आय

3416. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री मीठा लाल मीना :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक कार्यक्रमों से आकाशवाणी को औसत मासिक आय क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि वाणिज्य विभाग और कार्यक्रम विभाग के बीच सहयोग की कमी है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले वर्षार्ध में मासिक औसत कुल आय 20,18,334 रुपये थी।

(ख) जी, नहीं।

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

3417. **श्री जर्नादनन :** **श्री पी० गोपालन :**

श्री कोलाई बिरुआ : **श्री लताफत अली खाँ :**

श्री मुहम्मद शरीफ : **श्री के० रमानी :**

श्री मयाबन : **श्री रबि राय :**

श्री नि० रं० लास्कर : **श्री राम किशन गुप्ता :**

श्री रामगोपाल शालवाले : **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

श्री सीता राम केसरी : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री गणेश घोष :**

श्री नारायणन : **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री दण्डपाणि : **श्री उमानाथ :**

श्री ओम प्रकाश त्यागी : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री देवराज पाटिल : **श्रीमती इला पाल चौधरी :**

श्री मंगलाथुमाडम : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री सरजू पाण्डेय : **श्री हेमराज :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 30 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 619 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उपाय ढूँढने हेतु एक विशेष, समिति स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो समिति को स्थापना कब की जायेगी; और

(ग) समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां। समिति, बेरोजगारी की मात्रा की उसके हर पहलू से अनुमान लगायेगी और उपयुक्त उपचारी उपाय सुझायेगी ।

(ख) और (ग) : समिति के गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मछली उत्पादन

3418. **श्री सी० जनार्दनन :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार संस्था ने भारत के समुद्रीय उत्पादों की निर्यात क्षमता के विषय में हाल ही में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) चौथी योजना की अवधि में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) विदेश व्यापार संस्था ने भारत के समुद्रीय उत्पादों की निर्यात क्षमता का सर्वेक्षण 1969 में किया था।

(ख) संस्था ने अपना प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत नहीं किया। सर्वेक्षण के सारांश से यह स्पष्ट है कि भारत के समुद्रीय उत्पादों की निर्यात क्षमता 1974 तक दुगुनी हो सकती है यदि उत्पादन और उसकी प्रक्रिया के लिए अपेक्षित निवेष इस उद्योग को उपलब्ध कराया जाये।

(ग) चौथी योजना के अंत तक मछली के वार्षिक उत्पादन को चार लाख टन बढ़ाने की योजना है। सरकारी क्षेत्र में इस कार्य के लिए 86 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूँजी लगाई जायेगी। इसका प्रमुख प्रयत्न समुद्र से मछलियों को अधिक संख्या में पकड़ना होगा और इसके लिये तट पर मछली पकड़ने के लिये 5,500 यंत्रोकृत नौकाएँ प्रयोग में लाई जायेंगी और गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ने के लिए 300 बड़ी नौकाएँ प्रयोग में लाई जायेंगी। सरकार इसकी अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) जैसे कि एकपत्तन की व्यवस्था करेगी जिसके लिए 19.5 करोड़ रुपया की व्यवस्था कर दी गई है। मछली पकड़ने वाली

अनेक बन्दरगाहों की मंजूरी दी जा चुकी है और कुछ का निर्माण भी आरम्भ किया जा चुका है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का निर्माण अब देश में ही किया जा रहा है। देश में निर्मित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों को राज सहायता देने के लिये एक योजना बनाई गई है और इसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पीली का एक समिति संख्या में आयात भी किया जा रहा है। गहरे समुद्रीय संसाधनों का संपेक्षण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इस कार्य के लिये केन्द्रीय गहरे समुन्द्र सर्वेक्षण संगठन के बेड़े में 24 पोत और शामिल किये जा रहे हैं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के चलाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी को जा चुकी है।

अंतर्देशीय मछली विकास के अन्तर्गत सघन मछली उत्पादन अन्तर्देशीय पानी में मिश्रित मछली पालन जलाशयों का विकास और मछली के बीज उत्पादन में वृद्धि आदि कार्यों को किया जायेगा।

अगस्त 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का अनुमानित आगमन

3419. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से भारत में कितने व्यक्तियों के आने का अनुमान है जिनको यहां पर बसाया जाना है ;

(ख) सरकार, ने उन्हें बसाने के लिये क्या योजना बनायी है और उन्हें कहां पर बसाया जायेगा तथा उनको क्या कार्य दिया जायेगा ; और

(ग) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले ऐसे कितने शरणार्थी हैं जिन्हें अब तक नहीं बसाया गया है और उन्हें बसाने की क्या योजना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) अगस्त 1970, के प्रथम सप्ताह में, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आने वाले लोगों की औसत प्रतिदिन संख्या 760 थी। यदि यह प्रवृत्ति चलती रही तो अगस्त 1970 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में लगभग 22,000 व्यक्तियों के आने की संभावना है।

(ख) भारत आने पर, ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा राहत शिविरों में प्रवेश के लिये भेजा जाता है, पश्चिम बङ्गाल से बाहर विभिन्न राज्यों के राहत शिविरों में विनियमित सरकारी राहत प्रदान की जाती है। उनको शीघ्र पुनर्व्यवस्थापन प्रदान करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) 7-8-1970 को, विभिन्न शिविरों में 4,267 स्थाई दायित्व परिवारों को मिलाकर लगभग 31,700 परिवार पुनर्वास की प्रतीक्षा में थे।

अलकनन्दा की दुःखद घटना के कारण संचार व्यवस्था को क्षति

3420. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलकनन्दा का दुःखद घटना के कारण संचार व्यवस्था की अनुमानतः कितनी क्षति हुई ; और

(ख) संचार व्यवस्था को पुनः चालू करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) चमोली और जोशीमठ के बीच दो लाइनें हैं---एक 13 तारों वाली और दूसरी दो तारों वाली। दोनों लाइनें पांच स्थानों पर बह गई हैं, जिसमें प्रत्येक लाइन कुल 13 किलोमीटर लम्बाई तक वह गई हैं। इसे पुनः चालू करने की अनुमानित लागत लगभग 3 लाख रुपये हैं।

(ख) अस्थायी तौर पर संचार व्यवस्था पुनः चालू कर दी गई है। इसे स्थायी रूप से पुनः चालू करना सड़क मार्गों को पुनः चालू करने पर निर्भर करता है।

विद्युत मजदूर संघ द्वारा ज्ञापन दिया जाना

3421. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मजदूर संघ ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांगों की जांच करवा ली है ; यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) कौन सी मांगें उचित पाई गई हैं और सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ द्वारा जुलाई, 1970 में दिये गये ज्ञापन में बिजली उपक्रमों के मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय की शीघ्र घोषणा, कुछ सिफारिशों में सुधार तथा उनकी शीघ्र क्रियान्विति के लिये प्रार्थना की गई थी।

(ख) और (ग) : सरकार ने मजूरी बोर्ड की ऐसी सर्वसम्मत सिफारिशों को, जो उसके विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आती हैं, बिना किसी संशोधन के स्वीकार करने का निश्चय किया है। इस विषय पर संकल्प की प्रतियां 28 जुलाई, 1970 को सदन की मेज पर रख दी गई थीं। राज्य सरकारों से इन सिफारिशों की शीघ्र क्रियान्विति के लिये कार्यवाही करने का अनुरोध कर दिया गया है।

Montgomery Cooperative Farming Society Ltd., Delhi

3422. **Shri Bansh Narain Singh** : **Shri Jagannath Rao Joshi** :
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kanwar Mahinderpal Singh is the only Director of the Montgomery Co-operative Farming Society Limited, Delhi ;

(b) the acreage of land owned by the said Society, the date of its registration and the names of its members ;

(c) the names of the places where the land owned by the Society is situated ;

(d) whether it is also a fact that all these members belong to one family ; and

(e) the number of agricultural labourers working on the farm of the said Society at present and the number of permanent and temporary workers out of them as also their wages ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagannath Pahadia) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : The Montogomery Cooperative Farming Society was registered on 13th July, 1960. It owns 289.14 acres of land in village Punjab Khor, Delhi. A list of the mem bers of the society is attached.

(d) No, Sir.

(e) There are in all 32 agricultural labourers ; 28 of whom are temporary and 4 permanent. The wages of these labourers range from Rs.60 to Rs.80 per month.

STATEMENT

1. Shri Datar Singh
2. Smt. Datar Singh
3. Kanwar Mahindrapal Singh
4. Shri Manindra Singh.
5. Smt. Amateshwar Anand
6. Smt. Ranjit Kaur.
7. Shri Rameshwar Nath
8. Shri Tara Datt
9. Smt. Kripal Kaur
10. Shri M. L. Kakkar
11. Shri Rajendra Dhawan
12. Shri Jogindra Singh
13. Shri Ram Nath
14. Kumari Baljit Sandhu

Women Registered with Employment Exchanges and Jobs provided

3423. **Shri Bansh Narain Singh** : **Shri Bharat Singh Chauhan** :
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the present number of women candidates registered with the Employment Exchangesin the country ;

(b) the number of women candidates who have so far been provided with employment through the Employment Exchanges during the years 1967, 1968, 1969 and 1970 ; and

(c) the action Government propose to take to provide more avenues of employment for women candidates ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b): A statement is attached.

(c) Various development programmes included in the Fourth Five Year Plan will generate considerable employment opportunities for all persons, including women.

STATEMENT

(a) 4.64 lakhs as on 30th June, 1970.

(b) The number of women work-seekers placed in employment through Employment Exchanges was as follows :

Year	*No. of placed in employmenr*
1967	47,160
1968	47,721
1969	51,228
1970 (January-June)	27,151

Refugees from East and West Pakistan, Ceylon, Burma and South Africa

3424. **Shri Bansh Narain Singh : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees who came to India from East and West Pakistan, Ceylon, Burma and South Africa so far during 1970 ;

(b) the amount spent by Government during the financial year 1969-70 for rehabilitation and employment of these displaced persons and the number of displaced persons who have been given employment so far ; and

(c) the amount Government propose tospend for the rehabilitation and employment of displaced persons coming to India from other countries during the financial year 1970-71 and the steps Government propose to take in future for an effective solution of this problem ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) About 1.74 lakh new migrants have so farcome to India from East Pakistan during the year 1970.The number of repartriates who havearrivedfrom Ceylon is 15,989 and those from Burma upto 30th June, 1970 is 340.No refugees, as such, have come from West Pakistan or South Africa during the year.

(b) The total amount spent on relief and rehabilitation of displaced persons from East and West Pakistan and repatriates from other countries during the year1969-70 was of the order of Rs.24.56 crores.About7350new migrants and repatriates were found employment through the Employment Exchanges organisation upto 30th June, 1970.

(c) A sum of Rs.26.61 crores has been provided for during the year 1960-71 for relief and rehabilitation of displaced persons from East and West Pakistan and repatriates from othe countries. In addition, supplementary grants of Rs. 3 crores under Demand No. 70 and Rs. 0.33 crores under Demand No. 127 have been asked for during thr current session of Plant.

It is proposed to intensify steps for the rehabilitation of more and more persons in industries as well as in agricultural occupations.Efforts will also continue to be made to find employment for them and to settle them in non-agricultural occupations.

पश्चिमी बंगाल में सूचना-व्यवस्था स्थापित किया गया केन्द्र

3425. **श्री कोलाई बिरुआ :** **श्री नारायणन :**

श्री मयाबन : **श्री दंडपाणि :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बङ्गाल में स्थापित किये गये सूचना व्यवस्था में सुधार करने के के लिये कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय के अधिकारी वहाँ गए थे और राज्यपाल से समस्याओं पर बातचीत की थी ;

(ग) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत हुई ; और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) पश्चिम बङ्गाल सरकार के निवेदन पर कुछ प्रस्ताव तैयार किए गए थे जिनका उद्देश्य सूचना तथा प्रचार प्रयत्नों को शक्तिशाली बनाना था।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रचार विभागों तथा पश्चिम बङ्गाल सरकार के बीच निकट के सम्पर्क की आवश्यकता को अनुभव करते हुए यह फैसला किया गया था एक दूसरे का समर्थन करने वाले ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिए जाएं जिनका उद्देश्य होगा।

(1) सरकारी स्रोतों से प्रेस तथा अन्य माध्यमों को सूचना देने की गति तेज करना।

(2) राज्य के विकास के निष्पक्ष तथा सन्तुलित चित्र प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से राज्य के भीतरी प्रदेश के समाचार को यथोचित महत्व देना।

(3) चलती फिरती सिनेमा गाड़ियों तथा क्षेत्रीय प्रचार एककों के अलिखित लोक मनोरंजन माध्यम को भी गतिशील बनाना।

(4) पश्चिम बङ्गाल सरकार की आवश्यकता के अनुसार प्रचार सामग्री या प्रचार व्यक्तियों के रूप में विशेष सहायता देना।

वांछनीय फल की प्राप्ति के लिये पत्र सूचना कार्यालय, आकाशवाणी तथा गीत और नाटक प्रभाग पश्चिम बङ्गाल सरकार से घनिष्ट सहयोग करके कार्य कर रहे हैं।

(घ) जहां तक सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के विभागों का सम्बन्ध है कई योजनायें जैसे कुछ केन्द्रीय स्थानों पर समाचारों का प्रबन्ध करना, ध्वनि तथा प्रकाश स्पेक्टेकल तथा पुस्तक (प्रकाशन) कार्यक्रम विचाराधीन है।

आसाम में चीनी मिल की स्थापना

3426. **श्री कोलाई बिरुआ :** **श्री नारायणन :**

श्री मयावन : **श्री दण्डपाणि :**

श्री नि० रं० लास्कर : **श्री वी० नरसिम्हा राव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने आसाम सरकार को अपने राज्य में चीनी मिल स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम में केन्द्र से किस प्रकार की सहायता दी जायगी ;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी अपने राज्यों में चीनी मिल स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) : असम के कछार जिले में, जो कि विकासाधीन है और जिसमें रोजगार और आर्थिक क्रिया हेतु राज्य सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, चीनी के नये कारखाने के लिए लाइसेंस देने हेतु सिद्धान्ततः सहमत होने के लिए जून, 1970 में असम सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था । हालांकि चौथी योजना के लक्ष्य में चीनी उद्योग में लाइसेंस देने हेतु उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता करीब-करीब पूरी हो चुकी है तो भी कछार जिले में चल रही विशेष स्थिति को देखते हुये और इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि चौथी योजना की अवधि के अंत से पूर्व इस यूनिट द्वारा उत्पादन शुरू करने की सम्भावना नहीं है, केन्द्रीय सरकार असम उद्योग विकास निगम के माध्यम से उस जिले में चीनी का एक नया कारखाना स्थापित करने के लिए सिद्धान्तरूप से सहमत हो गई है लेकिन उसके लिए योजना की तकनीकी व्यवहार्यता को ध्यान में रखना होगा जिस पर औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा ।

(ख) क्योंकि लाइसेंस प्रदान करने हेतु अभी तक आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : जी हां । महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मैसूर, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में चौथी योजना के लक्ष्य के प्रति 38 नये चीनी कारखाने स्थापित करने हेतु 1969 और 1970 में अब तक आशय पत्र/लाइसेंस मंजूर किए गये हैं । अभी भी कुछ आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है । अतः वस्तुस्थिति को देखते हुये सभी आवेदकों को लाइसेंस देने की सिफारिश करना सम्भव नहीं है क्योंकि चौथी योजना में लाइसेंस देने की उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता सीमित है ।

मिट्टी सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं में स्थापित करने के लिये सहकारी समितियों और जिला विपणन समितियों को सहायता देने की राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजना

3427. श्री कोलाई बिरुआ :
श्री मयाबन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नारायणन :
श्री दंडपाणि :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में मिट्टी सर्वेक्षण सम्बन्धी 10 प्रयोगशालायें स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कुछ चुने हुए सहकारी क्षेत्रों और जिला विपणन समितियों को सहायता देने की एक नई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो नई योजना की मूल बातें क्या हैं ;

(ग) किन-किन राज्यों में ये प्रयोगशालायें स्थापित की जायेंगी ;

(घ) राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में क्या सहायता मिलेगी ; और

(ङ) इन योजना पर कुल कितनो धन राशि व्यय होगी तथा उससे क्या परिणाम प्राप्त होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना में विभिन्न राज्यों में चुने हुए क्षेत्र में मिट्टी सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इन प्रयोगशालाओं में से प्रत्येक की क्षमता प्रति वर्ष 30,000 मिट्टी नमूनों का सर्वेक्षण करने की होगी, जिससे कि किसानों को अपनी भूमि के लिए अत्यन्त उपयुक्त उर्वरकों के बारे में परामर्श दिया जा सके तथा इस प्रकार सहकारी संगठन को सक्रिय उन्नतिशील उपायों को अपनाने और उर्वरकों के वितरण के बारे में अधिक अच्छी सेवा प्रदान करने के योग्य बनाया जा सके।

(ग) जिन राज्यों में ये प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी वे पूर्व-निर्धारित नहीं हैं। राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर औचित्य के आधार पर विचार किया जाएगा।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य योजना सीमा के बाहर सम्बन्धित राज्य सरकारों को 1.70 लाख रु० दीर्घकालीन ऋण सहायता सुलभ कर सकता है जिससे कि उन्हें इस योग्य बनाया जा सके कि वे सहकारी समिति को 1 लाख रु० अंश-पूंजी तथा 70,000 रु० दीर्घकालीन ऋण से इस प्रकार की एक प्रयोगशाला स्थापित करने में सहायता कर सकें। प्रत्येक प्रयोगशाला को कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुमानत: आवर्ती व्यय प्रति वर्ष 40,000 रु० तथा रासायनिक आदि के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 40,000 रु० की आवश्यकता होने का अनुमान किया जाता

है। राज्य सरकारों से समिति को कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के लिए 5 वर्ष की अवधि में वृतानुपूर्व (टेपरिंग) आधार पर अनुदान सुलभ करने की आशा की जाती है।

(ङ) 1970-71 के दौरान प्रस्तावित 10 प्रयोगशालाओं की स्थापना पर 17 लाख रु० ब्लाक मूल्य तथा प्रति वर्ष 8 लाख रु० आवर्ती व्यय की आवश्यकता होगी। आशा की जाती है कि 10 यूनिटें एक वर्ष में 3 लाख मिट्टी नमूनों का सर्वेक्षण करने, किसानों को आवश्यक अनुगामी सेवा सुलभ करने और उर्वरक उपभोग को बढ़ाने की दशा में होंगी।

अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों द्वारा खाद्यान्न सहायता में वृद्धि

3428. **श्री कोलाई बिरुआ :**
श्री नारायणन :
श्री मयाबन :
श्री दंडपाणि :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका 1970 में भारत को खाद्यान्न सहायता में वृद्धि करने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन की सरकार भी भारत को 90 लाख की खाद्यान्न सहायता में वृद्धि करने को सहमत हो गई है ; यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की सरकार के साथ किसी करार का हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ग) ऐसे कौन से अन्य देश में जिनसे चालू वर्ष के लिये खाद्यान्न सहायता की मांग की गई है और जो इसके लिये सहमत हो गए हैं ; और

(घ) कुल कितना खाद्यान्न आयात किया जायेगा तथा भारत में खाद्यान्न की मांग आयातित खाद्यान्न से कहां तक पूरी की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यू० के० की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अनाज प्रबन्धों की खाद्य सहायता कन्वेंशन के अन्तर्गत 11-2-70 को दी गई 28.8 लाख डालर की खाद्य सहायता को 12 लाख डालर (90 लाख रुपये) तक बढ़ा दिया है और इस संबन्ध में 21-7-1970 को पत्रों का आदान-प्रदान किया गया था।

(ग) कनाडा ने इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय अनाज प्रबन्धों की खाद्य सहायता कन्वेंशन के अधीन 452 लाख डालर दिए हैं।

(घ) 1970 में मौजूदा खपत के लिए तथा बफर स्टाक बनाने के लिए 40 लाख मीटरी टन के आसपास का कुल आयात करने का अनुमान है।

खाद्यान्न का आयात तथा क्षति

3429. श्री कोलाई विरुआ :
श्री मयाबन .
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नारायणन :
श्री दंडपाणि :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रवि राय :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कृषि विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि स्थिति ऐसी है कि भारत को कम से कम 15 वर्षों तक के खाद्यान के आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों के तर्क के समर्थन में क्या-क्या विचार प्रकट किये गये हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय मन्त्री ने यह बताया है कि खाद्य पदार्थों की क्षति 10 प्रतिशत से बढ़ कर 15 प्रतिशत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं । जब कि खाद्य और कृषि मन्त्री ने 10 से 15 प्रतिशत की क्षति को न्यूनतम करने पर बल दिया है, उन्होंने यह नहीं कहा है कि क्षति बढ़ गई है ।

(घ) भण्डारण में क्षति को न्यूनतम करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :–

(1) निरन्तर प्रयत्नों के फलस्वरूप, भंडारों में खाद्यान्नों की कीड़ों से रक्षा के लिये आवश्यक अधिकांश कीटनाशी औषधियां और उपकरण देश में ही बनाये जाते हैं और सहज उपलब्ध हैं ।

(2) खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा बनाये गये सभी भण्डारण गोदामों में कृतंक नहीं जा सकते हैं । जहां तक फार्म भंडारों का सम्बन्ध है सुधरे कृतंक और नमी रोकने वाली सामग्री का प्रयोग किया गया है और खाद्यान्नों के फूमीगेशन को लोकप्रिय बनाया जा रहा है ।

(3) चौथी पंच वर्षीय योजना के लिये अन्न बचाओं अभियान योजना मन्जूर की गई है जिस के अधीन महत्व पूर्ण मन्डियों और ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण, कीटनाशियों और कृतंक नियन्त्रण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रदर्शन और उन्हें लोक प्रिय बनाने का प्रस्ताव है ।

(4) संयुक्त राष्ट्र विशेष विकास निधि की सहायता से अन्न भंडारण अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, हापुड़ में पहले से ही चल रहे अन्न भंडारण के बारे में प्रशिक्षण और अनुसन्धान कार्यक्रमों की और तीव्र किया जा रहा है ।

(5) रोलर आटा मिलों, चावल मिलों और अन्न का भंडारण करने वालों पर कीट नियन्त्रण उपायों के अपनाये जाने को अनिवार्य बनाने के लिये कदम उठाये गये हैं ।

(6) कृषक स्तर पर क्षति को न्यूनतम करने के लिये कृषकों को उन्नत भण्डारण सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

चावल क्रान्ति में मदद करने के लिये चावल की नई किस्मों को चालू करना

3430. **श्री मयाबन :** **श्री नरायणन :**

श्री कोलाई बिरुआ : **श्री दण्डपाणि :**

की नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटक स्थिति अखिल भारतीय चावल सुधार वर्कशाप द्वारा सिफारिश की गई चावल क्रांति में सहायता करने के लिए नौ नई किस्मों पर चर्चा करने के लिए जून 1970 में केन्द्रीय किस्म अनुमोदन समिति की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या कोयम्बटूर स्थित कृषि अनुसन्धान संस्था ने इन नई किस्मों में से 105 दिन में पक जाने वाली दो किस्में आई० ई० टी० 3551-और आई० ई० टी० 400 का विकास किया है;

(घ) यदि हां, तो देश में नौ किस्मों वाली चालू क्रान्ति को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) इसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां। देश में विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में विकसित चावल, गेहूं, जो, मकई, आलू, तथा रागी की नई किस्मों की निर्मुक्ति के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए किस्म निर्मुक्ति विषयक केन्द्रीय उप-समिति की बैठक 10 जून, 1970 को हुई थी। राइस वर्कशाप द्वारा सिफारिश की गई चावल की किस्मों में से केवल तीन पर ही उस बैठक में विचार किया जा सका क्योंकि अन्य 6 किस्मों के सम्बन्ध में निर्मुक्ति प्रस्ताव उस बैठक में विचारार्थ प्राप्त नहीं हुए थे।

(ख) केन्द्रीय उप-समिति ने खेती के लिए चावल की निम्नलिखित किस्मों की निर्मुक्ति की सिफारिश की थी :-

सिफारिश किया गया क्षेत्र	किस्म का नाम
साबरमती	दिल्ली, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश
जमुना	दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश
आई० आर० 20	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल

(ग) जी, हां।

(घ) किस्म निर्मुक्ति विषयक केन्द्रीय उप-समिति के सदस्यों में परिचारित करके शेष छः किस्मों की निर्मुक्ति पर विचार करने हेतु शीघ्र कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ङ) नई किस्मों में से तीन किस्में हाल में ही निर्मुक्त कर दी गई हैं और निर्मुक्ति के लिए अन्य किस्मों के लिये मन्जूरी दी जानी है । अतः उत्पादन पर उनके प्रभाव का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता ।

पश्चिम पाकिस्तान से आए भूमि के दावेदार

3432. **श्री बलराज मधोक :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए काफी संख्या में भूमि दावेदारों को अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हरियाणा राज्य सरकार भूमि दावेदारों को भूमि आवंटित करने की बजाय कुछ निष्क्रान्त भूमि दूसरे व्यक्तियों को बेच रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसा करना पश्चिमी पाकिस्तान से आए भूमि के दावेदारों को भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में घोषित सरकारी नीति के विरुद्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो भूमि दावेदारों को बिना किसी विलम्ब के भूमि प्राप्त हो जाए, इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) केवल थोड़े से गैर-पंजाबी उद्भव के ऐसे दावेदार हैं जिन्हें कि अब तक भूमि आवंटित नहीं की गई है ।

(ख) जी, हां । किन्तु गैर-पंजाबी उद्भव के विस्थापित व्यक्तियों के दावों का समाधान केवल हरियाणा सरकार के लिये ही आवश्यक नहीं है ।

(ग) और (घ) : जहां तक संभव हो, भूमि के दावों का समाधान कृषि भूमि के आवंटन से किया जाता है और इस ओर प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से विस्थापित लोगों को निष्क्रान्त भूमि का आवंटन

3433. **श्री बलराज मधोक :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से विस्थापित लोगों को जम्मू और काश्मीर राज्य में निष्क्रांत भूमि अब तक स्थायी तौर पर आवंटित नहीं गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार उन्हें भूमि प्रदान करने से सिद्धांततः सहमत हुई थी मगर राज्य सरकार अब तक उस नीति को कार्यान्वित करने में असफल रहीं; और

(ग) यदि हां, तो विस्थापितों को अविलंब भूमि आवंटित करने और इस प्रकार उनमें बढ़ते हुए असन्तोष को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) **और** (ग) : राज्य सरकार, जिसका इस मामले से सम्बन्ध है, पहले ही इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति

3434. **की बलराज मधोक :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1970 तक देश में रोजगार कार्यालयों में कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये थे और उनका श्रेणी-वार प्रशिक्षण-वार और व्यवसायवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (की डी० संजीवैया) : अद्यतन उपलब्ध जानकारी संलन विवरण में दी गई है ।

	शैक्षिक स्तर		30-6-1970 को नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या
1	मैट्रिक से कम (अनपढ़ी समेत)		19, 99, 623
2	मैट्रिकुलेट		9, 96, 157
3	हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण (इण्टरमीडिएट / अंडर ग्रेजुएट समेत)		3, 94, 263
4	ग्रेजुएट (पोस्ट-ग्रेजुएट समेत) कुल :		2, 31, 257
	(1) कला	94, 941	
	(2) विज्ञान	58, 717	
	(3) वाणिज्य	29, 722	
	(4) इन्जीनियरिंग	13, 371	
	(5) औषधि	1, 962	
	(6) कृषि	5, 947	
	(7) विधि	1, 325	
	(8) शिक्षा	23, 084	
	(9) अन्य	2, 188	
	अखिल भारतीय योग		36, 21, 300

नोट:-1 आकड़े अनन्तिम हैं।

2 शिक्षित (मैट्रिकुलेट और अधिक) नौकरी चाहने वालों से सम्बन्धित आंकड़े प्रत्येक वर्ष जून एवं दिसम्बर को समाप्त होने वाली छः माहियों को एकत्र किए जाते है ।

Impact of Increase in Price of Wheat in Delhi

3435. **Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Sharda Nand : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the recent increase in the price of wheat in Delhi has adversely affected middle and low income groups ;

(b) if so, the action being taken in this regard ; and

(c) if not, the actual impact of the in crease in the prices of wheat ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : There has not been any significant in crease in the price of wheat in Delhi recently and as such the question of middle andow income groups being adversely affected does not arise.

(c) Compared to price in June, 1970, there has been an increase of Rs. 1to 3 per quintal for Dara and Farm wheat but there has been no change in the price of Kalyan wheat. The price is, however, very much lower compared to the price prevalent during the corresponding period of the last year.

वनस्पति के मूल्य को निर्धारित करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

3436. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री जि० ब० सिंह :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री शारदानन्द :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पति घी की कुल कितनी माँग होती है और इस समय देश में इसका कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या सरकार को वनस्पति के मूल्य को निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली के विरुद्ध को अभिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) वनस्पति की मांग से सम्बंधित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, पिछले कुछ वर्षों से सामान्यतः उत्पादन से अधिक क्षमता होने को देखते हुए वनस्पति के उत्पादन को उसकी माँग के बराबर किया जाता है । मौजूदा उत्पादन तथा मांग 5 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष के आस पास है ।

(ख) जी, नहीं । वनस्पति के मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली के विरुद्ध हाल ही में कोई ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित समाचारों के प्रसारण में आकाशवाणी का पक्षपातपूर्ण रवैया

3437. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री जि० ब० सिंह :**

श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री शारदानन्द :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष तथा निगम में जनसंघ दल के नेता श्री केदार नाथ साहनी से दो महीनों में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन की खबरों के प्रसारण के मामले में पक्षपात करने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) पत्र में उठाई गई महत्वपूर्ण बातें ये थीं :—

(1) दिल्ली से प्रसारित किये जाने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में दिल्ली प्रशासन तथा नगर निगम से सम्बन्धित समाचारों को यथोचित महत्व नहीं दिया जाता ।

(2) गत जुलाई में जनसंघ की सभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री विजय कुमार मल्होत्रा के भाषणों को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया ।

(ग) पत्र में लगाये गये आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। श्री साहनी को उपयुक्त उत्तर भेजा जा रहा है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध में दुग्ध चूर्ण का अनुपात

3438. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के दूध में प्रयोग किये जाने वाले दुग्ध चूर्ण का अनुपात क्या है ;

(ख) ताजे दूध की तुलना में सप्लाई किये जाने वाले इस दूध के पौष्टिक गुण क्या हैं ; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों पर हर वर्ष खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना तीन प्रकार का दूध अर्थात् टोंड दूध, डबल टोंड दूध, तथा मानकीकृत दूध, सप्लाई करती है जिनमें कि स्किम दुग्ध चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। खाद्य मिलावट निरोधक नियमों के अनुसार जिनका दिल्ली दुग्ध योजना पूर्णतः

पालन करती है, बिक्री किये जाने वाले दूध के लिये निर्धारित न्यूनतम सालिड नान-फैट डबल टोंड दूध के सम्बन्ध में 9.0 प्रतिशत, टोंड दूध के सम्बन्ध में 8.5 प्रतिशत तथा मानकित दूध के सम्बन्ध में 8.5 प्रतिशत है। स्किम दुग्ध चूर्ण 'सालिड नाट फैट' की आपूर्ति करता है और उसे निश्चित रूप से उपर्युक्त निर्धारित स्तरों तक रखा जाना चाहिए क्योंकि दुग्ध सालिड नान फैट या तो ताजे दूध या स्किम दुग्ध चूर्ण से प्राप्त किया जाता है, अतः प्रयोग में लाये जाने वाले स्किम दुग्ध चूर्ण का अनुपात निर्गम को ताजे दूध की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(ख) स्नेह तथा सालिड नाट फैट आधार पर भैंस के दूध तथा जारी किये जाने वाले दूध के पोषक मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

दूध की किस्म	स्नेह (प्रतिशत)	सालिड नान फैट (प्रतिशत)	प्रति लिटर कैलोरी
ताजा भैंस का दूध	6.0-7.0	9.0-9.5	918-1031
ताजा गाय का दूध (जैसा कि (दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जारी किया जाता है)	4.0-4.8	8.6-8.8	720-801
मानकित दूध	5.0	8.6-9.0	812-827
टोंड दूध	3.1	8.6-9.0	640-655
डबल टोंड दूध	1.6	9.1-9.2	524-527

(ग) व्यय की गई विदेशी मुद्रा की राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आयातित मात्रा (मीटरी टनों में)	व्यय की गई विदेशी मुद्रा (लाख रुपयों में)
1965-66	704.776	11.00
1966-67	550.000	16.13
1967-68	1254.190	39.62
1968-69	3121.000	67.55
1969-70	1972.000	32.54

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले किस्म दुग्ध चूर्ण के विवरण को उपर्युक्त विवरण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों के लिये विकास परियोजनायें

3439. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री शिव चरण लाल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ;
श्री राम चरण :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों के लिए पूरी की गई तथा चालू विकास परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है ;

(ख) क्या किसान की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में ये परियोजनायें पर्याप्त हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा नई परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) सीमान्त किसानों तथा कृषि भूमिकों की योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को जो-जो परियोजनायें स्वीकृत की जानी हैं उनके अतिरिक्त छोटे किसानों के लिये विकास एजेन्सी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 4 परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं ।

(ख) देश भर में (उत्तर प्रदेश सहित) छोटे किसानों की समस्याएं काफी अधिक हैं । पहली बार ऐसी परियोजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण रूप समझा गया है । इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के बाद इस बात पर विचार किया जाएगा कि ऐसी और परियोजनाओं को शुरू किया जा सकता है या नहीं ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 4 एजेन्सियां स्थापित की हैं । वे 2 सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं के लिए योजनायें बना रहे हैं और आशा है कि वे उन्हें शीघ्र ही अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पास भेज देंगे ।

पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये राज्यों द्वारा रखी गई शर्तें

3440. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री शिवचरण : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रामचरण : **श्री रा० बरुआ :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारें पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का अपनी भूमि पर कुछ शर्तों पर पुनर्वास करने पर सहमत हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : **(क) से (ग)** : इस समय, पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवाह के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केवल मध्य प्रदेश सरकार ने ही चम्बल घाटी में भूमि की पेशकश की है । राज्य सरकार को विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

कृषि सुधार के लिए पौधों में रोगों का पता लगाने के लिये "रिमोट सेंसिग" परियोजना

3441. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मिट्टी के नीचे और समुद्र की सतह पर विभिन्न तत्वों पर पदार्थों का पता लगाने के लिए और पौधों में रोगों का पता लगाने के लिये "रिमोट सेंसिग" सम्बन्धी एक राष्ट्रीय परियोजना स्थापित करने जा रही है ताकि कृषि में सुधार किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) नासा (नेशनल एयरोनोटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) तथा आई० एस० आर० ओ० (भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन) के सहयोग से केरल में नारियल के मुरझान रोग का पता लगाने के लिये कार्य किया जा रहा है। नासा, आई० एस० आर० ओ०, आई० ए० आर० आई० (भारतीय कृषि अनुसन्धान नई दिल्ली) तथा सी० सी० आर० एस० (केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र, क्यानगुलम) की एक संयुक्त परियोजना है। कोई भी राष्ट्रीय परियोजना अभी तक तैयार नहीं की गई है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

विवरण

नासा, आई० एस० आर० ओ०, आई-ए० आर० आई० तथा सी० सी० आर० एस० कार्यक्रम के अधीन नारियल के मुरझान रोग की प्राथमिक जांच-पड़ताल (फरवरी-मार्च, 1970)

नारियल का मुरझान रोग एक गम्भीर रोग के रूप में विशेषकर केरल के अनेक क्षेत्रों में नारियल के पेड़ों का विनाश करते हुये प्रकट हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र, क्यानगुलम में सूक्ष्मदर्शी एल्कट्रोन के प्रयोग से अनुसन्धान करते समय तथा संक्रामक परीक्षणों द्वारा इस रोग के विवादास्पद आरम्भ का समाधान कर लिया गया है कि इसका कारण एक वाइरस है। किन्तु रोग के विस्तार, प्रसार तथा इसकी तीव्र तीव्रता का कोई ज्ञान नहीं है। रोग के प्रसार को नियंत्रित करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया था कि 'रिमोट सेन्सिग' तकनीक से केरल के विस्तृत क्षेत्रों में रोग से आक्रांत क्षेत्रों तथा रोग की तीव्रता का पता लगाने का प्रस्ताव किया गया था। नारियल के वृक्षों के ऊपरी सिरों के मल्टि-बैंड चित्र हैलिकोप्टर की सहायता से लिए गये हैं। इस फोटोग्राफी में भूमि से 500 तथा 1,000 फुट को दो विभिन्न ऊंचाइयों से ब्लैक एण्ड वाइट, रंगदार फिल्म तथा अवरक्त इन्फ्रेड एक्टाक्रोम फिल्मों का उपयोग किया गया है।

पर्याप्त संख्या में चित्रों के विश्लेषण से ये सम्भावनायें प्रकट हुई हैं (1) रोगग्रस्त नारियल के वृक्षों में रोग की तीव्रता को स्वस्थ वृक्षों की तुलना में भिन्न रूप से स्पष्टत: प्रकट करना, (2) एक

नस्ल को दूसरी नस्ल से पृथक प्रकट करना जैसा कि नारियल के वृक्ष, सुपारी के वृक्ष, काजू तथा कटहल के वृक्ष और (3) इन वृक्षों के रोगों का पता लगाना, जिनको कि प्राथमिक अवस्था में भूमि से नहीं जाना जा सकता। अभी तक की गई प्रारम्भिक जांच पड़ताल से भारतीय वैज्ञानिकों को भविष्य में इन जांच पड़तालों के सफलतापूर्वक संचालन के सम्बन्ध में पर्याप्त आत्म विश्वास प्राप्त हुआ है। भूमि तथ्यों की जांच पड़ताल के साथ-साथ हवाई चित्रों के विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है और इस नयी पद्धति द्वारा विस्तृत क्षेत्रों में अल्पावधि में ही कृषि समस्याओं के समाधान की सम्भाव्यता प्रकट होती है।

Proposal to Amend Labour Laws

3442. **Shri Ramavatar Shahstri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a proposal to amend labour laws ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which Government propose to give it a legal shape ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : **(a) to (c)** : Yes, Sir, bills to amend the Mines Act, 1952 and the Plantations Labour Act, 1951 are expected to be introduced early. In addition, proposals for amending the Industrial Disputes Act, 1947, the Trade Unions Act, 1926 and certain other enactments will be taken up after decisions have been taken on the recommendations of the National Commission on Labour.

Delegation From U. P. Regarding Nationalisation of Sugar Industry

3443. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation on behalf ot the Uttar Pradesh Government had called upon the Prime Minister, the Finance Minister and the Industrial Development Minister in connection with the nationalisation of sugar mills in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the details of the discussion that took place with the said delegation ; and

(c) the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shindhe) : **(a) to (c)** : A delegation consisting of three Ministers of Uttar Pradesh met the Prime Minister. The discussions between the Prime Minister and the Ministers of the States are essentially confidential in nature and it would not be proper to disclose the details of the same. No delegation of the Uttar Pradesh Government met the Finance Minister or the Minister of Industrial Development in this regard.

गैर सरकारी उपक्रमों द्वारा टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

3444. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग टेलीग्राफ स्टोर के नियंत्रक और महालेखा-कपालकों ने मैसर्ज मजदा एलाक्ट्रिकल्स 1773/18 तीसरी मंजिल भगीरथ पैलैस दिल्ली द्वारा निर्मित टेलीफोन उपकरणों पुर्जों और उपसाधनों के मूल्य की दरों की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या दरों में डाक व तार विभाग की सहमति से टेलीफोन उपकरणों पुर्जों और उपसाधनों के निर्माण करने वाली अन्य गैर-सरकारी फर्मों के नाम क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन फर्मों में डाक व तार विभाग के सेवा निवृत्ति इंजीनियरों अधिकारियों को नियुक्त किया गया है; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या टेलीफोन उपकारणों, फालतू पुर्जों और उपसाधनों की कमी है और बंगलौर स्थित इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज जैसे सरकारी उपक्रमों डाक व तार विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं; और

(ङ) यदि हां तो गैर-सरकारी उपक्रमों को टेलीफोन उपकरणों आदि के निर्माण की अनुमति देने के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकारी उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस फर्म से रोजमर्रा के रखरखाव के जरूरी कार्य के लिए कुछ मदों की स्थानीय खरीद निम्न स्तर पर की गई थी ।

(ख) जो कुछ फर्म टेलीफोन यन्त्रों आदि के कुछ महत्वपूर्ण पुर्जे दे रही है, उनके नामों का विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी०** 4024/70] अगर आवश्यक समझें तो देश भर में ऐसी फर्मों को सूची एकत्रित करके सभा-पटल पर रख दी जाएगी (डाक-तार की सहमति के बिना) ।

(ग) कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है । यह एकत्रित करके सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) भारतीय टेलीफोन उद्योग से सप्लाई में कमी का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा की कमी और कच्चे माल और पुर्जों का देश में तैयार किया जाना है । डाक-तार की मांग पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण पुर्जे उपकरण आदि बनाने के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग के दो सहायक एककों की स्थापना का प्रस्ताव है ।

बिहार में टेलीग्राफ स्टोरों में ढुलाई ठेका प्रणाली

3445. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में टेलीग्राफ स्टोर के कार्यभारी सहायक इंजीनियर के कार्यालय में ढुलाई ठेका प्रणाली चालू की गई है यदि हां, तो कब से;

(ख) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जो प्रारम्भ से 1969-70 तक ढुलाई ठेका प्रणाली के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और ठेके को प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर दर क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उसी ठेकेदार को बिना ठेके के नवीकरण के एक वर्ष से अधिक समय के लिए ठेके पर माल ढुलाई करने की अनुमति दी गई थी और यदि हां, तो कितने वर्षों के लिए और किस दर पर और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त ठेकेदार बाद के वर्षों में टेंडर देने वालों में से था जिन वर्षों के टेंडरों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था; यदि हां; तो उक्त ठेकेदार द्वारा पटना के टेलीग्राफ डिवीजनल इंजीनियर को प्रति वर्ष दिये गये अपने टेंडर में क्या दर उद्धृत् की गई थी; और

(ङ) उक्त ठेकेदार को ठेके के प्रथम वर्ष में उसके द्वारा उद्धृत भुगतान क्यों प्राप्त करने दिया गया था ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चरखी दादरी (हरियाणा) टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत प्रार्थना-पत्र

3446. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चरखी दादरी हरियाणा में नए टेलीफोन कनेक्शनों तथा टेलीफोन एक्सटेंशन के लिए कितने प्रार्थना-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) इन कनेक्शनों तथा एक्स्टेंशनों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाई की गई है या करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची पर नामों की संख्या–45 एक्सटेंशनों के लिए प्रतीक्षा सूची पर नामों की संख्या–14।

(ख) एक्सचेंज में 50 लाइनों की और क्षमता बढ़ाने की योजना की मंजूरी दे दी गई है और उसके उपस्कर की प्रतीक्षा है। एक्सटेंशन संयंत्र हासिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

फिल्म उद्योग में रोजगार का विनियमन

3447. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म उद्योग में रोजगार को विनियमित करने के लिये प्रस्तावित विधेयक कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : फिल्म उद्योग में श्रमिकों के लिये प्रस्तावित विधान की योजना का मसौदा स्थायी श्रम समिति (जुलाई 1970) के 29 वें अधिवेशन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया तथा आवश्यक विधान बनाने और यथाशीघ्र संसदन में अपेक्षित बिल प्रस्तुत करने के लिये आगे कार्यवाही की जा रही है।

मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये उपाय

3448. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

श्री नन्द कुमार सोमानी : **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की मत्स्य सम्पदा का पूरा लाभ नहीं उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में मत्स्य उत्पादन में मन्द गति से वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारत के मत्स्य संसाधनों से और विशेष रूप से गहरे समुद्र के संसाधनों से पूरा लाभ नहीं उठाया गया है ।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं के काल से पूर्व, मछली पकड़ने का काम पूर्ण रूप से गैर मशीनी नौकाओं द्वारा किया जाता था । मत्स्य नौकाओं के लिये बन्दरगाह सुविधायें नहीं थीं । मशीनी नौकाओं को चलाने के लिए भी प्रशिक्षित कार्मिक नहीं थे । संसाधनों के सर्वेक्षण भी नहीं किये गये थे । मछली पकड़ने के आधुनिक विशेषज्ञ तरीकों का भी अभाव था और देश में जहाज, इंजन और उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे । इन सब कठिनाइयों पर सब क्षेत्रों में विकास को क्रमबद्ध योजनाओं द्वारा विजय प्राप्त करनी थीं ?

(ग) आगामी योजनाओं में मछली विकास के लिये वित्त व्यवस्था में धीरे-धीरे वृद्धि की गई है । पहली योजना में 2.78 करोड़ रुपये की व्यवस्था को बढ़ा कर दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः 9·06 और 23·38 करोड़ रुपये कर दिया गया । चौथी योजना में मछली विकास के लिये 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो मुख्य उपाय किये गये हैं उनसे मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य आरम्भ करना, कुछ तटों पर मछली पकड़ने के जहाजों के लिए तट पर लगना और ठहरने का प्रबन्ध करना, गहरे समुद्र में संसाधनों का सर्वेक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं को स्थापित करना और अन्तर्देशीय मछली पालन के सुधरे तरीकों को आरम्भ करना शामिल है । चौथी योजना के अधीन मशीनीकरण करने का कार्यक्रम जारी रखा जायेगा । मछली कार्यक्रमों के साथ वित्तीय संस्थाओं का बढ़ता हुआ सम्पर्क हाल ही का एक विकास है । यह योजना साधनों के पूरक के रूप में काम करेगा । मछली के समुद्री संसाधनों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के सर्वेक्षण को बढ़ाने के लिये पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं । सीमित रूप से जहाज आयात भी किये जा रहे हैं । जहाजों का देश में भी निर्माण हो रहा है और देश में बनाये जहाजों को सरकारी सहायता देने की योजना भी आरम्भ की गई है । अन्तर्देशीय क्षेत्र में सघन मछली पालन और जलाशयों के विकास पर बल दिया जा रहा है ।

आकाशवाणी कटक केन्द्र के निदेशक को दिल्ली बुलाया जाना

3449. **श्री रबि राय** . क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कटक केन्द्र ने 27 जुलाई को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर काम करना बन्द कर दिया था। यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या आकाशवाणी के कटक केन्द्र में इस प्रकार पहली बार काम करना बन्द किया था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी कटक केन्द्र के निदेशक को इसी कारण दिल्ली बुलाया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। मजिस्ट्रेट के आदेश पर।

(ख) जी, नहीं। आकाशवाणी को कटक केन्द्र 20 और 21 जनवरी, 1956 को कुछ समय के लिए बन्द हो गया था।

(ग) जो, हां। आकाशवाणी कटक के निदेशक को कटक में 27 जुलाई, 1970 को हुई घटनाओं के बारे में पूरी रिपोर्ट देने के लिये दिल्ली आने के लिये कहा गया था।

समाचार पत्र उद्योग में एकाधिकार

3450. **श्री गणेष घोष :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास : **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार-पत्र उद्योग में एकाधिकार की वृद्धि को रोकने के लिए पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) एकाधिकार की वृद्धि रोकने में ये उपाय किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार समाचार पत्र उद्योग पर स्वामित्व के संकेन्द्रण के खतरे से पूर्ण रूप से जागरूक है, जिसके परिणामस्वरूप विचार अभिव्यक्ति और चिन्तन-मनन पर नियंत्रण लागू हो जाने का खतरा है और इसके लिये वह व्यावहारिकता को देखते हुए ऐसे हर कदम को रोकने के लिये उत्सुक है। इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. प्रेस रजिस्ट्रार समाचार पत्रों और अन्य प्रकाशनों के स्वामित्व की वार्षिक विवेचना करके समान स्वामित्व इकाइयों के विकास का अध्ययन करता है और उस अध्ययन रिपोर्ट को 'प्रेस इन इन्डिया' के शीर्षक से प्रकाशित करता है ताकि समाचार पत्रों के स्वामित्व से सम्बन्धित तथ्यों से जनता परिचित हो सके।

2. रजिस्ट्रेशन आफ न्यूज पेपर्स (केन्द्रीय) नियम, 1956 के अन्तर्गत जिनका निर्माण "प्रेस एन्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867" के अधीन किया गया है, समाचार पत्रों को प्रतिवर्ष फरवरी मास के अन्तिम दिन के बाद अपने पहले अंक में अन्य बातों के अलावा यह सूचना प्रकाशित करनी पड़ती है कि समाचार पत्र के ऐसे स्वामी, पार्टनर या शेयर होल्डर कौन हैं जिनके पास कुल पूंजी का एक प्रतिशत से अधिक भाग है। इस नियम का उल्लंघन "प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867" के अन्तर्गत एक अपराध है और इसके लिये दण्ड स्वरूप 500 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

3. अखबारी कागज निर्धारण नीति के अन्तर्गत समाचार पत्र के समूह या एक से अधिक समाचार पत्रों वाले संगठनों को नये प्रकाशन में लिये अतिरिक्त अखबारी कागज का कोटा नहीं दिया जाता।

4. दिवाकर समिति की सिफारिशों पर मुद्रण कम्पोजिंग मशीनों के लिये उपलब्ध कुल वार्षिक विदेशी मुद्रा में से पचास प्रतिशत छोटे समाचार पत्रों को (बिक्री संख्या 15,000 तक), 35 प्रतिशत मध्यम समाचार पत्रों को (बिक्री संख्या 15,000 से 50,000 तक) और केवल 15 प्रतिशत बड़े समाचारपत्रों (बिक्री संख्या 50,000 से अधिक) को दिया जाता है।

5. सरकारी विज्ञापन देने की नीति का उद्देश्य यह रखा गया है कि विज्ञापनों को उपयुक्त और बारी-बारी के सभी पत्रों को जारी किया जाये ताकि यह निश्चित किया जा सके कि बड़ा बिक्री वाले समाचार पत्र कहीं विज्ञापनों का बड़ा हिस्सा न ले जायें। सरकार की यह नीति है कि छोटे तथा मंझोले समाचार पत्रों, विशेष कर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों का अधिक प्रयोग किया जाए।

6. बड़े समाचारपत्रों द्वारा छोटे समाचारपत्रों को दबाने, निर्बल करने या समाप्त करने के लिये, जिसके सम्बन्ध में प्राय: शिकायत रहती है, अनुचित प्रतियोगिता तथा/या आयन्त्रक तरीकों, यदि कोई हो तो, के बारे में प्रथम तथा सतथ्य सूचना प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रेस परिषद् द्वारा स्थापित एक उप समिति ने सभी भाषाओं के उन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को, जिनकी परिचालन संख्या 5,000 प्रतियों या इससे अधिक थी, एक पत्र भेज कर विशिष्ट सूचना और उदाहरण मांगें। उत्तर में केवल दस दैनिकों तथा चार साप्ताहिकों ने ऐसे विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया जिनके सम्बन्ध में उन्होंने यह समझा कि बड़े समाचारपत्रों ने आयन्त्रक तरीके अपनाये। इस समय परिषद उन आयन्त्रक तरीकों के उदाहरणों पर और सूचना एकत्रित करके जांच कर रहा है।

7. छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों के सशक्त विकास में सहायता करने के लिये सरकार इन्हें, न कि बड़े समाचारपत्रों को, आर्थिक सहायता देने के लिये समाचार वित्त निगम की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) (एक) : सरकार का विचार है यदि सरकार के द्वारा अभी तक जो कदम उठाये गये हैं वे न होते तो शृंखला युक्त बड़े समाचार पत्रों का फैलाव आज के फैलाव की स्थिति से अधिक होता। यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं कि सरकार द्वारा पहले ही उठाए गए कदम कितने प्रभावोत्पादक हुये हैं। सरकार का विश्वास है कि बड़े समाचार पत्रों के फैलाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि उन छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों को, जो कि एक बड़े स्वस्थ रूप से चलाये

जाते हों और जिनको स्वच्छ सम्पादकीय नीति हो और जो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हों, प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार का पूर्ण विश्वास है कि इस मामले में पूर्व उठाए गए और आगे और उठाए जाने वाले कदम छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों के विकास में प्रभावी रूप से वृद्धि करेंगे और इस प्रकार बड़े समाचारपत्रों के फैलाव को रोका जा सकेगा।

(दो) : छोटे समाचारपत्रों पर दिवाकर समिति की सिफारिश के अनुसार, सरकार ने आकाशवाणी से एक धीमी गति वाले एक समाचार बुलेटिन को रेडियो से प्रसारण करना आरम्भ किया है जिसमें महत्वपूर्ण समाचार होते हैं, विशेषकर उन छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों के लिये जो कि आर्थिक कारणों से इस स्थिति में नहीं कि समाचार एजेन्सियों की सेवाओं का उपयोग कर सकें।

देय कर्मचारी भविष्य निधि तथा मजदूरों की दशा

3451.**श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कारखानों तथा कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनसे सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में एक लाख रुपये से अधिक रुपया वसूल करना है ;

(ख) उन कम्पनियों और फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं जिनकी ओर पिछले एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष से भी अधिक समय से भविष्य निधि का एक लाख से अधिक रुपया बकाया है ;

(ग) उन कम्पनियों और फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) इस निधि का मजदूरों की भलाई के लिये उपयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) भविष्य निधि का उपयोग करके दिल्ली में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : **(क) और (ख)** : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का सम्बन्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कि एक स्वायत संगठन है, और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। एक विवरण, जिसमें भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा भेजे गये छूट न प्राप्त ऐसे प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में सूचना दी गई है जिन्होंने भविष्य निधि में एक लाख और उससे अधिक की बकाया राशि अदा न की हो, संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4025/70]**।

(ग) अधिकांश दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से अभियोजना वसूली कार्यवाही के रूप में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। कुछ दोषी नियोजकों के विरुद्ध न्यायालयों में न्यासभंग के आपराधिक मामले भी शुरू किये गये हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, इस मामले को सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्र के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। समापन में गये प्रतिष्ठानों के दावे समापकों के समक्ष अनिर्णीत पड़े हैं।

कुछ प्रतिष्ठानों ने राज्य सरकारों / कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ तय की गई भुगतान की योजनाओं के अनुसार बकाया रकम तथा वर्तमान देय-राशि अदा करने के लिये समझौते किये हैं।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाई गई योजना के अन्तर्गत अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि प्रारम्भ करने का उद्देश्य लाभकारी रोजगार से सेवानिवृत्त होने के बाद बुढ़ापे के लिये, अथवा सदस्यों की असामयिक मृत्यु की सूरत में उनके नामित व्यक्तियों के लिये, व्यवस्था करना है। निधि के सदस्य निधि में अपनी जमा-राशियों में से कतिपय विशिष्ट उद्देश्यों के लिये पेशगियां ले सकते हैं।

नियोजकों तथा श्रमिकों के हिस्से के अंशदानों और किसी एक के हिस्से के बराबर दिये जाने वाले केन्द्रीय सरकार के अंशदान के एक भाग का कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिये परिवार पेंशन-व-जीवन बीमा योजना के लिये निधि बनाने के लिये उपयोग में लाने का विचार है।

(ङ) चूंकि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना अखिल भारतीय आधार पर काम कर रही हैं। अतएव भविष्य निधि के एक अंश का प्रयोग करके दिल्ली में मजदूरों की दशा सुधारने के लिये कोई योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3452. **श्री कंवर लाल गुप्त** :क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल किनने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र हैं ;

(ख) गत वर्ष दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के लिये कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और उक्त समय में कितने टेलीफोन केन्द्रों को स्वीकृत दी गई ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली के उन क्षेत्रों में जहां अधिकांश निर्धन लोग रहते हैं, अधिक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में अधिक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1, 184 ।

(ख) (i) गत एक वर्ष के दौरान नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या- 1,342 ।

(ii) गत एक वर्ष के दौरान स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या-368

(ग) तथा (घ) : सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता का निर्धारण किसी स्थान-विशेष के निवासियों की हैसियत की दृष्टि से नहीं किया जाता, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि उसे खोलने के लिए स्थान उपयुक्त हो, उसकी सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो और

इसके अतिरिक्त ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से समुचित संख्या में टेलीफोन काल किए जाने की संभावना हो।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और अधिक संख्या में खोलने की माँग बढ़ रही है और आगामी एक वर्ष के दौरान लगभग 300 अतिरिक्त सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दक्षिणी रोडेशिया के अवैध शासन द्वारा जारी की गई डाक-टिकटें जो भारत में डाक टिकटों के पूर्व भुगतान के रूप में वैध नहीं हैं

3453. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने यह निर्णय किया है कि दक्षिणी रोडेशिया के अवैध शासन द्वारा जारी की गई डाक टिकटें भारत में डाक-टिकटों के पूर्व भुगतान के रूप में वैध नहीं होंगी क्योंकि ये डाक-टिकटें ब्रिटेन की सरकार को जो दक्षिणी रोडेशिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए उत्तरदायी है, स्वीकृति के बिना जारी की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दक्षिणी रोडेशिया में रहने वाले भारत मूलक लोगों को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए इस समस्या को किस प्रकार सुलझाये जाने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिणी रोडेशिया से भेजी गई पत्र डाक की वस्तुएं जिनपर अवैध शासन द्वारा जारी किए गए डाक-टिकट लगे हों, ब्रिटेन की सरकार के निर्णय के अनुसार पूर्व भुगतान के लिए वैध नहीं हैं। चूंकि ब्रिटेन की सरकार दक्षिणी रोडेशिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए, जिनमें डाक सम्बन्ध भी शामिल हैं, जिम्मेदार है, इसलिए जिन वस्तुओं पर ऐसे डाक-टिकट लगे हों उन्हें भारत में यथा स्थिति ऐसी वस्तु माना जाता है जिस पर प्रभार का बिल्कुल भुगतान नहीं किया गया या नियत से कम भुगतान किया गया है। ऐसी वस्तुओं का भारत में पाने वालों को उनसे यथास्थिति दत्त प्रभार या अपर्याप्त प्रभार के लिए जुर्माना वसूल करने के बाद ही वितरण किया जाएगा। इस तरह दक्षिणी रोडेशिया से ऐसी वस्तुएं भेजने वालों को किसी कठिनाई में नहीं डाला जाता।

Maximum and Minimum Quantum of Milk Received in D. M. S. Booths

3454. **Shri Ranjeet Singh** :
Shri Sharda Nand :
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the maximum and minimum quantum of milk received in the Delhi Milk Scheme Milk Booths daily ; and

(b) the manner in which it is tranported to these booths and the security arrangements made therefor ?

The Minister of State in the Ministery of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Number of milk bottles handled in D. M. S. milk booths selling milk directly to token holders ranges between 120 bottles to 1.500 bottles. A maximum of 2,160 bottles is being handled in milk booths selling milk in bulk.

(b) Milk bottles in crates are transported in the mornings and in the afternoons by insulated milk vans from the Central Dairy of D. M. S. to various milk booths Key for the lock at the milk booth is available both with the Milk Van Driver and the Sr. Depot Agent, and the milk booths is locked by the Milk Van Driver after delivery of milk.

Payment of Advances by Delhi Milk Scheme to its employees

3455. **Shri Ranjeet Singh** :
Shri Sharda Nand :
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the rule governing the payment of advances to the employees in Delhi Milk Scheme ;

(b) the names of officers to whom an advance of more than Rs.1,500 has been made during the last three years ; and

(c) the details thereof, indicating the amount advanced, recoveries made so far, and the balance out-standing in each case and the manner in which Government propose to recover the outstanding amount with interest ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The rules governing the payment of advances to the employees of the Delhi Milk Scheme are the same as applicable to other Central Government employees *e.g*, the House Building Advance Rules, the General Provident Fund Rules, and the Rules for the grant of advances for the purchase of conveyances.

(b) and (c) : Two statements, one showing the required particulars in respect of officers of the Delhi Milk Scheme who have been sanctioned House Building Advances and General Provident Fund Advances (Statement-I) and the other showing the particulars of the officers of the Delhi Milk Scheme who have been sanctioned car/scooter advances (Statement-II), are attached **(Placed in Library. See No. L. T. t4026/70)**. The recoveries of the principal amounts and interest thereon are being made as prescribed in the rules.

State Farm Corporation

3456. **Shri Ranjeet Singh** :
Shri Sharda Nand :
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the details of the work done so far by the State Farm Corporation of India and its future plans ;

(b) the total capital invested therein at present ; the details of its income, expenditure and profit and loss so far ;

(c) whether it is proposed to attach state and private farms with this Corporation or to establish some sort of coordination between them ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The State Farms Corporation of India was set up in May, 1969, and took over the administration of the Central State Farms at Suratgarh (Rajasthan), Jetsar (Rajasthan), Jharsuguda (Orissa), Hissar (Hariyana) and Raichur (Mysore) and uncleus of the farm at Jullundur (Punjab). The Corporation was engaged during 1969-70 in streemlinging the farms and improving their profitability. The Government of India asked the Corporation in December, 1969, to set up a Farm in the Mizo Hills District of Assam and this farm started functioning at Lokichera in that District in February, 1970. The Corporation also did substantial custom work during 1969-70 on behalf of private parties.

During 1970-71, the Corporaion would be organizing the farm located in Punjab in the Sutlej Bet area. In addition, it will setting up a farm in Kerala. There are proposals also to the set up two more farms in the Mizo Hills District. Survey of land for these two farms will be carried out after the monsoons.

(b) The Corporation completed its first year of operations on the 30th June, 1970. The Government of India contributed a sum of Rs.62,32,668.00 as the equity capital to the Corporation. Besides, the Corporation took over the assets and liabilities of the Central State Farms. The estimated value of these assets is Rs.2.5 crores. The total expenditure of the Corporation since its inception to 30.670 (when it financial year closed) was Rs.113.13 lakh. The total income was Rs.142.06 lakh. The accounts of the Corporation for the first year of its operations have not yet been completed but indications are that Corporation will register a profit after the very first year of its working.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात

3457. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से खाद्यान्नों के आयात और विशेषतया पी० एल० 480 के अन्तर्गत किया जा रहा आयात आगामी वर्ष से समाप्त करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी गारंटी के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) मौजूदा खपत तथा बफर स्टाक तैयार करने के लिए तब तक कुछ आयात करना आवश्यक होगा जब तक देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है, लेकिन आशा है कि 1971 के बाद रियायती आयात बन्द हो जाएंगे ।

(ख) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही योजना में विभिन्न कृषि कार्यक्रम सम्मिलित किये गए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय गान की धुन में एकरूपता

3458. **श्री समर गुह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी दिल्ली, अपनी प्रातःकालीन सभा राष्ट्रीय गान "बन्दे मातरम्" से प्रारम्भ करता है और अपने रात्रि की सभा की समाप्ति राष्ट्रीय गान "जन मन गण" के साथ करता है ;

(ख) क्या आकाशवाणी के अन्य केन्द्र अपनी प्रातःकालीन सभा "बन्दे मातरम्" से आरम्भ नहीं करते ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आकाशवाणी के सभी केन्द्रों को अपनी सभा "बन्दे मातरम्" के साथ आरम्भ करने तथा "जन मन गण" के साथ समाप्त करने का निदेश देगी जिससे कि इन मान्य राष्ट्रीय गानों द्वारा लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने में सहायता मिल सके ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) आकाशवाणी के सभी केन्द्र इस पद्धति को अपनाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Acreage of Fallow, Barren and Rocky Land and its Cultivation

3459. **Shri Janeshwar Misra**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of fallow, barren and rocky land, other than agricultural land, in the country ; and

(b) whether Government propose to raise an Agricultural Army to provide employment to the unemployed public and to bring the aforesaid areas of land under cultivation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation ((Shri Annasahib Shinde) : (a) Classification of Area and Irrigated area in India-1966-67((Provisional) as on 17th November, 1969.

(Million Hectares)

Heading	1965-66*	1966-67
I. Geographical Area	326.81	326.81
II. Reporting area for land utilization statistics (1 to 5)	305.34	305.61
(1) Forests	60.28	62.33
(2) Not available for cultivation (a+b)	50.25	48.29
(a) Land put to non-agricultural uses	15.31	15.53

(b) Barren and Unculturable land	34.94	32.76
(3) Other uncultivated land excluding fallow land (a+b+c)	36.22	35.30
(a) Permanent pastures and other grazing lands ..	14.91	14.09
(b) Land under miscellaneous tree crops and groves not included in net area sown	4.13	4.11
(c) Culturable waste	17.18	17.10
(4) Fallow la lands(a+b)	22.44	2.64
(a) Fallow lands other than current fallows ..	9.23	9.36
(b) Current fallows ..	13.21	13.28
(5) Net area sown (6-7) ..	136.15	137.05
(6) Total Cropped area ..	155.28	156.57
(7) Area sown more than once	19.13	19.52
III. Net Irrigated Area	26.66	27.48
IV. Gross Irrigated Area ..	31.13	32.75

*Data for 1965-66 released earlier have undergone partial revision owing to receipt of further information from some States for which data for 1956-66 were not available.

(b) There is no such proposal under the consideration of this Ministry.

Cash Programme for Distribution of Land to Landless

3460. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out a crash programme at the Central level for the distribution of Government land in the various states among the landless people ;

(b) if so, the details thereof and the time by which it would be implemented ;

(c) the approximate acreage of such land in each State as can be allotted to the landless people ; and

(d) the number of landless persons amongst whom this said land will be distributed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d) : Central Government have not chalked out any crash programme at Central level for distribution of Government land in various States. No figures of acreage of land in each State which can be allotted to Landless people are available. However, the area of land which has been declared surplus and taken possession of by the different State Governments as a result of the enforcement of the various Ceiling Acts is indicated in the Annexure. The number of landless persons amongst whom such land will be distributed is not known to the Government of India. 'Land' is a State subject under the Constitution of India ; the programme of allotment and distribution is being administered by the concerned State Governments.

STATEMENT

States	Level of ceiling (in acres)	Unit of application	Surplus area declared or taken possession of (in thousand acres)	Surplus area distributed
Andhra Pradesh	27 to 324	Landholder ..	74	Nil
Assam (Bill as introduced ..	50 25	—Do— ..	68	1
Bihar	20 to 60	—Do— ..	Nil	Nil
Gujarat	19 to 132	All members of family	50	25
Haryana*	27 to 100	Landholder ..	170	65
Jammu and Kashmir	$22\frac{3}{4}$	—Do— ..	450	450
Kerala	6 to 20	All members of family	N.A.	N.A.
Madhya Pradesh	25 to 75	Land holder ..	84	13
Maharashtra	18 to 126	—Do— ..	271	123
Mysore	27 to 216	All members of family	Nil	Nil
Orissa	20 to 80	Landholder ..	Nil	Nil
Punjab*	27 to 100	—Do— ..	178	64
Rajasthan	33 to 336	All members of family	Nil	Nil
Tamil Nadu (bill as passed) ..	24 to 120 12 to 60	—Do— ..	25	16
Uttar Pradesh	40 to 80	Landholder ..	241	121
West Bengal	25	—Do— ..	794	N.A.
Delhi	24 to 60	All members of family	Negligible	Nil
Himachal Pradesh ..	27 to 100	Landholder ..	7	Negible
Manipur ..	25	All members of family	Nil	Nil
Tripura	25 to 75	—Do—	Negiligible	Nil
Mahe	15 to 36	—Do— ..	Nil	Nil

*In Haryana and Punjab in non-Pepsu areas there is no ceiling on ownership of land.
N.A.—Not available.

Distorted presentation of Gandhiji's views on Cow Protection

3461. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1022 on the 16th April, 1970 and state ;

(a) whether it is a fact that the views of Gandhi ji have been presented in a distorted manner in the new edition of the books "Gandhiji and Goraksha" and "Gandhiji and Cow Protection" published in Hindi and English in April, 1967 and June, 1967 respectively ;

(b) the details of the relevant pasages that have been omitted or presented in a distorted manner ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No new edition of the books has been published. The English and Hindi versions of the publication, brought out in 1967 in April and June, respectively, contain selected quotations from Gandhiji' swritingson the subject, in 'Young India' and 'Harijan', spread over a period of more than 25 years.

(b) No distortion of his views has been made in the selection of the quotations.

(c) Does not arise.

Telephone Bills outstanding against Madhya Pradesh Government

3462. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Sharda Nand : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that heavy arrears of telephone bills are outstanding against Madhya Pradesh Government at present ; and

(b) if so, the total dues outstanding against the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Informations Broadcasting, and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : **(a) and (b)** : Of the total amount of Rs.34.15 lakhs outstand ng as on 1st May, 1970 against billisissued upto31stJanuary 1970 in the whole of Madhya Pradesh Circle, the amount outstanding against Mahdy aPradesh Government is Rs.6.81 lakhs.

Separate panels and operators at Khurja Telephone Exchange

3463. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Sharda Nand : **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to provide separate panels and separate Operators for Trunk calls (other than local calls) in the Khurja Telephone Exchange and if so, the time by which this proposal would be implemented ; and

(b) whether these panels have been received in the said Exchange and if so, the date onwhich they were received andthe reasons fo r which they are not beinginstalled there and the time by which they would be installed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is already a separate

Trunk Board at Khurja manned by operators. The proposal is replace, it by two new Boards by the end of 1970.

(b) The stores required for installing new Trunk Boards are being progressively received since 1967. Installation could not be undertaken due to non-receipt of some essential items. Installation expected to be completed by December, 1970.

Moscow Radio Broadcast

3464. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri B. K. Dass Chowdhury :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a broadcast from Moscow Radio at 4.30 P.M. on the 9th June, 1970 where in not only some leaders of political parties and some cultural institutions have been criticised but the speech of the Prime Minister has also been distorted ;

(b) whether Government would lay on the Table Hindi or English translation of the said broadcast which was in Bengali language so that the position may be made clear ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in regard to such broadcasts in future ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Government have seen the report of the commentary broadcast in Bengali at 1630 hrs. on 9th June, 1970.

(b) A copy of the English translation of the news commentary broadeast in Bengali as mentioned by A. I. R. is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. L. T. 4027/70**].

(c) Radio Moscow, like other broadcasting organisations, puts out news commentaries on subjects selected by it.

दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की अद्यतन सूची तैयार करना

3465. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पंजीकृत संगठन अर्थात ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पर्सन्स ऐसोसिएशन (दिल्ली) के सहयोग से दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की एक अद्यतन सूची तैयार करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए विचाराधीन प्रेस नोट को, कि दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के गैर-अलाटी विस्थापितों का न तो कोई अपना स्थाई निवास है और ना ही उन्हें भारत के किसी भाग में पुनर्वास के रूप में कोई आवास स्थान दिया गया है, को जारी करने से पहले दिल्ली में 2-4 वर्ष से रिहायश के संदर्भ में नई दिल्ली में कालकाजी के निकट पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों की कालोनी में प्लाटों अथवा फ्लैटों के आवंटन सम्बन्धी नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का उसे किस प्रकार कार्यान्वित करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) से (घ) : नई दिल्ली में कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में लाटरी द्वारा व्यक्तिगत अलाटमेंट वाले सभी विकसित प्लाट या तो योग्य प्रार्थियों को आवंटित कर दिये गये हैं या उन्हें आवंटन करने के लिए रख दिये गये हैं । तथापि, 'ग्रुप' आवास प्रयोजनों के लिये बड़े आकार के 55 प्लाट उपलब्ध हैं । विस्थापित व्यक्तियों की पंजीकृत सहकारी आवास निर्माण समितियां, फ्लेट्स इत्यादि बनाने के लिये इन प्लाटों के आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकती है ।

चूंकि कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में व्यक्तिगत आवंटन के लिये और कोई प्लाट उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये न तो अलाटमेन्ट के नियमों के संशोधन के प्रश्न की जांच करने से, और न ही प्लाटों के आवंटन के लिये दिली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की आज तक की सूची तैयार करने से, कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध होगा ।

कम्पनी द्वारा श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दैनिक भत्ता

3466. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समवायों के क्या नाम हैं, जो अपने कर्मचारियों को 1.53 रुपये की प्रति दिन के हिसाब से परिवर्ती दैनिक भत्ता दे रहे हैं ; अथवा देने के लिए लिखित रूप में सहमत हो गए हैं ;

(ख) सरकार का अन्य समवायों की परिवर्ती दैनिक भत्ता देने के लिए बाध्य करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार उस समवायों के प्रमाण पत्र वापस लेने का विचार कर रही है जो 1.53 रुपये प्रति दिन के हिसाब से परिवर्ती दैनिक भत्ता नहीं दे रहे हैं ; अथवा देने के लिए सहमत नहीं हुए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) एक विवरण, जिसमें उन 102 कोयला-खानों का ब्यौरा दिया गया है जो 1.53 रुपये प्रति दिन के हिसाब से परिवर्ती दैनिक भत्ता दे रही हैं, संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4028/70]**

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के अधिकारी शेन कोयला-खानों को भी देय-दरों पर दैनिक भत्ता अदा करने के लिए मनाने के प्रयास कर रहे हैं ।

(ग) और (घ) : इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं । परन्तु दोषी कोयला-खानों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करने से पहले कुछ समय के लिये स्थिति पर नजर रखने का विचार है ।

महिशिला कालोनियों में प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र को बन्द करना

3467. **श्री देवेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंकिम चन्द्र प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र जो कि गत बीस वर्षों से महिशिला कालोनियों के गरीब विस्थापितों की बहुमूल्य सेवा कर रहा था, 1 सितम्बर, 1969 से धन के अभाव के कारण बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या आसनसोल नगर पालिका इसका भार वहन करने के लिये तैयार थी और उसने इसके प्रबन्धक अधिकारियों को अपने निर्णय से सूचित भी कर दिया था परन्तु फिर भी यह केन्द्र अभी तक आसनसोल नगर पालिका को नहीं सौंपा गया है जिससे कि यह सुचारु रूप से कार्य कर सके ; और

(ग) सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

आसनसोल महिशिला गवर्नमेंट कालोनियों में विकास कार्य

3468. **श्री देवेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के जिला बर्दवान के आसनसोल पर महिशिला गवर्नमेंट कालोनियो संख्या I/II और III में विकास कार्य न तो पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास विभाग द्वारा किया गया है और न ही ऐसे कार्यों के लिये सक्षम किसी अन्य विभाग द्वारा ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों को वर्ष 1965 से आसनसोल नगर पालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रख दिया गया है और आसनसोल नगर पालिका विकास कार्य शुल्क वसूल करने के लिये सहमत हो गई थी ;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास विभाग को इस बारे में बता दिये जाने के बावजूद भी इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो अब सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

अनाज का उत्पादन और आरक्षित भन्डार

3469. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अनाज का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और आरक्षित भण्डारों में इस समय कितना अनाज है ; और

(ख) क्या भारत देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के विचार से अनाज के उत्पादन में वृद्धि कर सकेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1969-70 के खाद्यान्न उत्पादन के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, परन्तु समस्त खाद्यान्न उत्पादन का अन्तिम अनुमान लगभग 1000 लाख मीटरी टन है। जुलाई, 1970 के अन्त में सरकार (केन्द्रीय तथा राज्यों) के पास खाद्यान्नों का कुल भण्डार लगभग 52.8 लाख मीटरी टन था। इनमें चालू भण्डार तथा समीकरण भण्डार दोनों शामिल हैं। इसमें से लगभग 30 लाख मीटरी टन को मोटे तौर पर समीकरण भन्डार समझा जाना चाहिए।

(ख) जी, हां। चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन के 1290 लाख मीटरी टन के निर्धारित लक्ष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग में सम्भावित वृद्धि का भी ध्यान रखा गया है।

समाचार-भारती समाचार-एजेंसी में पत्रकारों की छंटनी अथवा बर्खास्त किया जाना

3470. **श्री विभूति मिश्र** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में "समाचार भारती" "समाचार एजेंसी" के कितने पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों की नौकरी से छंटनी कर दी गई है या बर्खास्त किये गये हैं ;

(ख) कर्मचारियों के कितने मामले श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण में समझौते के लिये या अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) सरकार को पिछले एक वर्ष में दिल्ली पत्रकार संघ भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ और उपर्युक्त एजेंसी के कर्मचारियों से "समाचार भारती" के कुप्रबन्ध के बारे में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख) : समाचार-भारती समाचार-एजेंसी के दिल्ली के अलावा, विभिन्न राज्यों में भी कार्यालय हैं। इस एजेंसी के प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में औद्योगिक सम्बन्धों के मामले राज्य-क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। जहां तक एजेंसी के दिल्ली स्थित कार्यालय की सूचना का सम्बन्ध है, इसे एकत्र किया जा रहा है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) श्रम मन्त्री को संबोधित दिल्ली पत्रकार संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतिलिपियां राज्य सरकारों के श्रम मन्त्रियों, दिल्ली प्रशासन और कम्पनी विधि विभाग को उचित कार्यवाही के लिये भेजीं गई थी। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ या उपर्युक्त एजेंसी के कर्मचारियों से पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

राज्य सरकारों द्वारा समाचार भारती के शेयरों की खरीद

3471. **श्री विभूति मिश्र** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को समाचार भारती, समाचार एजेंसी

के शेयर न खरीदने की सलाह दी थी, परन्तु सरकार की सलाह की अवहेलना करके राज्य सरकारों ने शेयर खरीदे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 20 जुलाई, 1970 तक किन-किन राज्यों ने कितने-कितने शेयर खरीदे और शेयर कितनी राशि का है ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांशतः पूंजीगत शेयर राज्य सरकारों के ही हैं परन्तु इसके बावजूद समाचार भारती के निदेशक बोर्ड में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है ; और

(घ) यदि समाचार के निदेशक बोर्ड में राज्य सरकारों के नामित व्यक्ति नहीं हैं, तो क्या सरकार उन्हें ऐसा करने की सलाह देगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कुछ राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सलाह मिलने से पूर्व समाचार भारती समाचार एजेंसी के शेयर खरीद चुकी थीं या खरीदने के लिए कार्रवाई शुरू कर चुकीं थीं ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

राज्य सरकारें	शेयरों की संख्या	शेयरों का मूल्य
मध्य प्रदेश	5,000	5,00,000
गुजरात	3,000	3,00,000
बिहार	5,000	5,00,000
मैसूर	1,000	1,00,000
राजस्थान	5,000	5,00,000

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं । क्योंकि ऐसी सलाह प्रेस आयोग की सिफारिश के विरुद्ध होती जिसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय एजेंसियों के संचालन के लिए राज्य की ओर से दी जाने वाली सहायता में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए और राज्य की एजेन्सी की सम्पादकीय या प्रशासकीय नियंत्रण में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए । सम्बन्धित सिफारिश की ओर सितम्बर, 1966 में राज्य सरकारों का ध्यान दिला दिया गया था ।

राजनीति में भाग लेने वाले मजदूर नेता

3473. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह इस तथ्य से सहमत हैं कि लगभग सभी मजदूर नेता और मजदूर संघों के अध्यक्ष अथवा प्रभार अधिकारी देश की राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं और अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गरीब मजदूरों को गुमराह करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग और मजदूर संघों में अनुशासन कायम रखने के लिए वर्तमान

त्रिपक्षीय समझौते में इस प्रकार का संशोधन किया जायेगा जिससे कि कोई भी मजदूर संघ अथवा श्रमिक नेता राजनीति में भाग न ले सके और अपने आपको संगठन और व्यक्ति के सामग्र कल्याण तक ही सीमित रखे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चुकन्दर की चीनी का उत्पादन

3475. **श्री वेंकटस्वामी :** **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में वाणिज्य आधार पर चुकन्दर से चीनी का उत्पादन कब से आरम्भ होने की संभावना है ;

(ख) निजी क्षेत्र की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने चुकन्दर से चीनी का उत्पादन करने के लिए प्रस्ताव किये हैं ; और

(ग) सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इसके कारखानें कहां-कहां स्थापित किए जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) : गंगानगर शुगर मिल, श्रीगंगानगर, जो कि राज्य सरकार का एक उद्यम है, द्वारा अप्रैल-मई, 1971 से वाणिज्यिक-पैमाने पर, चुकन्दर से चीनी बनाना शुरू करने की सम्भावना है। जम्मू तथा कश्मीर राज्य उद्योग विकास निगम भी कश्मीर घाटी में चुकन्दर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित करने हेतु विचार कर रहा है लेकिन वाणिज्यिक-उत्पादन के लिए उनकी समय अनुसूची अभी तक तय नहीं हुई है ।

(ख) चुकन्दर से चीनी बनाने हेतु कारखाना स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र से किसी भी कम्पनी ने कोई भी पेशकश नहीं की है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के लिए दंडकारण्य में केन्द्रीय शिविर

3476. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए दंडकारण्य में केन्द्रीय शिविर बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने शिविर स्थापित करने का विचार है ;

(ग) इन शिविरों में कुल कितने उतप्रवासियों के रहने की व्यवस्था होगी ; और

(घ) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) एक या दो आवाजा ही शिविर और 200 तक कार्य-स्थल शिविर ।

(ग) दस हजार परिवार ।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के अनुदानों की अनुपूरक मांगों में 2 करोड़ रुपये की धन राशि के लिये कहा गया है ।

S. C. and S. T. Candidates in Departmental Examination held by Employees State-Insurance Corporation, New Delhi

3477. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Director General, Employees State Insurance Corporation, held a Departmental examination on the 28th June, 1970 at 5, Kotha Road, New Delhi for recruitment to the posts of Upper Division Clerks ; and

(b) if so, the number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other candidates separately among the candidates who took and passed the said examination ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b) : The Employees' State Insurance Corporation is an autonomous body set up under the Employees' State Insurance Act, 1948. The subject-matter of the question is primarily the concern of the Corporation and not of the Government and the Government have no information on the point.

International Labour Organisation conference at Geneva

3478. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he participated in the 54th Conference of the International Labour Organisation held in Geneva, as has been published in the daily "Navbharat Times" of the 3rd June, 1970 ; and

(b) if so, the main features of the deliberations and the conclusions reached thereat ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes. The Minister of Labour and Rehabilitation attended the Conference in Genewa for about a week as a Visiting Minister and leader of the Indian Delegation. He addressed the Conference on June 5, 1970.

(b) The Conference, *inter-alia*, adopted a Convention and a Recommendation concerning Minimum Wage Fixing ; a Convertion concerning Holidays with Pay ; a Recommendation concerning Special Youth Schemes ; a set of draft Conclusions concerning the Protection and Facilities to be efforded to Workers' Representatives in the undertaking and a Resolution each concerning I. L. O. action in the field of Trade Union Rights and their relation to Civil Liberties, and Holidays with Pay for Seafarers.

Change in Seniority of Telegraphist in Posts and Telegraph Department U. P.

+3479. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 4922 on the 2nd April, 1970 regarding change in the seniority of Telegraphists in the Posts and Telegraph Department U. P. and state.

(a) whether the information asked for in part (c) of the question has since been collected ;

(b) if so, the details there of ; and

(c) if not, the reasons for such an inordinate delay ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communication (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) The names and addresses of Telegraphists whose seniority has been altered after the issue of seniority orders are as under :

(1) Shri N. Ahmed C/o DTO Tinsuk a.
(2) Shri A. T. Dutta C/o CTO Agartala.
(3) Shri A. Bhattacharjee C/o CTO Shillong.
(4) Shri S. K. Ghosh C/o CTO Dibrugarh.
(5) Shri J Ahmed C/o CTO Shillong.
(6) Shri J. Hussain C/o CTO Jorhat.
(7) Shri Modren Roy, C/o CTO Gauhati.

(c) In view of (b) above the question of (c) does not arise.

त्रिपक्षीय स्थाई श्रम समिति की बैठक

3480. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1970 के अन्त में त्रिपक्षीय स्थायी श्रम समिति की बैठक हुई ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई थी और उसमें क्या निर्णय किये गये थे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) जी हां । स्थायी श्रम समिति की बैठक 23 और 24 जुलाई, 1970 को हुई थी ;

(ख) गोष्ठी की कार्यसूची विवरण में दी हुई है ।

समिति के निष्कर्ष जिनको अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में हैं :—

औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों तथा उनके कार्यों का गठन करना; प्रतिनिधिक संघों को सांविधिक मान्यता देना; मान्यता देने की प्रणाली को अपनाया जाना; औद्योगिक विवाद अधिनियम,

1947 में दिये हुये 'उद्योग' तथा 'कर्मचारी' शब्दों की परिभाषा ; और सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन मंडलों की सिफारिशों को सांविधिक रूप से लागू करना। निष्कर्षों को जब अंतिम रूप दे दिया जावेगा, तब हमेशा की तरह सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

स्थायी श्रम समिति की कार्यसूची की मदें

(29 वां अधिवेशन-नई दिल्ली-23-24 जुलाई, 1970)

1. 18 जुलाई, 1968 को नई दिल्ली में हुये स्थायी श्रम समिति के 28वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों पर की गई कार्यवाही।
2. औद्योगिक सम्बन्ध आयोग तथा श्रम न्यायालय।
3. यूनियनों की मान्यता।
4. ट्रेड यूनियनें और उनके पंजीकरण की प्रक्रिया तथा अन्य मामले।
5. 'उद्योग' और 'कर्मकार' शब्दों की परिभाषा।
6. हड़ताल तालाबन्दी का अधिकार।
7. अनुचित श्रम-व्यवहार।
8. मजूरी बोर्डों की प्रणाली।
9. औद्योगिक श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन-व-जीवन बीमा योजना।
10. अस्पतालों तथा औषधालयों के श्रमिक-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का लागू होना।
11. राष्ट्रीय श्रम संस्थान।
12. फिल्म उद्योग के श्रमिकों के लिये विधान सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट।
13. सांविधिक आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श तंत्र तथा अनिवार्य पंच फैसलों की योजना के लिये प्रस्ताव का नोट।

Post Offices Proposed to be opened in Banda ((U.P.) during 1970-71

*3481. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the number of post offices proposed to be openedduring 1970-71 in Banda District of U.P. and the ocations thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communication (Shri Sher Singh) : Four Branch Post Offices are proposed to be opened at villages Gahur, Gumanganj, Aghar Aunda and Ragauli in Banda District of U. P. during 1970-71.

Augumentation of Capacity of Gwalior Station of all India Radio

3482. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state ;

(a) the schems chalked out by Government for augumenting the capacity and utility of Gwalior station of All India Radio ; and

(b) the progress made so far in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Studio facilities for origination of programme and replacement of existing transmitter by oer with higher power areproposed for A. I. R. Gwalior.

(b) The sitefor studio building has been selected and equipment for transmitter has been ordered. Scheme will be completed by 1973-74.

Manufacture of Sugar from Beet

3483. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the details of Government scheme to manufacture sugar from beets?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : There is no Government scheme as such for the manufacture of sugar from beet on a commercial scale. However, an outlay of Rs.22 lakhs has been provided in the Fourth-Five-Year Plan for an all-India Co-ordinated Research Project on sugar beet under the Indian Council of Agricultural Research for carrying out detailed studies of beet culture, beet seed production and sugar beet technology. Pilot scale trials with an imported beet sugar pilot plant have also been conducted at different places—Yamunanagar (Haryana) in 1965-66, Bhogpur (Punjab) in 1966-67, Sriganganagar (Rajasthan) in 1967-68 and 1968-69 and Daurala (Uttar Pradesh) in 1969-70 seasons. The results obtained during these trials have been found to be encouraging. The pilot plant trial have beenfound tobe encouraging. The pilot plant trial will continue at Daurala during 1970-71 season also.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध में चिकनाई की कमी और उसका दुग्ध सप्लाई पर प्रभाव

3484. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के उपभोक्ताओं को अब दूध उनके निर्धारित सामान्य कोटे से कम तथा देर से प्राप्त होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूध में पर्याप्त चिकनाई वाले तत्व को उपलब्ध कराने में दिल्ली दुग्ध योजना के सामने गम्भीर कठिनाई आ रही है ;

(ग) चिकनाई वाले तत्व की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है और परिणामतः दूध की सप्लाई में कितनी कमी हुई है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। ग्रीष्म ऋतु के अन्त में दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं पर दूध को पहुँचाने में कभी-कभी विलम्ब हुआ। दूध की पूरी मात्रा दी गई, किन्तु आपूर्ति को बनाये रखने के लिए किसी-किसी दिन मानकीकृत दूध के स्थान पर टोंड दूध की आपूर्ति की गई।

(ख) जुलाई के माह में समुचित स्नेह (फैट) तत्व की मात्रा बनाये रखने में गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

(ग) स्नेह तत्व की कमी का कारण गर्मियों के महीनों में ताजे दूध की कम अधिप्राप्ति थी। यह मौसमी कमी आमतौर पर होती है। इस अभाव के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिये मेरठ, गुडगांव, करनाल तथा बिकानेर (राजस्थान) के निकटवर्ती जिलों में, जो कि दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध एकत्रण क्षेत्र का निर्माण करते हैं, केन्द्रीय क्षेत्र में चार सघन पशु विकास परियोजनायें स्वीकृत की गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दुधारू पशुओं के क्रय, प्रजनन सुविधाओं की व्यवस्था, पशु चिकित्सा सेवा, चारा तथा आहार और अन्य ग्रामीण डेरी विस्तार सेवाओं के लिये ऋण प्रदान करने हेतु 220.37 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में एक और अकाल की आशंका

3485. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में छपी इस खबर की ओर कि राजस्थान में दूसरा अकाल पड़ने का भय है, दिलाया गया है;

(ख) गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और नागपुर जिलों की फसलों के सम्बन्ध में जहां हाल ही में रेतीले तूफान तथा तीव्र वेगवाली हवायें आयी थीं सरकार का क्या विचार है; और

(ग) अकस्मात उत्पन्न हुई अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) और (ग) : राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भागों में सूखे की स्थिति बनी हुई थी। वहां पर या तो वर्षा हुई ही नहीं थी अथवा अपर्याप्त वर्षा हुई थी और कुछ स्थानों पर रेतीले तूफानों से भी खरीफ को फसल क्षतिग्रस्त हुई है। राज्य सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और आशा है कि सितम्बर, 1970 के अन्त तक फसल की ठीक-ठीक स्थिति का पता चल सकेगा। इस बीच राज्य सरकार प्रभावित जनसंख्या की कृषि कार्य जारी रखने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्य में, मौजूदा स्थिति का जायजा लेने तथा इस बात पर विचार करने के लिए कि और क्या क्या राहत उपाय करना आवश्यक होगा, एक केन्द्रीय हल भेजने का फैसला किया है।

मसानी समिति के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन पर विभागीय कलाकारों की आपत्ति

3486. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विभागीय कलाकारों ने मसानी समिति के सिफारिशों को लागू किए जाने पर आपत्ति प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अध्ययन दल की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में स्टाफ आर्टिस्टों की राय बंटी हुई है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता

3487. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत 5 प्रतिशत मकान किराया भत्ता सभी शहरों में उन्हें नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे क्रियान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) से (ग) : वेतन, भत्तों तथा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों पर वही नियम लागू होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के उसी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को, जहां तक आवास-स्थान का प्रश्न है, कुछ नुकसान में थे, क्योंकि वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के जनरल पूल से आवास-स्थान के आबंटन के लिए अधिकारी नहीं थे। इसलिये बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास जैसे इन बड़े शहरों में जहां केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकारी आवास दिये जाते हैं, रहने वाले कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार की दरों से वेतन का पांच प्रतिशत अधिक मकान किराया भत्ता मंजूर किया गया है। चूंकि उपरोक्त चार स्थानों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास का कोई जनरल पूल नहीं है अतएव अन्य स्थानों पर नियुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता उन्हीं दरों पर दिया जाता है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये है, किन्तु उन्हें उनके वेतन का पांच प्रतिशत अतिरिक्त मकान किराया भत्ता मंजूर नहीं किया गया है।

खाद्यान्नों की वसूली तथा लक्ष्य

3488. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिये निर्धारित केन्द्रीय पूल के विभिन्न खाद्यान्नों के सम्बन्ध में खाद्यान्न वसूली के लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त हो चुकी है; और

(ग) अब तक विभिन्न खाद्यान्नों की कुल वसूली गत वर्ष की इसी अवधि में की गई वसूली की तुलना में कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) : केन्द्रीय भंडार के लिए कोई अलग से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति नहीं की जाती है । अतः राज्य में कुल सरकारी अधिप्राप्ति हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं ।

(हजार मीटरी टन में)

अनाज और विपणन मौसम	लक्ष्य	चालू विपणन मौसम में अब तक वास्तव में अधिप्राप्त की गई मात्रा	पिछले वर्ष की उसी अवधि में अधिप्राप्त की गई मात्रा
चावल (नवम्बर, 1969-अक्तूबर, 1970)	4,545	2,853	3,151
अन्य खरीफ के अनाज (नवम्बर, 1969-अक्तूबर, 1970)	1,000	271	462
गेहूँ (अप्रैल, 1970-मार्च, 1971)	3,700	3,005	2,339

दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता का पुर्नमूल्यांकन

3489. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह चेतावनी मिलती है कि भारत को अपनी दीर्घकालिक कृषि उत्पादन संभाव्यता का बारीकी से पुनरीक्षण और पुर्नमूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक उपाय करना चाहिए कि उनकी वर्तमान आशाएं और परियोजनाएँ अव्यहारिक सिद्ध न हों;

(ख) किस संदर्भ में यह चेतावनी दी गई है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के अनुरोध पर संयुक्त राज्य कृषि विभाग द्वारा तैयार किये गये "विकासोन्मुख राष्ट्रों में कृषि की आर्थिक प्रगति, 1950-68" शीर्षक अचलयन में भारत की कृषि उत्पादन सम्भाव्यताओं के पुनरीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है । अध्ययन में कई विकासोन्मुख देशों के कृषि उत्पादन और उत्पादकता की प्रगति और 1970 से शुरू होने वाली दशाब्दी में कृषि में किये कार्यों के सुधार के लिए समस्याओं और नीतियों पर विचार किया गया है ।

(ग) कृषि विकास की नई नीति के अन्तर्गत उपायों द्वारा कृषि की उत्पादन सम्भाव्यताओं

को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । इसका वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा निरन्तर परीक्षण किया जाता है ।

राज्यों में मालिकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा में जमा की गई राशि

3490. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने-कितने मालिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत राशि जमा करते हैं और (राज्यवार) उनमें से कितनों ने 30 जून, 1970 तक अपनी राशि जमा करा दी थी ;

(ख) उसमें से कितने अपनी राशि जमा न करा सके और उनकी और कुल कितनी राशि बकाया है ; राज्यवार तथा उद्योगवार राशि का भुगतान न करने वाले मालिकों के नाम और पते क्या हैं और प्रत्येक की ओर कुल कितनी बकाया राशि है ;

(ग) क्या सरकार इसे दुर्विनियोग समझती है; यदि हां, तो यदि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या अब तक कोई कार्यवाही की गई है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रशासन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत स्थापित किए गए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है तथा इसका भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भेजी गई सूचना नीचे दी गई है :—

(क) और (ख) : 31-3-70 को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार नियोजकों (कारखानों) की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है । उन नियोजकों की संख्या आदि से सम्बन्धित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने बकाया राशि जमा करा दी है अथवा 30-6-70 तक की बकाया राशि की अदायगी नहीं की है, क्योंकि 30 जून 1970 तथा 30 मई, 1970 को समाप्त होने वाली समयावधियों के सम्बन्ध में नियोजकों के विशेष अंशदान तथा कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी की अन्तिम तिथि क्रमश: 30 जुलाई 1970 तथा 11 जुलाई 1970 थी ।

(ग) और (घ) : नियोजकों द्वारा कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी न किए जाने पर न्यासभंग के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है और कुछ मामलों में सजायें दिलाई गई हैं । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दोषी नियोजकों पर अभियोजन चलाने की कार्यवाही भी की जा रही है ।

विवरण

31-3-1970 योजना के अन्तर्गत आये कारखानों की संख्या

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	कारखानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	643
2.	असम	184
3.	बिहार	498

4.	दिल्ली	1,102
5.	गुजरात	1,728
6.	केरल	931
7.	मध्य प्रदेश	460
8.	महाराष्ट्र	5,044
9.	मैसूर	706
10.	उड़ीसा	165
11.	पंजाब	1,918
12.	राजस्थान	336
13.	तमिल नाडू	1,859
14.	उत्तर प्रदेश	1,134
15.	पश्चिम बंगाल	3,835
	योग :	20,543

पश्चिमी बंगाल में मालिकों द्वारा जमा न की गई कर्मचारी भविष्य निधि की राशि

3491. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में मालिकों की किन-किन श्रेणियों को भविष्य निधि की राशि देने से मुक्त कर दिया गया है ; और किन कारणों से उन्हें यह छूट दी गई है ;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के संचालन में जो गम्भीर अनियमितताएं हैं, क्या सरकार का ध्यान उनकी ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में पश्चिमी बङ्गाल में जिन मालिकों ने भविष्य निधि में अपने अंश का भुगतान नहीं किया है उनके नाम क्या हैं और उनकी संख्या क्या है तथा उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(घ) यदि ऐसे मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत एक स्वायत संगठन है, तथा इसका भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न सूचना दी है :—

(क) पश्चिमी बङ्गाल में 1 जनवरी 1970 को ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या 585 थी जिनको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत उसके अधीन बनी योजना के उपबन्धों के प्रवतन से छूट तथा छूट मंजूर होने तक रियायत दी गई है। परन्तु उनके नाम संगठन के मुख्य कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत उसके अधीन बनाई गई योजनाओं के प्रवर्तन से प्रतिष्ठानों को छूट दी जा सकती है, यदि उनमें भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ अथवा भविष्य निधि, पेंशन या ग्रेच्यूटी की तरह के कुल लाभ अलग अथवा संयुक्त रूप से कर्मचारियों के लिये अधिनियम में व्यवस्थित लाभों से कम उपयुक्त न हों।

(ख) छूठ प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में पायी गई अनियमिततायें निम्न प्रकार की हैं :—

(i) न्यासी बोर्ड को स्थापना न किया जाना।

(ii) न्यासी बोर्ड के लिये नियोजकों तथा श्रमिकों के मासिक भविष्य निधि अंशदानों का हस्तान्तरण न किया जाना।

(iii) भविष्य निधि के अंशदानों का निवेश न किया जाना।

(vi) संगठन की जांच खर्च की अदायगी न करना।

(v) भविष्य निधि की राशि का व्यापार में उपयोग किया जाना।

(vi) संगठन को निर्धारित विवरणियांन भेजना।

(ग) ऐसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के अपने हिस्से के अंशदान न्यासी बोर्ड को हस्तान्तरण नहीं किये हैं, इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत छूट प्रदान करने की शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप साधारणतः छूट को रद्द करने अथवा अधिनियम की धारा 14 (2ए) के अन्तर्गत नियोजकों पर अभियोजन चलाने की कार्यवाही शुरू की जाती है।

रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या

3492. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तथा आज तक वर्षवार प्रत्येक राज्य के रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार लोगों के नाम पंजीकृत किये गये; और

(ख) रोजगार कार्यालयों के आंकडों के अनुसार उक्त अवधि में वर्षवार प्रत्येक राज्य में कुल बेरोजगारों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी-कितनी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख) : उपलब्ध जानकारी विवरण में दी गई है ? [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4029/70]

खाद्यान्न की फसलों के अन्तर्गत भूमि और सिंचाई सुविधाओं सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े

3493. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-1968 से 1969–70 तक वर्षवार तथा राज्यवार भारत में अनाज की प्रत्येक फसल का अनुमानतः उत्पादन कितना-कितना हुआ ;

(ख) 1967-68 से 1969-70 तक वर्षवार तथा राज्यवार भारत में अनाज की हर फसल

की वृद्धि में (1) खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि और (2) उत्पादकता में वृद्धि का कितना-कितना अंश रहा ;

(ग) 1967-68 से 1969-70 तक वर्षवार तथा राज्य वार भारत में अनाज की हर फसल के उत्पादन की वृद्ध में (1) सिंचाई (2) उर्वरकों और (3) बीज, खाद आदि अन्य कृषि सामग्री का कितना-कितना अंश रहा ;

(घ) वर्ष 1970-71 के लिये भारत में अनाज की हर फसल का उत्पादन लक्ष्य क्या है; और

(ङ) उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) 1967-68 और 1968–69 के दौरान भारत में राज्यवार प्रत्येक खाद्य फसल का उत्पादन प्रदर्शित करने वाला एक विवरण (1) तथा 1967–68 से 1968–69 तक में प्रत्येक खाद्य फसल की उत्पादकता (अर्थात् प्रति हेक्टार उपज) और क्षेत्र में प्रतिशत भिन्नता प्रदर्शित करने वाला एक विवरण (2) संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4030/70**] 1969-70 के लिए खाद्यान्नों के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, किन्तु अस्थायीरूप से अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 100 लाख मीटरी टन है ।

(ग) किसी विशेष वर्ष में अलग-अलग खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अन्य बातों के अतिरिक्त वर्ष के दौरान मौसम की परिस्थितियों और प्रयोग में लाए गए विभिन्न आदानों पर निर्भर करता है । इस अवधि में प्रत्येक खाद्य फसल के उत्पादन में इनमें से प्रत्येक कारण का क्या-क्या प्रभाव रहा, इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) 1970–71 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का कुल लक्ष्य 1060 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है । खाद्यान्नों की हर फसल के उत्पादन लक्ष्य अलग से निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

(ङ) 1970–71 में खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि विकास की नई नीति के अन्तर्गत अपनाये गये विभिन्न उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा । बनाए गए कार्यक्रमों में अनाजों की अधिक उत्पादन शील किस्मों के बोए जाने वाले क्षेत्र को 130.00 लाख हेक्टार तक बढ़ाना, 20.1 लाख मीटरी टन से 25.4 लाख मीटरी टन तक उर्वरकों की खपत के स्तर में वृद्धि, 15.00 लाख हैक्टारों के अतिरिक्त क्षेत्र को लाभ पहुँचाने के लिए लघु सिंचाई का विस्तार और लगभग 18.00 लाख हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र में बहुद्देश्यीय फसल बोना सम्मिलित हैं । इसके अतिरिक्त, अन्य योजनायें को भी, जिनमें ऋण का विस्तार, पोद रक्षण उपाय, भूमि संरक्षण तथा भूमि सुधार, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा तथा किसानों का प्रशिक्षण आदि सम्मिलित हैं, तीव्र किया जायेगा ।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर में तालाबन्दी

3494. **श्री बी० कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स जो एक राष्ट्रीय उपक्रम है, के प्रबन्धकों ने 25 जुलाई, 1970 से तालाबन्दी की घोषणा की थी क्योंकि वहां के श्रमिकों ने अधिक मजूरी और मकानों की मांग के समर्थन में हड़ताल कर दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और मामले को तय करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : **(क) और (ख)** : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

ट्रैक्टर खरीदने के लिये छोटे किसानों को केन्द्रीय सहायता

3495. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ;

(ख) क्या छोटी जोत वाले किसान बैंक से ऋण लेने के अधिकारी नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस असंगति का पता लगाया गया है और क्या छोटी जोत वाले किसानों को आसानी से प्राप्त होने वाले ऋण दे कर सहायता के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : छोटी जोत वाले कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये ऋण जारी करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । किन्तु, बैंकों को आर्थिक संभाव्यता तथा मांगे गये ऋण की उचित उपयोगिता पर भी विचार करना पड़ता है ।

छोटे कृषकों तथा सीमान्त कृषकों को आसानी से ऋण लपलब्ध कराने तथा इनकी उपयोगिता की जांच के लिये विशेष योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं । इस सम्बन्ध में चतुर्थ योजना की अवधि में देश के विभिन्न भागों में छोटे कृषकों के लिये लगभग 1.50 करोड़ रु० प्रति परियोजना की लागत से 46 परियोजनायें तथा सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिये लगभग 1 करोड़ रु० प्रति परियोजना की लागत से 40 परियोजननाएं भारत सरकार प्रारम्भ कर रही है । इन योजनाओं को कार्यान्विति से छोटे कृषकों को कृषि क्षेत्र में ऐसे विनियोजनों के लिये, जो कि उसके लिये मितव्ययी तथा लाभकर होंगे, समय पर और समुचित ऋण प्राप्त होने की आशा है । समग्ररूप से ऐसे कृषकों को ट्रैक्टर के लिये ऋण प्रदान न किये जायें, क्योंकि ये ऋण इन लोगों के लिये अलाभकर ऋणभार मात्र होंगे ।

खाद्यान्नों का आयात बन्द होने के बाद पत्तन कर्मचारियों को रोजगार

3496. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1971 के बाद खाद्यान्नों का आयात बन्द कर दिया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इस कार्य पर लगे हुए कितने पत्तन कर्मचारी बेकार हो जाएंगे ; और

(ग) क्या उनको रोजगार देने के लिए कोई अग्रिम योजना बनाई गई है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। 1971 के बाद, केवल रियायती आयात बन्द किए जाने का विचार है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा बन्दरगाहों पर लगाये गये कर्मचारी, खाद्यान्नों और उर्वरक दोनों की ही देखभाल करते हैं। क्योंकि आगामी वर्षों में खाद्यान्न और उर्वरक के आयात की मात्रा अभी अनिश्चित है अतः कौन-कौन लोग आगे चलकर फालतू हो जाएंगे, उसके संबन्ध में अभी हिसाब लगा पाना सम्भव नहीं है।

(ग) जी, हां। निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(1) यथा सम्भव बन्दरगाहों के फालतू कर्मचारियों को गोदामों में काम करने के लिए भेजा जा रहा है।

(2) गोदी श्रम बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट से अनुरोध किया गया है कि वे, जहां कहीं भी संभव हो, नई भर्ती करने के बजाय फालतू श्रमिकों को ही अपने यहां रखें।

लन्दन से 'मिलाप' के संस्करणों का जारी होना

3497. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से प्रकाशित 'दैनिक "मिलाप" का विचार इंग्लैंड में भारत का सही स्वरूप चित्रित करने के लिए लन्दन से अपना संस्करण निकालने का है ;

(ख) क्या हमारी सरकार तथा ब्रिटेन की सरकार को अनुमति प्राप्त कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकारों का क्या रवैया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दैनिक 'मिलाप' नई दिल्ली के कार्यालय के एक संवाददाता के अधीन लन्दन कार्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के आयात का बन्द किया जाना

3498. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : **श्री मणिभाई जे० पटेल** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में 27 जुलाई, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित यह वक्तव्य दिया है कि 1970 के अन्त तक भारत खाद्यान्न के आयात को बन्द करने के योग्य हो जायेगा तथा वह पी० एल० 480 पर भी आश्रित नहीं रहेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं कि 1971 के अन्त तक खाद्यान्न का आयात न हो ;

(ग) उत्पादन तथा खपत में वर्तमान अन्तर कितना है ;

(घ) क्या इस नीति सम्बन्धी वक्तव्य को जारी करने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही योजना में विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं।

(ग) खपत संबन्धी किसी विस्तृत तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभाव में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खाद्यान्नों और अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय-स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण आदि की सीमा पर निर्भर करते हुए खाद्यान्नों की आवश्यकता, कुछ हद तक लचीली होती है, किसी वर्ष विशेष में आवश्यकताओं तथा उत्पादन एवं खपत के बीच के अन्तर का ठीक-ठीक मात्रात्मक अनुमान लगाना सम्भव नहीं हैं।

(घ) और (ङ) : राज्य सरकारों के परामर्श से विस्तृत विकास कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श तथा उन्हें तैयार किया जाता है। वे प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के बारे में जागरूक होती हैं। अतः वक्तव्य देने से पहले उनसे परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

मन्त्री का यह आदेश कि फाइलों पर निर्णय लेने में दस दिनों से अधिक विलम्बन किया जाये

3499. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में यह निदेश जारी किये हैं कि मन्त्रालय में कोई भी व्यक्ति फाइल को दस दिन से अधिक न रोके ;

(ख) यदि हां, तो इन निदेशों को कहां तक लागू किया जा रहा है ;

(ग) क्या उन्हें किसी फाइल के दस दिन से अधिक तक रोके जाने के बारे में कोई सूचना मिली है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि फाइलों को निबटाने में देरी न की जाये ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) , (ग) और (घ) : अनुदेश सरकारी कार्य को जल्दी से निपटाने के दृष्टिकोण से जारी किये गये हैं । सभी स्तरों पर यह देखभाल की जा रही है कि इस अनुदेश का पालन हो । प्रत्येक मामले में इस सीमा के बाद देर करने पर उस व्यक्ति को, जो इसका जिम्मेदार है, स्पष्टीकरण करना होगा ।

गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादन में कमी

3500. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के बाजार में बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाने के कारण अधिकाधिक गन्ना उत्पादक कपास पैदा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कुल कितनी एकड़ भूमि पर गन्ने के स्थान पर कपास की खेती की गई है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कुल कितनी एकड़ भूमि पर कपास की खेती की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) इस बारे में राज्यों से अभी तक उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि गन्ने के अधीन किसी क्षेत्र को कपास के अधीन नहीं लाया गया है सिवाय कुछ सीमा तक आन्ध्र प्रदेश और मैसूर को छोड़कर केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से इस बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) कपास की फसल के अधीन लाये गये क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) एक विवरण (1) जिसमें 1968-69 के दौरान कपास के अधीन क्षेत्र के अन्तिम अनुमान दिये गये हैं, संलग्न है । वर्ष 1969-70 के लिये कपास के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी एक विवरण (2) जिसमें विभिन्न राज्यों में कपास के अधीन क्षेत्र के प्राथमिक अनुमान दिये गये हैं, जो कपास के 1969-70 के अखिल भारतीय चौथे अनुमानों पर आधारित हैं, संलग्न है । पिछले अनुभवों से पता चलता है कि चौथी अनुमान अवस्था में दिखाया गया क्षेत्र अन्तिम बताये गये क्षेत्र का लगभग 95 प्रतिशत होता है ।

विवरण

1968-69 के दौरान कपास अधीन क्षेत्र के अन्तिम अनुमान

राज्य	क्षेत्र (हजार हैकटार) 1968-69 (अन्तिम)
आन्ध्र प्रदेश	294.1
असम	18.4
बिहार	2.4
गुजरात	1607.9
हरियाणा	211.0
जम्मू तथा काश्मीर	0.6

केरल	6.3
मध्य प्रदेश	761.2
महाराट्र	2668.9
मैसूर	1037.3
उड़ीसा	0.4
पंजाब	444.0
राजस्थान	296.1
तमिल नाडु	281.6
उत्तर प्रदेश	53.2
दिल्ली	0.3
हिमाचल प्रदेश	0.8
पाण्डुचेरी	0.3
त्रिपुरा	2.5
जोड़ (भारत)	76-85.3

विवरण—2

अखिल भारतीय चौथे अनुमानों के अनुसार 1969-70 के दौरान कपास के अधीन क्षेत्र के पारम्भिक अनुमान ।

(हजार हैक्टार में)

राज्य	1969-70 (चौथा अनुमान)	1968-69 की तुलना में 1969-70 के दौरान क्षेत्र को प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (-)	
आन्ध्र प्रदेश	279.9	(+)	11.8
असम	15.5	(-)	5.5
बिहार	0.6	(-)	40.0
गुजरात	1641.3	(+)	2.1
हरियाणा	195.0	(-)	7.6
जम्मू तथा काश्मीर	0.6	-	
केरल	6.2	(-)	1.6
मध्य प्रदेश	687.6	(-)	9.7
महाराष्ट्र	2757·0	(+)	5.9
मैसूर	943.8	(+)	1.5
उड़ीसा	0.3		-

पंजाब	379.0	(–)	1.6
राजस्थान	234.8	(–)	10.8
तमिल नाडु	249.8	(–)	10.2
उत्तर प्रदेश	51.6	(+)	3.0
दिल्ली	0.2	(–)	33.3
हिमाचल प्रदेश	1.0	(+)	25.0
त्रिपुरा	2.6	(+)	4.0
अखिल भारत के लिये	744.68	(+)	1.0

टिप्पणी : इस अनुमान में 1969-70 के दौरान फसल के अधीन सारा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि चौथी अनुमान अवस्था में दिखाया गया क्षेत्र अन्तिम बताये गये क्षेत्र का लगभग 95 प्रतिशत होता है।

अन्तर-संघीय वैमनस्य के कारण पश्चिम बंगाल में कारखानों का बन्द होना

3501. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अधिकतर कारखाने अन्तर-संघीय वैमनस्य के कारण बन्द हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने बन्द हुए हैं ; और

(ग) इन कारखानों को पुनः चालू कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री० डी० संजीवैय्या) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Man-days Lost due to Strike

3502. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of man-days lost in the public and private industries as a result of workers' strike in the country during the years 1967, 1968 and 1969, separately ;

(b) the number of man-days lost in Bengal during the aforesaid years ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to prevent this loss of man-days ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : **(a) and (b)** : Information is being collected and will be placed on the Table of the House on its receipt.

(c) The Industrial Disputes Act, 1947, which is the principal Central legislation providing for the settlement of industrial disputes, and the voluntary arrangements (including bipartite and tripartite agreements) from the basis of Government's industrial relations policy. The whole issue of strikes, however, is under Government's consideration in the light of the recommendations of the National Commission on Labour and the conclusions of the Standing Labour Committee at its meeting in July, 1970.

Consumption of Urea, Ammonia Sulphate and Nitrate during last three years

3503. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Government's estimates of the consumption of fertilisers like urea, ammonia sulphate, nitrate etc. in the various States during the period 1967 to 1969, yearwise and the actual consumption thereof during the above period, year-wise ; and

(b) additional steps Government propose to take to increase the consumption of fertilizers in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Sindhe) : (a) The State Governments furnish estimates of the consumption of fertiilzers at the beginning of each year in terms of plant nutrients, viz., Nitrogen, Phosphates and Potash and notintesus of various products as these are of ten interchanged in achieving the nutrient targets.The Statewise estimates of consumption and the actual consumption of fertilizers in terms of N.P. and K. for the years 1967-68 and 1968-69 are shown in Statement I attached herewith. Information regarding the actual consumption in terms of various products is not available. However, the total despatches of various products to each State both from the Central Fertilizer Pool and indigenous manufacturers during the above two years are shown in the attached statement II. [**Placed in Library. See No. L. T. No. 4031/70**]

(b) The Government have been taking various steps to increase the consumption of fertilizers in the country. The commercial banks are encouraged to provide greater credit facilities to farmers and dealers of fertilizers. They are considering a scheme to guarantee repayment of credit extended by bankers to farmers and fertilizere dealers. The system of licensing of fertilizer dealers has been replaced by a system of registration so as to increase the number of sale points in the country.

The national demonstration and farmers' training schemes have been strengthened to bring to the farmer the latest technology on agriculture, including optimum and balanced use of fertilizers. The Government are also actively considering establishment of a Ferltizer Promotion Council for stepping up balanced use of fertilizers.

मंगलौर में डाक-तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में प्रगति

3504. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार कर्मचारियों के लिए लीवेल में क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) चूंकि किराये बहुत अधिक हैं और वे कर्मचारियों के वेतन के 20 प्रतिशत से अधिक हैं तो इमारतों को बहु-मंजली बना कर तथा उनका डिजाइन बदल कर कम से कम 25 प्रतिशत कर्मचारियों के लिये उसमें स्थान क्यों नहीं बनाया जाता ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) इमारत के नक्शे तैयार हैं और प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं । चौथी योजना के दौरान क्वार्टरों के तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

(ख) उपलब्ध भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए 3 मंजिलों की इमारत खड़ी करने का प्रस्ताव है। चौथी योजना में उपलब्ध सीमित धनराशि से पूरे देश में स्टाफ क्वार्टरों की भूमि के लिए 6.5 करोड़ रुपये और उनके निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपयों की ही व्यवस्था करना संभव हुआ है। ये रकमें विभिन्न सर्कलों और जिलों के बीच उनके कर्मचारियों की संख्या और जितने क्वार्टर अभी वहां उपलब्ध हैं, उनकी संख्या को ध्यान में रखकर बांट दी गई है। चौथी योजना में उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या में दो से चार प्रतिशत के बीच वृद्धि करने का विचार है।

मैसूर में भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए मुकदमा

3505. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार संबन्धी केन्द्रीय समिति का पुनर्गठन किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति इस बात का विचार करेगी कि भू-स्वामी भूमि राजस्व क्यों अदा करें जबकि उन्हें काश्तकारों से मिलने वाला लगान उचित लगान निर्धारित करने तक निलम्बित कर दिया जाता है ;

(ग) क्या यह भूस्वामियों द्वारा स्वयं काश्त न की जाने वाली सभी भूमि को सरकार द्वारा ग्रहण किये जाने के उपबन्ध के प्रभाव पर विचार करेंगे जबकि इससे भूस्वामी भूमि का कानूनी और गैर कानूनी ढंग से तथा समाप्त न होने वाली मुकदमेबाजी से पुनर्ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं ;

(घ) सरकार के मालिक बनने पर काश्तकारों को क्या विशेष लाभ होगा जबकि वर्तमान मालिकों को उचित लगान लेने तथा पट्टेदारी की सुरक्षा के लिए विवश किया जा सकता है तथा यदि मालिक और काश्तकार इस बात के लिए सहमत हों तो उन्हें भी कुछ स्वामित्व अधिकार दिये जा सकते हैं ; और

(ङ) क्या सलाहकार समिति द्वारा मध्यस्थों को समाप्त करने, पुनर्ग्रहण के अधिकार को निर्बाध करने तथा अधिकतम सीमा को घटाने का किया गया निर्णय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के इस फैसले के अध्यधीन होगा कि मालिकों की उनके अधिकारों को नौवीं अनुसूची में उल्लिखित सीमा के अतिरिक्त नहीं छीना जा सकेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) : सामान्य भूमि नीति को अनुवर्ती पंच-वर्षीय योजनाओं में निर्दिष्ट किया गया है। भूमि सुधार की केन्द्रीय समिति भूमि सुधारों की प्रगति तथा क्रियान्वयन पर लगातार ध्यान देगी तथा राज्य सरकारों को प्रस्ताव तैयार करने, उचित कानून बनाने एवं ऐसे उपायों के शीघ्र कार्यान्वयन में सहायता देगी। राज्य सरकारों को सिफारिश किये गये उपाय संविधान के प्रावधानों के अनुसार होंगे, जैसीकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई हैं। प्रश्न के भाग (ङ) में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के पहले, चौथे तथा सत्रहवें संशोधनों को वैध माना है और ये वैध बने रहेंगे। परिणाम स्वरूप संविधान की नवीं अनुसूची के अनुच्छेद 31 (ख) के द्वारा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए दी गई सुरक्षा ही न केवल जारी

रहेगी, बल्कि निर्णय के पहिले या बाद में बनाये गये किसी अन्य कृषि सम्बन्धी कानून के लिए संविधान के अनुच्छेद 31 (क) की सुरक्षा भी जारी रहेगी।

जैसलमेर में ट्रैक्टरों और पशुओं की कमी

3507. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल की वर्षा के पश्चात जैसलमेर राज्य को खेतों में हल चलाने के लिए ट्रैक्टरों और पशुओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Broadcast of Reviews on News and Views of Press over A.I.R. Bhopal, Indore and Jabalpur

3508. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9624 on the 14th May, 1970 and state :

(a) which other A.I.R. Stations, with special reference to Bhopal, Indore and Jabalpur, regularly broadcast reviews on the news and views expressed in the press ; and

(b) whether Government would lay on the Table a statement showing the names of the reviewers commentators who contributed the scripts of such reviews to the aforesaid station during 1969-70 together with the amount of money paid to each of them therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Investment of 50 per cent E. P. F. in Small Savings by Employers in Madhya Pradesh

3509. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation be** pleased to state :

(a) whether some Commissioners big businessmen and industrialists in Madhya Pradesh are strictly following the directions given by the Central Government in March, 1969 to invest 50 per cent of the Provident Fund in small savings schemes and Government loans ;

(b) if so, the number of big employers who have violated these directions ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund. The Provident Fund authorities have reported as under :

(a) The investment of provident fund accumulations in respect of unexempted establishments is not made by any Regional Commissioner but is made centrally in accordance with

the pattern prescribed by the Central Government through the agency of the Reserve Bank of India. The exempted establishments are required to invest not less than 50 percent of the Employees' Provident Fund accumulations in Central Government securities. There is, therefore, no obligation on their part to invest 50 per cent in small savings schemes and State Government loans.

(b) and (c) : In view of what is stated above, the questions do not arise.

आसाम तेल कम्पनी श्रमिक संघ को मान्यता

3511. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम आयल कम्पनी को यह निदेश देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है कि आसाम तेल कम्पनी श्रमिक संघ को मान्यता दे दी जाय ;

(ख) यदि हां, तो कब निर्णय किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डो० संजीवैय्या) : (क) से (ग) : आसाम तेल कंपनी श्रमिक संघ को मान्यता देने का मामला 6 अक्तूबर, 1969 को हुई केन्द्रीय क्रियान्विति तथा मूल्यांकन समिति की 18 वीं बैठक के समक्ष रखा गया। तथापि, यूनियन द्वारा नामित प्रतिनिधि ने बैठक में भाग नहीं लिया और समिति ने इस मामले पर विचार स्थगित करने का निर्णय किया।

Unemployment Among Landless Labourers

3512. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1180 on the 23rd April, 1970 and state :

(a) whether Government have since ascertained the magnitude of unemployment among the landless labourers in the country at present ;

(b) if so, the number of landless unemployed labourers in the country ;

(c) the number of those out of them who are subsisting on a paltry amount of less than Re.1 per day ; and

(d) whether Government have come to know of the actual position in this regard and if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) No.

(b), (c) and (d) : Do not arise.

महाराष्ट्र में बिनौला निकालने तथा गांठे बांधने के उद्योगों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करना

3513. **श्री देवराव पाटिल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 23 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7348 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में बिनौला निकालने तथा गाठें बांधने के उद्योगों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करने के मामले की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में, सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख) : इस मामले पर संबन्धित पक्षों का परामर्श लेकर अभी विचार किया जा रहा है।

कपास की नई किस्म के बारे में प्रयोग

3514. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपास की नई किस्म के बारे में प्रयोग कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित रुई सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत, भारत में विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में कई नई किस्मों का निरन्तर विकास और परीक्षण किया जा रहा है। 1970 में, ऐसे परीक्षण उत्तरी क्षेत्र अर्थात् पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के 14 केन्द्रों में, केन्द्रीय क्षेत्र अर्थात् गुजराज, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों के 23 केन्द्रों में और दक्षिण क्षेत्र अर्थात् मैसूर, आन्ध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों के 20 केन्द्रों में किये जा रहे हैं।

उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत रुई की कई नई किस्मों का परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

आदिम जाति तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए रोजगार

3515. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिम जाति तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी लोगों को रोजगार दिये जाने की कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डा० संजीवैय्या) : (क) से (ग) : अनुसूचित आदिम जाति सहित पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में शिक्षा के लिए अधिकाधिक सहायता, भूमि आवंटन, कृषि उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता जैसे अनेक उपाय अपेक्षित हैं।

आकाशवाणी के अंशकालिक सम्वाददाता

3516. **श्री स० कुण्डू** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भर में आकाशवाणी के कितने अंशकालिक सम्वाददाता हैं;

(ख) उनकी परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या उनके निवास स्थानों पर टेलीफोन की सुविधा दी जाती है ; और

(घ) क्या उनको समाचार भेजने के निदेश दिये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 62.

(ख) अंशकालिक संवाददाताओं को मासिक परिलब्धियां 75 रुपये से लेकर 150 रुपये तक अलग-अलग हैं । काम के कोई न्यूनतम घण्टे निर्धारित नहीं किये गये हैं और न ही कवर करने की कोई न्यूनतम शब्द संख्या । परन्तु, उनसे आशा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में केवल आकाशवाणी के प्रयोग के लिए सन्देश भेजें । अंशकालिक सम्वाददाता एक कलैन्डर वर्ष में 12 आकस्मिक छुट्टी ले सकता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

भारतीय खाद्य निगम, उड़ीसा के कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप

3517. **श्री स० कुण्डू** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम उड़ीसा में कुछ गोदाम खोल रहा है, यदि हां तो वे किन स्थानों पर खोले जा रहे हैं ;

(ख) क्या मध्यम किस्म के चावल के अन्तर्गत सामान्य किस्म के चावल एकत्र करने के सम्बन्ध में सम्बलपुर स्थित निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई आरोप लगाये गये थे, यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं और ऐसी गलती के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार को बालासोर तथा मयूरभंज जिलों में मध्यम किस्म के अन्तर्गत सामान्य किस्म के चावलों की सप्लाई के बारे में लोगों द्वारा की गई ऐसी शिकायतों का भी पता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में निम्नलिखित स्थानों पर विभिन्न कार्य-क्रमों के अन्तर्गत गोदाम बनाने की स्वीकृति दी है :—

बैरहमपुर; माद्रक, भुवनेश्वर, धनेकनाल, डुंगरीपल्ली, जैपोर, झरसुगुड़ा, कैंसिगा, खुरदा रोड, फुलवानी, रोड़केला, रूप्सा रोड, साम्बलपुर, हीराकुड़, जूनागढ़, नवरंगपुर, जलेश्वर, तलचर, पारादीप, क्योन्झागढ़, बरबिल, अताविरा तथा रायगढ़ ।

(ख) और (ग) : इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी सम्बलपुर में मध्यम किस्म के रूप में साधारण किस्म का चावल खरीद रहे हैं । मयूरभंज तथा बालासोर के रिसीविंग अधिकारियों से कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं जिनमें सम्बलपुर से भेजे गए कुछेक वैगनों में घटिया तथा लाल अनाज की अधिक मिलावट के बारे में शिकायत की गई थी । सैम्पुलों के विश्लेषण से पता चला था कि घटिया किस्म के अनाज की मिलावट अस्वीकृति सीमा के अन्तर्गत आती थी ।

ट्रैक्टरों का आयात

3518. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब के अतिरिक्त देश में किसी अन्य राज्य के लिए ट्रैक्टरों का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) संभवत: सदस्य महोदय विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों के आयात का उल्लेख कर रहे हैं। पंजाब के अतिरिक्त हरियाणा, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा मैसूर राज्यों से विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये परियोजनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें ट्रैक्टरों का आयात भी सम्मिलित है।

(घ) प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं और विश्व बैंक के अधिकारियों के परामर्श से अभी इनके ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाना है।

दिल्ली में राशनिंग को समाप्त करना

3519. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रा० बरुआ :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में खाद्यान्नों का सांविधिक राशनिंग आरम्भ किये जाने पर स्थापित की गई उचित मूल्य की दुकानों द्वारा सप्लाई की जाने वाली सभी वस्तुएं अब खुले बाजार में उन्हीं दरों पर उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी उपलब्धता की सुधरी हुई स्थिति को देखते हुए खाद्यान्नों के सांविधिक राशनिंग को हटाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली में राशनिंग न हटाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) हालांकि उचित मूल्य की दुकानों से सप्लाई किए जा रहे खाद्यान अथवा उनके उत्पाद खुले बाजार में भी उपलब्ध हैं लेकिन उनके मूल्य उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिये जा रहे खाद्यान्नों के मूल्यों से आम तौर पर बहुत अधिक होते हैं।

(ख) दिल्ली से 28 अगस्त, 1968 से सांविधिक राशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। फिलहाल जनसंख्या मुख्यत: जनसंख्या के कमजोर वर्ग की जरूरतों की पूर्ति के लिए तथा खुले बाजार में चल रहे मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से खाद्यान्नों तथा उनके उत्पाद अनौपचारिक रूप से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जा रहे हैं।

राजस्थान तथा अन्य राज्यों में सूखा

3520. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रा० बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान तथा अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा हो रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए वहां की सूखे की स्थितियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने सूखे की स्थिति से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को कोई सहायता भी दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) : इस संबन्ध में श्री के० लक्कप्पा और श्री श्रीचन्द गोयल के ध्यानाकर्षण नोटिस के उत्तर में 18 अगस्त, 1970 को लोक सभा में खाद्य तथा कृषि मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । उसमें बताई गई स्थिति के अलावा, बिहार सरकार ने अब सूचित किया है कि वर्षा शुरू होने से राज्य में सूखे की स्थिति सुगम हो गई है ।

(ग) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का दायित्व होता है । निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, केन्द्र वित्तीय सहायता सुलभ करता है । इस कार्यविधि और 1969-70 में वास्तव में दी गई सहायता के संबन्ध में देश के विभिन्न भागों में चल रही सूखे की स्थिति पर 28 अप्रैल, 1970 को सभा के पटल पर रखे गये विवरण में उल्लेख किया गया है । 1970-71 में अब तक, राजस्थान और पश्चिमी बङ्गाल की सरकारों को क्रमशः 14.50 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है ।

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का चम्बल घाटी में बसाने का मध्य प्रदेश का प्रस्ताव

3521. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रा० बरुआ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को इस आशय के कुछ प्रस्ताव दिये हैं कि मध्य प्रदेश की चम्बल घाटी की भूमि में जहां इस समय डाकू रहते हैं, पूर्व पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों को बसाने के लिए उस भूमि का विकास किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री) डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख) : पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवाह के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चम्बल घाटी में भूमि की पेशकश की है । राज्य सरकार को और विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया है ।

बीड़ी उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के बारे में सुझाव

3523. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग सम्मेलन द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार बीड़ी उद्योग के विशिष्ट ढांचे का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बना दी गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों को भी समान रूप में समुचित विधान अधिनियमित करने के लिए अनुदेश दे दिये गये हैं ताकि बीड़ी कारखाने एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण न हो सके जिससे बीड़ी कर्मचारियों को कठिनाई तथा बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है ;

(ग) बीड़ी कारखानों के इस प्रतिकूल रवैये को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे हजारों बीड़ी कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ता है ; और

(घ) क्या इस बारे में केरल राज्य बीड़ी कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन आया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) चूंकि बीड़ी तथा सिगार प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था करने और उनके कार्य की शर्तों तथा उनसे सम्बन्धित मामलों को नियमित करने के लिये 1966 में बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम बनाया गया है, अतएव किसी विशेषज्ञ समिति की स्थापना का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) : किसी बीड़ी कारखाने के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों तथा बेरोजगारी की समस्या पर राज्यों के मन्त्रियों की दक्षिणी क्षेत्रीय समिति की प्रथम बैठक में विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि राज्य द्वारा किसी भी ऐसे उद्यम से लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, जो पहले किसी और राज्य में काम कर रहा था, उसके पिछले काम, स्थानांतरण के कारणों आदि के बारे में जाँच की जानी चाहिये तथा उपर्युक्त मामलों में लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिये।

सम्बन्धित राज्य सरकारों को तदनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने के लिए परामर्श दे दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

शास्त्री भवन डाकघर में प्रेस की तारों को स्वीकार न करना तथा टेलीप्रिंटर की सुविधाओं का उपलब्ध न होना

3524. **नी स० चं० सामन्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शास्त्री भवन संयुक्त कार्यालय में प्रेस की तारें स्वीकार न करने तथा वहां प्रेस कक्ष सम्बन्धी सुविधाओं सहित टेलिप्रिंटर न लगाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : शास्त्री भवन संयुक्त डाक व तार घर में प्रेस तार बुक करने की सुविधा पहले ही मौजूद है। 6-8-1970 से वहां टेलीप्रिंटर सुविधा की भी व्यवस्था कर दी गई है। शास्त्री भवन केवल एक छोटा संयुक्त डाक व तार घर है। प्रेस काम सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था केवल बड़े विभागीय तारघरों और केन्द्रीय तारघरों में ही की जाती है।

नैनी में टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने के लिए दूसरा कारखाना

3526. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **श्री मयावन :**
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री नारायणन :**
श्री डा० सुशीला नैयर : **श्री दंडपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री सामिनाथन :**

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री 27 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनी में टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने के लिए दूसरा कारखाना स्थापित करने के कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इस परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : **(क) से (ग) :** लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिए नैनी कारखाने के वास्ते भूमि अधिकार में ली गई है और पानी तथा बिजली के संभरण की व्यवस्था कर दी गई है। केन्द्रक (न्यूक्लियस) कर्मचारी वर्ग सहित एक प्रायोजना संघटन बनाया गया है। आवश्यक कर्मचारी-क्वार्टरों का निर्माण-कार्य लगभग पूरा होने वाला है और मुख्य कारखाने की इमारत नींव स्तर से कुछ ऊपर पहुंच गई है। संयंत्र और कलपुर्जों की पहले दौर की आवश्यकताओं को पूरा करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अभी तक इस प्रायोजना पर व्यय की गई राशि 5.26 लाख रुपये है। इस कारखाने की अनुमानित पूर्ण उत्पादन-क्षमता प्रतिवर्ष 650 लाख रुपये के लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर की है, और 1973-74 तक यह क्षमता प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश में डाक पत्थर डाकघर, के कर्मचारियों को दिये जाने वाले परियोजना भत्ते में असमानता

3527. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री डाकपत्थर, उत्तर प्रदेश में नियुक्त डाक-तार कर्मचारियों को दिये जाने वाले परियोजना भत्ते आदि में असमानता के बारे में 2 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4914 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको अब सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आवश्यक सूचना सभा-पटल पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4032/70]

(ग) ऊपर भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

Help to Farmers under soil conservation Programme in States

3528. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States in the country in which soil Conservation Programme is being undertaken and the nature of free assistance provided to the farmers thereunder ;

(b) whether it is a fact that the assistance which was given to the farmers for laying gardens and levelling the land by the Central and State Governments under the Soil Conservation Programme had since been discontinued and the farmer has to bear the entire expenditure himself ; and

(c) if so, whether Government propose to make arrangements for levelling the land, laying gardens and constructing pacca drains free of cost under the Soil Conservation Programme as a fillip to agriculture and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Soil Conservation Programme has been undertaken in all the States. Different percentage of subsidy was available to the farmers for different soil conservation practices. Generally a subsidy of 25 per cent was given for contour bunding in Plains and 50 percent for bench terracing in hilly areas.

(b) As a general policy, it was recommended by the Government of India in the 4th Plan, that subsidies should be withdrawn except for backward areas and weaker sections of the community. A selective approach was recommended so that subsidies are first reduced or withdrawn from those works which can yield immediate individual benefits. No separate recommendation was made apart from these general guidelines for subsidies for soil conservation in garden areas.

(c) State Governments are undertaking works of soil conservation including land levelling according to the land use and the soil conservation needs of a particular area. No recommendation for taking of work free of cost can be made as the entire programme is designed on the basis of long term loans with limited subsidy on a selective basis.

अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान, मनीला, के अधिक उपज देने वाले धान का केरल में परीक्षण

3529. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान, मनीला द्वारा उपहार में दिये गये अधिक उपज देने वाले धान का केरल तथा दक्षिण में अन्य राज्यों में परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किसानों और राज्य सरकारों की इस नए किस्म के धान पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कृषकों तथा राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है ।

(ग) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अखिल भारतीय समन्वित परीक्षण में सहायता दे रहा है, जिसके अन्तर्गत भारतीय चावल अनुसंधान संस्था से प्राप्त चावल की किस्मों का परीक्षण किया जाता है ।

गिरडीह टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

3530. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिक संघ द्वारा आग्रह किये जाने के बाद भी गिरडीह टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों के 25 मार्च, 1969 से 31 जुलाई, 1970 तक के समयोपरि भत्ते के बिलों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 4 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2728 के उत्तर में लोक-सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि ऐसे आदेश है कि समयोपरि भत्ते के दावों का भुगतान दावे प्रस्तुत करने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर ही हो जाना चाहिये किन्तु इस मामले में डिवीजनल इंजीनियर टेलीफोन, पटना द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त आश्वासन तथा तत्सम्बन्धी आदेशों को क्रियान्वित न करने के लिए डिवीजनल इन्जीनियर टेलीफोन, पटना के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और कर्मचारियों के उपर्युक्त दावों के तत्काल भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । 25 मार्च 69 से 25 अप्रैल 69 तक के समयोपरि भत्ता बिल भुगतान के लिए अभी तक डिवीजनल इन्जीनीयर तार; पटना को दिये ही नहीं गये हैं । 26 अप्रैल, 69 से 31 जनवरी 70 तक के समयोपरि भत्ता बिलों का भुगतान मई, 1970 में कर दिया गया है । 1 फरवरी, 70 से शुरू होने वाली अवधि और उसके बाद के समयोपरि भत्ता बिल अधूरे पाये गये और उनका भुगतान उनमें रह गई बातों के पूरी कर देने पर हो जायेगा ।

(ख) समयोपरिभत्ता बिलों का भुगतान छह सप्ताहों के भीतर कर देने के विशेष आदेशों का पालन सामान्य रूप से किया जाता है । समयोपरि भत्ता बिलों के भुगतान में देर सिर्फ उसी मामले में होता है जब बिलों में कोई त्रुटि होती हैं जैसा कि इस मामले में हुआ है ।

(ग) ऊपर (ख) को दृष्टिगत रखते हुए डिवीजनल इन्जीनियर, तार पटना के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता । जो दावे अभी तक बकाया हैं, उनका निपटान बिलों के ठीक होकर आ जाने पर कर दिया जाएगा ।

डाक तथा तार सर्किल विहार में अधिक पद बनाने के लिये मापदंड

3531. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में अतिरिक्त पद बनाने के लिए एक निर्धारित मापदन्ड है और प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उनकी संख्या के बारे में पुनरीक्षण किया जाता है ;

(ख) क्या डाक-तथा तार सर्किल विहार में प्रत्येक पदावलि में अतिरिक्त पदों को बनाने के लिए निर्धारित फार्मूला है ;

(ग) क्या यह सच है कि पोस्ट मास्टर जनरल, विहार सर्किल ने नये पदों को बनाने के लिये 25 लाख रुपये अलाट करने का अनुरोध किया था लेकिन इसके लिए केवल 4 लाख रुपये अलाट किये गये हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यद्यपि डाक तथा तार सर्किल, विहार में निर्धारित मापदंड के आधार पर अतिरिक्त पदों का बनाया जाना न्यायोचित है लेकिन धन की कमी के कारण पद नहीं बनाये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या निर्धारित मापदंड के अनुसार अतिरिक्त पदों के न बनाये जाने के परिणाम स्वरूप कार्य में अक्षमता आई है और अन्ततः सार्वजनिक कार्य को हानि पहुँच रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । डाक-तार विभाग में अधिकांश पदों की मंजूरी के लिए मानक हैं। कर्मचारियों की संख्या का पुनरीक्षण निर्धारित समयान्तर पर किया जाता है और इसके लिए आवश्यक नहीं कि यह प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को ही हो ।

(ख) जिन जगहों में ऐसे मानक निर्धारित किये गये हैं, वहां मानकों के आधार पर वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पदों का निर्माण यदि औचित्यपूर्ण हो तो किया जाता है ।

(ग) पोस्टमास्टर जनरल ने नये पदों के निर्माण के लिए 24.78 लाख रुपये का नियतन मांगा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में किए गए नियतन के आधार पर उन्हें 4 लाख रुपया ही दिया गया है । इस बात का निश्चय किया जा रहा है कि विहार सर्कल की आवश्यकताएं और कितनी है और यदि आवश्यक पाया गया तो अधिक रकम का नियतन कर दिया जाएगा ।

(घ) बिहार डाक-तार सर्कल में अतिरिक्त पद निर्धारित मानकों के आधार पर औचित्यपूर्ण हैं और कुछ पदों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है । पोस्टमास्टर जनरल के पास और भी पदों के निर्माण के लिए कुछ रकमें अभी शेष हैं ।

(ङ) कुछ पदों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है । अतिरिक्त पदों के निर्माण न किये

जाने के कारण दक्षता में काफी गिरावट आने और जनता का काम हर्ज होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

चीनी तथा गन्ने का उत्पादन

3532. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री गोविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तिम अनुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 525 लाख रुपये के मूल्य के लगभग 17 लाख मीटरी टन गन्ने को पेरा नहीं जायेगा तथा उसे खेतों में ही खड़ा छोड़ दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश में अनुमानत: कितनी चीनी का उत्पादन होगा; और

(घ) सरकार का इस हानि के लिए गन्ना उत्पादकों को किस प्रकार क्षतिपूर्ति देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) लगभग 525 लाख रुपये की लागत का लगभग 7 लाख मीटरी टन गन्ना बिनपेरा रह गया था। इसमें वह गन्ना भी शामिल है जो फैक्ट्रियों की मशीनें खराब होने अथवा सम्बन्धित गन्ना संघों से करार होने के बाद शेष रह गया था।

(ख) इसके मुख्य कारण ये थे :-

(1) इस वर्ष गन्ने का असामान्यत: अधिक उत्पादन;

(2) गुड़ का कम मूल्य होने के कारण गुड़ बनाने के लिए गन्ने का कम प्रयोग तथा उसके परिणामस्वरूप मिलों को उनकी पिराई क्षमता से बहुत अधिक गन्ना दिया जाना।

(3) गन्ने से चीनी की बहुत ही कम वसूली। अधिक शीरा होना, अन्तिम समय में मिलों के अधिक समय तक कार्य करने, बायलर आदि के बन्द हो जाने के कारण ईंधन की समस्या;

(4) संयंत्रों का बन्द हो जाना;

(5) वर्षा के कारण सप्लाई में कठिनाई; और

(6) आगामी मौसम में समय पर पिराई कार्य करने के उद्देश्य से मरम्मत तथा ओवर हालिंग के लिए मिलों के बन्द करने की आवश्यकता।

(ग) लगभग 16.25 लाख मीटरी टन।

(घ) बहेरी जैसे कुछ चीनी कारखानों के गन्ना उत्पादकों का सम्बन्धित चीनी कारखानों के साथ आगामी मौसम में कारखानों के पिराई शुरू करने के तुरन्त बाद शेष गन्ना सप्लाई करने के बारे मे एक करार हुआ है और कारखानों ने भी उन्हें प्रति क्विंटल गन्ना के हिसाब से कुछ अग्रिम राशि दी है। आगामी मौसम में जब पिराई शुरू होगी तब सभी बकाया गन्ने की सप्लाई को प्राथमिकता दी जाएगी।

Effect of Influx of Refugees from East Pakistan on Family Planning

3533. **Mahant Auedya Nath** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of Hindus who came to India from East Pakistan during the last three years ;

(b) the total expenditure incurred on their rehabilitation ;

(c) how the exodus of Hindus from East Pakistan has affected our family planning and population problem ; and

(d) whether Government propose to formulate some scheme to avoid this dual expenditure and if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation(Shri D. Sanjivayya) : (a) During the three years 1967 to 1969, 45, 909 migrants came to India from East Pakistan.

Majority of the migrants were Hindus.

(b) A sum of Rs.30.03 crores has been spent during the three years from 1st April, 1967 to 31st March, 1970 on relief and rehabilitation of the new migrants from East Pakistan, including those who had arrived before 1967.

(c) **and** (d) : The influx of migrants from East Pakistan has added to the population of the country and will necessitate increased family planning efforts to cover this population also as a part of the total Indian population. No special scheme to cover this additional population separately for family planning has been prepared.

चम्पारन में गंडक के अन्तर्गत क्षेत्र का विकास

3534. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने उत्तर बिहार के चम्पारन, सारन तथा मुजफ्फरपुर जिलों में गंडक के अन्तर्गत क्षेत्र के समूचे विकास के लिये 40.51 करोड़ रुपये की एक योजना केन्द्र को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) : हाल ही में बिहार सरकार से 41.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की "गण्डक क्षेत्र विकास की ऋण योजना" नामक एक योजना प्राप्त हुई है और उसकी इस समय जांच की जा रही है। प्रस्तावित योजना में लागत की मुख्य मदें निम्न हैं :—

1. बेकार भूमि का सुधार	53.00 लाख रुपये
2. उठाव सिंचाई	2164.00 ,, ,,
3. मण्डियों का विकास	239.00 ,, ,,
4. भण्डारण योजनायें	146.85 ,, ,,
5. सड़कें	428.00 ,, ,,

6. ट्रैक्टर	900.00 लाख रुपये
7. मछली पालन	100.00 ,, ,,
8. बागवानी विकास	20.00 ,, ,,
	कुल 4050.85 ,, ,,
	या
	40.51 करोड़ रुपए

कार्यक्रम के पहले वर्ष के लिए लघु, मध्यम तथा दीर्घ-अवधि के कृषि ऋणों की अनुमानित आवश्यकता 1150 लाख रुपये हैं, जो चौथे वर्ष बढ़कर 3200 लाख रुपये हो जाएगी।

यहां यह भी बता दिया जाए कि चुंनिदा कमाण्ड क्षेत्रों में संघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए मौजूदा केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम में जिसे चौथी योजना के दौरान प्रारम्भ किया गया था, बिहार का गण्डक कमाण्ड शामिल नहीं किया गया है। इस समय कोसी परियोजना शामिल की गई है। निम्न दस कमाण्ड क्षेत्रों में ग्रामीण संचार तथा विपणन सुविधाओं के बारे में अवस्थापना सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है :—

1. कोसी (बिहार)
2. नागार्जुनसागर (आन्ध्र प्रदेश)
3. तुंगभद्रा (मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश)
4. कंगसावती (पश्चिम बंगाल)
5. राजस्थान नहर (राजस्थान)
6. भट्टी-कदाना (गुजरात)
7. कावेरी डेल्टा (तमिलनाडु)
8. तावा (मध्य प्रदेश)
9. पोचाम्पद (आन्ध्र प्रदेश)
10. जयाक्वादी (महाराष्ट्र)

चौथी योजना के दौरान प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र में सम्बद्ध सड़कों और बाजार स्थलों के सुधार के लिए उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.5 करोड़ रुपये इस शर्त पर उपलब्ध किए जायेंगे कि सम्बन्धित राज्य सरकारें समस्त आवश्यक आदान तथा उपयुक्त प्रशासकीय मशीनरी सहित सहायक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सहमत हों। ये हैं – चकबन्दी, भूमि समतल करना और भूमि को ठीक-ठाक करना, जलमार्गों की व्यवस्था, भूमि सर्वेक्षण तथा निकास प्रणाली, ऋण, बीज, उर्वरक, कीटनाशी-औषधियां, कृषि मशीनरी आदि किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति, अनुसन्धान सुविधायें, विधायन तथा कृषि-उद्योग, नगर आयोजन, भू-गत जल स्रोतों आदि, आदि से अनुपूरक सिंचाई।

हाल ही में हुए कृषि मन्त्रियों के सम्मेलन में इस सिफारिश की पुष्टि की गई कि भारत सरकार तथा राज्य के विशेषज्ञों का एक संयुक्त दल क्रियान्वित के लिए विशेष योजनाओं वाली एक

परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की दृष्टि से जलविभाजकों और कमाण्ड क्षेत्रों की गहन आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना प्रारम्भ करने के लिए शुरूआत की जानी चाहिए। गण्डक कमान्ड क्षेत्र का ऐसा अध्ययन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की दीवलों पर इश्तहार लगाने का अभियान

3535. **श्री रवि राय :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम-बंगाल में हिंसा के विरुद्ध वातावरण बनाने के लिए राज्य की दीवालों पर इश्तहार लगाने का अभियान आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) **तथा** (ख) : राष्ट्रीय एकता के लिये अभियान के एक भाग के रूप में आजकल की समस्याओं के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित करने के लिए पोस्टर तैयार करने तथा देश के चुने भागों में लगाने और इसी प्रक्रिया में स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा डा० रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं द्वारा दिये गये मूल्यवाद उपदेश लोगों के ध्यान में लाने का निर्णय किया गया था। नेताओं के उपयुक्त उद्धरणों सहित तीन पोस्टर पहले ही तैयार किये जा चुके हैं और ये पश्चिम बंगाल में उसी प्रकार लगाये गये हैं जिस प्रकार देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय एकता पर पोस्टर लगाये गये हैं। एक और पोस्टर निर्माणाधीन है। लगाये गये पोस्टर ये हैं :—

1. 'कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र दूसरों से घृणा कर नहीं रह सकता'—स्वामी विवेकानन्द
2. हुल्लड़बाजी से अपने ही उद्देश्य की हार होती है'—नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
3. 'दूसरों का अपमान करने वाला धर्म झूठा धर्म है'—डा० रविन्द्रनाथ टैगोर

पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करने के लिये प्रतीक्षा कर रहे विस्थापित व्यक्ति

3536. **श्री रवि राय :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व-पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के 1,80,000 और व्यक्ति सीमा पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में उनको बसाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) **और** (ख) : जो व्यक्ति भारत आना चाहते हैं उनकी संख्या के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जो विस्थापित व्यक्ति राज्य सरकारों द्वारा राहत शिविरों में प्रवेश के लिये भेजे जाते है, उन्हें विनियमित सरकारी सहायता प्रदान की जाती है और उनके स्थायी पुनर्व्यवस्थापन के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी संघ से इन्दौर में कार्मिक संघ कार्य कर्त्ताओं को परेशान करने के बारे में अभ्यावेदन

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी संघ से कर्मचारी राज्य निगम के कार्यालय इन्दौर द्वारा कार्मिक संघ के कार्यकर्त्ताओं को परेशान करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :-

(क) निगम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी संघ, इंदौर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) यूनियन के आरोप के विषय में जांच करने से यह पता चला है कि यूनियन के किसी भी कर्मचारी को परेशान नहीं किया गया ।

विजनौर (उत्तर प्रदेश) के हरगनपुर डाकखाने में गबन

3538. **की जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उत्तर प्रदेश के विजनौर जिले हरगनपुर ग्राम के डाकखाने में 2 लाख रुपये के गोल माल और गबन के बारे में नजीबाबाद (उ० प्र०) के हिन्दी साप्ताहिक "अन्तर ज्वाला" के सम्पादक श्री वी० के० जैन द्वारा प्रकाशित, मुद्रित पत्र की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) हरगनपुर, जिला विजनौर के शाखा पोस्ट मास्टर श्री अजमत उल्ला ने 84 बचत बैंक खातों को 2,18,190 रुपये 55 पैसे की रकम को घोखेघड़ी की है । ये आंकड़े अन्तिम नहीं हैं, क्योंकि कुछ मामलों में पास बुकें उपलब्ध नहीं है और उस शाखा पोस्ट मास्टर ने खाते में ब्याज के वांगस इन्दराज किए हैं । शाखा पोस्टमास्टर 16-5-70 से फरार है । इस मामले की विभागीय तौर पर तहकीकात की गई है और स्थानीय पुलिस को भी इसकी रिपोर्ट कर दी गई है ।

इसकी रिपोर्ट विशेष पुलिस व्यवस्था को भी कर दी गई है और वे अभी इसकी तहकीकात कर रहे हैं।

जहाँ तक लखनऊ के पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय के सतर्कता अधिकारी के विरुद्ध शिकायत का संबंध है, इस मामले की जांच की जा रही है और मामले के गुण-दोष के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में कर्मचारियों का स्थायीकरण

3539. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग का स्थायीकरण अखिल संस्थान वरीयता के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग में चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इस संस्थान के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को हस्तान्तरण से पूर्व प्रत्येक वर्ग में कितने स्थायी पद थे;

(घ) क्या इस संस्थान के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को हस्तान्तरण के पश्चात् किन्हीं स्थायी पदों का निर्माण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो किन तिथियों को इन स्थायी पदों का निर्माण किया गया था और इन तिथियों को प्रत्येक वर्ग के कितने पदों को स्थायी बनाया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ङ) : जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4033/70]**

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में चतुर्थ श्रेणी के पद

3540. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक केन्द्र के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विभिन्न प्रभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विभिन्न वर्ग कौन से हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्ग के पदों पर तैनात कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए अब तक विकल्प (आप्शन) देने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) **और** (ख) : एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4034/70]**

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सेवा के लिए अब तक चतुर्थ श्रेणी के 388 कर्मचारियों ने आप्शन दिया है। वेतन मानों के अनुसार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वेतनमान रु०	कर्मचारियों की संख्या
85–110	11
80–110	24
75–95	11
70–85	342
	कुल : 388

Sugarcane arrears outstanding against sugar Mills and Steps for their Payment to Farmers

3541. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of sugarcane arrears outstanding against each sugar mill in the country for the sugarcane supplied by the farmers during the period 1968 to 26th July, 1970, year-wise;

(b) whether the Central Government are responsible for payment of sugarcane price to the farmers in view of the fact that sugarcane price is fixed by the Central Government or whether the Government shifts this responsibility on the State Government; and

(c) the steps being taken by Government to arrange payments of sugarcane arrears to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) : A statement showing the factory-wise arrears of cane price as per returns received from the factories for each of the two seasons 1968-69 and 1969-70 as on 31st July, 1970 or latest available earlier date, is attached. [**Place in Labirary. See No. LT. 4035/70**].

(b) Under the provisions of Sugarcane (Control) Order 1966, issued under the Essential Commodities Act, 1955, the sugar factories, unless there is an agreement in writing to the contary between the factory and the cane growers, are required to pay the sugarcane price within 14 days of the delivery of the sugarcane. Some State Governments have also made similar provisions in their own enactments. There is also a provision in these enactments for charging of interest on outstanding payments and, in case of default, for the State Government to recover arrears in the same manner as arrears of land revenues.

(c) The State Governments have been requested from time to time to take necessary measures including coercive measures against the defaulting sugar factories for early payment of arrears of sugarcane price by them to the sugarcane growers.

त्रिपुरा में बेरोजगारी में वृद्धि और रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत व्यक्ति

3542. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में त्रिपुरा में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, यदि हां, तो उस क्षेत्र में जनवरी, 1970 से रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत हुए विभिन्न रोजगार वर्गों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

(ख) इन रोजगार के दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज दिसम्बर, 1968, 1969 और मार्च, जून तथा जुलाई, 1970 को बेरोज़गार व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है और उनका वर्गवार ब्यौरा क्या है,

(ग) त्रिपुरा में शरणार्थियों के आगमन से बेरोजगारी की हालत किस सीमा तक बिगड़ी हैं, और

(घ) 1970 के दौरान प्रभावी ढंग से समस्या को हल करने के लिए त्रिपुरा को क्या विशेष सहायता दी गई अथवा दी जा रही है और इस प्रयोजन के लिए क्या विशेष योजना तैयार की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख) त्रिपुरा में बेरोजगारी यथा-तथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी केवल नियोजन कार्यालय, अगरतला (त्रिपुरा) के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या से सम्बन्धित है। दो विवरण संलग्न हैं।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है। चूंकि त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के बारे में पहिले से ही चरण स्थिति प्राप्त हो चुकी है, उस क्षेत्र में और विस्थापित व्यक्ति बसाने के लिए गुंजाइश नहीं है। नीति के रूप में यह निर्णय किया गया हैं कि पूर्व पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित, जो आर्थिक सहायता और पुनर्वास चाहते हों, को इस राज्य से बाहर बसाया जाना चाहिए।

(घ) केन्द्र और त्रिपुरा प्रशासन की चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अधिक मात्रा में नियुक्ति अवसर जुटाये जाने की सम्भावना है।

विवरण–एक

जनवरी-जून 1970 के दौरान प्रत्येक महीने के अन्त में नियोजन कार्यालय अगरतला, (त्रिपुरा) के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या ।

मास	महीने के अन्त में चालू रजिस्टर में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या
1	2
जनवरी, 1970	21,783
फरवरी, 1970	21,918
मार्च, 1970	22,252
अप्रैल, 1970	22,781
मई, 1970	23,176
जून, 1970	23,462

विवरण–दो

शैक्षिक स्तर के अनुसार वर्गीकृत, 31-12-68, 31-12-69 और 30-6-70 को नियोजन कार्यालय, अगरतला (त्रिपुरा) के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या ।

शैक्षिक स्तर	चालू रजिस्टर में संख्या जैसे कि		
	31-12-68 को थी।	31-12-69 को थी।	30-6-70 को थी।
1	2	3	4
(एक) मैट्रिक से कम (अनपढ़ों समेत)	8,582	11,746	12,922
(दो) मैट्रिकुलेट	7,888	6,930	7,136
(तीन) हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण (इंटरमोडिएट/ अंडर ग्रेजुएट समेत)	1,420	1,711	2,142
(चार) ग्रेजुएट (पोस्ट ग्रेजुएट समेत)	665	1,116	1,262
योग	18,555	21,503	23,462

नोट :—शैक्षिक स्तर के आधार पर नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के विभाजन संबन्धी जानकारी प्रत्येक वर्ष अर्द्धवार्षिक आधार पर 30 जून, एवं 31 दिसम्बर को एकत्र की जाती है ।

केरल की चित्तूर शुगर मिल में पड़ी हुई चीनी

3543. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चित्तूर शूगर मिल (केरल राज्य) में अस्सी हजार बोरे चीनी पड़ी हुई है; और

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि यदि पड़ी हुई चीनी के बोरों को मिल से नहीं उठाया गया, तो मिल का कार्य बन्द हो जायेगा और यदि हां, तो चित्तूर शूगर मिल की सहायता करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है और वर्ष भर में समान वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगभग 4 से 6 महीनों में उत्पादित चीनी को खपत को एक वर्ष अथवा उसके अधिक अवधि के लिए फैलाना होता है। चित्तूर शूगर मिल्स ने 1969-70 में 7 अगस्त, 1970 तक 12,811 मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया था जिसमें से उन्हें 5674 मीटरी टन लेवी चीनी और 2840 मीटरी टन खुली चीनी बिक्री के लिए दी गई है। 7 अगस्त, 1970 को फैक्ट्री के पास 8665 मीटरी टन चीनी का स्टाक था। जिसमें नियुक्त की गई मात्रा, जो अभी भेजी नहीं गई, शामिल है।

(ख) राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इस फैक्ट्री से आवंटित लेवी चीनी के कोटे को शीघ्र उठाने के प्रबन्ध करें। इस फैक्ट्री को बिक्री हेतु दिये गये खुली बिक्री के कोटे को शीघ्र ही स्वयं बेचना चाहिए।

1966 में दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के श्रम न्यायालय को भेजे गये बिना निपटाये पड़े औद्योगिक विवाद

3544. **श्री अ० दीपा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा दिल्ली के श्रम न्यायालय को औद्योगिक विवादों के कितने मामले भेजे गए ;

(ख) उपर्युक्त मामलों में से कितने मामलों का निपटान कर दिया गया है ; और कितने मामलों का अभी निपटान होना बाकी है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके मामले भेजे गए थे और जो अभी भी अनिर्णित है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

डाक तार विभाग में उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिये विभागीय उम्मीदवारों का प्रतिशत अनुपात

3545. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग में नीचे के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों के लिए पदोन्नति हेतु केवल 25 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया है और प्रथम श्रेणी के 75 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रणाली के कारण डाक-तार विभाग के अनेक अनुभवी व्यक्ति प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने के अवसरों से वंचित हो जाते हैं और इसके कारण अनुभवी और सक्षम कर्मचारियों में अत्यधिक क्षोभ पैदा होता है; और

(ग) क्या उच्चतर पदों में पदोन्नति के लिए इस प्रतिशत अनुपात में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस समय विभिन्न डाक-तार सेवाओं संबन्धी स्थिति इस प्रकार है । विभिन्न सेवाओं की आवश्यकताएँ अलग-अलग होने के कारण अलग-अलग सेवाओं में स्थिति में अन्तर है ।

1. **भारतीय डाक सेवा श्रेणी–I**
   25 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति से और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती से
2. **तार इन्जीनियरी सेवा, श्रेणी–I**
   50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति से और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से ।
3. **तार परियात सेवा श्रेणी–I**
   100 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति से ।
4. **संचार सिविल इन्जीनियरी सेवा, श्रेणी–I**
   कोई निश्चित कोटा निर्धारित नहीं किया गया है । फिर भी यह प्रश्न विचाराधीन है ।
5. **दूर संचार कारखाने, श्रेणी–I के पद**
   50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति से और 50 प्रतिशत भर्ती से ।
6. **डाक-तार लेखा सेवा शाखा :**
   100 प्रतिशत पदोन्नति से ।

(ख) स्थिति ठीक, ऐसी नहीं है। यहां तक कि भारतीय डाक सेवा श्रेणी 1 में भी जिसमें विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति 25 प्रतिशत रिक्त स्थानों पर ही की जाती है, इस सेवा में पदोन्नति किए गए स्थानापन्न अधिकारियों की संख्या इससे बहुत अधिक है, क्योंकि सीधी भर्ती केवल स्थायी रिक्त स्थानों के लिए ही की जाती है। इस समय यह मोटे तौर पर कुल पदों का लगभग 45 प्रतिशत है।

(ग) फिर भी भारतीय डाक सेवा में पदोन्नति की प्रतिशतता में संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है।

खाद्य तेलों का आरक्षित भंडार

3546. **श्री म० सुदर्शनम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों का मुकाबला करने के लिए इन तेलों का आरक्षित भण्डार बनाने और उनका आयात करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : वनस्पति तेलों का बफर स्टाक तैयार करने का प्रश्न विचाराधीन है। खाने योग्य तेलों का मौजूदा आयात उनकी मांग और उनकी स्थानीय उपलब्धि के बीच के अन्तर को पूरा करने तथा उनके मूल्यों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

Difficulties Faced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Rajasthan in Making Payment of Instalments for Land Allotted to Them

3547. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Rajasthan are aware that some people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, to whom land has been all otted, are finding it difficult to pay the first instalment of the advances made to them ;

(b) whether Government are also aware that affluent people take undue advantage of their financial difficulties and the land allotted to them is got transferred ;

(c) if so, whether Government have taken any decision to take stringent action against the persons who are taking undue advantage of their difficulties ; and

(d) if so, the details of such persons and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (d) : The information has been called for from the Government of Rajasthan and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास और दिल्ली-कलकत्ता के बीच लम्बी दूरी की टेलीफोन कालों के लिये शुल्क

3548. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास और दिल्ली-कलकत्ता के बीच लम्बी दूरी टेलीफोन की कालों के क्या शुल्क है ;

(ख) क्या लम्बी दूरी की कालों के शुल्क में कमी करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) अनुमान है कि बम्बई और कलकत्ता की ही तरह माननीय सदस्य दिल्ली और तमिलनाडू के बजाय दिल्ली और मद्रास के बीच शुल्क संबन्धी सूचना चाहते हैं। यदि ऐसा ही है तो दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास और दिल्ली-कलकत्ता के बीच एक साधारण ट्रन्क काल का प्रभार 3 मिनट की अवधि के प्रत्येक यूनिट काल के लिए क्रमशः 12 रुपये, 16 रुपये और 16 रुपये हैं।

(ख) लम्बी दूरी के ट्रंक कालों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक शुल्क लगाने की मौजूदा विधि के स्थान पर सरकार का प्रस्ताव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक के लिए शुल्क लेने की पद्धति शुरू करने का है। यह पद्धति अपनाने से कुछ मामलों में कालों के शुल्क में कमी और अन्य में वृद्धि हो सकती है।

(ग) शुल्क लेने की नई विधि का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

तमिलनाडु के लिए अलग झंडा

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतन गिरि) : श्रीमान् मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"तमिलनाडु के लिए अलग झन्डे के बारे में प्रधान मन्त्री को भेजे गये अपने पत्र के सम्बन्ध में तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री का कथित वक्तव्य।"

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The Prime Minister is not present in the House. She must be here when such an important matter is being discussed.

Dr. Ram Subhag Singh (Buscar) : While holding all the important portfolios she must not be absent on such an occasion. Sir, you should ask the Prime Minister to come here.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह तो ठीक है कि सरकार की ओर से कोई भी मन्त्री उत्तर दे सकता है। किन्तु यह प्रश्न तो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में है। एक राज्य के मुख्य मन्त्री ने अलग झन्डे की मांग की है। इसकी महत्ता को देखते हुए प्रधान मन्त्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : वह सभा की नेता हैं, देश की प्रधान मन्त्री हैं, तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री से उन्हें एक पत्र मिला है जिसका पूरे देश से सम्बन्ध है। ऐसे अवसर पर प्रधान मन्त्री की अनुपस्थिति का विरोध किया जाना स्वाभाविक है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The Prime Minister should be present in the House when such an important matter is being raised. If she cannot come just at this time, the call attention may be postponed till her coming.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Absence of the Prime Minister from the House at a time when the matter regarding a seperate flag for Tamil Nadu is being discussed a serious thing.

श्री चेंगलराय नायडू (चित्तूर) : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 2 बजे म० प० के बाद लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं से प्रधान मन्त्री को अवगत करा दूंगा । अब इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर माननीय मन्त्री देंगे ।

श्री नाथ पाई : श्रीमान अब चूंकि प्रधान महोदया आ गई हैं इसलिए आप हमारी भावनाएँ, रोष और आपत्तियाँ उन्हें बता दें ।

अध्यक्ष महोदय : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय माननीय सदस्य आपकी अनुपस्थिति पर गम्भीर रूप से आपत्ति कर रहे हैं ।

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री गृह-कार्य मंत्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : दूसरी सभा में मेरे मंत्रालयों से सम्बद्ध प्रश्न थे । जैसे ही वहां प्रश्न काला समाप्त हुआ, मैं यहां आ गई हूं । दूसरे, मुझे इस सभा से कोई संदेश नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई मन्त्री दूसरी सभा में व्यस्त हो तो इस बारे में क्या किया जा सकता है ?

आखिर दूसरी सभा में भी मंत्रियों को उपस्थित होना होता है ।

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : इस वर्ष जून में एक प्रस्ताव तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने एक राज्य चिन्ह का नमूना प्रस्तुत किया था, जो कि राज्य के मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों द्वारा उनकी कारों तथा निवास स्थानों पर लगाया जा सके । राष्ट्रीय झंडे तथा तमिलनाडु सरकार का प्रतीक दोनों चिन्ह के प्रस्तावित नमूनों में दिखाये गये थे । राज्य सरकार का विचार है कि यह चिन्ह राष्ट्रीय झंडे के दर्जे को कायम रखते हुए तथा राज्य के अपने व्यक्तित्व का प्रतीक होगा । विशेषकर उस समय जब इसे मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों की कारों पर लगाया जायेगा और संबंधित राज्य को पहचानने में सहायक होगा । इस तरह संघीय ढांचे में यह पहले से अधिक सम्मान का प्रतीक होगा । इस मामले में व्यापक उलझने हैं और उसके सब पहलुओं पर विचार करना है । सरकार मुख्यमन्त्रियों से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय करेगी ।

श्री नाथपाई : इस पर तो आदेश विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है । इसे तो आप तुरन्त अस्वीकार कर सकते हैं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता का प्रतीक है । जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए देश के असंख्य लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उसी के स्थान पर एक ऐसा ध्वज तैयार करने का सुझाव तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने दिया है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का चिन्ह मात्र होगा और जो उनके राज्य का पृथक झंडा होगा । उस सुझाव पर केन्द्रीय सरकार विचार करने का आश्वासन दे रही है । यह एक गम्भीर राष्ट्रीय मामला है और यह देश की एकता का प्रश्न है । इस पर प्रधान मन्त्री मुख्य मन्त्रियों से विचार-विमर्श करके निर्णय नहीं कर सकती । इस पर संसद

में विचार किया जाना चाहिए। अतः मुख्य मन्त्री द्वारा प्रधान मन्त्री को लिखे गये पत्र और प्रधान मन्त्री द्वारा उन्हें भेजे गये पत्र दोनों को सभा पटल पर रखा जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : चूंकि यह एक राष्ट्रीय महत्त्व का मामला है इसलिए हमने यह अच्छा समझा कि इस प्रश्न पर अन्य सभी मुख्य मन्त्रियों तथा राजनीतिक दलों के साथ विचार किया जाये।

श्री नाथ पाई : आप अन्य मुख्य मन्त्रियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। यह मामला राज्य सरकार या मुख्य मन्त्री के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यह मामला संसद से सम्बद्ध है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे का निर्णय किया था। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम किसी को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। मेरे विचार से इस मामले पर गलतफहमी पैदा हो गई है। राष्ट्रीय ध्वज में परिवर्तन करने या उसके स्थान पर अन्य ध्वज की व्यवस्था का प्रश्न तो है ही नहीं। राष्ट्रीय ध्वज पहले से ही विद्यमान है और प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य चिन्ह है। अब तमिलनाडु की सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है कि उनका एक पृथक राज्य चिन्ह होना चाहिए जो राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर न होकर उसके साथ ही होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यह तो पहला कदम है। उनका अगला कदम पृथक ध्वज का ही होगा।

Shrimati Indira Gandhi : I think it would be proper to take a decision. On matters relating to Centre State relations after having consulted all the Chief Ministers.

डा० राम सुभग सिंह : किन्तु उसमें परिवर्तन करने से लाभ क्या होगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। [अन्तर्बाधाएं] जहां तक मुझे पता है अमरीका तथा अन्य संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में संघ बनाने वाले एककों में पृथक-पृथक झंडे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : On a point of order, Sir, I want to say that by giving an undertaking for consideration of the proposal of Tamil Nadu Government for a separate standard Government is encouraging the other Chief Ministers to put forward such demands. Such a demand should have been rejected straightway.

अध्यक्ष महोदय : यह तो भाषण है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : तमिलनाडु राज्य के मुख्य मन्त्री ने जो मांग की है वह एक ध्वज के लिए है। राष्ट्रपति, तथा राज्यपालों और सेना के अध्यक्षों की परिचायक पताकाएं आज भी पृथक-पृथक है। उनसे भारत की एकता को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचती। यह मुख्य मंत्री तथा अन्य राज्य मंत्रियों की परिचायक पताका है और इसे अनुमति देने से कोई हानि नहीं होगी।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, shri Jawaharlal Nehru presented the design of national flag to the constituent Assembly on 14th August 1947 and the constituent Assembly adopted that Rules were also laid down as to when and where the national flag can be flown. Therefore, there is no need to reopen this issue now. The demand of seperate standdards for different States will harm the cause of unity and integration of the country. It will encourage separatist tendencies. Some wrong practices are still continuing in the country.

There is no justification for hoisting separate standards on Rashtrapati Bhawan or Governnors' residences. Only the national flag should be flown at all the places. The State of Jammu and Kashmir should not have been allowed to have a separate flag. Moreover, the Congress Party should not have a flag similar to the national flag. Therefore, I want an assurance from the Government that they will not allow a separate or similar flag to anybody in the country, and that from the president to the Minister all will fly the national flag.

Shrimati Indira Gandhi : There is no question of having any change in the national flag. They have asked far a separate standard. I am not saying that their demand is right or wrohg. Though there are some separate emblems, which are being used at present in the services and at Rashtrapati Bhawan, yet they do not take the place of national flag.

I can only say that the matter relating to centre. State relations will be decided after having consultations with the States. The issue of a separate standard for President and Governors is also under consideration. I think the views expressed by hon. Members in this House will also have their impact on it.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : श्रीमान यदि प्रत्येक राज्य को अपना पृथक ध्वज रखने की अनुमति दे दी गई तो देश की एकता समाप्त हो जायेगी और पृथकता की प्रवृत्ति को बढावा मिलेगा । तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि अपनी कार या भवन पर राष्ट्रीय ध्वज के फहराने से उन्हें सम्मान नहीं प्राप्त होता । अपने उत्तर में प्रधान मन्त्री ने कहा है कि पृथक परिचय-पताका से राज्यों की पहचान में सहायता मिलेगी और संघ-व्यवस्था में उन्हें इससे अधिक सम्मान प्राप्त होगा । इससे पूर्व 1946 में श्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन बम्बई राज्य को पृथक ध्वज रखन का अनुमति नहीं दी थी ।

काश्मीर राज्य को अलग ध्वज रखने की अनुमति देकर ही हमने इस समस्या को उभारा है । यदि यह भूल पहले ही सुधार ली जाती, तो आज यह स्थिति उत्पन्न न होती । यदि आज एक राज्य को इसकी अनुमति दी जाता है तो कल अन्य राज्य भी अपने पृथक-पृथक ध्वजों की मांग करेंगे । अतः मैं पृथक झन्डो की व्यवस्था का विरोध करता हूं । यदि इसकी अनुमति दे दी गयी ता केरल का साम्यवादी सरकार भी हंसिया-हथौड़े वाला झन्डा रखने की मांग करेगी । प्रधान मन्त्री अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती हैं । इसी लिए वह तामिल नाडु मुख्य मन्त्री से वहां न नहीं कर सकीं ।

श्री सेझियान : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमान माननीय सदस्य तमिलनाडु की सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को लिखे गये पत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । किन्तु वह दूसरे सदस्यों पर ऐसे लाँछन नहीं लगा सकते । हम सब यहां संसद सदस्यों की हैसियत से काम करते हैं । इस बारे मे मैं आपका स्पष्ट निर्णय चाहता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने एक राजनीतिक दल विशेष के विरुद्ध कुछ कहा है । मैं आपका निर्णय इस बात पर चाहता हूँ कि क्या एक मानोय सदस्य किसी राजनीतिक दल विशेष पर इस प्रकार से आरोप लगा सकता है ?

[अन्तर्वाधाएं]

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे सम्भव है कि आप सब एक साथ बोलें और मैं सबको सुन लूं । अतः मैं इस पर कोई निर्णय देने में असमर्थ हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप उसे सभा की कार्यवाही-वृतान्त से निकलवा दीजिए ।

श्री सेझियान : माननीय सदस्य को अपना मत प्रकट करने का तो पूरा हक है किन्तु वह द्रविड़ मुन्नेत्र कदगम के संसद सदस्यों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि प्रधान मन्त्री तमिलनाडु सरकार समर्थन इसलिए कर रहीं है कि संसद में हमारा दल केन्द्रीय सरकार का समर्थन करता है । इसका अर्थ तो यह है कि यहां कार्य कर रहे माननीय सदस्यों पर स्वार्थी होने का आरोप लागाया जाये । इसीलिये मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । यह सभा के विशेषधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि वह हमारे कार्यकलाप के साथ कोई स्वार्थ पूर्ण उद्देश्य जोड़ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना मत प्रकट कर रहे थे तथा इस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा वह नियम विरुद्ध नहीं है । वह तो कुछ उदाहरण दे रहे थे कि यदि वह ऐसा करेंगे तो कोई अन्य भी ऐसा ही करेगा ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है । क्या किसी माननीय सदस्य को यह अनुमति है कि वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय घन्टों भाषण किये जायें जबकि उन्हें केवल प्रश्न पूछने की ही अनुमति होती है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न ठीक है । अब मैं भाषण करने की अनुमति नहीं दूंगा । माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें ।

श्री चेंगलराया नायडू : प्रधान मन्त्री को पहले यह मांग अस्वीकार कर देनी चाहिये थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मन्त्री शासन चलाते समय तथा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निर्णय करते समय देशों के हितों को सर्वोपरि समझेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है क्या मैं इसको पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री चेंगल राया नायडू : मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मन्त्री ने तामिलनाडू के मुख्य मन्त्री को क्या उत्तर दिया तथा क्या राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को प्राप्त पत्र तथा उसके उत्तर को वह सभा पटल पर रखेगी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस बारे में सभा में उत्तर दिया जा चुका है । हम उन पत्रों की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखवा कर ही रहेंगे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पत्र में वर्णित बातें यहाँ बताई जा चुकी हैं तथा सामान्यतः हम ऐसे पत्र सभा पटल पर नहीं रखते । इस मामले में कोई खास बात नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : केवल देश की सुरक्षा संबन्धी अथवा सार्वजनिक हित में गोपनीय मामलों संबन्धी पत्रों को सभा पटल पर नहीं रखा जाता । इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं है अतः यह पत्र सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ।

Shri A. B. Vajpayee : The House might recall that West Bengal Government had senta protest to the Centre against the Screening of advennerty film there and the hon. Minister concerned at your instance had to lay that letter on the Table of the House. The Prime Mi-

nister has not said that its disclosure will not be in public interest. Let her read it out here or Place it on the Table. It is a serious matter.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : प्रधान मन्त्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य हुए पत्र व्यवहार को सभा पटल पर रखने की प्रथा नहीं है। परन्तु यहां यह परम्परा रही है कि सरकार आपको सन्तुष्ट कर दे कि वह पत्र सभा पटल पर रखना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है। या तो वह यह सिद्ध करे कि उनके तथा तमिल नाडू मुख्य मन्त्री के बीच हुआ पत्र व्यवहार को सभा पटल पर रखना राष्ट्र के हितों के विरुद्ध है अन्यथा आप उन्हें कहें कि वह उक्त पत्र को सभा पटल पर रखें। ऐसा उदाहरण उस समय भी आया था जबकि पंडित पन्त गृह मन्त्री थे। राज्य पाल तथा गृह मन्त्री के बीच पत्र व्यवहार से संबन्धित तार को उन्हें सभा पटल पर रखना पड़ा था।

अत: मेरा निवेदन है कि या तो प्रधान मन्त्री यह दावा करें कि उक्त पत्र का यहां सभा पटल पर रखा जाना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है या फिर वह पत्र सभा पटल पर रखें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुख्य मन्त्री ने जो कुछ लिखा है वह या तो मेरे वक्तव्य में शामिल कर दिया गया है या उत्तर में कह दिया गया है। इस मामले में अनेक कठिनाईयां अन्तर्ग्रस्त हैं तथा इस पर कोई निर्णय राज्यों के मुख्य मत्रियों से सलाह करके किया जावेगा। पत्र में ऐसी कोई बात नहीं थी है जो छुपाई गई है परन्तु सामान्यत: हम ऐसे पत्र सभा पटल पर नहीं रखते हैं क्योंकि इससे मुख्य मन्त्रियों को अपने विकार प्रकट करने में बाधा अनुभव हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह कोई विशेषाधिकार वाला पत्र है तो मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडमा) : राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रत्येक देश भक्त भारतीय की जो निष्ठा और वफादारी समूचे रूप में संविधान सभा ने स्वीकार की थी उस पर विवाद नहीं किया जा सकता। यहां हमारे राज्य की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य से की गई है हमारा देश भी एक संघीय देश माना जाता है परन्तु अमेरिका के प्रत्येक राज्य का अपना अलग झन्डा है। मेरा निवेदन है कि तमिल नाडू के मुख्य मन्त्री का इस मांग के प्रति कोई विशेष स्वार्थ न जोड़ा जाये। झण्डे के प्रति देश में विवेकपूर्ण दृष्टि कोण अपनाया जाये। श्री स० मो० बनर्जी ने कांग्रेस के दो पक्षों के झण्डों का जो जिक्र किया है उससे हमारा कोई संबन्ध नहीं। हम यह भी जानते हैं कि कौन-कौन से महाराजा कौन-कौन-से झण्डे रखते हैं। राजनैतिक दलों के झण्डों से भी हम परिचित हैं। राष्ट्र ध्वज तथा भारतीय संविधान के प्रति तमिलनाडू सरकार तथा वहां के मुख्य मन्त्री की वफादारी को चुनौती नहीं दी जा सकती।

इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मन्त्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह तमिल नाडू के मुख्य मन्त्री के उक्त पत्र के संदर्भ में राष्ट्र ध्वज के प्रति कोई युक्तियुक्त दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं एक बार फिर कहना चाहती हूं कि यह प्रश्न झण्डे के बारे में नहीं बल्कि एक चिन्ह का प्रश्न है तथा जहां तक युक्तियुक्त दृष्टिकोण की बात है सो राजभवनों तथा अन्य चिन्हों के बारे में हम मामले को जांच कर रहे हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

काजू निगम के बारे में विवरण

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं काजू निगम की स्थापना के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4012/70**]

डाक व तार विभाग के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 1969 तथा विनियोग लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप-धारा 3 (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151(1)के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, डाक और तार 1969 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4013/70**]

(2) वर्ष 1967-68 के लिये विनियोग लेखे, डाक और तार (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4014/70**]

भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (कब्जा) संशोधन नियम

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : प्रो० शेर सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(क) भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी (कब्जा) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०ए स० आर० 2179 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी (कब्जा) संशोधन नियम, 1969 जो 27 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० 2281 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4015/70**]

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4016/70**]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है।

(एक) कि राज्य सभा 18 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10

अगस्त, 1970 को डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1967 में किये गये संशोधनों से सहमत हुई ।

(दो) कि राज्य सभा 18 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1970 को, दिल्ली दुकान और स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1969 में किये गये संशोधनों से सहमत हुई ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 18 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में जल दूषण निरोध विधेयक 1969 को दोनों सभाओं के 36 सदस्यों की संयुक्त समिति को, जिसमें राज्य सभा के निम्नलिखित 12 सदस्य अर्थात्--

(1) श्री नवल किशोर
(2) चौधरी ए० मोहम्मद
(3) श्री एम० एच० सेमूअवेल
(4) श्री बलराम दास
(5) श्री बहारुल इस्लाम
(6) श्री कल्याण चन्द
(7) श्री जगदीश प्रसाद माथुर
(8) श्री यू० के लक्ष्मण गौड
(9) श्री जी० ए० अप्पन
(10) श्री सलील कुमार गंगूली
(11) श्री यू० एन० महिडा
(12) श्री एम० एम० धारिया

और लोक सभा के 24 सदस्य होंगे, सौपने का एक प्रस्ताव पास किया तथा सिफारिश की कि लोक सभा उपयुक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को भेजे ।

विश्वविद्यालयों के कार्यों में विद्यार्थियों के भाग लेने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT PARTICIPATION IN THE AFFAIRS OF THE UNIVERSITY

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : विश्वविद्यालयों के कार्यों में विद्यार्थियों के भाग लेने का प्रश्न कुछ समय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार के विचाराधीन है । अप्रैल, 1969 में हुए कुलपतियों के सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि चूंकि विश्वविद्यालय/कालेज सांविधिक निकायों में विद्यार्थियों के भाग लेने का प्रश्न विश्वविद्यालय व कालेज अभिशासन के बड़े प्रश्न से सम्बन्धित हैं, इसलिए इसे विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के

अभिशासन और सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित किये जाने वाले कार्यकारी दल को भेज दिया जाना चाहिए।

2. कुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के अभिशासन सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिए डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय/कालेजों के कार्यों में विद्यार्थियों के भाग लेने पर विचार कर रही है। समिति ने राज्य सरकारों, कुलपतियों, अध्यापकों आदि के विचार माँगे थे; समिति के सदस्य दिल्ली, पटना और उस्मानिया विश्वविद्यालयों में भी गये थे और वे अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा कुछ संसद सदस्यों और इस मामले में रुचि लेने वाले अन्य व्यक्तियों से भी मिले थे। समिति से शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा की जाती है। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर सरकार इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करेगी।

3. मैं यह भी कहना चाहूंगा कि फरवरी, 1969 में श्री मधु लिमये, संसद सदस्य ने लोक सभा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय (छात्रों द्वारा भाग लिया जाना) विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र-यूनियनों को कानूनी दर्जा देना है और उनकी प्रबन्ध समितयों के लिए अधिकारों आदि की व्यवस्था करना है। इस विधेयक का यह भी उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय परिषद, विद्या परिषद और विश्वविद्यालय की ऐसी ही अन्य संस्थाओं में जो विश्वविद्यालय परिषद द्वारा निर्धारित की जाएं, उनमें छात्रों की यूनियन के प्रतिनिधियों की उतनी संस्थाओं में शामिल किया जाए जो विश्वविद्यालय के संविधियों द्वारा निर्दिष्ट हों। श्री मधु लिमये के विधेयक को 2 मार्च 1970 तक मत प्राप्त करने के लिए परिचालित करने से संबंधित प्रस्ताव 3 अप्रैल, 1969 को पारित हुआ था। विधेयक पर प्राप्त मतों की रिपोर्ट को लोक सभा में पेश कर दिया गया है।

4. मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों के अभिशासन संबन्धी गजेन्द्र गडकर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामलों में छात्रों द्वारा भाग लिए जाने के प्रश्न पर विचार करने को मैं सर्वोच्च प्राथामिकता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं वक्तव्य पर किसी को प्रश्न करने की अनुमति नहीं देता हूं। डा० राव अब अपना दूसरा वक्तव्य दें।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के स्थगित किये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : POSTPONEMENT OF EXAMINATION IN BANARES HINDU UNIVERSITY

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से टेलीफोन द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय ने 19 अगस्त से 21 अगस्त 1970 तक तीन दिन के लिये अपनी सभी कक्षाओं को स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय का कार्यालय आज भी बन्द रहेगा। बी० ए०, एम० ए० और प्राद्योगिकी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं

जो 25 अगस्त से शुरू होने के लिए निर्धारित थीं मुल्तवी करदी गयी हैं और वे अब 31 अगस्त, 1970 से शुरू होंगी ।

2. विश्वविद्यालय ने यह कदम इसलिये उठाया है ताकि शहर से जहां बिगड़ी हुई स्थिति की संभावना है, विश्वविद्यालय आने में विद्यार्थियों को असुविधा न हो ।

3. यह बताया गया है कि विश्वविद्यालय में जीवन सामान्य है ।

समिति के लिये निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव
MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEE

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मै चौधरी राम सेवक की ओर से प्रस्तव करता हूं :

"कि काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उप-धारा (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली अगली अवधि के लिए काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

" कि काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उप-धारा (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यय महोदय निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली अगली अवधि के लिए काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

पश्चिम बंगाल बजट, 1970-71, अनुदानों की मांगों के बारे में उद्घोषण सम्बन्धी सांविधिक संकल्प
WEST BENGAL BUDGET, 1970-71, DEMAND FOR GRANTS AND STATUTORY RESOLUTION RE: PROCLAMATION IN RELATION TO WEST BENGAL

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पश्चिम बंगाल के संशोधित बजट, 1970-71 तथा उक्त बजट संबंधी अनुदान की मागों तथा बंगाल के बारे में राष्ट्रपति शासन को जारी रखने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर विचार करेगी ।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें वे अपनी पर्चियां 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें उन्हें पुरःस्थापित समझा जायेगा । अब, श्री राम निवास मिर्धा ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं । मन्त्री महोदय को अपना प्रस्ताव पेश करने दीजिये इसके बाद आप जो उचित समझे कह दें । मन्त्री महोदय अब अपना संकल्प पेश करें ।

श्री राम निवास मिर्धा : श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से मैं निम्नलिखित संकल्प पुरःस्थापित करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन पश्चिमी बंगाल के बारे में दिनांक 19 मार्च, 1970 को जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने की अवधि 1 अक्तूबर, 1970 से 6 मास के लिये और बढ़ाये जाने का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : इस समय संयुक्त रूप से विचार होना है। वह अन्य प्रस्ताव भी पुरःस्थापित कर दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बजट तो पहले ही पेश किया जा चुका है तथा मैं अपना भाषण कर चुका हूँ। अब तो विचार आरम्भ होना है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : उक्त संकल्प अनुच्छेद 357 (1) (ग) के अधीन पेश किया गया है। इस से सम्बन्धित व्यय पहले ही किया जा चुका है तथा राष्ट्रपति ने उसकी अनुमति भी दे दी है। परन्तु अब यह संकल्प इस रूप में पेश किया गया है जैसे उपरोक्त व्यय संसद की स्वीकृति के बाद में किया जायेगा। अतः इसे इस रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिये था।

पहली घोषणा 19 मार्च, 1970 को की गई थी तथा उसे सभा के समक्ष पेश किया गया था। और इस सभा में वह पारित हो गया था। पश्चिम बंगाल विधान सभा को भंग कर दिया गया था। परन्तु अब की उद्घोषणा पहली की गई उद्घोषणा से भिन्न है।

वे ऐसा कह सकते हैं कि यह राज्यपाल ने किया है। परन्तु राज्यपाल को शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल जो कुछ भी बात है वह राष्ट्रपति की ओर से संविधान के अन्तर्गत करता है। यह उद्घोषणा पिछली उद्घोषणाओं से भिन्न है और इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : राष्ट्रपति द्वारा पहले जारी की गई उद्घोषणा को सभा का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है अन्यथा यह दो महीने से अधिक समय तक प्रभावित नहीं रह सकती। इस संकल्प में सभा से किसी नई उद्घोषणा का अनुमोदन करने को नहीं कहा गया है। इसमें केवल यही कहा गया है कि सभा द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा को और छः महीने तक जारी रखने की अनुमति दी जाये।

बजट सभा को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आज की कार्यसूची में यह कहा गया है कि बजट पर चर्चा आरम्भ की जानी चाहिए।

श्री नाथपाई (राजापुर) : व्यय पहले ही किया जा चुका है अतः इसको बजट के रूप में नहीं बल्कि किसी अन्य रूप में पेश किया जाना चाहिए था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसपर महान्यायवादी की सलाह ली जानी चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बारे में हमने कानूनी राय ली थी। अब तो बजट पेश किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा द्वारा पहले जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किया जा चुका है। अतः मध्याह्न भोजन के पश्चात् चर्चा जारी रहेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha Then Adjourned for Lunch Till Fourteen of the Clock

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha Re-Assembled After Lunch at Four Minutes Past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : Another motion is being taken up without completing the descussion on item Nos. 13 and 14. The hon. Minister has not replied to that. Are there any financial difficulties. That should be taken up.

Shri Suraj Bhan (Ambala) : The Government agreed to have a discussion on that for five hour although our demand was for Seven hours. The Government is now trying to put it off. We should be told as to when the hon. Minister is giving to reply to that.

श्री शिव नारायण : (बस्ती) : सरकार को इस बारे में निश्चित आश्वासन देना चाहिए कि अगले मंगलवार तक चर्चा समाप्त कर ली जायेगी।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : The discussion on this budget will take another full week. Discussion on the Harijans if not taken during the next week it will not be taken up during the current session. I request you to take up this discussion.

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को मद 10, 11 और 12 से पूर्व उठाया जाना चाहिए था, सभा इस विषय पर चर्चा करने को सहमत हो चुकी है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : A demand to the effect that statebond should be granted to Delhi also has been made at the conference of all parties which was held recently. A statement should come from Government and discussion should be held on this issue also.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Yesterday discussion was held on the subject for full five years but All India Radio fininhed this news in one minute only. It is a great result to Indian preasantry and I protest against it.

उपाध्यक्ष महोदय : कल संसद कार्य मन्त्री अगले सप्ताह के लिए कार्य सूची प्रस्तुत करेंगे। आप अपने सुझाव दे सकते हैं ?

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : No news was given yesterday night by All India Radio regarding yesterday's proceedings. It invariably avoids broadcasting news of the proceedings in which one take part. Discussion an granting interim relief to the Government employees has not yet been completed. It should be completed.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में कार्य मंत्रणा समिति इन सभी बातों पर ध्यान देगी।

Shri Molahu Prashad : Itour can you take another matter for discussion unless a discussion alre[a]dy going on is completed. I want your ruling.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह था कि इस पद को लिए जाने से पूर्व चर्चा समाप्त की जानी चाहिए थी, परन्तु अब इस पद पर चर्चा आरम्भ हो चुकी है, अतः अब यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Shri Janeshwar Misra : Many hon. Members had raised objections at the ttime of presenting the budget today morning. The hon. Speaker has not given his ruling on the first objection.

उपाध्यक्ष महोदय : बजट सभा में चार दिन पहले प्रस्तुत किया गया था न कि आज।

Shri Janeshwar Misra : The discussion on the budget has not yet started. The hon. Speaker has stated that Members should give their names in fifteen minutes.

Shri Molahu Prashad : May I know the proceedure under which you have put off the discussion regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes ? This is having done deliberately.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत अनियमित बात है। मैं स्थित के बारे में पहले ही बता चुका हूं। आप इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति के साथ उठा सकते हैं। कार्य सूची में परिवर्तन अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 25 के अन्तर्गत किया गया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या सभा के नेता से इस बारे में परामर्श किया गया था ?

Shri Molahu Prashad : You can not take up discussion on other motion before completing discussion on the motion of Shri Suraj Bhan. The hon. Minister has not yet replied to that discussion. **(Interruption)***

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नही किया जायेगा।

Shri Mohammad Ismail (Banadepore) : I want to make submission in regard to my cut motions.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष ने यह निर्णय किया था कि सदस्य 2-30 बजे तक कटौती प्रस्तावों के बारे में अपने नोटिस दे सकते हैं।

Shri Janeshwar Misra : The hon. Minister of Parliamentary Affairs should tell us as to when the discussion in regard to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be taken up ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि चर्चा पूरी नहीं हुई थी और उस पर अभी छः घन्टे तक और चर्चा होनी है। श्री मोलहू प्रसाद तथा अन्य माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उस चर्चा को पूरा किया जाये। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और चर्चा को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये।

Shri Molahu Prashad : You give us a fixed date.

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात समझने का प्रयास करें।

Shri Molahu Prashad : What is the definition of "at an early opportunity."

[**इसके पश्चात श्री मोलहू प्रसाद सभा से उठकर चले गये।**
SHRI MOLAHU PRASHAD THEN LEFT THE HOUSE.]

* सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) मध्याह्न भोजन के लिए जाने से पूर्व श्री श्रीनिवास मिश्र ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उसका अभी तक निपटान नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अध्यक्ष महोदय ने उसका उत्तर दे दिया था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय इस बारे में अपना विनिर्णय दे चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री श्रीनिवास मिश्र संविधान के अनुच्छेद 357 (1) (ग) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस बारे में स्थिति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस ओर कार्यालय द्वारा अथवा किसी अन्य द्वारा मेरा ध्यान नहीं दिलाया गया है। परन्तु यह मामला लम्बित नहीं है। अतः मेरा विचार है कि इसको निपटाया जा चुका है। श्री श्रीनिवास मिश्र इस समय यहां नहीं हैं और न ही वह इसको लिए जाने पर जोर दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो कुछ उत्तर दिया गया था वह उससे संतुष्ट हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त इस पर जोर नहीं देना चाहिए।

श्री समर गुह : (कन्टाई) यह ठीक प्रक्रिया नहीं है। यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो सभा को इस बारे में निर्णय करना होता है चाहे सम्बन्धित सदस्य सभा में उपस्थित हो अथवा न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र सभा में उपस्थित नहीं है। अतः यह इस बात का संकेत है कि वह इस बात से संतुष्ट थे कि मामले को निपटा दिया गया है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता) उत्तर-पूर्व इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि इस मामले में विनिर्णय दिया गया था अथवा नहीं ? क्या अध्यक्ष महोदय द्वारा अभी इस मामले में विनिर्णय दिया जाना है, यदि विनिर्णय नहीं दिया गया है तो आप को इस बारे में अपना निर्णय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह श्री इन्द्रजीत गुप्त अथवा श्री समर गुह का मामला हो तो मैं उसको सुनने को तैयार हूं परन्तु यदि उनका मामला यह है कि उसको पूरा नहीं किया गया था तो मेरे विचार में इसको निपटा दिया गया था।

श्री दत्ताश्रय कुन्टे : (कोलाबा) : रिकार्ड को देखा जाना चाहिए। यदि व्यवस्था के प्रश्न का निपटारा नहीं किया गया है तो सभा को पहले उसे निपटाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने यह कहकर कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, इस मामले को निपटा दिया था।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या हम यह समझ लें कि अध्यक्ष महोदय ने यह कहकर कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है इस मामले को निपटा दिया था ? इस प्रकार यह मामला नहीं निपटाया जा सकता। सभा को कुछ कारण बताये जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कार्यालय से पता किया है कि माननीय अध्यक्ष ने इस मामले के बारे में अपना निर्णय दे दिया था और इस प्रकार इस मामले को निपटा दिया गया था। इससे माननीय संतुष्ट हैं अथवा नहीं यह एक अलग बात है।

Shri Bibhuti Mishra (Motibani) : All India Radio gave no Coverage in its news bulletins to yesterdays proceeding on peasantry which continued for five and a half. Directions should be issued to the department concerned that they should give more coverage to such items.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्री मिश्र की अनुपस्थित में मैं अथवा कोई अन्य सदस्य इस मामले को उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य कोई अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो मैं उसको सुनने के लिये तैयार हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संविधान के अनुच्छेद 357 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को अनुमोदनार्थ सभा में प्रस्तुत किया गया था और सभा ने उसका अनुमोदन कर दिया था। उस उद्घोषणा में दो बातें थी। एक राष्ट्रपति शासन के बारे में उद्घोषणा थी। और दूसरी बात उसमें यह थी कि विधान सभा स्थगित रहेगी जुलाई को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा तक अन्य आदेश जारी किया गया था। वह राष्ट्रपति के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से कार्यवाही नहीं कर सकते। वह राष्ट्रपति के नाम पर ही वहां पर कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने आदेश जारी करके विधान सभा का उद्घाटन कर दिया है। अतः इस नये आदेश का आशय मार्च में जारी की गई उद्घोषणा में संशोधित करना है प्रश्न यह है कि इस उद्घोषणा अथवा आदेश को सभा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण है ?

बजट पर चर्चा आरम्भ किये जाने से पूर्व 30 जुलाई की इस उद्घोषणा को सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह वास्तव में पश्चिम बंगाल राज्य के बजट से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि बजट को चार महीने पूर्व प्रस्तुत किया जा चुका है। उनका प्रश्न वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा पहले जारी की गई उद्घोषणा के बारे में है। उसमें बाद में संशोधन कर दिया गया था और इस प्रकार विधान सभा का उत्पादन कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा पहले जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन सभा द्वारा कर दिया गया था। वर्तमान प्रस्ताव में उसके समय को बढ़ाने की बात ही कही गई है। इसकी व्याख्या अध्यक्ष महोदय को कर दी गई थी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : 16 जुलाई की उद्घोषणा द्वारा सारभूत परिवर्तन हुआ है और इसके द्वारा पहले जारी की गई उद्घोषणा, में संशोधन किया गया था। हम केवल पहले जारी की गई उद्घोषणा, जिसका हमने अनुमोदन किया था, के आधार पर कार्य कर रहे हैं। क्या हम यह समझ लें कि इस बीच कोई घटना नहीं घटी। क्या हम यह समझ लें कि सभा को पुनर्जीवित कर दिया गया है और कि यह प्रशासन की भूल थी। मैं इस बात को नहीं समझ सकता। दूसरी उद्घोषणा को सभा के समक्ष कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु हम दूसरी उद्घोषणा के आधार पर बजट पर आगे चर्चा कर सकते हैं।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : 16 जुलाई को जारी की गई उद्घोषणा जिसके द्वारा पहले जारी की गई उद्घोषणा में संशोधन किया गया है, का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। यह ठीक नहीं है कि राज्यपाल ने ऐसा किया था। यह राष्ट्रपति का आदेश था। राज्यपाल राष्ट्रपति का केवल

एजेन्ट मात्र है। अतः 16 जुलाई को जारी की गई उद्घोषणा को सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए था। यदि वास्तव में बजट पर चर्चा की जानी है तो सभा को पहले प्रस्ताव को मंजूरी देनी होगी। राष्ट्रपति ने उस समय उद्घोषणा जारी की थी जब सभा नहीं हो रही थी। सभा का सत्र शुरू होने पर इसे सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए था।

विधान सभा का अब उत्पादन कर दिया गया है। अतः इस स्थिति पर विचार करना तथा इस बारे में निर्णय किया जाना संसद का कर्तव्य है। जब तक संसद 16 जुलाई को जारी की गई उद्घोषणा की मंजूरी नहीं देती तब तक अन्य सम्बन्धित बातों पर विचार नहीं किया जा सकता। सब चीजों पर एक साथ विचार करने की प्रक्रिया गलत है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : संशोधन हो अथवा न हो इससे पश्चिम बंगाल के बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री जनेश्वर मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब व्यवस्था के एक प्रश्न पर चर्चा हो रही हो तो व्यवस्था का दूसरा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्यों को याद होगा कि प्रथम उद्घोषणा मार्च में जारी की गई थी। अनुदानों की माँगें चार महीने के लिए पास की गई थीं क्योंकि उस समय हमने कहा था कि बजट का पुनरीक्षण करने का समय नहीं है। उसके पश्चात् हमने पुनरीक्षित मांगों को यहां पर प्रस्तुत किया है। इस बात में कोई अन्तर नहीं पड़ता कि विधान सभा का उत्पादन कर दिया गया है। मेरा कहना यह है कि बजट पर पहले चर्चा हो चुकी है और चार महीनों के लिए अनुदानों की मांगें पास की जा चुकी हैं। अब केवल पुनरीक्षित बजट ही पेश किया गया है। उद्घोषणा को संसद की मंजूरी पहले प्राप्त हो चुकी है अथवा अब बजट पर चर्चा करने से पूर्व पुनः मंजूरी लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान राष्ट्रपति द्वारा 19 मार्च, 1920 को जारी की गई उद्घोषणा की ओर दिलाता हूं।

यह उद्घोषणा में स्पष्ट है। उसमें कहा गया है, कि "संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों का प्रवर्तन राज्य के सम्बन्ध में समाप्त किया जाता है। इसने अनुच्छेद 174 के खंड 2 को समाप्त नहीं किया है। अतः राज्यपाल ने विधान सभा का विघटन करके संविधान के अन्तर्गत कार्य किया है।

Shri Janeshwar Misra : (Phulpur) : Shri Shukla has stated that it makes no difference whether the Assembly is suspended or dissolved .But in case the Assembly is suspended, the salaries are paid to the M. L. As. from the Government Treasury. But in the case of dissolution of the Assembly no salaries are paid to the M. L. As. Therefore, it has the effect on the budget.

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बजट के बारे में बोलें, तब यह प्रश्न उठायें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक और व्यवस्था का प्रश्न है। सभा की कार्य-सूची में मद 10,11 और 12 पर एक साथ चर्चा करने को कहा गया है। अब श्री विद्याचरण शुक्ल ने यह कहा है कि इस तर्क में बल है कि संकल्प म शब्द 'संशोधित रूप में' में रखा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री समर गुह : इसमें शब्द "संशोधित रूप में" नहीं है। अतः मेरी आपति यह है कि इन तीनों मदों पर एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती। केवल मद संख्या 10 और 11 पर एक साथ चर्चा की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब इन मदों पर चर्चा की जा रही थी तब समस्त सभा का यह मत था कि इन मदों पर एक साथ चर्चा की जाये।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रक्रिया उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय मैं इस बारे में कोई विनिर्णय नहीं दे सकता। सभा ने एक मत से इन मदों पर एक साथ चर्चा करने का निर्णय किया था। सभा ने उचित निर्णय किया अथवा अनुचित यह प्रश्न अलग है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : आपके द्वारा पहले दिये गये विनिर्णय से क्या हमें यह समझना चाहिये कि संशोधित की जाने वाली उद्घोषणा बिल्कुल अनावश्यक है और इसे सभा के सम्मुख लाने की आवश्यकता नहीं है। और संविधान के अन्तर्गत हमें उद्घोषणा को स्वीकार करने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मार्च में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के पश्चात् अनुच्छेद 174 (2) निलम्बित नहीं हुआ। राज्यपाल ने इसी आधार पर कार्यवाही की है।

श्री समर गुह : कल की कार्य-सूची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में प्रतिवेदन पर चर्चा करने का उल्लेख किया गया है। लेकिन आज अचानक पश्चिम बंगाल के बजट पर चर्चा आरम्भ कर दी गई। इसके कारण मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि मेरा यह विचार था कि इस विषय पर अगले सप्ताह चर्चा की जायेगी।

Shri Shiv Chandra Jha: The Government should bring forward their motion as amended and then it should be taken up in the House. The item 12 should be put at No. 10 and item 10 at No. 11.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : आपने अपने निर्णय में कहा है कि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ख) के अन्तर्गत कार्य किया है राज्यपाल ने कार्य नहीं किया है बल्कि राष्ट्रपति ने कार्य किया हैं। उद्घोषणा के अन्तर्गत जहां भी 'राज्यपाल' शब्द का उल्लेख किया गया है उसे 'राष्ट्रपति' पढ़ा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सभा को प्रक्रिया से सम्बन्ध है, संविधान की व्याख्या से नहीं। मेरा इस बात से सम्बन्ध नहीं है कि क्या अनुच्छेद 174 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल ने राज्यपाल के रूप में काम किया है अथवा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। यह सांविधिक व्याख्या सम्बन्धी मामले हैं। इस बारे में मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। मैंने कहा है कि मेरा संविधान की व्याख्या से संबन्ध नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि मेरा संविधान से सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : "संविधान में राज्यपाल के प्रति कोई भी निर्देश, उक्त राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश समझा जायेगा"

यह विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। यदि राज्यपाल 'राष्ट्रपति की ओर' से ऐसा नहीं करता तो यह विघटन गैर कानूनी हो जाता है। 19 मार्च की उद्घोषणा अगली उद्घोषणा से भिन्न है। लेकिन 19 मार्च की उद्घोषणा, जो इस समय अस्तित्व में नहीं है तथा जो उससे भिन्न है, स्वीकृत की जा रही है। अतः स्वीकृति के लिये, संशोधित रूप में उद्घोषणा को लाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उद्घोषणा में यह उल्लेख किया गया है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों को निलम्बित किया गया है। लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया है कि उक्त अनुच्छेद विशेष निलम्बित किया गया है।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
		श्री शिवचन्द्र झा : कि 51 क शीर्षक के अन्तर्गत वृहत्तर कलकत्ता विकास सम्बन्धी योजना की मांग को कम करके 1 रुपया कर दिया जाये		
1			कलकत्ते का विकास तथा उसको आधुनिक बनाने में असफलता	राशि कम करके एक रुपया कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
19	2	**श्री बे० कु० दास चौधरी :**	वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार शिक्षकों विशेषकर प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों के वेतनमान घोषित करने में असफलता।	100 रुपये
	3	**श्री बे० कु० दास चौधरी :**	शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिये धनराशि बढ़ाने में असफलता।	100 रुपये
	4	**श्री बे० कु० दास चौधरी :**	कूच-बिहार में महिला कालेज खोलने में असफलता।	100 रुपये
20	5	**श्री बे० कु० दास चौधरी :**	कूच-बिहार स्थित राज रहाट टी० बी० अस्पताल के लिये अधिक धन नियत करने तथा वहां पर बिजली का कनेक्शन देने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
27	6	**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**	उत्तरी बङ्गाल में चीनी, कागज आदि जैसे उद्योग स्थापित करने में असफलता ।	100 रुपये
	7	**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**	कूच-विहार जिले में चुरट और सीमेंट के कारखानों जैसे उद्योग आरम्भ करने में असफलता ।	100 रुपये
30	8	**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**	काम करने के इच्छुक सभी समर्थांग व्यक्तियों को बेरोजगारी लाभ अथवा भत्ता देने में असफलता ।	100 रुपये
	9	**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**	बेरोजगार व्यक्तियों को अधिक अवसर प्रदान करने में असफलता ।	100 रुपये
31	10	**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
	11	**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**	तीस्ता, जलढाका, रायदक, तोरशा और नहानन्दा जैसी उत्तर बंगाल की नदियों को बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी बृहद् योजना में शामिल करने में असफलता ।	100 रुपये
33	12	**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**	कूच-बिहार जिले में मेलाडंगा, राज-रहाट; मालेरभार और कूच बिहार टाउन को भूमि के कटाव और क्षति से बचाने सम्बन्धी योजना को शामिल करने में असफलता ।	100 रुपये
	13	**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**	उत्तरी बंगाल में वृहद्ध तापीय बिजली परियोजना सम्बन्धी योजना को शामिल करने में असफलता ।	100 रुपये
15	14	**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**	गत मार्च में कूच-बिहार में पशारीहाट में हुई जघन्य हत्याओं की न्यायिक जांच कराने में असफलता ।	100 रुपये
33	15	**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**	सिंचाई की सुविधा के लिए बिजली से चलने वाले पम्पों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
	16	**श्री बे० कु० दास चौधरी :**	कूच-बिहार जिले में प्रभावी बाढ़-नियंत्रण के लिए तथा भूमि का कटाव रोकने के लिए कल्याणी नदी पर तट-बन्ध बनाने में असफलता ।	100 रुपये
	17	**श्री बे० कु० दास चौधरी :**	कूच-बिहार जिले में मंशाई नदी पुल योजना को नई परियोजना में शामिल करने में असफलता ।	100 रुपये
34	18	**श्री बे० कु० दास चौधरी :**	कूच-बिहार जिले में अन्दर के गांवों को आपस में जोड़ने जैसे, साहबेरहाट को गोसानीमारा से, मारूगंज को अन्दर के गांवों से और मझीरबन्द को बड़ाबाड़ी से जोड़ कर इसे सेयूली नदी पर पुल बना कर इच्छागंज तक बढ़ाने की नई सड़क-निर्माण योजनाओं को शामिल करने में असफलता ।	100 रुपये
	19	**श्री बे० कु० दास चौधरी :**	कूच-बिहार जिले में दिनहाट-चिलकारा रोड पर कल्याणी नदी पर पुल बनाने में असफलता ।	100 रुपये

श्रीमती सुचेता कृपालानी : (गोंडा) केन्द्रीय सरकार द्वारा पहली बार पश्चिम बंगाल के बजट पर चर्चा की जा रही है । पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन असाधारण परिस्थितियों में लागू किया गया है ।

जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो लोगों को आशा थी कि बङ्गाल के प्रशासन में आमूल परिवर्तन लाए जायेंगे । राष्ट्रपति का शासन लागू हुए पांच महीने हो गये हैं मैं यह जानना चाहती हूं कि यह प्रशासन पिछले प्रशासन से किस प्रकार अच्छा है और इस दौरान राज्य में कानून तथा व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है ।

प्रथम संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान वहां वातावरण काफी हिंसात्मक था । कुछ राजनीतिक दलों ने वहां ऐसा वातावरण बनाया हुआ था ।

समाज विरोधो दलों में आपस में दुश्मनी होने के कारण वहां कानून और व्यवस्था नहीं है ।

नक्सलवादी लोग पूर्णतया प्रशिक्षित हैं और उन्हें लोगों को डराने के तरीकों की जानकारी है । वे चीन तथा पाकिस्तान से आयात किये गये हथियारों से पूर्णतया सुसज्जित हैं । उनके पास

सेना से लिये गये तथा स्थानीय तौर पर निर्मित हथियार हैं। राज्य में बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं हो रही हैं।

वहां बमों के विस्फोट के समाचार हम प्रतिदिन समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं यहां तक कि आर० जे० कालिज में हाल ही में किये गये धावे में वहां बम बनाने की इतनी सामग्री प्राप्त हुई कि उससे 1000 बमों का निर्माण किया जा सकता था।

राज्य में अर्थ व्यवस्था पूर्णतया विखंडित हो गई है। जब राज्यपाल ने शासन अपने हाथ में लिया था तो लोगों ने राहत की सांस ली थी। उन्हें आशा थी कि अब वे शान्तिपूर्ण जीवन बिता सकेंगे। राज्यपाल ने कहा था कि "मैं जनता को स्वच्छ प्रशासन दूंगा तथा स्थिति पर नियंत्रण करूंगा"।

लेकिन राज्यपाल द्वारा ऐसा कहने से कि पुलिस राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगी राज्य में कानून तथा व्यवस्था फिर खराब हो गई है।

कलकत्ते के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। प्रधान मन्त्री ने जिस दिन कलकत्ते के विभिन्न भागों का दौरा किया था उसी दिन ही पुलिस को शहर के अनेक भागों में गोली चलानी पड़ी थी।

अधिकारियों का भी नैतिक बल गिर गया है। उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि सरकार से उन्हें आवश्यक संरक्षण प्राप्त होगा अथवा नहीं। भूमि हथियाओ और भूमि के वितरण कार्यक्रम के कारणसंयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान वहां तानाशाही वातावरण बना हुआ था।

बंगाल की स्थिति के लिये केन्दीय सरकार जिम्मेवार है लेकिन वह स्थिति की जिम्मेवारी लेने से इन्कार कर रही है क्योंकि केन्द्रीय सरकार वहां साम्यवादी दल का समर्थन चाहती है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वे पश्चिम बगाल में कुछ नहीं करना चाहती। केन्द्रीय सरकार वहां कानून व्यवस्था बनाये रखने की इच्छुक नहीं है। इसी कारण पश्चिम बङ्गाल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। गत छः महीने से वहां दंगों की स्थिति पैदा हो गई है लेकिन अभी भी वहां धारा 144 लागू की गई है।

राजनीतिक स्थिति के अतिरिक्त वहां कानून और व्यवस्था भंग होने के कई अन्य कारण भी हैं। वहां धन का उचित व्यय नहीं किया गया है तथा कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से नहीं चलाया गया है। कलकत्ते में खाद्यान्नों की गम्भीर कमी और खाद्यान्नों के इधर उधर लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध, खुले आम खाद्यान्नों की तस्करी एक सामान्य प्रथा है। इसके कारण वहां कानून व्यवस्था पूर्णतया भंग हो गई है। यदि इस प्रकार की अराजकता जारी रही, तो यह स्थायी बात बन जायेगी। वहां पुलिस कानून तथा व्यवस्था बनाने में पूर्णतया असफल रही है।

भूमि हथियाओ आन्दोलन के बारे में जितना कम उल्लेख किया जाये उतना ही अच्छा है।

राज्यपाल द्वारा प्रशासन अपने हाथ में लेने के बाद शैक्षिक संस्थाओं पर नक्सलवादियों द्वारा किये गये आक्रमणों की बाढ़ सी आ गई है और ये आक्रमण अभी तक जारी है शिवपुर इंजीनियरिंग कालिज, दुर्गापुर इंजीनियरिंग कालिज और जलपाई गुड़ी इंजीनियरिंग कालेज और जादवपुर

विश्वविद्यालय में गांधी केन्दों पर 15 अप्रैल को आक्रमण किये गये थे जो अभी तक जारी हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय में कुछ समयपूर्व पुलिस तैनात की गई थी लेकिन वह स्थिति में सुधार करने में असफल रही। वहां परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है और संस्थाओं में सामान्य जीवन पुनः स्थापित नहीं हुआ है।

चिकित्सा कालिजों की भी ऐसी ही स्थिति है। उक्त कालिजों में बार बार परीक्षाएं स्थगित की जा रही है उप-कुलपति का घेराव किया गया है और प्रिन्सिपल को पीटा गया है। पुस्तकालयों और भवनों में आग लगाई गई है। यह सब बातें हो रही हैं और पुलिस आमतौर पर तब पहुँचती है जब सब मामला समाप्त हो चुकता है।

जहां तक सामान्य प्रशासन का सम्बन्ध है, यह सच है कि संयुक्त मोर्चे के शासन काल में अधिक संख्या में सरकारी नौकरियों में नक्सलवादियों और मार्क्सवादियों की नियुक्ति की गई है।

कलकत्ता में सरकारी कर्मचारियों द्वारा बार बार हड़ताल और घेराव किये गये हैं। इसका कारण यह है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान, बहुत से लोग अस्थायी कर्मचारियों के रूप में भर्ती किये गये। लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त भर्ती की पुष्टि नहीं की गई। यह आशा की जाती है कि सरकारी विभागों में अधिक अनुशासन बना रहेगा क्योंकि उनकी सहायता के बिना सरकार द्वारा काम करना कठिन है।

कानू सन्याल को गिरफ्तार करने के लिये मैं पुलिस को बधाई देना चाहती हूं। पुलिस को गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के पास से बहुत सा गोला बारूद प्राप्त हुआ है। सरकार को इस बात का जबाब देना चाहिये कि उन्हें यह हथियार और गोला बारूद कहां से प्राप्त हुआ। यह समाचार है कि श्री कानू सन्याल प्रशिक्षण प्राप्त कर तिब्बत से लौटे हैं। इन प्रश्न का उत्तर न केवल राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भी दिया जाना चाहिये क्योंकि सीमा सम्बन्धी जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की है राज्य सरकार की नहीं।

इन लोगों को देश के हित के विरूद्ध काम करने की अनुमति दी गई थी और हमारी सरकार इस बारे में सोती रही है।

आर्थिक स्थिति के बारे में बार बार यह कहा जाता है कि पूंजी कलकत्ते से नहीं आई है यह सच है कि उच्च न्यायालय की आज्ञा से कम से कम 9 बड़ी संस्थाओं ने अपने कारखाने कलकत्ते से अन्यत्र हटा लिये हैं इसके लिये राज्य में काफी आन्दोलन चल रहे हैं।

संगठित श्रमिकों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में कारखाने बन्द किये जा रहे हैं। वर्ष 1966-67 में अधिकतम नई कम्पनियां पंजीकृत की गई थी जिनकी संख्या 356 थी। आगामी वर्षों में इनकी संख्या कम होती रही है। इसका कारण वहां का असुरक्षा का वातावरण है। इस समय बंगाल की अर्थ व्यवस्था में सुधार किया जा सकता था। परन्तु श्रमिकों में असन्तोष, व्यापक अराजकता, श्रमिक अनुशासनहीनता आदि के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। औद्योगिक विकास की गति मन्द पड़ जाने के कारण आज बंगाल कराह रहा है।

मैं कलकत्ता को अपनी सभी सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र मानती हूँ और हमें उन पर गर्व है परन्तु आज कलकत्ता का महत्व कम होता जा रहा है। इसका कारण वहां की व्यापक

अराजकता श्रमिक अनुशासनहीनता है और फिर वहां सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ जिम्मेदार लोगों का कहना है कि अब हमें बंगाल से कोई आशा नहीं करनी चाहिये। परन्तु मैं कहना चाहती हूं कि यदि बंगाल से हम आशा नहीं रखेंगे तो समस्त भारत से कोई आशा नही रहेगी क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से देश के लिये और विशेषकर पूर्वी क्षेत्र के लिये बंगाल का अत्यधिक महत्व है।

भारतीय वाणिज्य मंडल ने प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के विकास कार्य में सहयोग करेंगे। इसके लिये उन्होंने पहली शर्त कानून और व्यवस्था की रखी थी। उन्होंने औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने, आवास परियोजनाओं के विकास आदि के लिये सहायता देने का वचन दिया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाये और कहा था कि बंगाल में आवास तथा अन्य योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम को अधिक धन देना चाहिये। मैं जानना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है न कि राज्य सरकार पर। मैं अपने वामपक्षी मित्रों से कहना चाहती हूँ कि यदि वे सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये उत्सुक है तो उन सबको सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाये और फिर उनको सुचारु रूप से चलाये जाने की जिम्मेदारी उन पर होगी ; दुर्गापुर में वर्तमान स्थिति का कारण यह है कि ये वाम-पक्षी कथित श्रम संगठनों के माध्यम से कारखाने के कार्यकरण में गड़बड़ पैदा कराते हैं। कारखानों का काम करना असम्भव हो गया है। अगले दिन एक प्रश्न के उत्तर से पता चला था कि मजदूर संघ के कुछ श्रमिकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन गिरफ्तारियों के कारण वहां पर हड़ताल हुई थी। यदि सरकारी क्षेत्र में यह स्थिति रही तो सरकार को किसी अन्य तरीके से औद्योगिक विकास करने पर विचार करना होगा।

प्रस्तुत बजट में कलकत्ता की विकास योजना के लिये धन नियत करने की बात अच्छी है। कलकत्ता में नागरिक सुविधाओं का अभाव है। इस कार्य के लिये 20 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। हम आशा करते हैं कि जब तक वहां राष्ट्रपति शासन है तब तक इस सम्बन्ध में कुछ कार्य-वाही की जायेगी जिससे वहां की जनता को कुछ संतोष हो।

इस बजट में उत्साह का अभाव है इससे कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिलता कि सरकार बंगाल की बड़ी-बड़ी समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके उनका समाधान कर सकेगी। सरकार ने वहां की जनता के कल्याण कार्यों के बारे में लापरवाही की है और उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है। हमने कई बार वर्तमान राज्यपाल को हटाने की मांग की है परन्तु अभी तक वह इसी पद पर बने हुए हैं। उनके रहते बंगाल में शान्ति, स्थिरता, प्रगति नहीं हो सकती। परन्तु यदि प्रधान मन्त्री इस बात का आश्वासन दे कि यह सब कुछ होगा तो मैंने जो कुछ कहा है, मैं उसको वापिस लेने के लिये तैयार हूं।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम): हमारे संविधान में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति शासन एक बिल्कुल अस्थायी एवं आपातकालीन व्यवस्था है। फिर भी मैं वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता

हूँ कि उन्होंने विकास के लिये दीर्घावधि उपाय भी पेश किये हैं। परन्तु मैं सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करना चाहता हूँ। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। जिस राज्य में अव्यवस्था हो, अनिश्चितता हो, वहां से यदि कारखानों का स्थानान्तरण किया जाता है तो इसमें कोई चकित होने की बात नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ बंगाली पश्चिम बंगाल के बाहर दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य स्थानों पर जमीन तलाश कर रहे हैं जिससे कारखानों की एक अन्य शाखा वहां स्थापित की जा सके। इसका केवल एक कारण यह है कि इन्हें वहां की कानून और व्यवस्था में और शान्ति बने रहने में विश्वास नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में स्थिति के अनिश्चित होने का एक कारण यह है कि वहां पर देश के विभाजन से लेकर पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थी आ रहे हैं। यदि वहां भी पश्चिम पाकिस्तान की तरह जनता का तबादला हो जाता–जिससे मैं घृणा करता हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि यदि किसी राज्य से अल्प संख्यक चले जाते हैं तो यह एक गम्भीर लांछन है—तो पश्चिम पंजाब की तरह यहां की समस्या का भी स्थायी समाधान हो जाता। सरकार को शरणार्थियों की समस्या का बार-बार सामना न करना पड़ता। 15 अगस्त 1947 को और उसके बाद नेहरू-लियाकत आदि समझौतों के सम्बन्ध में हमने सभी शर्तों का पालन किया है परन्तु पाकिस्तान ने एक का भी पालन नहीं किया है। यहां से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया बल्कि जिन जिलों में 1947 में मुसलमानों का बहुमत था वहां अब भी उनका बहुमत है। यह बीस वर्षों में हम कह रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार को बंगाल को इन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ओर ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की समस्या पर उसी सिद्धांत के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता जिसके अनुसार अन्य राज्यों के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जैसा कि उनसे आशा थी। कानून और व्यवस्था इस गम्भीर समस्या की अभिव्यक्ति मात्र है जो कई वर्षों को उपेक्षा के कारण पैदा हुई है। अब वहां पर उन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र जनता के सामने जलाये जाते हैं जिनके प्रति हम प्रतिदिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कालेजों में घोर अराजकता है।

कानून और व्यवस्था की समस्या के साथ निपटने के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि धन, पुलिस, सेना–कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। वित्त मन्त्री को अनुपात के सिद्धान्त पर पश्चिम बंगाल के लिए धन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये बल्कि इसके लिए एक पृथक सिद्धान्त बनाना होगा। हमें इस समस्या के साथ युद्ध स्तर पर निपटने के लिए सभी संसाधन जुटाने चाहिए जिससे कलकत्ता, वहां की जनता, वहां की नालियों, पानी, बेरोजगारी; शिक्षा आदि सभी समस्याओं का समाधान हो जाये।

हमें एक दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें अपनी संकीर्ण विचारधारा छोड़ देनी चाहिए और इस राज्य को फिर से ऐसा बनाना चाहिए जिसमें लोग ठीक ढङ्ग से रह सकेंगे और फिर से कारखाने आदि लगा सकेंगे, और बिना किसी कष्ट के अपनी भूमि में खेती कर सकेंगे।

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बंगाल की स्थिति का प्रभाव समस्त देश पर पड़ेगा। हमारा अनुभव है कि इस देश में ही नहीं, बल्कि किसी देश में छोटे-छोटे दलों की संयुक्त सरकारें

कभी भी अच्छी सरकारें नहीं बन सकती । वे आपस में केवल झगड़ा कर सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप यह उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर आ पड़ा है । वैसे यह व्यवस्था अच्छी नहीं है और यह व्यवस्था स्थायी भी नही है तथा यह जितनी जल्दी समाप्त हो जाये, अच्छा है ।

कुछ ऐसे प्रभावशाली और वांछित कदम उठाने चाहिए जिससे सरकार प्रभाव शाली वन सके और लोगों को सुख और वैभव की प्राप्ति हो सके अन्यथा सरकार बनाने का कोई लाभ नहीं । आज की स्थिति विल्कुल डांवाडोल है । लोग निराश हो गए है । चारों ओर गोला-बारी-बम विस्फोट पुलिस के साथ मुठ-भेड़ आदि की घटनाएं हो रही हैं और ऐसी स्थिति में चुनाव कराना ठीक नहीं है । लोग स्वतंत्र रूप से अपना मत नहीं दे सकते वह नियुक्ति भाव अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते । ऐसी परिस्थितियों में बनी सरकार कभी टिक नहीं सकती । अतः सरकार का गठन करने हेतु लोगों को मत देने के लिए शान्ति और सुरक्षा की स्थिति पैदा करना आवश्यक है । लोग नहीं चाहते कि वहां और चुनाव लड़े जांए क्योंकि उनमें त्रास और डर की भावना पैदा हो गई है । पश्चिमी बंगाल की लोकतंत्र की समस्या को अत्यन्त गम्भीर खतरा हो गया है । पिछले तीन वर्षों से पश्चिम बङ्गाल में कोई सरकार टिक नहीं पाई है । बार-बार अराजकता और कानून और व्यवस्था भंग की स्थिति पैदा होने से वहां दो बार राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा ।

पश्चिम बङ्गाल की समस्याओं इसके दु:ख-दर्द, इसकी आवश्यकता और निर्यायता, इसके शरणार्थी और लाखों भूखे लोगों को जो देश के देहातों में इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं, को भूलाया नहीं जा सकता । उनके साथ केवल इस बात पर यह व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उन्हें आनुपातिक रूप में कितने संसाधन जुटाये जा सकते हैं । कलकत्ता की समस्याओं को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए । कलकत्ता की वर्षों से उपेक्षा होती आ रही है और अब तो इस नगर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है । लोगों को आवश्यक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं । शिक्षा की स्थिति तो बहुत ही खराब है । जिससे साफ जाहिर है कि वहां कोई सरकार नहीं हैं । हमें दलगत वैमनस्यों को त्याग कर कलकत्ता की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे वहां जनजीवन सामान्य हो जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : पश्चिम बङ्गाल के वजट पर चर्चा आज नहीं होगी अपितु आगामी सप्ताह में होगी क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अग्रह किया था । अतः वे आज सायं के 5 बजे तक अपने कटौती प्रस्ताव भेज सकते हैं । समय बाद में निर्धारित होगा ।

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARI IN THE CHAIR]

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : अत्यन्त निराशा जनक बात है कि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं । पश्चिम बङ्गाल के लिए जो बजट की व्यवस्था की गई है वह आंशिक रूप से पश्चिम बङ्गाल की अवर्ती समस्याओं को हल करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है । इन समस्याओं से पीड़ित पश्चिम बङ्गाल के छुटकारा दिलाने के लिए गम्भीर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अनेक पत्र-पत्रिकाओं में पश्चिम बङ्गाल विशेष कर कलकत्ता की समस्याओं के बारे में समाचार प्रकाशित हुए हैं। जिनमें बताया गया है कि कलकत्ता की स्थिति अत्यन्त खराब और चिन्ताजनक है। यदि ऐसे समय पर भी लोगों के कल्याण, उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं और पश्चिम बङ्गाल के लोगों की सुविधाओं की सरकार इसी प्रकार उपेक्षा करती रहेगी तो भारत कलकत्ता को बचा नहीं सकेगा। कलकत्ता की ऐसी खराब स्थिति के लिए यदि इस सरकार पर पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती तो कम से कम इसके लिए सत्तारूढ़ दल तो अवश्य जिम्मेदार है।

कलकत्ता की कुछ समस्याओं के मूल में जाना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे घेराव की समस्या को आरम्भ में ही सुलझाना चाहिए था। इस समस्या का मूल श्रमिकों की आर्थिक मांगों और रोजगार की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में निहित है। इस समस्या का उस समय भी कोई समाधान नहीं निकाला गया और अब भी व्यापारी और सरकार इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसी स्थिति में हमें संविधान के अनुच्छेद 39 और 41 को देखना चाहिए जिसके अन्तर्गत न केवल पश्चिम बङ्गाल अपितु समस्त भारत की जिम्मेदारी सरकार पर पड़ती है। नागरिकों की आजीविका पर्याप्त साधनों के अधिकारों की सुरक्षा और राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर लोगों के कार्य करने के अधिकार की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि बताया गया है कि निर्धनता की सारी समस्याएं, बेरोजगारी आदि की जो समस्याएं आज बङ्गाल में पैदा हो गई हैं, वे सब हमारी गलत आर्थिक योजनाओं तथा हमने आज तक जो कुछ किया है, उसकी पूर्णरूप से उपेक्षा करने के कारण हुई हैं।

जहां तक नक्सलवादी आतंक का मामला है, सरकार के पास सब प्रकार की शक्ति और बल होते हुए भी सरकार इसको नहीं दबाती। यदि केन्द्रीय सरकार पक्का निश्चय कर ले तो नक्सलवादियों का आतंक एक सप्ताह के भीतर भारत से समाप्त हो जाये और ये कहीं अन्यत्र आश्रय नहीं ले सकते। हमारी माननीया प्रधान मंत्री को राज्य सभा में यह कहने के लिए कि नक्सलवादियों की धमकियां तथा खतरे को समाप्त कर दिया जायेगा, तीन वर्ष लगे। समस्या के गम्भीर रूप धारण करने पर केवल यह कहने से उस समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या को मूल और उसके कारणों का अध्ययन करके उसे आरम्भ में ही दबाना चाहिए था।

पश्चिम बंगाल ,विशेषकर कलकत्ता की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में संसद के भीतर और बाहर बहुत कुछ कहा जा चुका है। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्रियाशीलता के बारे में बड़ा मतवैभिन्य है कि औद्योगिक क्रियाशीलता में ह्रास नहीं आया है। परन्तु इसके लिए वातावरण, सुरक्षा कानून, और व्यवस्था उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि भूमि किसी कृषि उपज के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जब तक पश्चिम बङ्गाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होती, लोगों को उनके जान माल की सुरक्षा का विश्वास नहीं हो जाता तब तक वहां औद्योगिक क्रियाशीलता अथवा शान्ति और समृद्धि की आशा नहीं हो सकती।

बड़ी असंगत बात है कि कलकत्ता में भूमि की दर सबसे अधिक और ऊँची है परन्तु वहां से सबसे कम राजस्व एकत्र किया जाता है। इस प्रकार की असंगति पर सरकार द्वारा विचार न करने का कोई बहाना नहीं है। एक ओर तो आपके पास सामाजिक कानून और व्यवस्था तथा लोगों की

महत्वाकांछाओं की समस्याएं हैं और दूसरी ओर आपके पास राजस्व बहुत सीमित है जिसे आपने बजट नियतन में दिखाया है। अतः सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि पश्चिम बङ्गाल में आज राजस्व की कितनी चोरी की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यों में ह्रास आ गया है। गत दो अथवा तीन वर्षों में यह सरकार न केवल वांचू आयोग और पांडे आयोग के प्रतिवेदनों के अनुसार अपितु चतुर्थ योजना की प्रस्तावना के अनुसार भी पिछड़े क्षेत्रों के शीघ्र तथा अधिक विकास के लिए अतिरिक्त धन जुटाने का प्रयत्न कर रही है। मेरे माननीय साथी श्री सेन द्वारा दिए गए तर्क का भारत के अन्य भागों में विकास कार्य की उपेक्षा करके भी मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि यदि हम पश्चिम बंगाल को अपने साथ रखना चाहते हैं और लोगों के कल्याण का ध्यान रखना चाहते हैं, तो पश्चिम बंगाल को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाये।

कुछ वर्ष पूर्व पूर्व-बंगाल से आ रहे शरणार्थियों के प्रश्न को लेकर तर्क दिया गया था कि सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को अतिरिक्त धन और कर का प्रोत्साहन यह देखने के लिए देना चाहिए कि आर्थिक अवसरों और नौकरियों के रूप में अतिरिक्त कार्यशीलता आरम्भ की जाए जिससे निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके। सरकार को देश के पिछड़े क्षेत्रों का सुधार करने के लिए उन्हें और अधिक राहत देनी चाहिए, चाहे यह राहत साधारण रूप में दी जाये या किसी अन्य प्रोत्साहन के रूप में जिससे कानून और व्यवस्था की समस्या का समाधान करने के उपरान्त औद्योगिक कार्य शीलता को निश्चित रूप से अधिक शक्ति दी जा सकती है। परन्तु यह तभी सम्भव है जब कि लोगों के जन-धन की सुरक्षा समस्या का समाधान हो जाय।

यहां कुछ सुझाव देना अनिवार्य सा लगता है। श्री एस० एस० धवन के बारे में बार-बार बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री धर्मवीर को पश्चिम बंगाल का कार्यभार संभालने के लिए वहां वापस बुला लेना चाहिए। वर्तमान सरकार को उनके प्रति विश्वास है, और वह अभी भी राज्यपाल के पद पर हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य की कानून और व्यवस्था और प्रशासन और अन्य मामलों की समस्या को निपटाने और हल करने में श्री धवन पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। राज्य की स्थिति को काबू में करने के लिए श्री धवन को वहाँ से बदलना ही होगा। जब तक पश्चिम बंगाल में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक वहां उप-चुनाव कराने का कोई तुक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। दूसरा सुझाव यह है कि कलकत्ता महानगर योजना प्राधिकरण को पुनः सक्रिय और पुनः स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यह आरम्भ से ही निष्क्रिय पड़ी है और फोर्ड फाऊन्डेशन, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के विशेषज्ञों के द्वारा अनेक प्रतिवेदन देने पर भी इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। भारत सरकार के अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल भेजना चाहिए जिससे वहां की समस्याएँ हल हो सके, क्योंकि वर्तमान प्रशासनिक प्रतिभा और प्रवीणता जो अब पश्चिम बंगाल में हैं उसकी शक्ति को बढ़ाकर कम से कम दुगुना तो करना ही चाहिए। परन्तु खेद है हमारे प्रधान मन्त्री और उनकी सरकार को पश्चिम बंगाल की तनिक भी परवाह नहीं है।

पश्चिम बङ्गाल में चाहे किसी भी दल का शासन हो या राष्ट्रपति का ही शासन क्यों न हो, कलकत्ता और उसके आस पास के क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं देनी चाहिए क्योंकि वहां नागरिक

सुविधाओं की स्थिति अत्यन्त चिन्ता जनक है। उत्तर कलकत्ता में बार बार बाढ़ आती रहती है। इन सभी समस्याओं को प्राथमिकता देकर हल करना चाहिए और वहां की जनता को जीवन की आम सुविधाएं जुटाने को सरकार की जिम्मेदारी है सरकार को वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग के सहयोग से कलकत्ता और पश्चिम बङ्गाल का तेजी से विकास करने हेतु आवश्यक तकनीकी तथा प्रबन्ध सम्बन्धी जानकारी और संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। अतः या तो कलकत्ता की समस्याओं को हल करने के लिए जोरदार कार्यक्रम बनाने होंगे अन्यथा कलकत्ता की ये समस्याएं सरकार के लिए सरदर्द बन जायेगी।

सरकार को लोगों के रोजगार और आर्थिक अवसरों की किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि आज के मेधावी प्रतिभाशाली नवयुवक नक्सलवादियों की गतिविधियों के चंगुल में न फंसने पाये सरकार को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पश्चिम बङ्गाल आज, विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए मल्ल-युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है और इस राज की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। जहां तक पश्चिम बङ्गाल के बजट की बात है यह तो रद्दी कागज का एक टुकड़ा मात्र ही है।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृषनगर) : हम यहां पश्चिम बङ्गाल के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक समस्या बहुला प्रान्त है। मैं यहां उनमें से कुछ समस्याओं को लेती हूं।

पश्चिम बङ्गाल के बजट में कहा गया है कि वृहत कलकत्ता की पानी आदि तथा अन्य विकास के कार्यों के पूरा होने से कलकत्ता तथा साथ ही समूचे प्रान्त का आर्थिक विकास होगा। बङ्गाल की स्थिति को हम अब और अधिक समय तक हंसी में नहीं उड़ा सकते। पर अभी स्थिति काबू से बाहर नहीं हैं। जैसा कि श्री अशोक सेन ने कहा पश्चिम बङ्गाल की समस्या एक विशेष प्रकार की समस्या है। वहां शरणार्थियों की समस्या है जो लाखों की संख्या में वहां आए हैं, जिन्हें बसाने के लिए कम से कम उसे 400 करोड़ रुपये चाहिए। वहाँ कानून और व्यवस्था की समस्या है जो अत्यन्त भयंकर है, जिसके कारण कोई औद्योगिक गतिविधि वहां नहीं चल सकती। भूमि हथियाओ आन्दोलन वहां कुछ लोगों ने चालू किया है। वे कहते हैं कि हम जनता के मित्र हैं। पर होता यह है कि वे जोतदारों की जमीनें हथियाने नहीं जाते बल्कि वे छोटे-छोटे किसानों और झोपड़ियों में रहने वालों की जमीनें हथियाते हैं और उनकी झोपड़ियों में आग लगा देते हैं और उनकी औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

31-3-1969 तक केन्द्रीय सरकार ने सरकारी उपक्रमों में तथा प्रान्तीय योजनाओं में अन्य प्रान्तों की तुलना में कम राशि लगाई है। परन्तु जिस चीज ने पश्चिम बङ्गाल को इस स्थिति तक पहुँचाया है वह यह नहीं है वरन् वह है वहां की कानून और व्यवस्था की समस्या।

संयुक्त मोर्चा सरकार का कहना है कि उनके कार्य काल में सैनिकों को अत्यधिक लाभ पहुँचा है मोर्चा सरकार के किसी भी मन्त्री ने कभी यह नहीं कहा कि वेतन वृद्धि में, उत्पादन में वृद्धि होना अनिवार्य है। वेतन बढ़े पर उत्पादन बिलकुल नहीं बढ़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिम बङ्गाल में रोजगार कम होते गये। यही अब कुछ मोर्चा सरकार और नक्सलवादियों ने पश्चिम बङ्गाल को दिया। उन्होंने केवल विनाश और अव्यवस्था ही को कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं दिया।

यदि हम यह चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिरता आये तो हमें कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारना होगा, उसे अपने काबू करना होगा। कोई भी अपने आपको वहां सुरक्षित नहीं मानता—न विद्यार्थी न किसान और न ही मजदूर। चारों ओर अराजकता और आतंक का साम्राज्य है।

भूमि व्यवस्था के नाम पर मोर्चा सरकार ने कुछ नहीं किया। इस भूमि हथियाओ आन्दोलन तथा जबर्दस्ती खेतों को काट लेने से भूमि की व्यवस्था में कोई सुधार होने वाला नहीं है। लोगों को मार कर कोई आन्दोलन लोगों के लिये नहीं चलाया जा सकता। यह जन आन्दोलन नहीं हो सकता। बजट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए व्यवस्था है यह अच्छी बात है पर बजट में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके लिए वे काफी समय से मांग कर रहे हैं। वे स्वतंत्रता सेनानियों की एक निर्देशिका निकालना चाहते हैं, जिसके लिये उन्होंने 66,900 रुपये की मांग की है पर अभी तक उन्हें यह राशि नहीं दी गई है। इससे उनके मन में असंतोष की भावना घर कर जायेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

दार्जिलिंग की चाय पर अत्यधिक उत्पादन शुल्क लगाया गया है जिसे वहां के चाय बागान सहन नहीं कर सकते। कुछ बागान बन्द भी हो गये हैं। मैं चाहती हूँ कि सरकार इसके सम्बन्ध में छानबीन करे इस सम्बन्ध में वे वित्त मन्त्री से मिले भी हैं।

कलकत्ता से चाय की नीलामी ली जा रही है। इससे रोजगार के अवसर कम होंगे। आपने हल्दिया पत्तन का विकास किया है पर यदि सरकार उस क्षेत्र से निर्यात को जाने वाली मुख्य वस्तु को ही छीन लेती है तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी तथा स्थिति विस्फोटक हो जायेगी।

सीमा क्षेत्र की सड़कें अच्छी नहीं हैं। यहां तक कि वर्षा के दिनों में उन पर जीप भी नहीं चल सकती। इसका कारण यह है कि सीमा-सुरक्षा तो प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल गृह परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत और सीमा सड़कें परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत हैं और इन सब में आपस में समन्वय नहीं है, जो कि होना चाहिए अन्यथा पश्चिम बंगाल तथा साथ ही भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी मैं उनमें से नहीं हूं जो यह मानते हैं कि अब पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। यह एक संघर्षशील राज्य है और वह निश्चय ही नक्सलवादियों पर काबू पायेगा। हम अन्त तक लड़ेंगे जिससे कि पश्चिम बंगाल का प्रत्येक नागरिक शान्ति से और सुख से रहे सके।

मैं आशा करती हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस सबकी ओर ध्यान देगी और वहां की जनता के लिए कुछ न कुछ करेगी। पर इन अब कामों को करने के लिए 20 करोड़ या 40 करोड़ रुपये की राशि कुछ भी नहीं है।

जब तक राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक चुनाव न कराये जायें तभी पश्चिम बंगाल के संघर्षशील लोग अपने राज्य के लिए खून की आखरी बूंद तक भी लड़ सकेंगे।

Shri Yajna Dutt Sharma (Amritsar) : Bengal is an important State of India.But it is very unfortunate that even after having so much talents and ability it has always been a centre of big misfortunes .The British Government never paid any attention for the development of this State.But unfortunately even after independance our Government did not do much towards the development of this State. Only few people got the protection of the Government and due to this policy, the difference between the poor and rich persons went on increasiding. The situation the West Bengal shoold be verycarefully handled andimmediate attention should be paid towards remaining the financial difficulties of the common people. This dispautly between few rich persons and majority of common people should be removed.

The problem of rehabilitating the refugees is a very important problem of West Bengal. while the Central Government spent Rs.1,000 crores on rehabilitating refugees in Punjab, only a sum of Rs.300 crores was given to West Bengal for the same. And even out of that amount a big portion has been given to the West Bengal Government as loan.Why this discrimination with West Bengal ?

The present situation of West Bengal is due to the quota permit raj of the Congress Government.Due to this mismanagement an illiterate because a rich person with in few years while a qualified engineer and doctor is roaming about without any work. Under such circumstances if they adopt the path of Naxalites what is their fault. Therefore, we should try to solve the problems of West Bengal, keeping in view the above conditions.

Bengal has got steel plant and heavy industries. This state is very rich in coal deposits and as such a State having such resources should not be ignored. The production capacity of the state is deteriorating year by year and if this will be allowed to continue, there will be Caos and discontent in the state. Therefore, unless and until Government improves the economic condition of the state we cannot solve the present problems of this state.

The Government should hold negotiations with Pakistan on the influx of refugees. The Government is taking up matters on piecemeal basis. We should take up all the problems together with that country.

Maulana Bhashani, who is a Maoist leader of East Bengal is trying to influence the thinking of the West Bengal people. Chinese arms are also coming in the state and the youths of West Bengal are coming back to the state after getting training from China and East Pakistan.

The present Governor of West Bengal is not energetic enough to solve the problems of West Bengal. He is just like a puppet and is unable to solve these problems. Therefore, I suggest that the present Governor should be immediately replaced by an able and energetic person.

Elections shouldnot be held there unless peace is restored, otherwise under the present conditions prevailing there, there cannot be free voting. People will be asked to vote on the point of pistol and gun.

Therefore the problems of West Bengal should be considered in the light of the economic situation there. Patriotism of the common people in West Bengal is boyond our doubt. Concrete steps should be taken to solve the problems of that state.

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैंने अनेक सदस्यों के भाषणों को सुना और उनमें व्यग्रता तथा स्थिति की गम्भीरता को व्यक्त किया गया था। मुझे उनके दृष्टि कोण के और प्रति सहानुभूति है; परन्तु हमें दोषारोपण और आलोचना उसी की करनी चाहिए जो उत्तरदायी हो। पश्चिम बंगाल की जनता की वर्तमान परेशानियों राजनैतिक अस्थिरता, नक्सलपंथियों के

उद्भव का कारण वहां का सामाजिक, और आर्थिक राजनैतिक ढांचा है। श्रमिकों के हितों का प्रश्न सामने आने पर पश्चिम बंगाल के नेता बार-बार चिल्लाते तो हैं, परन्तु उन्होंने कभी भी उनके हितों के लिए संघर्ष नहीं किया। उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले इन श्रमिकों और मजदूरों का उन्होंने अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग किया। इन नेताओं ने कभी भी श्रमिकों के वेतन के लिये आवाज नहीं उठाई।

उद्योगपति यह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में असुरक्षा और अनिश्चितता का वातावरण बन गया है और वे अब कलकत्ता छोड़ रहे हैं, परन्तु वे भी दोषमुक्त नहीं हैं। उन्होंने बंगाल और कलकत्ता में श्रमिक कानूनों को कार्यान्वित नहीं किया है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता नहीं दी और इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त हो गया और असुरक्षा तथा अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया।

पश्चिम बंगाल के सभी राजनैतिक नेता भी इस स्थिति के लिये उत्तरदायी हैं। पश्चिम बंगाल के राजनैतिक नेता जनसाधारण के मतों से तो सन्तुष्ट हैं, परन्तु उन्होंने जनसाधारण और निर्धन वर्ग के अधिकारों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने भूमि सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का कभी प्रयास नहीं किया। जमींदारी और जोतदारी प्रथा का उन्मूलन नहीं किया गया। इन राज-नेताओं ने केवल मौखिक सहानुभूति ही प्रदर्शित की। संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी कुछ नहीं किया। जब शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आए, तो वहाँ घोर अव्यवस्था का साम्राज्य था। राष्ट्र के प्रतिनिष्ठा न रखने वाले वामपंथी व्यक्तियों ने नक्सलवादियों का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता की। जब तक पश्चिम बंगाल की समूची स्थिति में सुधार नहीं किया जाता, तब तक वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार नहीं हो सकता।

प्रवर समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए मैं कलकत्ता गया था। वहाँ मैंने भयावह स्थिति देखी। वहाँ के लोगों ने कलकत्ता की स्थिति सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया।

अब पश्चिम बङ्गाल राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है। अतः सरकार को पश्चिम बङ्गाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। उन्हें नक्सलवादियों और मार्क्सवादी साम्यवादी दल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि अराजकता फैलाने के लिए ये ही तत्व जिम्मेदार हैं। जब तक पश्चिम बंगाल की जनता में सुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं की जाती, तब तक वहां की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

कठिनाइयों के बावजूद, पश्चिम बंगाल को और अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट माँगों और अनुपूरक माँगों के अनुरूप किये गये प्रावधान के अतिरिक्त धन की व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो सके।

जब तक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते और स्थिति बदतर होती जायेगी।

श्री जी० विश्वनाथन (बन्डीवारा) : अभी तक बंगाल को टैगोर, विवेकानन्द और नेताजी की भूमि समझा जाता था। अब यह चारु मजुमदार और कानु सान्याल की भूमि में परिवर्तित हो गया है। नक्सलवादियों और आतंकवादियों ने हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव बन्द, छुरेबाजी, हत्या,

लूटपाट और सम्पत्ति विनाश आदि से वहां शान्ति और व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो गई है। अब वहां हिंसा का साम्राज्य है।

पश्चिम बंगाल की मुख्य समस्या आर्थिक समस्या है। कलकत्ता, जिसकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है, बङ्गाल की सबसे बड़ी समस्या है। वह भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी गन्दी बस्ती (स्लय) है। बेरोजगारी और वह भी विशेष रूप से शिक्षित लोगों में, भूमि समस्या, औद्योगिक अशान्ति और आवास की कमी आदि हिंसात्मक गतिविधियों की ओर बढ़ा रही हैं।

सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना दुर्गापुर इस्पात कारखाने पर भी इस औद्योगिक अशान्ति का असर पड़ा। प्रतिमाह लगभग 1.2 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और पिछले तीन सालों में 50 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। हड़ताल को प्रत्यक्षत: गैर-कानूनी नहीं ठहराया जा सकता, परन्तु जब रोजाना ही उसका तांता बँध जाय, तो यह गैर-कानूनी कार्य हो जाता है। आजकल दुर्गापुर में उत्पादन पूर्णरूप से ठप्प हो चुका है। इसका समूचे देश और समस्त औद्योगिक विकास पर कुप्रभाव पड़ा है। उन व्यक्तियों का पता लगाया जाना चाहिए, जो इन औद्योगिक क्षेत्रों में और विशेषकर दुर्गापुर में उपद्रव पैदा करते हैं और उनके साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए।

एक के बाद दूसरी सरकार आती गई और समस्याओं का संग्रह होता गया जिसके परिणाम स्वरूप नक्सलपंथी आन्दोलन और हिंसक आन्दोलनों का जन्म हुआ।

इस समय राज्यपाल सलाहकारों की सहायता से प्रशासन को चला रहा हैं। परन्तु राष्ट्रपति शासन अनिश्चित समय तक जारी नहीं रह सकता और न चुनावों को ही अनिश्चित काल तक स्थगित रखा जा सकता है। इस समय तो सामान्य स्थिति स्थापित करने की समस्या है।

राष्ट्रपति शासन के बावजूद भी हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक नहीं लगी। नक्सलपंथियों और अन्य राष्ट्र-विरोधी तत्वों का सफाया नहीं किया गया है। यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही है। राज्यपाल को इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए कहा जाना चाहिए। अगर राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता, तो उसे बदल दिया जाना चाहिए।

प्रधान मन्त्री को पूरे साहस के साथ इस राज्य में स्थिति सामान्य बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि पश्चिम बंगाल के शान्तिप्रिय लोग सामान्य जीवन बिता सकें। केन्द्रीय सरकार को कलकत्ता शहर तथा समग्र बंगाल के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।

श्री पें० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कानून और व्यवस्था कायम नहीं हो जाती। इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपनी पूरी क्षमता और योग्यता में राज्य को आतंकवादी और समाज-विरोधी तत्वों से रक्षा करके जनता में पुन: विश्वास की भावना स्थापित करे।

बंगाल को ही वह भूमि है जिसने हमें बहुत से नेता दिये जिन्होंने न केवल राजनैतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बल्कि इस देश के आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा अंशदान किया। स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण, परमहंस, टेगोर और राजाराम मोहन राय

का सन्देश देश के कोने-कोने में गूंज रहा है। उस राज्य के नेताओं से हमें प्रेरणा प्राप्त हुई और स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान उन्होंने समूचे राष्ट्र के लिए संघर्ष किया। आज उसी राज्य में, इनके बिल्कुल विपरीत स्थिति हम देख रहे हैं। बङ्गाल की यह स्थिति इस देश की भावी स्थिति की सूचक है।

मैं इस स्थिति की जिम्मेदारी केवल कम्युनिष्ट के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार के माथे मढ़ने को तैयार नहीं हूं। पिछले बीस-बाइस सालों तक अबाध गति से मेरी पार्टी की सरकार द्वारा समस्याओं के इकट्ठे हो जाने के परिणामस्वरूप आज पश्चिम बंगाल में यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और नेताजी तथा अन्य नेताओं के नेतृत्व में जिन लोगों ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए अपने आप को बलिदान करना, उनकी आकांक्षाओं पर हमने चोट पहुँचाई है, क्योंकि हम जनता के अन्दर विश्वास की भावना पैदा कर सके और हमने इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी। जिसका कम्युनिस्ट पार्टी ने नाजायज फायदा उठाया। इसलिए इस स्थिति के लिये हम भी जिम्मेदार हैं।

औषधियों के मूल्यों में वृद्धिके बारे में चर्चा
DISCUSSION RE : RISE IN PRICES OF DRUGS

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : 1 अगस्त, 1970 से औषधि नियन्त्रण आदेश के लागू होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह बहुत गम्भीर है और हम यह सोचने को विवश हो गए हैं कि यह आदेश एक वरदान सिद्ध होने के बजाय एक अभिशाप सिद्ध हो रहा है। औषधियों की जो कीमतें चीन और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान कायम रखी गयी थीं, वे भी अब बढ़ गई है और यहीं नहीं', औषधियाँ उपलब्ध नहीं है और वे बाजार से गायब हो गई हैं।

दिल्ली प्रशासन के एक सर्वेक्षण दल ने अभी पिछले दिनों एक सर्वेक्षण किया था जिसके अनुसार अनेक दवाईयों और औषधियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं और कुछ मामलों में तो यह वृद्धि 200 प्रतिशत तक हुई है। इसमें आठ बड़े औषधि निर्माताओं द्वारा निर्मित 616 औषधियां आती हैं सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार 258 मामलों में औषधियों की कोमत कम हुई है, 191 मामलों में वह बढ़ गई है और 167 मामलों में वह अपरिवर्तित रही है। आठ सरकारी औषधि कारखानों में निर्मित 23 औषधियों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है यह अत्यधिक गम्भीर बात है। गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा जो औषधियाँ तैयार की जाती हैं, उनके मूल्यों में वृद्धि की बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन सरकारी कारखानों में तैयार की जाने वाली औषधियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होना अत्यंत गम्भीर बात है।

लैक्सेटिव औषधियों की कीमतों में 7 रु० प्रति बोतल से लेकर 27 रु० प्रति बोतल तक की वृद्धि हुई हैं, न्यामीन, एफेड्रीन और एस्कोरबीन की कीमतों में क्रमश: 291, 137 और 43 प्रतिशत वृद्धि हुई है, पेन्सिलीन-निर्मित औषधियों की कीमतों में 48 से 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि सल्फा औषधियों की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। कोडोपाइरीन, + नोवेल्जीन, सेरिडौन, डीटोल और विक्स वेपोपब + जैसी घरेलू औषधियों की कीमतों में क्रमश: 50 प्रतिशत, 20 प्रतिशत 25 प्रतिशत, 26.4 प्रतिशत और 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

तीन माह पूर्व औषधि निर्माताओं द्वारा अपनी औषधियों की कीमतों में 22 से 25 प्रतिशत की कमी करने के प्रस्ताव को डा० त्रिगुण सेन ने ठुकरा दिया था। मन्त्री महोदय औषधि निर्माताओं को शिक्षा देना चाहते थे, किन्तु वे मन्त्री महोदय से अधिक चतुर सिद्ध हुए हैं। सैकड़ों औषधियों की कीमतों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हो गई हैं। औषधि-निर्माताओं ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है और कानून के अन्तर्गत जिस प्रकार का व्यवहार करने की उन्हें अनुमति दी गई, वह वास्तव में क्षोभजनक है।

आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित सम्पादकीय के अनुसार औषधियों को नियन्त्रित करने के प्रयास में पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय ने पिछले तीन महीनों में एक के बाद दूसरी भारी भूलें की। स्पस्टीकरणों के कारण सूत्र ही बदल गया और बिक्री पर 15% लाभ निर्धारण का विकल्प मिल गया। इससे "जीवन रक्षक" श्रेणी के अन्तर्गत न आने वाली और सामान्य उपयोग की दवाओं परम्परागत और बहु-विटामिन की कीमतों में वृद्धि हो गई है। घोषणा करने से पहले सरकार को सभी पहलुओं की जाँच कर लेनी चाहिए थी।

दवाओं की बड़े पैमाने पर जमाखोरी भी हो रही है। दिल्ली महानगर परिषद् के एक सदस्य डा० रोशन लाल ने आज एक वक्तव्य जारी किया है कि केवल राजधानी में एक करोड़ रुपये की दवाइयों की जमाखोरी हुई है। औषधियों की कीमतों के बारे में आज भी भ्रान्ति फैली हुई है और बहुत से औषधि-विक्रेता इस आधार पर बेची हुए सामान के केशमीमो देने से इन्कार कर रहे हैं कि उन्हें औषधि निर्याताओं से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए उन्हें बढ़ी हुई दरों पर औषधियों बिक्री करनी है। अनेक डाक्टरों ने यह शिकायत की है कि कुछ दवायें जो उपलब्ध नहीं थी अब नई दरों पर मिल रही हैं। सरकार को यह पता लगाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए कि सरकारी घोषणा होने से पूर्व निर्माताओं ने कितनो औषधियाँ बेंची।

यह कहा गया कि कुछ ही दिनों में कीमतें बढ़ने वाली हैं। यह केवल उन्हें इसलिए कहा गया कि वह और अधिक लाभ उठा लें। इस तरह औषधि निर्माताओं ने अपना स्टाक समाप्त करना आरम्भ कर दिया। अत: इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि निर्माताओं ने फुटकर विक्रेताओं को सूचियां भेजी थीं कि कुछ ही दिनों में कोमतें बढ़ने वाली हैं, इसलिए वह अधिक मात्रा में औषधियां खरीद सकते हैं। वास्तविक बात यह थी कि निर्माता स्टाक से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। क्या ऐसा करना उनके लिए उचित था? यह तो मैं अपको पहले ही बता चुका हूं कि डा० रोशन लाल ने इस प्रकार की एक गुप्त सूची प्रस्तुत की है।

अब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश में और संशोधन करने पर विचार कर रही है कि विक्रेता उन औषधियों की कीमतें और न बढ़ाये जिनकी कीमतें निर्माता पहले ही बढ़ा चुके है। सरकार का प्रयत्न इन्हें 15 मई, 1970 की कीमतों तक लाने का है। कल जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें निर्माताओं से कहा गया है कि वह पुनः तत्काल 15 मई, 1970 के मूल्य स्तरों पर आए परन्तु इस अधिसूचना में फुटकर विक्रेताओं को अपनी कीमतें घटाने के लिए बाध्य नहीं किया गया। आदेशों के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि निर्माताओं को फुटकर विक्रेताओं को नये मूल्य बताने होते हैं परन्तु इसमें कुछ समय लगता है। कुछ फुटकर विक्रेता

यह शिकायत कर रहे हैं कि कुछ निर्माताओं ने उन्हें संशोधित मूल्य सूची नहीं भेजी। यह मूल्य सूची उन्हें 1 अगस्त 1970 तक पहुँच जानी चाहिये थी। अब यदि फुटकर विक्रेता शिकायत करते हैं कि उन्हें मूल्य सूचियां प्राप्त नहीं हुई हैं तो इसकी सम्पुष्टि का भला सुस्पष्ट ढंग क्या हो सकता है। आदेशों के अन्तर्गत तो कोई भी फुटकर औषधि-विक्रेता इसी आधार पर कीमतें कम करने से इन्कार कर सकता है कि उसे निर्माता से इसकी कोई सूचना नहीं मिली। सरकार इन त्रुटियों को कैसे दूर करना चाहती है? इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ताकि फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं को न लूट सकें।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने अभी यह आरोप लगाया है कि औषधियों की कीमतें निर्धारित करने में मन्त्रालय ने 70 लाख रुपये का अवैध उपहार प्राप्त किया है। यह बहुत गम्भीर आक्षेप है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सिद्ध करे कि यह आक्षेप निरर्थक एवं निराधार है। जब तक सरकार इसका स्पष्टीकरण नहीं करती तब तक सामान्य व्यक्ति और उपभोक्ता के मन में यह धारणा बनी रहेगी कि कहीं न कहीं कुछ गोलमाल अवश्य हुआ है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ) : सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि औषधियों सम्बन्धी स्थिति अब बहुत गम्भीर रूप धारण कर चुकी हैं। आज स्थिति यह है कि न केवल गरीब लोगों को औषधियों के लिए बहुत अधिक कीमतें ही देनी पड़ती है अपितु बहुत महत्वपूर्ण तथा जीवन प्रदान करने वाली औषधियां तो बाजार से लुप्त ही हो गई है। यह स्थिति कई संसद सदस्यों के समक्ष भी आई है। यदि यह गड़बड़ केवल गैर सरकारी उपक्रम में ही होती और सरकारी उपक्रम ने औषधियों का उचित मूल्य ढाँचा बनाये रखा होता तो निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति सरकारी उपक्रम की प्रशंसा करता। परन्तु यह और भी खेद की बात है कि औषधियों की कीमत में जो अधिकतम वृद्धि देखने को मिलती है वह इण्डियन ड्रग्स फारमेस्यूटिकल लिमिटेड द्वारा ले जाने वाली कीमतों में है। सम्भवतः इसका कारण यही है कि इस संस्था में कार्यकुशलता का अभाव है, इसकी मशीनें पुरानी हैं। श्रीमती इन्दिरा इस सभा में तो अपने क्रोध का प्रदर्शन कर सकती हैं परन्तु विदेशों को यह पूछने का साहस नहीं कर सकतीं कि वह हमें पुरानी मशीनें क्यों देते हैं।

मैं मन्त्री महोदय का सम्मान करती हूँ और मुझे आशा है कि वह देश के पीड़ा ग्रस्त लोगों के दुःख दर्द को समझते हैं। यह सभा उनकी सौम्यता के कारण उनका सम्मान करती है परन्तु न जाने क्यों वह औषधि निर्माताओं द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति से निपटने में असमर्थ हो रही है। उनकी समझ में यह बात नहीं आती कि उन्हें क्या करना चाहिये। उन्होंने औषधि निर्माताओं को चेतावनी दी है कि उन्हें औषधियों की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिये। अगर वह मई वाले मूल्य स्तर को ही बनाये रखने में सफल हो जाते तो सम्भवतः समाज या सरकार के सामने आज यह संकट न आता। हमारे अधिकांश औषधि निर्माता विदेशी हैं और यदि कुछ निर्माता भारतीय हैं तो उनमें से अधिकांश को विदेशी सहयोग प्राप्त है। जून में इन निर्माताओं ने सरकार से यह आग्रह किया था कि कीमतों में कमी नहीं की जानी चाहिये। इसके फलस्वरूप सरकार ने तुरन्त ही नम्र रुख अपना लिया। आप बम्बई और गुजरात आदि में जाकर सुन लीजिये। वहां सरकार पर कमजोर नीति अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार आये दिन अपने आदेशों तथा नीतियों में परिवर्तन करती रहती है, आखिर यह सब क्या है?

सरकार ने राज्य व्यापार निगम के जीवन रक्षक औषधियों के आयात की अनुमति दी है। परन्तु राज्य व्यापार निगम गत एक वर्ष से बिलकुल मौन है उसने जीवन-रक्षा सम्बन्धी औषधियों के लिए कच्चे माल में आयात के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। दूसरे वह औषधि-निर्माण के लिए कच्चे को खरीदने के लिए उन देशों पर निर्भर करती है जहां भुगतान रुपयों में किया जाता है। सरकार इस तथ्य से अवगत है कि रुपयों में भुगतान किये जाने वाले देशों से जो चीजें हमें सप्लाई की जाती हैं, वही चीजें ये देश दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से प्राप्त करते हैं और हमें 40 प्रतिशत अधिक कीमत पर बेचते हैं। इसके अतिरिक्त यह समाजवादी सरकार आवश्यक औषधियों के निर्यात पर भी 60 प्रतिशत सीमा शुल्क लगा देती है।

[श्री श्रीचन्द गोपाल पीठासीन हुये
SHRI SHRI CHAND GOYAL IN THE CHAIR]

मंत्रालय की समूची नीति में एक सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसने औषधि निर्माताओं को यह चेतावनी दी है कि उन्हें मूल्य निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाने चाहिये। परन्तु इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के लिए भला क्या दण्ड रखा गया है? दण्ड यह रखा गया है कि यदि वह मूल्य बढ़ाते हैं और वह सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेते हैं, तो वह यह धन विकास निधि में अनुसन्धान तथा अपने कारखानों के विकास और विस्तार के कार्य में लगाने के लिए सुरक्षित रखेंगे। अब बताईये भला यह क्या दण्ड है? इस प्रकार के दण्ड विधान से ही ऐसा लगता है कि सरकार स्वयं यह आरोप प्रमाणित करना चाहती है कि उसने धन लिया है।

श्री सेझियान (कुम्बकोक्षम) : जहां एक कल्याणकारी राज्य में भोजन, वस्त्र, घर तथा रोजगार आदि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति एक सरकार का धर्म होता है उसी प्रकार सस्ती दरों पर औषधियां सप्लाई करना भी सरकार की एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है परन्तु हमारे यहां विपरीत स्थिति है। आज साधारण सिर दर्द की गोली की कीमत भी इतनी बढ़ गई है कि कीमत सुनते ही सिर दर्द और बढ़ जाती है। कुल मिलाकर आज औषधियों के मूल्यों में 200 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अब न केवल 15 मई से पहले वाले मूल्यों में ही असाधारण वृद्धि हुई है अपितु 15 मई से पूर्व भी जो मूल्य लिये जा रहे थे वह भी असामान्य थे। उदाहरणार्थ कुछ ही वर्ष पूर्व एक स्विस फर्म ने, एक शामक दवाई जिसका नाम "लिब्रियम" था 5,555 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत में चालू की थी परन्तु इसका वास्तविक आयात मूल्य 312 रुपये था। अतः इसका मूल्य 17 गुना बढ़ा दिया गया। यही नहीं कि ऐसा केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में ही हुआ ही। सरकारी उद्यम भी इस दोष से मुक्त नहीं रहा। राज्य व्यापार निगम ने टाईफाईड के विरुद्ध प्रभावकारी एण्टीबायटिक क्लोरऐम्फे नाम की दवाई 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आयात की थी परन्तु स्थानीय बाजार में इसी दवाई की 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। अतः मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन औषधियों का आयात किया जा रहा है उसके मूल्य नियंत्रण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज फर्में 300 प्रतिशत 400 प्रतिशत तथा 17 गुना तथा 18 गुना लाभ कमा रही हैं। मैं यह

पूछना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय अथवा औषधि नियंत्रक इन बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ?

एक और बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ वह यह है कि आज अच्छी किस्म की औषधियां नहीं मिल रही हैं। औषधियों का स्तर गिर चुका है। आज हमारे देश में अधिकांश ऐसी दवाई जमा की जा रही हैं जिनको विदेशों में बेचने से रोका गया है अथवा जिन्हें निषिद्ध कर दिया गया है। आज हमारा देश विदेशों में अप्रयुक्त, न बेची गई और निषिद्ध वस्तुओं का एक अच्छा खासा बाजार बन गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मंत्रालय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि मूल्य निर्धारित करने के लिये जो नियम बनाये जाते हैं वह स्थिर हो। प्रत्येक लागत-लेखा का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिये। यह एक सामाजिक समस्या है और सरकार को यह देखने के लिए सदा सतर्क रहना चाहिये सभी आयात उचित रूप पर ही उन्हें बेचा जाये। सभी औषधियों के लागत-लेखे का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

तीन वर्ष पूर्व डा० हजारी तथा एक अन्य सज्जन ने एक प्रतिवेदन दिया था। इन लोगों ने सभी विदेशी फर्मों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करके यह बताया कि विदेशी फर्में दो वर्षों के अन्दर ही अपने प्राप्त लाभों में से अपने निवेश को वापिस लेने में समर्थ हो जाती है। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि इस औषधि नियंत्रण से केवल गरीब जनता की ही हत्या की जाती है, उसे ही लूटा जाता है। यद्यपि संसद को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं तो भी या तो उन शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है या फिर उन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। अभी जो हाल ही में असाधारण मूल्य-वृद्धि हुई है वह अनुचित और अनावश्यक थी। सरकार को इसे आवश्यक रोकना चाहिये। न केवल 15 मई के मूल्यों से ही फिर से लागू किया जाना चाहिये अपितु असामान्य मूल्यों को भी कम किया जाना चाहिये।

श्री वेदव्रत बरूआ (कलियाबीर) : मेरे माननीय मित्र श्री सेझियान ने कहा है कि भारत में औषधियों के मूल्य बहुत अधिक है और यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ भारतीय औषधि मूल्यों की तुलना करे, तो यह वास्तव में ही बहुत अधिक है। यह भी सच है कि विदेशी कम्पनियों के नियन्त्रण में आने वाली कम्पनियों ने काफी मुनाफा कमाया है। वास्तव में इन्हीं विदेशी कम्पनियों ने सम्पूर्ण औषधि बाजार पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। आज औषधियों से सम्बद्ध जो विस्फोटक स्थिति हमारे समक्ष है वह वास्तव में इन्हीं कम्पनियों के षड़यन्त्र के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुई है। सरकार को यह देखना चाहिये कि इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ? इन कम्पनियों के लागत ढाँचे की जांच के लिए एक योजना बद्ध जांच व्यवस्था बनाई जानी चाहिये। यहां सरकारी संयत्रों की चर्चा करना तो उपयुक्त नहीं लगता क्योंकि इससे समूचे औषधि उद्योग में तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता।

यदि हम सम्पूर्ण स्थिति का अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा कि जो कुछ हमारे देश में हुआ है वैसा अन्य विकासशील देशों में भी हुआ है। मैं समझता हूं कि इस संकट की घड़ी में हमें सरकार का साथ देना चाहिये ताकि वह सम्पूर्ण शक्ति के साथ इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा सके।

आज वास्तविक स्थिति यह है कि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय मूल्य बढ़ गये हैं। केवल प्राण-

रक्षक औषधियों से तो सार्वजनिक मांग निर्धारित नहीं होती। कुछ स्थानों का अन्य औषधियों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई होगी। कई बार बंगाल कैमिकल्ज जैसी बड़ी फर्मों को भी जो कि पूर्णतया स्वदेशी हैं, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य विभिन्न कठिनाईयों के कारण मन्दी का सामना करना पड़ता है। सरकार की इनकी कठिनाईयों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। हमें केवल पेटेन्टों से लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। आज हमारे अधिकांश डाक्टर भी ब्रांड अथवा पेटेन्ट के नाम पर ही औषधियां देते हैं परन्तु इसकी अपेक्षा औषधियों की जांच द्वारा उनकी किस्म के आधार पर औषधि दी जानी चाहिये। यदि हमें आपने देश का विकास करना है तो हमें इन सभी चीजों की ओर ध्यान देना होगा।

हमारी अपनी बहुत सी समस्यायें हैं। मूल्यों की समस्या को ही लीजिये। मन्त्री महोदय ने कहा कि वह मूल्यों को 16 मई के मूल्य स्तर पर ले आयेंगे। यह निर्णय बहुत महत्त्वपूर्ण तथा विवेकपूर्ण है। परन्तु ऐसे निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की आवश्यकता होती है क्योंकि औषधि-मूल्य तो राज्य स्तर पर लागू किया जाता है। अतः उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए ऐसे उपाय किये जायें जिनके आधार पर हम इस तरह की चीजों को लागू कर सकें। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि पूरे देश में औषधियों के मूल्य कम करके उन्हें उचित स्तर पर लाया जाये। सरकार को स्थिति में सुधार करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिये। 25 वर्ष तक गरीबों का शोषण किया गया है अब यह समाप्त किया जाना चाहिये। मुझे मालूम है कि जब मन्त्री महोदय कोई कठोर कार्यवाही करेंगे तो उनके रास्ते में कुछ लोग बीज अटकाने का प्रयत्न भी करेंगे परन्तु मुझे यकीन है कि मन्त्री महोदय उनका सामना करने से सफल होंगे।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मुझे इस सरकार की दोहरी कार्यविधि की बात अभी तक समझ नहीं आई। इस सरकार को कभी यह ज्ञात नहीं होता कि उसका एक अंग क्या कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है।

मैं श्री के० के० शाह को केवल स्मरण कराना चाहता हूं कि वह अस्पतालों के प्रशासन, औषधियों में अपमिश्रण तथा अस्पतालों से इनकी चोरी आदि के संबन्ध में ध्यान दें और इस कार्य को किन्हीं ऐसे अच्छे व्यक्तियों को सौंप दें जो इनमें व्याप्त गड़बड़ियों को दूर कर सकें।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री से मैं एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि टेरिफ आयोग ने समस्त मूल्य ढांचे, लागत ढांचे और औषधियों के मूल्यों के सभी पहलुओं पर विचार किया है किन्तु इस आयोग के प्रतिवेदन को क्यों रोक कर रखा हुआ है ? यदि इस मन्त्रालय ने इस आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार कार्य किया होता तो बहुत सी कठिनाईयों से बचा जा सकता था।

इस दुर्भाग्यपूर्ण औषध मूल्य आदेश के ऐसे कार्यान्वयन, इसके विरोध और इसके बाद की घटनाओं के लिये सरकार स्वयं उत्तरदायी है।

हमारे स्वतंत्र सार्वभौम देश के लिये यह बड़े शर्म की बात हैं कि अमरीका की बहुत सी कम्पनियों और बहुत से औषधि निर्माता हमारे देश से तथा अन्य दूसरे प्रगति शील देशों से

औषधियों के बहुत अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है इस मामले को एक स्वतंत्र निकाय को सौंप दिया जाना चाहिये जो यह पता लगाये कि ये कम्पनियों यहां पर किस ढंग से कार्य कर रही है। क्या वास्तव में औषधियों के उचित मूल्य लेकर सेवा और कल्याण की भावना से कार्य कर रही है स्वेच्छा से कार्य कर रही हैं तो इसके लिये सरकार दोषी है। प्रगति शील देशों के बारे इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के के किसी निकाय को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि एकाधिकार वादियों की यह कार्य प्रणाली दण्डनीय है।

औषधि मूल्य आदेश चाहे 15 मई से पहले का हो अथवा बाद का, इस सम्बन्ध में दो बातें सामने आयी हैं। सरकार ने निर्माताओं को आदेश दिया है कि वे आदेश जारी होने से पहले वाले मूल्यों को अपनायें और जिन मूल्यों में कमी की गई है उन्हें वर्तमान स्तर पर ही रखें। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन आदेशों को लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है? इसके लिये सरकार को विभिन्न राज्यों के औषधि नियंत्रकों पर निर्भर रहना पड़ेगा जो उनके मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। क्या मन्त्री महोदय को यह बात ज्ञात नहीं है कि राज्य सरकार के अधीन अधिकारियों को प्रर्याप्त शिक्षण प्राप्त नहीं है उनके पास पर्याप्त सामग्री भी नहीं है और वहां भ्रष्टाचार का बोल बाला है? अतः मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये आदेशों का पालन कराने के लिये प्रभावशाली व्यवस्था की जानी चाहिये। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जायगी तब तक समाज में ठगी की ऐसी ही प्रणाली प्रचलित रहेगी।

इस समस्त समस्या पर विचार करने के लिये सरकार को तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिये। एक तो सरकार को देश में काम कर रहे विदेशी औषधि निर्माताओं के दृष्टिकोण को समझना चाहिये और उनकी समस्या को उनके कार्य संचालन को अच्छी तरह जांच करने के बाद एक निश्चित स्तर पर हल करना चाहिये। इसका दूसरा पहलू भारतीय उद्योग का होना चाहिये। स्वदेशी उद्योगपतियों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से फैसला करके उन्हें यह बता दिया जाना चाहिये कि उन्हें किस प्रकार से कार्य करना होगा। तीसरी पहलू छोटे निर्माताओं का है। छोटे निर्माताओं को सबसे अधिक हानि हुई है। संगठित उद्योग का पक्षपोषण करने वाले तो बहुत हैं किन्तु छोटे निर्माताओं को तो यह भी पता नहीं कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। अतः भारतीय औषधि निर्माण उद्योग के विकास के लिए एक सुदृढ़ नीति होनी चाहिये और इस सम्बन्ध में जो ढील या अनिश्चितता रही है उसका परित्याग किया जाना चाहिये।

भारतीय औषधि निर्माण उद्योग के मूल्य ढाँचे के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक परेशानी इन्डियन ड्रग्स फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड की कार्यप्राणाली तथा उसके द्वारा लिये जाने वाले औषधि मूल्यों से उत्पन्न होती है। हमें बनाया गया था कि यदि इन्डियन ड्रग्स फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना न की जाती और विभिन्न औषधि निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर उनकी औषधियों के आयात करने की अनुमति दी जाती तो इस प्रकार इस उद्योग तथा उपभोक्ताओं को लगभग 7 करोड़ रुपये का लाभ होता। अतः यह एक जिम्मेदार सरकारी क्षेत्र की व्यवस्था नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। उपभोक्ताओं की रक्षा करने और औषधि-निर्माण उद्योग का समुचित विकास करने की दृष्टि से यह जरूरी है कि इस तरह की बातें न हों।

इसका दूसरा उदाहरण राज्य व्यापार निगम है। उन्होंने क्लोरामफेनिकल नामक एक औषधि की बिक्री में 60 लाख रुपये का लाभ कमाया।

अतः लाभ प्राप्त करने के लिये और सरकारी क्षेत्र की एक जिम्मेदार व्यवस्था होने के नाते उन्हें ऐसे माप दण्ड स्थापित करने चाहिये जिनकी आलोचना न की जा सके।

विभिन्न औषधियों के मूल्यों में हुई देश उपभोक्ताओं के हितों के लिये ही नहीं अपितु इस उद्योग के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर, स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखा पत्तनम) : यह सच है कि गैर सरकारी निर्माता धूर्त हैं। परन्तु सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने अपने मूल्य क्यों बढ़ाये हैं? उन्होंने मन्त्री का अपमान क्यों होने दिया? केवल 3 मामलों में 10 प्रतिशत की कमी की गई है और शेष 20 औषधियों के मूल्य बढ़े हैं, जिन्हें सरकारी कारखानों में बनाया जाता है। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। गैर सरकारी निर्माताओं की धूर्तता को एक ओर छोड़ कर यह सरकार अपने उन कारखानों के सम्बन्ध में क्या कर रही है जो इस प्रकार बढ़े हुए मूल्य वसूल कर रहे हैं। सरकार को अपने एककों की कार्यप्रणाली की ओर भलि प्रकार ध्यान देना चाहिये।

सरकार के पास पर्याप्त शक्तियाँ हैं और अनिवार्य रूप से इनका प्रयोग किया जाना चाहिये। उन लोगों के प्रति कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिये जो अनुचित रूप से सर्वसाधारण के उपयोग की औषधियों के मूल्य बढ़ाते हैं। वास्तव में यह बड़ी ही शर्म की बात है कि हम इस प्रकार की अनुचित बातों को सहन करें।

मद्रास में एक बार चावल की कीमतें बढ़ गई थी? सरकार के द्वारा उचित कीमत वसूल करने के आदेश जारी किये गये तो बाजार में चावल दीखना ही बन्द हो गया? सेना की सहायता से चावलों के गोदामों को तोड़ा गया तभी सोर व्यापारियों ने सरकार से निवेदन किया कि हम सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर चावल बेचने के लिये तत्पर है। इस पर भी यदि किसी ने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया तो उसे बीच बाजार कोई लगाये गये। यदि सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करे तो समस्या का सुलझना कठिन न होगा।

मन्त्री महोदय को यह विचार छोड़कर कि कुछ उनके विभागीय लोग भी ऐसे मामलों में सम्मिलित है, कई पग उठाने चाहिए। ऐसी कार्यवाही का समस्त सदन समर्थन करेगा। मन्त्री महोदय को यह ध्यान देना चाहिये कि उनके अधिकारियों को प्रलोभन देकर अनुचित कार्य तो नहीं कराया जा रहा है।

Shri Ram Avatar Shastri (Patna) : The prices of drugs and particularly of those drugs which are used by common people have registered a substantial increase after the notification of Drug Control order on May 6th. The cost of 35% drugs used by common men have gone up by 35.1. The cost of 30 drugs was already high and there has been no reduction in their prices.

The common people have been lint hard by such an abnosrmal increase in drug's prices, The prices of the tablets which are being taken for headache and pain have been increased uery much. It is not understood as to how the people dying of hunger can afford to purchase these medicines essential for their surival.

The foreign companies which have monopoly in this field. We already been extrosting exorbitant prices and squeeging huge profits and are still running the same roads. in the absence of any check and restriction by the Indian Government. The American and British companies are still enjoying their monopoly or certain drugs of common use.

Patients of the monopolists should be done away with and certain restrictions' should also be imposed on these foreign concerns. The out flow of the huge profits extorted from the country should be prevented and a substantial assistance and certain special facilities should be provided to small drug-manufacturers of the country in order to enable them to manufac ture all the medicinces here in our country.

Those, found indulged in black marketting and responsible for price increared should be severly dealt with and properly punished. A committee should be formed to make a just accurate assessment of the cost of production and after this prices should be controlled.

It has been heard that some 10 thousand employees serving in drug manufacturing units are being retrenched. They are being rended jobless. The Government should try to provide them alternative Jobs it their retrenchment is inevitable. The drug manufacturing units should also be asked not to retrench their representatives.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार ने औषधि निर्माण उद्योग के एकाधिकारियों, जो मुख्य रूप से विदेशी थे। 23 वर्षों तक लूटने देने के बाद अब औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण करने की बात कहनी शुरू की है। यदि इसी क्षण निर्माताओं पर कानूनी तथा अन्य तरीकों से पूरा नियंत्रण न किया गया तो सस्ती औषधियों हम सब को इतनी शीघ्र उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। औषधियों को छुपा लिया गया है। अब हमें या तो फालतू पैसे देने होते हैं या दवाई के बिना रहना पड़ता है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि निर्माताओं, फुटकर बिक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के सभी रिकार्डों तथा दस्तावेजों की छान बीन की जाय। यदि ऐसा किया जायगा तो सच्चाई सामने आ जायगी। एकाधिकारवादी मुनाफा कमाकर साधारण जनता को लूट रहे हैं और देश की सरकार इन मुनाफा खोरों से रुपया एकत्र करके उनके प्रति नरमी बरत रही है।। यह ठीक नहीं है। सरकार ने औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश जारी किया। इस आदेश का पालन न होने पर दूसरा नया आदेश जारी किया जाता है जिसमें निर्माताओं द्वारा बढ़ायी गयी कीमतों को मान्यता दे दी जाती है। यह सब सरकार का निर्माताओं से रुपया कमाने का एक ढंग है।

भारत में 92 प्रतिशत औषधि उद्योग कर किसी न किसी रूप में विदेशों का नियन्त्रण है और यह उद्योग दूसरे देशों के हाथ में है। भारत में विदेशी पेटेन्टों के कारण वे खुले आम तथा चोर दरवाजे से स्वामित्व शुल्क भेजते हैं। विदेशो पेटेन्ट इम देश की चूस रहे हैं।

पेटेन्टों को समाप्त करना ही औषधियों के मूल्य कम करने का स्थाई उपाय है। सरकार ने पेटेन्ट प्रणाली को जीवित बनाये रखा है जिससे भारतीयों को आविष्कार करने का प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। जो पेटेन्ट प्रणाली आज विद्यमान है उसे जान बूझकर एकाधिकारियों को अनुग्रहीत करने के लिये बनाये रखा गया है जिससे विदेशी एकाधिकारियों को इस पर काफी लाभांश मिलता है परन्तु भारतीयों को कई दवाईयों का पता लगाने पर प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। आप लोग अपराधी हैं तथा सत्ता में रहने योग्य नहीं हैं। 'टाइम्स आफ इन्डिया' नामक समाचार पत्र में कहा गया है कि इन एकाधिकारियों की मुनाफाखोरी 300 से 11,000 प्रतिशत तक पहुँची हुई है और सरकार इनके प्रति अनदेखी कर रही है। टैरिफ आयोग को, जिसे एकाधिकारियों का एजेन्ट समझा जाता है, यह कहना पड़ा है कि विदेशी तथा भारतीय दोनों ही प्रकार के एकाधिकार वादियों द्वारा लूट मचाई जा रही है। यह आरोप लगाया गया है कि इन एकाधिकारियों से लगभग 75 लाख रुपया दलगत प्रयोजनों के लिये लिया गया है सरकार को बताना चाहिये कि क्या वास्तव में उन्होंने

यह धन लिया है। यदि नहीं, तो क्या कारण है कि वे इन लोगों के अनुचित कार्यों को सहन कर रहे हैं।

यदि आप बीमारों को बचाना चाहते हैं तो उनकी सहायता की जानी आवश्यक है। एक ही औषधि को विभिन्न नामों से विभिन्न कीमतों पर नहीं बेचा जाना चाहिये। सरकार के लागत लेखा संस्थानों को औषधियों को बाजार में बेचने से पहले प्रत्येक औषधि की कीमत की जांच करनी चाहिये और कीमतें निश्चित करनी चाहिये। जो लोग इनका उल्लंघन को उन्हें कठोर दण्ड दिये जाने चाहिये।

देश के समस्त औषधि उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये जिससे इसमें व्याप्त बुराइयों से छुटकारा मिल सके।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा): यदि सरकार औषध मूल्य नियंत्रण आदेश नहीं देती तो जैसी मुनाफाखोरी आजकल चल रही है वह ऐसे ही चलती रहती परन्तु दुख तो यह है कि सरकार द्वारा दिये गये आदेशों से मुनाफाखोरी पहले की तुलना में और बढ़ायी जा रही है।

सरकार ने जाने अथवा अनजाने में अत्यावश्यक औषधियों तथा अनावश्यक औषधियों में भेदभाव रखा मैं नहीं समझता हूं कि ये चीजें क्या हैं परन्तु इसके परिणामस्वरूप उन कम्पनियों ने कुछ औषधियों का कीमतें कम कर दीं तथा एस्पिरिन जैसी औषधियों की कीमतें बढ़ा दीं। अतः कोई ठीक ढंग से यह नहीं जान सकता है कि कौन सी अत्यावश्यक औषधियां हैं तथा कौन सी कम अनावश्यक हैं।

आज स्थिति यह है कि छोटे व्यापारी को इस बात की समझ नहीं है कि उसे किस कीमत पर औषधि बेचनी चाहिये। जो कोई व्यक्ति औषधि-विक्रेता के पास जाता है उसे कहता है "नहीं सरकार ने कीमत कम कर दी है, तुम मुनाफाखोरी कर रहे हो" परन्तु सरकार का कहना यह है कि हमने सबके लिए लाभ का विशेष प्रतिशत रखा है। जितने प्रतिशत अधिक लाभ इस प्रकार बचेगा हम उसको और नई प्रकार की औषधियों का पता लगाने में लगायेंगे। यह बात उन पर ही छोड़ दी गई है कि वह किस प्रकार का अनुसंधान करें तथा कैसे करें इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

अतः मेरा सुझाव यह है कि सर्व प्रथम सरकार इन आदेशों में की गई अविवेकपूर्ण बातों को स्पष्ट करे।

भारतीय फर्म का एक उदाहरण हाल ही में दिया गया था यहां पर जो विदेशी फर्में हैं वे बहुत लाभ कमा रही हैं। लाभ भी इतनी अधिक मात्रा में है कि एक दो वर्ष में ही वे विनियोजित धन की पूर्ति कर लेती हैं जब कि भारत में काम कर रहे उनके विदेशी कर्मचारियों पर भारी व्यय भी किया जाता है। वे यहां आते हैं अच्छी तनख्वाह लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ मकानों का किराया बढ़ गया है क्योंकि उनकी कम्पनियां किराया देती हैं। और उन पर उसका कोई भार नहीं पड़ता है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

सरकार को मुनाफाखोरी बंद करने के लिये अपने विवेक तथा ज्ञान से काम करना चाहिये। यदि कम्पनियां मुनाफाखोरी को बन्द नहीं करती हैं तो हमको सभी कम्पनियों तथा दुकानों को बन्द

कर देना चाहिये । इससे मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स लिमिटेड का काम सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अन्तर्गत तीन कारखाने हैं तथा ये तीनों रूसी सहायता से बनाये गये हैं ।

विदेशी सहायता से संचालित कारखानों में यह होता है कि यदि रूसी सहायता से कोई कारखाना चल रहा है तो रूसी कर्मचारी को, जो वहां 200 रूबल ले रहा होता है उसे 200 रुपये दिये जाते हैं । यदि हम सहायता नहीं लेते तो हम अधिक अच्छी तरह से कार्य कर सकते थे ।

मैं पेटेन्ट विधेयक के बारे में कहना चाहता हूँ कि चौथी लोक सभा से पहले वाली लोक-सभी की पेटेन्ट विधेयक संबंधी संयुक्त समिति विदेशों में कुछ स्थानों में जाना चाहती थी । परन्तु वह नहीं गई । अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पेटेन्ट विधेयक के बारे में संयुक्त समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की जांच करेगी । प्रतिवेदन पढ़ने के बाद मालूम होता है कि जो बात मूल विधेयक में करने का विचार था उसे इस संयुक्त समिति ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है ।

अब, हम कब पेटेंट विधेयक को परित करने जा रहे हैं ? ऐसा कहा जाता है कि विधेयक के पारित होने की तारीख से इसकी अवधि सात वर्ष की होनी चाहिये । यह दूसरी लोक सभा में आरंभ हुआ था इसे सात वर्ष तो हो चुके हैं । क्यों नहीं इसे तुरन्त पारित किया जाये ?

क्या हम सभी निश्छल भाव से यह चाहते हैं कि पेटेन्ट अधिकार ले लिये जायें ।

मेरा सुझाव है कि इस विशेष प्रश्न पर यदि मन्त्री महोदय न्याय करने जा रहे हैं कि 16 मई से अब तक क्या हुआ है तो उसके बारे में सदन से बाहर जाकर जनता को संतुष्ट करें ।

Shri Shiva Chandra Jha(Madhubani) : The Drug Price control Order is issued recently by the Government has created a sense in security in the Drug Industry. The Drug Price can not be controlled unless the condition of working etc. in the whole Drug Industry is enquired. The drugs will go underground, So, I suggest that If the Government look into the drug industry impartially, they will find that much profits have been earned by this industry. In 1966-67, 1967-68 and 1968-69 Rs. 8.60 crores Rs.8.75 crores and Rs.10.21 crores were earned respectively. These are the gross profits. Apart from this the net profits are likewise. From the year 66 to 69 : Rs.2.95 crores, Rs.3.21 crores and Rs.4.47 crores.

It is said that Price of drugs is increased. But the expenditure on workers working in there industries has not increased much . That is 22 per cent. No increase has been made in their salaries and allowances.

There are 118 big firms, 42 firms run with foreign collaboration and about 2,000 firms are Medium and small. This is the industry for profiteers. Many firms run with foreign collaboration, exploit India and send the money, earned as profits, to the foreign countries. Inaview of all these things the Government must make a clear policy in this regard.

The private sector in the Drug Industry must be nationalized. The other way out is to nationalise foreign firms. The foreign industrialists are exploiting our country.

The drugs manufactured in foreign firms are sold at a higher price in India while they are being sold at lower price in foreign countries. If these firms can not be nationalised then the manufacture of some drugs must be reserved for medium and small firms.

The Patents Act must be amended as early as possible. The Bill in this regard should be passed quickly.

If it is not possible for you to provide Drugs to the people on reasonable price then kindly improve the condition of the Hospitals so that the people might not suffer.

You can atleast do one thing that if the Inspectors who do not check the Druggists, who sell drug at higher rates, must be punished.

श्री मनु भाई पटेल (डभोई) : सभापति महोदय, इस विषय पर यदि कोई ठोस प्रस्ताव नहीं देने होते तो मैं लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं करता। हम सामाजिक लक्ष्यों में विश्वास करने वाले हैं। गलतियां केवल एकाधिकारियों, उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा ही नहीं होती हैं बल्कि सरकार द्वारा भी गलतियाँ होती हैं यदि हमने कोई गलती की है तो उसे सुधार लेना चाहिये। यदि सरकार ने गलतियां की हैं तो हमें उनकी जांच करानी चाहिये। औषधियों के मामले में सरकारी मशीनरी की अकार्य कुशलता के कारण साधारण व्यक्ति तकलीफ उठा रहे हैं।

परामर्शदात्री समिति की अंतिम बैठक में कुछ उपचारों के बारे में सुझाव दिया गया था जिन्हें सरकार को अपना लेना चाहिये था। सरकार ने इन उपचारों को ग्रहण करने में काफी विलम्ब किया है। उदाहरण के लिये—सामूहिक कीमतों की घोषणा नहीं की गई; वृहद् औषध मूल्यों के संशोधन के बारे में घोषणा नहीं की गई और वित्त मन्त्रालय ने उत्पादन करों में संशोधन नहीं किया है। इन तीन बातों पर मूल्यों का परिकलन निर्भर है और इसकी घोषणा 31 जुलाई को होती थी। इन बातों को पहले ही किया जाना चाहिये था। मैं समझता हूं कि देर से किये गये उपचारों के कारण भी कीमतें बढ़ी हैं।

मैंने 25 जून को मन्त्री महोदय को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने कुछ उपायों के बारे में सुझाव दिया था। मैंने यह सुझाव दिया था कि सरकार को शीघ्र ही औषध उद्योग में एकाधिकार को समाप्त कर देना चाहिये। यहां तक कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की भी अपनी विक्रेता एजेन्सियां है।

मैंने अपने पत्र में यह भी सुझाव दिया था कि विदेशी फर्मों को 25 प्रतिशत तक कम करके समान भाग लेने के लिये विवश करे। जिन विदेशी फर्मों का 25 प्रतिशत से अधिक समान भाग है उन्हें टेबलेट्स, केपसूल्स आदि बनाने से रोकें तथा कुछ ही सोफिस्टिकेटेड ड्रग्स को बनाने देना चाहिये।

हम एकाधिकारियों के भी विरुद्ध हैं क्योंकि ये ऐसे उत्पादक हैं जो सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले लोगों के हितों में उत्पादन करते हैं।

मैंने यह भी कहा था कि कुछ वस्तुएं जैसे कि पेन्सिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, विटामिन सी, आई० एन० एच० आदि, की सप्लाई बहुत कम होने वाली है। अब उनकी सप्लाई कम हो रही है। राज्य व्यापार निगम ने इनका आयात समय पर क्यों नहीं किया है ? मैंने यह भी सुझाव दिया था कि यदि 50 दिन के अन्दर अन्दर राज्य व्यापार निगम दवाओं की सप्लाई नहीं करे तो मध्यम तथा लघु उद्योगों को इनका सीधा आयात करने दिया जाये।

अनात्यावश्यक औषधियों की क्या कठिनाई है ? इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के पास पुरानी मशीनें और पुराना तकनीकी ज्ञान है। जैसा कि फोलिक एसिड के मामले में बताया गया है कि उसकी लागत बीमा भाड़ा कीमत 250 रुपये है जबकि इंड़ियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूरिटकल्स लिमिटेड की कीमत 1300 रुपये है जब सरकारी क्षेत्र की सामग्री 500 प्रतिशत ऊंची कीमतों पर

सप्लाई की जाती है तो किस प्रकार यह आशा की जा सकती है कि अन्य उत्पादक इन्हें कम कीमत पर बेचें ?

अत्यावश्यक औषधियों के तालिका बद्ध करने की नीति बिल्कुल गलत है और इसे समाप्त किया जाना चाहिये ।

दूसरी कठिनाई समय के क्षेत्र से आयात को है । जिन औषधियों की हमें आवश्यकता है उन्हें ये रुपये के क्षेत्र उत्पादित नहीं करते हैं । हमारी नीति है कि जिस कीमत पर हम खरीदते हैं उसी पर बेचते हैं ।

जैसा कहा गया है कि पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय में कोई समन्वय नहीं हैं । पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय द्वारा आयात पर 60 प्रतिशत सीमा शुल्क लिया जाता है । उसे वह मन्त्रालय कम नहीं करता है तो यह आशा कैसे की जा सकती है कि दूसरे मूल्यों में कमी हो ।

जो रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं उन सब पर ध्यान दिया जाना चाहिये जिसके बिना कीमतें कम नहीं होगी यदि ऐसा नहीं किया गया तो अत्यावशक तथा कम अत्यावश्यक औषधियों की कीमतें बढ़ जायेंगी ।

ऐसा कहा गया था कि मानो हम एकाधिकारियों का समर्थन कर रहे हों । यह कहना ठीक नहीं है । हमने ये रचनात्मक सुझाव इसलिये दिये हैं क्योंकि हम सामाजिक लक्ष्यों में विश्वास करते हैं ।

अत: सरकार को इन सब पहलुओं की जांच करनी चाहिये तथा जितनी भी गलतियां, अकार्य कुशलता सरकारी मशीनरी द्वारा हुई है उनमें सुधार करना चाहिये । हम जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम अदेन सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : माननीय सदस्यों ने औषधियों के मूल्यों के बारे में जो विचार प्रकट किये, मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना । आपको मालूम होगा कि मैंने सदन में कहा था कि इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं :-(क) उन अत्यावश्यक औषधियों के मूल्य कम करना जिनके मूल्य बहुत अधिक हैं, (ख) मूल्य के ढांचे की एक योजना तैयार करना जो कि समान रूप से सभी फर्मों और उत्पादों पर लागू होगी (ग) अत्यधिक लाभ को रोकना और (घ) साथ ही साथ उद्योगों को अपना विकास जारी रखने एवं अनुसंधान की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना ताकि उद्योगों को विविधीकरण, उद्योग का और अधिक विकास तथा अपेक्षित तकनीकी ज्ञान प्राप्त भारतीयों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों । इन लक्ष्यों को प्राप्त के लिए हमने 1970 का औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किया । जैसा मैंने कहा इस आदेश की मुख्य-मुख्य विशेषतायें हैं (1) टैरिफ आयोग की सिफारिशों के आधार पर 17 मुख्य अत्यावश्यक दवाइयों के मूल्य निश्चित किये गये; (2) अन्य मुख्य दवाइयों की लागत की विस्तृत जांच के अभाव में आदेश जारी किये जाने से पहले के मूल्यों के स्तरों में वृद्धि न होने देने के लिए कार्यवाही की गई; (3) निश्चित किये गए या रोके गए मूल्यों के आधार पर सभी दवाइयों के मूल्य निर्धारण करने के लिए एक सूत्र तैयार किया गया एवं एक निश्चित प्रतिमान निर्धारित किया गया; (4) औषध निर्माताओं द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली व्यापार कमीशन की न्यूनतम दर निश्चित की गयी और (5) मूल्यों के निर्धारण में उदारता लाने के लिए, इसी योजना के आधार पर, सरकार के विशिष्ट रूप से अनुमोदन के अधीन, मूल्य निर्धारण की एक वैकल्पिक योजना जो कि स्वैच्छिक है, बनाई गई है ।

जब 30 अप्रैल को सरकार ने मूल्यों में कमी करने की घोषणा की, तो सदन ने इसका स्वागत किया था। देश भर में जनता ने इस निर्णय का स्वागत किया। मगर औषध उद्योगों ने इसमें अपना अहित देखा। दवाई व्यापारियों में असंतोष फैल गया क्योंकि उन्हें इससे अपनी कमीशन कम हो जाने की आशंका हुई। कई लोगों ने इस निर्णय के औचित्य से शंका प्रकट की। यह भी कहा गया कि 1963 से दवाइयों के मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया गया है जबकि कच्चे माल के मूल्यों को बढ़ने दिया गया।

समाचार पत्रों ने भी मूल्यों में कमी करने के सरकार के निर्णय का समर्थन करते हुए चिन्ता को व्यक्त किया। माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने मुझसे कहा कि बारीकी से छान-बीन किये बिना यह कहना कठिन है कि मूल्यों में कमी करने से उद्योग का विकास एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।

इस देश में विदेशी दवाई कम्पनियों को जो गतिविधियां चल रही हैं, माननीय सदस्य उनसे शायद अवगत होंगे। फीजर अमरीकी साइनामाइड कम्पनी, ब्रिस्टोल ब्रदर्स कम्पनी आदि कम्पनियों को अपने देश में न्यास विरोधी अपराधियों के कारण दोष सिद्ध किया गया था। फीजट कम्पनी ने औषध अधिनियम का उल्लंघन किया और मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि की सिनेटर नेलसन ने अपने एक वक्तव्य में इन औषध निर्माताओं द्वारा विकासशील देशों में औषधियों के मूल्यों में मन-माने ढंग से वृद्धि करने के बारे में कहा था। एक समय भारत में 'लिब्रियम' प्रति किलोग्राम 6,246 रुपये की दर से आयात की गई जबकि उस समय इटली में यह 200 रुपये में उपलब्ध थी। अतः सरकार को इस दवाई का उच्चतम मूल्य निश्चित करना पड़ा। इस प्रकार कुछ बड़ी-बड़ी विदेशी फर्मों द्वारा इस तरह की आवांछनीय गतिविधियां की जा रही हैं। हमें पता चला कि इन विदेशी फर्मों को इस हद तक लाभ प्राप्त होता था कि दो वर्षों के अन्दर उन्हें अपनी निवेशी पूंजी वापिस मिल जाती थी। इस प्रकार संरक्षित आन्तरिक बाजार का फायदा उठाकर इन फर्मों ने नाजायज लाभ कमाया।

मैं इस अवसर पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ने जलदबाजी में मूल्य नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया। टैरिफ आयोग ने विभिन्न स्तरों के लोगों से विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया। सरकार गत पन्द्रह वर्षों से औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करती आ रही है। टैरिफ आयोग ने $2\frac{1}{2}$ साल तक मूल्य के ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार किया। यह मूल्य नियंत्रण आदेश इस अध्ययन और सिफारिशों पर आधारित है। अतः यह आदेश सुविचारित एवं निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जारी किया गया है।

यहां किसी को भी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैंने औषध उद्योगों का सहयोग नहीं लिया। फरवरी 1970 के बाद, मैंने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से इनके साथ कई बार विचार-विमर्श किया। मगर इसके बावजूद मूल औषधियों या निर्मित औषधियों के उत्पादन की लागत का पता नहीं लगाया जा सका। करीब 10,000 निर्मित दवाइयों के निर्माण की लागत का पता लगाने में जो स्वाभविक कठिनाई है, उसे मैं समझता हूं। दुर्भाग्य वहां सरकार भी बड़ी फर्मों द्वारा निर्मित दवाइयों के निर्माण की लागत का पता लगाने में असमर्थ रही। मगर, इन सबके बावजूद; मैंने स्टाकिस्टों और परचून विक्रेताओं से भी बातचीत की। सरकार का एक मात्र लक्ष्य

निर्माण और वितरण में किसी प्रकार की बाधा पड़े बिना उचित मूल्य पर औषधियां उपलब्ध कराना है, चूंकि हमने दवाइयों के मूल्यों में नियमित रूप से कमी करनी चाही, अतः सम्बद्ध सभी लोगों से हमने बातचीत की। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने उनके सहयोग की इच्छा प्रकट की। असल में सरकार के आदेश में वैकल्पिक मूल्य निर्धारण योजना खासकर भारतीय क्षेत्र के औषध उद्योगों की असली कठिनाइयों को दूर करने के बाद औषध निर्माताओं के साथ हुई बातचीत के पता चलता है कि वे सरकार को सहयोग देंगे। उन्हें सरकार का लक्ष्य समझा दिया गया है। अतः हमने यह नहीं सोचा कि ये लोग दैनिक उपयोग की दवाइयों के मूल्यों में इस प्रकार वृद्धि करेंगे।

मैंने आशा की थी कि औषध उद्योग इस अवसर पर अपना सामाजिक दायित्व निभायेंगे और सरकार के साथ सहयोग करेंगे। मैंने उद्योग का सहयोग इसीलिए चाहा क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में बाधा पड़े।

औषध उद्योग ने वैकल्पिक मूल्य योजना के प्रयोजना को अच्छी तरह समझ लिया। अधिकांश निर्माता योजना की भावना से लगभग सहमत हैं। कुछ निर्माताओं द्वारा मूल्यों में जो वृद्धि की गई है। उस पर उन्हें भी दुख है। क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को कष्ट हो रहा है और यह उपभोक्ता को राहत देने की हमारी नीति विरुद्ध है।

कुछ निर्माताओं के प्रतिनिधियों ने गत सोमवार मुझसे अनुरोध किया कि मूल्यों में कमी करने का आदेश जारी न किया जाए और कहा था कि वे स्वयं 24 घन्टों में ऐसा कर देंगे। लेकिन मंगलवार को उन्होंने मुझसे बताया कि इसके लिए उन्हें 10 दिन का समय दिया जाए। मुझे पता चला कि वे निश्चित रूप से यह आशा कर रहे थे कि संसद में एक प्रकार का तनाव बना रहेगा और सरकार की निन्दा की जाएगी और सरकार आखिर आदेश रद्द कर देगी।

इस स्थिति में, उन सभी औषधियों के मूल्यों में कमी करने के लिए नियंत्रण आदेश में संशोधन करने का निश्चय किया गया जिनके मामले निर्माताओं ने संशोधित मूल्य-सूचियों में जो 1 अगस्त को लागू हो गई थी, 31 जुलाई से मूल्यों के अधिक मूल्य दिखाये थे। 18-7-1970 को यह आदेश पारित हुआ और अब इन औषधियों का मूल्य कम कर दिया गया है। संशोधित आदेश का आशय स्पष्ट करते हुए निर्माताओं के सभी संगठनों को और फुटकर कैमिस्टों को स्पष्टीकरण पत्र भेज दिया गया। राज्य सरकारों के सिविलि सप्लाई अधिकरणों तथा राज्य औषधि नियन्त्रकों से भी यह सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया गया है कि उद्योग तथा व्यापार द्वारा संशोधित आदेश के उपबन्धों को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाए। अब उद्योग को चाहिए कि मूल्यों में वृद्धि करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने वैकल्पिक मूल्य योजना के बारे में अपनी शंका प्रकट की। आप सब जानते हैं कि वर्तमान मूल्य नियंत्रण लागू करने से पहले दवाइयों के मूल्यों का नियंत्रण 1966 के औषधि मूल्य (प्रदर्शन और नियंत्रण) आदेश के आधार पर किया जाता रहा। इसके अन्तर्गत मूल्यों को 1963 के मूल्यों के स्तर तक कर दिया गया। नये उत्पादों का मूल्य कारखाना मूल्य का 150 प्रतिशत निश्चित कर दिया गया। यह हमारा अनुभव रहा है कि अधिकांश बड़ी विदेशी फर्में मूल्यों में संशोधन करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका कारण यह है कि उनकी कीमतें काफी

अधिक हैं और वे चाहते थे कि सरकार को इसका पता न चले। अधिकांश रूप में भारतीय फर्मों ने ही मूल्यों में संशोधन करने तथा नई औषधियों के मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। इसीलिए हम यह अनुभव करते हैं कि वैकल्पिक मूल्य योजना से हम दो उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे, अर्थात् (1) विदेशियों द्वारा संचालित तथा नियंत्रित कुछ एक फार्मों द्वारा निर्मित उत्पादों के मूल्यों में काफी कमी की जा सकेगी और (2) इससे भारतीय क्षेत्र के उद्योग के हितों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह देखा गया है कि कुछेक विदेशी फर्मों का कुल लाभ 15 प्रतिशत से बहुत अधिक था और कुछ मामलों में भारतीय फर्मों का लाभ 6 या 7 प्रतिशत था। अतः हमने 15 प्रतिशत लाभ निश्चित किया ताकि उन विदेशी फर्मों का अधिक लाभ कम हो जाये और भारतीय फर्मों की लाभ-क्षमता को कोई ठेस न पहुँचने पाये। अगर हम देखते हैं कि वर्ष के अन्त में 15 प्रतिशत से अधिक लाभ कमाया गया है, तो इस अतिरिक्त लाभ की रकम को हमारे निदेशानुसार ही खर्च किया जा सकेगा। अतः वैकल्पिक मूल्य योजना छोटे और माध्यमिक स्तर के भारतीय उद्योगों की सहायता के लिए निर्धारित की गई है।

सदस्यों ने इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कार्यों की आलोचना की। सरकार ने इसमें 31 मार्च तक 56 करोड़ रुपये का विनियोजन किया है और इससे 21 करोड़ रुपये की हानि हुई जिसमें 4.71 करोड़ रुपये का मूल्य ह्रास और 7·12 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है, अर्थात् शुद्ध हानि 9 करोड़ रुपये की थी। इन्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जब मैंने पहली बार इसका कार्यभार संभाला था, उस समय इस के हैदराबाद स्थित कारखाने की कुल बिक्री 1968-69 में केवल 64.92 लाख रुपये की थी। 1969-70 में हम यह 335·05 लाख रुपये तक बढ़ा सके। इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कुछ दवाइयों और अन्य कम्पनियों द्वारा निर्मित दवाइयों के मूल्यों की मैं यहां तुलना करता हूं। उदाहरण के लिए, अफानजीन के 1000 वाले एक पैकेट का मूल्य इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का 144 रुपये है, मगर हांचेस्ट, जोकि एक विदेशी फर्म है का 324 रुपये है। इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की डीथाइल कार्बामाजाइन साइट्रेट का मूल्य 13.49 रुपये है जब कि साइप्ला का 24 रुपये है। इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के आइसोनी आसिड़ के 1000 वाले एक पैकेट का मूल्य 32.36 रुपये हैं, जबकि अन्य फर्मों का अर्थात् देश का 26.00 रुपये, फीजट का 34·94 रुपये। साराभाई का 36·29 रुपप और ग्लैक्सो का 25.47 रुपये है। इन्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की फीनोबाटबिटोन के 1000 वाले एक पैकेट का मूल्य 25·67 रुपये है और मार्टिन एण्ड हारिस का 25·95 रुपये है। अतः विदेशी फर्में अधिक मूल्य वसूल करती हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) आपने अनुमति क्यों दी है ?

डा० त्रिगुण सेन : जैसा मैंने पहले कहा, सरकार औषधियों के निर्माण की लागत का पता लगाने में असमर्थ रही। हमने औद्योगिक लागत ब्यूरों को नियुक्ति की है। उनसे असली लागत का पता लगाया जा सकेगा।

सरकार का यह लक्ष्य है कि औषधियाँ रोग से पीड़ित लोगों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जायं ; यह एक राष्ट्रीय समस्या है और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रयत्न में सारा सदन हमेशा साथ

देगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष है और मैं चिकित्सकों से अपील करता हूं कि इस संघर्ष में वे भी शामिल हों। मैं जनता से अपील करता हूँ कि वे मुनाफाखोरों और चोर बाजारी करने के प्रति सतर्क रहें। मैं समाचार पत्रों और विज्ञापन एजेंसियों से अपील करता हूं कि वे दवाइयों के मूल्य कम करने के लिए विज्ञापन की दर कम करें। हमने स्थानीय अधिकरणों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश को सख्ती से लागू करें न्याय के मार्ग पर हम उद्योग को चलाने देंगे ताकि साधारण लोगों को फायदा मिले। मगर जो इसके विरुद्ध कार्य करेगा। उस उद्योग को सरकार अपने हाथ में ले लेने की सिफारिश करेगी।

श्री गोयल तथा अन्य कई सदस्यों ने शिकायत की कि औषधियों की जमाखोरी शुरू हुई है आपको यह यह सुन पर खुशी होगी कि दिल्ली के औषध व्यापारियों ने पुरानी दरों पर औषधियां बेचने का निर्णय लिया है समाचार पत्रों में यह समाचार आया था कि औषधियां, खासकर घरेलू उपयोग की औषधियाँ, बाजार में बिलकुल उपलब्ध नहीं हैं। औषध व्यापारियों का रवैया यह है कि निर्माताओं से कुछ हानिपूर्ति के बिना कम मूल्यों पर औषधियां बेची नहीं जा सकतीं। मगर कई अच्छे लोग भी समाज में हैं। कनाट प्लेस में या करौल बाग में कहीं भी औषधियों की कमी नहीं है महाराष्ट्र में भी औषधियों की जमाखोरी को सफलतापूर्वक रोका जा रहा है। अहमदाबाद, कलकत्ता और बम्बई में भी स्थिति संतोष जनक है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि फोलिस अम्ल जब आदान किया जाता है, तो उसका मूल्य 250 रुपये है जब इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का इसका मूल्य 1,600 रुपया है। मुझे पता चला है कि आयातित फोलिक अम्ल का मूल्य 1,200 रुपये है। इन्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की निर्माण की लागत 1,600 रुपया है, मगर बिक्री की दर 1,300 रुपये निश्चित कर दी गई है।

श्री सेभियान ने शस्तिनोन के बारे में कहा यह एक एन्टी-डायबेटिक औषधि है और इस पर किसी भी देश में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

श्री सेभियान (कुम्बकोणम) : ब्रिटेन में यह दवा विनाशकारी पाई गई है। मैं इस सम्बन्ध में समाचार पत्र का अंश पेश कर सकता हूं।

डा० त्रिगुण सेन : कृपया क्षमा कीजिये। मैं वह औषध नियंत्रक को भेज दूंगा। मेरे विचार से, अब सारे मुद्दों का जवाब दिया जा चुका है।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागोर) : विदेशी कम्पनियों के बारे जो कि यहां कार्य कर रही हैं और जिन्होंने बुरा रिकार्ड कायम किया है। जांच करने की हमने जो मांग की थी, उसके बारे में आप क्या कहते है ? आप स्वयं कह रहे थे कि ये विदेशी कम्पनियाँ सरकार को इच्छित सहयोग नहीं दे रही है, उसके लिए सरकार क्या करेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : संसद में पेटेन्ट विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप इसे पारित करेंगे तो भारतीय वैज्ञानिक एवं औषध-निर्माता कम लागत पर औषधियों का निर्माण कर सकेंगे।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम) : उनके मूल्य बहुत अधिक हैं । आप उसके लिए क्या कर रहे हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : वे ये औषधियां अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा अपने देश अफात करते हैं । उन्हें अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से लाइसेंस मिलता है । यह एक खास कंपनी के पेटेंट के आधार पर होता है ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 21 अगस्त, 1970, 30/श्रावण, 1892 शक के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, August 21, 1970/Sravana 30, 1892 (Saka)

Printed at Law Publishing House, Allahabad.